बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 117

वित्तीय स्थिरता में सुधार

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की गत सप्ताह जारी हुई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में बताया गया कि देश में वित्तीय स्थिरता की दशा व्यापक तौर मजबूत और स्थिर है। अर्थव्यवस्था में व्यापक वित्तीय जोखिम के कई संकेतक कमजोर पड़े हैं और हमारी व्यवस्था वृद्धि के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए तैयार नजर आ रही है। बैंकिंग व्यवस्था में फंसे हुए कर्ज का सकल अनुपात 2.8 फीसदी के साथ कई वर्षों के न्यूनतम स्तर पर है और रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि इसमें और गिरावट जारी रहेगी।

बहरहाल, अभी भी भविष्य के जोखिम के कुछ स्रोत हैं जिनकी सावधानीपूर्वक नियामकीय निगरानी की आवश्यकता है। इनमें से एक है शैडो बैंकिंग क्षेत्र की वापसी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी एनबीएफसी अर्थव्यवस्था में एक उपयोगी भूमिका निभाती हैं। परंतु जैसा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज (आईएलऐंडएफएस) के मामले से पता चला जो छह वर्ष पहले संकट में आ गई थी, वे मुश्किलों का जरिया भी होती हैं। आईएलऐंडएफएस के कारण एनबीएफसी क्षेत्र को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था उनसे निपटने और ऋण तथा अन्य गतिविधियों के सामान्य होने में वक्त लगा। तब से एनबीएफसी की नियामकीय निगरानी और सख्त हो गई है। परंतु जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है, विशुद्ध उधारी के मुताबिक वे बैंकिंग व्यवस्था की सबसे बड़ी प्रतिभागी हैं। इस उधारी में से अधिकांश सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों से ली गई है जो अब एनबीएफसी को आधा से अधिक वित्त मुहैया कराते हैं। आवास वित्त कंपनियां भी ऐसी ही बिचौलियों वाली भूमिका निभाती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अपने आप में समस्या नहीं है। उसके अनुमान के मुताबिक एक बड़ी एनबीएफसी की विफलता बैंकिंग व्यवस्था में पहली श्रेणी के शेयरों को गंभीर क्षति पहुंचाती है। परंतु इससे बैंकिंग व्यवस्था का पतन नहीं होगा।

इसके बावजूद यह स्थितियों का बहुत सरल पाठ होगा। इक्कादुक्का नाकामी कोई समस्या नहीं होती है। असल में मामला यह है कि किसी एक एनबीएफसी में नाकामी की जो वजह होगी वह अन्य पर भी ऐसा ही प्रभाव डाल सकती है। झटकों का आपस में संबंध होता है। हम 2008 के वित्तीय संकट में ऐसा होते देख चुके हैं। यकीनन एक नाकामी से अन्य एनबीएफसी में जमा करने वालों के भरोसे को क्षति पहुंच सकती है। यह स्थिति भी एक तरह से संक्रामक साबित होगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एनबीएफसी एक परिपक्व परिवर्तनकारी भूमिका निभा रही हैं। ऐसी मध्यवर्ती कंपनियां जो अल्पावधि के लिए फंड लेकर उसे लंबे समय के लिए ऋण के रूप में देती हैं, उन्हें व्यवस्था में अस्थिरता का जरिया माना जाता है।

यह बात भी ध्यान देने लायक है कि वित्तीय तंत्र में कुछ नई चिंताएं नजर आने लगी हैं। रिपोर्ट में रिजर्व बैंक के व्यवस्थागत जोखिम सर्वे के 26वें दौर को लेकर एक नोट शामिल है। वैश्विक मौद्रिक सख्ती समेत जोखिम के कई स्रोत कमजोर पड़े हैं। परंतु दो घरेलू जोखिमों के बढ़ने का अनुमान है। पहला, कम खपत और मांग से उपजा जोखिम। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में वेतन और रोजगार को दर्शाती है। परंतु अधिक दिलचस्प बात यह है कि सर्वे में जलवायु जोखिम को उच्च जोखिम श्रेणी में रखा गया है। सर्वेक्षण के उत्तरदाताओं ने जलवायु परिवर्तन और साइबर जोखिम को सबसे बड़ा जोखिम माना है। रिपोर्ट में जलवायु जोखिम के नियमन के समय वैश्विक रुझानों की समीक्षा शामिल है। भारतीय वित्तीय व्यवस्था और रिजर्व बैंक समेत वित्तीय क्षेत्र नियामक दोनों को बढ़ते जलवायु जोखिम से बचाने की तैयारी करनी होगी। जलवायु परिवर्तन मौद्रिक नीति पर भी असर डालेगा जिससे वित्तीय तंत्र के लिए जोखिम बढ़ सकता है।

बिनय सिन्हा

गहन व्यापार समझौतों को प्राथमिकता

देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा और निवेश अपील मुक्त व्यापार समझौतों पर निर्भर हैं। इसलिए इन्हें लेकर नए ढंग से काम करना होगा। बता रही हैं अमिता बत्रा

यह बात उत्साह बढ़ाने वाली है कि वाणिज्य मंत्रालय ने मई में चिंतन शिविर का आयोजन किया ताकि भविष्य के मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के लिए होने वाली वार्ताओं के लिए रणनीतियां और मानक परिचालन प्रक्रिया तैयार की जा सकें। यह समय पर की गई पहल है क्योंकि यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के साथ गहन मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर होने वाली वार्ताएं बार-बार टल रही हैं। इसके अलावा आसियान समेत अन्य मुक्त व्यापार समझौतों को भी लंबी पहल के बाद अंजाम दिया जाना है।

इस संदर्भ में भारत के लिए यह उपयोगी होगा कि वह अपनी एफटीए रणनीति तैयार करे और अतीत के सीमित व्यापार उदारीकरण की तुलना में जरूरी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए गहन व्यापार समझौतों पर अपना ध्यान केंद्रित करे।

विभिन्न सीमाओं के परे मध्यवर्ती वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाने वाले उपायों के रूप में गहन एफटीए की समझ बनाने और इसके परिणामस्वरूप वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) के साथ एकीकरण से भविष्य में एफटीए वार्ताओं में बेहतर नतीजे हासिल करने में मदद मिलेगी।

देश की एफटीए वार्ताओं में अब तक अतीत के उन अनुभवों की अहम भूमिका रही है जहां एफटीए साझेदार देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार घाटे में इजाफा हुआ है। इसके चलते भारत की एफटीए वार्ताओं में एक किस्म की शंका साथ चलती है। इसके बजाय हमारे पहले के एफटीए से उचित अनुभवजन्य सीख यह होनी चाहिए थी कि एफटीए में दिए जाने वाले तरजीही मार्जिन को कम किया जाए और विनिर्माण क्षेत्र की निर्यात प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाया जाए। वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक तरजीही देशों का औसत टैरिफ 0-5 फीसदी है जो यह सुनिश्चित करता है कि अधिकांश देशों के साथ एफटीए में तरजीही मार्जिन नाम मात्र का हो।

इसकी तुलना में भारत का सर्वाधिक तरजीही देशों (एमएफएन) से संबंधित टैरिफ अपेक्षाकृत अधिक है और वह धीरे-धीरे बढ़ रहा है। खासतौर पर विनिर्माण क्षेत्र में उच्च तरजीही मार्जिन की गुंजाइश बनती है और इस प्रकार द्विपक्षीय व्यापार एफटीए साझेदार के पक्ष में होता है। ऐसे में देश में विनिर्माण क्षेत्र में औसत लागू एमएफएन टैरिफ में कमी और उन्हें उभरते बाजारों वाली अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप बनाना भविष्य की एफटीए वार्ताओं के लिए जरूरी व्यापार नीति में सुधार हो सकता है। इसे एफटीए में प्रस्तुत किए गए सावधानीपूर्वक आकलित तरजीही टैरिफ के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि जीवीसी के क्षेत्रों को लाभ हो सके। काम के स्तर पर तुलनात्मक लाभ, भागीदार देश, सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के उत्पादन नेटवर्क में संभावित पूर्तिकर्ताओं के साथ मिलकर एफटीए में टैरिफ वरीयता की सीमा और समय को आकलित करने का आधार बनना चाहिए।

विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धी क्षमता को भी एफटीए में गहरी भागीदारी की मदद से बढ़ाया जा सकता है क्योंकि इससे जीवीसी में घरेलू उत्पादन में मजबूती लाने में मदद मिल सकती है। गहन एफटीए व्यापार में वस्तु एवं सेवाओं के उदारीकरण के अलावा नियामकीय मुद्दे भी शामिल होते हैं। वे मोटे तौर पर निवेश के उदारीकरण, बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण और पर्यावरण, सामाजिक और संचालन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन क्षेत्रों में किए गए प्रावधान विश्व व्यापार संगठन में जताई गई प्रतिबद्धताओं के अलावा हैं यानी विस्तारित हैं।

भारत को अब तक निवेश उदारीकरण और ईएसजी के मामले में गहन प्रावधानों पर वार्ता में मुश्किल हुई है। यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के साथ एफटीए वार्ताओं को यह बात सीमित कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 2022 में आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता हुआ था। उसमें भी निवेश वाला हिस्सा शामिल है।

बहरहाल विश्व स्तर पर गहन व्यापार समझौतों और गहरे प्रावधानों की तादाद पिछले दशक में बढ़ी है। यूरोपीय संघ और अमेरिका जहां इस मामले में अग्रणी रहे हैं, वहीं पूर्वी एशियाई देशों ने भी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी आरसेप और कॉम्प्रिहेंसिव ऐंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (सीपीटीपीपी) के जरिये इस क्षेत्र में तरक्की की है।

भारत का इन नीतिगत क्षेत्रों को गैर कारोबारी मुद्दों में श्रेणीबद्ध करना और इन पर वार्ता से इनकार करना पुराना और अनुत्पादक रुख है। ऐसी तमाम जानकारियां मौजूद हैं जो बताती हैं कि गहन व्यापारिक समझौते मध्यवर्ती वस्तुओं, जीवीसी के व्यापार को सुविधाजनक बनाते हैं। यह अभी भी वैश्विक वस्तु व्यापार का अहम घटक बना हुआ है।

ऐसे में भारत के लिए अहम है कि वह गहन व्यापार समझौतों में भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करे और उसे जीवीसी के साथ संबद्धता बढ़ाने के नजरिये से करना चाहिए। वह विनिर्माण और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओं को सफल बनाने को ध्यान में रखकर भी ऐसा कर सकता है।

जीवीसी के नेतृत्व वाले व्यापार में मध्यवर्ती वस्तुएं अलग घटक होती हैं। इनमें से प्रत्येक का विशिष्ट उपयोग होता है और उन्हें खरीदार की जरूरत के हिसाब से तैयार किया जाता है। ऐसे में जीवीसी से संबंधित निवेश जिसमें सीमा पार लेनदेन शामिल है, उसे विशिष्ट अनुबंध दायित्वों, सुरक्षा उपायों और नियमों तथा मानकों की आवश्यकता होती है जिसके लिए सभी भागीदार देशों को बातचीत करनी होती है। व्यापार नीति, निवेश और बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण को देखते हुए एक समन्वित और पूरक रुख तैयार करना जरूरी है।

विश्लेषण दिखाते हैं कि निवेश उदारीकरण, सुविधा, आईपीआर और जीवीसी के लिए आवश्यक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर निवेशक संरक्षण को लेकर अतिरिक्त प्रावधानों के बीच सकारात्मक संबंध हैं।

समुचित डिजाइन वाला निवेश और संबंधित नियामकीय प्रावधान न केवल निवेश की आवक और तकनीक हस्तांतरण में मदद करते हैं बल्कि वे घरेलू नियामकीय ढांचे में भी उन्नयन का संकेत देते हैं। ऐसे में वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार उदारीकरण के साथ देखा जाए तो गहन एफटीए में निवेश संबंधी प्रावधान कारोबारी सुगमता की लागत कम करने और कई स्थानों पर संचालित हो रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कारोबारी लागत कम करने में मदद करते हैं। इसकी तुलना में अलग-थलग द्विपक्षीय निवेश संधियां कहीं अधिक प्रतिबंधात्मक होती हैं और एफडीआई आवक पर इनके प्रभाव को लेकर स्पष्ट प्रमाण नहीं हैं।

अपने एफटीए में निवेश प्रावधानों को लेकर चर्चा करने के लिए भारत को समुचित निवेशक संरक्षण व्यवस्था पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। अधिकांश देशों ने निवेशक-राज्य विवाद निस्तारण और राज्य-राज्य निवेशक संरक्षण व्यवस्था को अपना लिया है। जबकि बीआईटी 2016 के मॉडल के आधार पर घरेलू उपायों को अपनाने पर जोर देता है। बहरहाल आगे चलकर यह कठिन साबित हो सकता है क्योंकि सीपीटीपीपी पहले ही प्रभावी है और आसियान तथा यूनाइटेड किंगडम दोनों उसके सदस्य हैं। इससे निवेशक बिना घरेलू प्रक्रियाओं के मध्यस्थता की प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं। यूरोपीय संघ ने अपने एफटीए विवाद निस्तारण के लिए बहुपक्षीय न्यायालय जैसे विकल्प का प्रस्ताव रखा है लेकिन इसकी पुष्टि होनी अभी शेष है।

ऐसे में एफटीए वार्ताएं पहले की तरह नहीं चल सकतीं। बड़े निकायों की जीवीसी में विविधता लाने की नीति में एक आकर्षक वैकल्पिक निवेश केंद्र बनने के लिए तथा इसके जरिये अपनी विनिर्माण और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए हमें गहन व्यापार समझौतों को जल्दी पूरा करने का लक्ष्य लेकर चलना होगा।

(लेखिका सीएसईपी की सीनियर फेलो और जेएनयू में प्रोफेसर (अवकाश पर) हैं। लेख में उनके निजी विचार हैं)

जल संचयन, संरक्षण दूर करेंगे पानी की किल्लत

खेती बाड़ी
सुरिंदर सूद

क्या भारत स्वाभाविक तौर पर पानी की किल्लत वाला देश रहा है? जब प्रत्येक वर्ष गर्मी में देश के कई हिस्से पानी की किल्लत का सामना करते हैं तो यह प्रश्न जरूर उभरता है। इसका कोई सीधा-सपाट उत्तर देना आसान नहीं है, क्योंकि इस विषय से जुड़े कई पहलू हैं जिनकी अलग-अलग व्याख्या हो सकती है। परंतु, यह तो निश्चित है कि जल संकट ऐसी समस्या नहीं है,जिसका कोई हल नहीं निकल नहीं सकता।

भारत में विश्व की 18 फीसदी आबादी रहती है और दुनिया में मवेशी की कुल संख्या का 20 फीसदी हिस्सा यहीं पाया जाता है। मगर दुनिया में उपलब्ध जल संसाधन का यहां मात्र 4 फीसदी हिस्सा पाया जाता है। यह स्पष्ट संकेत है कि इस महत्त्वपूर्ण संसाधन की सीमित उपलब्धता के बीच समझ-बूझ के साथ कदम नहीं उठाया गया तो भविष्य में स्थिति और भयावह हो सकती है। देश में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 1950 के दशक में 3,000 घन मीटर थी, जो अब कम होकर मात्र लगभग 1,486 घन मीटर रह गई है। वर्ष 2031 तक यह और कम होकर 1,367 घन मीटर हो सकती है। यह भी एक संकेत है कि देश में पानी की कमी किस तरह विकराल रूप ले रही है। मोटा अनुमान यह है कि प्रति व्यक्ति कम से कम 1,700 घन मीटर पानी की आवश्यकता है। अगर पानी की उपलब्धता 1,000 घन मीटर से कम होती है तो परिस्थितियां वाकई खतरनाक स्तर तक पहुंच जाएंगी। पानी की उपलब्धता निरंतर कम होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। देश के कई हिस्सों में तो जल संकट भीषण रूप ले चुका है या इस स्थिति में तेजी से पहुंच रहा है।

परंतु, जल संसाधन से जुड़ा एक और पहलू भी है जो परेशान करने वाला नहीं है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है और प्रकृति इस मामले में थोड़ी दयालु रही है। भारत में वर्षा एवं हिमपात के माध्यम से सालाना लगभग 118 सेंटीमीटर या लगभग 4,000 अरब घन मीटर (बीसीएम) पानी आता है। यह वैश्विक औसत की तुलना में कहीं अधिक है। परंतु, इस जल का अधिकांश हिस्सा जुलाई से सितंबर में मॉनसून के दौरान आता है और एक बड़ा हिस्सा समुद्र में चला जाता है या बाढ़ लाता है या फिर उपजाऊ मिट्टी बहा कर ले जाता है। एक छोटा हिस्सा ही जलाशयों, तालाब या टैंकों में जमा हो पाता है या भूमिगत जल भंडार में जा पाता है। मगर अफसोस की बात है कि देश में वर्षा जल संग्रहण के लिए अब तक पर्याप्त ढांचा तैयार नहीं हो पाया है।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अनुमान के अनुसार भारत में कुल जल भंडारण क्षमता केवल 355 अरब घन मीटर है। इनमें उपयोग लायक क्षमता (लाइव स्टोरेज) मात्र 275 अरब घन मीटर है। यह मात्रा 834 अरब घन मीटर की अनुमानित आवश्यकता की तुलना में काफी कम है। पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल होने पर भी संग्रहित जल लगभग 170 दिनों तक ही चल सकता है। कई अन्य देशों ने जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए काफी अधिक जल संग्रहण क्षमता तैयार की है। उदाहरण के लिए मिस्र में 700 दिनों के लिए पानी जमा रखने की क्षमता है। अमेरिका दो वर्षों तक इस्तेमाल के लिए पर्याप्त जल भंडारण कर सकता है। अगर भारत वर्षा जल का पर्याप्त भंडारण कर लें तो यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में ही फसलों की सिंचाई सहित सभी जरूरतें पूरी कर सकता है।

लिहाजा, जल की कमी की समस्या का समाधान जल संग्रह, इसका संरक्षण और विवेकपूर्ण इस्तेमाल है। इसका सबसे उम्दा उपाय यह है कि वर्षा जल का स्थानीय स्तर पर संरक्षण की व्यवस्था शुरू की जाए। ऐसा नहीं है कि नीतियां तैयार करने वाले लोग वास्तव में इस बुनियादी आवश्यकता को नहीं समझते हैं। उन्होंने सही दिशा में कदम बढ़ाते हुए वर्षा जल संरक्षण को काफी पहले मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा बनाया है। वर्ष 2001 में ऐसी सभी नई इमारतों, जिनमें छत का क्षेत्रफल 1,000 वर्ग मीटर था, के लिए वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया था। विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकांश परिवारों में पानी की जरूरत वर्षा के जल से पूरी की जा सकती है। राष्ट्रीय जल नीति, 2012 में भी वर्षा जल संग्रह पर जोर दिया गया था। मृदा एवं जल संरक्षण, सिंचाई विस्तार एवं जल संभरण (वाटरशेड) विकास के लिए शुरू किए गए अधिकांश कार्यक्रमों में मूल जगह और मूल जगह से दूर वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान है। सरकार की योजना जल शक्ति अभियान के अंतर्गत इस उद्देश्य के लिए रकम का आवंटन भी नियमित तौर पर हो रहा है। इसके अलावा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत हो रहे कार्यों का वर्षा जल संचयन एक प्रमुख हिस्सा रहा है।

हालांकि, मकसद नेक होने के बावजूद योजना तैयार करने के स्तर पर खामी और आधे-अधूरे क्रियान्वयन के कारण इन उपायों के अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। मनरेगा के अंतर्गत योजनाएं मांग आधारित एवं रोजगारोन्मुखी हैं जहां श्रम की उपलब्धता अलग-अलग समय पर भिन्न होती है। इस कारण से नियमित समय पर या पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तावित कार्य संपादित नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा वर्षा जल प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं जैसे संग्रहण, भंडारण एवं वितरण और जल संचयन ढांचे का प्रबंधन अलग-अलग प्राधिकरणों के हाथ में होने से उम्मीद लायक नतीजे नहीं मिल रहे हैं।

वर्षा जल संरक्षण के लिए व्यापक भौगोलिक स्तर पर योजना तैयार करने की आवश्यकता है। मगर मौजूदा नागरिक प्रशासन में ऐसा कर पाना मुश्किल है। हमें वर्षा जल संचयन एवं संरक्षण को एक जन आंदोलन का रूप देना होगा और कुल जल भंडारण क्षमता में इजाफा करना होगा। इससे जल संकट दूर करने के साथ ही पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।

आपका पक्ष

नए कानून से लोगों को समय पर मिल सकेगा न्याय

देश में 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। अंग्रेजों के समय के कानूनों को बदला गया है। इनमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 को लाया गया है। नए कानूनों में न्याय दिलाने की समय सीमा भी तय की गई है। इसमें 'जीरो एफआईआर', ऑनलाइन एफआईआर, एसएमएस के जरिये समन भेजने और वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान किए गए हैं। नए कानून से देश की जनता को बेवजह होने वाली परेशानियों से निजात मिल सकेगी तथा पुलिस की ज्यादती से भी बचाव हो सकेगा।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद नई दिल्ली में सोमवार को जागरूकता के लिए पोस्टर लगाती महिला पुलिसकर्मी

खाद्य पदार्थों के निर्यात पर रोक लगे

खाद्य पदार्थों की महंगाई पर रोक लगाने के लिए सरकार को गेहूं, चीनी, चावल, प्याज, दाल आदि के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। व्यापारियों के लिए खाद्य पदार्थों की भंडारण सीमा तय की जाए। मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

ललित महालकरी, इंदौर

उत्पादन और भंडारण क्षमता बढ़ाने की जरूरत

खाद्य पदार्थों की महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सबसे ज्यादा जोर उत्पादन और भंडारण क्षमता बढ़ाने पर दिया जाए। स्टॉक जितना बड़ा होगा, जमाखोरी उतनी ही कम होगी। अभी देश में उत्पादित अनाज के सिर्फ 47 प्रतिशत के बराबर ही भंडारण की सुविधा है। इसलिए पैक्स (प्राथमिक सहकारी समितियां) स्तर पर बड़ी मात्रा में गोदाम बनाए जाने चाहिए।

धीरेंदु सोमानी, बेंगलूरु

कृषि क्षेत्र पर हो विशेष ध्यान

खाद्य महंगाई को रोकने के लिए किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीक अपनाने के साथ ही उन्नत किस्म के बीजों के उपयोग हेतु प्रेरित करना चाहिए। इससे उत्पादन में वृद्धि के साथ ही खाद्य पदार्थों की कीमतों में स्थिरता आएगी। भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बढ़ाते हुए बिचौलियों की भूमिका कम करनी होगी। कृषि सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। घरेलू आपूर्ति संतुलन को ध्यान में रखते हुए आयात निर्यात की नीति का निर्धारण आवश्यक है।

रमेशचंद्र कर्नावट, उज्जैन

सटोरियों पर रखी जाए नजर

सरकार को खाद्य महंगाई कम करने के लिए सतर्कता पूर्वक सटोरियों पर कड़ी नजर रखनी होगी। साथ ही प्रशासन को यह देखना होगा कि व्यापारी निश्चित मात्रा से अधिक का भंडारण ना कर सकें। भारतीय खाद्य निगम को खाद्य पदार्थों का अधिक भंडारण करना होगा। पेटोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाकर इनके दाम घटाने होंगे जिससे ढुलाई सस्ती होने से खाद्य वस्तुएं के दाम भी कम हो जाएं।

दिनेश मलिक, अलवर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

प्रमुख अमेरिकी सांसदों ने अमेरिका में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ते 'हिंदूफोबिया' और भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय अमेरिकियों को अपना समर्थन देने का वादा किया है। उत्तरी अमेरिका के हिंदुओं के गठबंधन (सीओएचएनए) द्वारा आयोजित तीसरे राष्ट्रीय हिंदू समर्थन दिवस में 28 जून को कई हिंदू छात्रों, शोधार्थियों और सामुदायिक नेताओं ने भाग लिया था तथा अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं की चिंताओं पर चर्चा की। हिंदूफोबिया से आशय हिंदू धर्म और हिंदुओं के प्रति विरोधी और अपमानजनक दृष्टिकोण और व्यवहार करने से है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

टी20 विश्व कप

भारत की विजय

टी20 विश्व कप में 13 साल बाद भारत की विजय ने दृढ़ता, शानदार क्षमता तथा प्रतिबद्धता का इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया ने फिर कर दिखाया। इसने एक बार फिर टी 20 विश्व कप जीत कर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। इस प्रकार उसने 2011 में आखिरी बार विश्व कप जीतने के बाद 13 साल की प्रतीक्षा समाप्त कर दी। किसी अन्य विजय की तरह यह आसानी से नहीं मिली है। इस विजय के लिए खिलाड़ियों के कठोर परिश्रम व उनकी प्रतिबद्धता के साथ ही कोच और सहायक कर्मचारियों के प्रयासों की प्रशंसा की जानी चाहिए। शानदार विजय की यह यात्रा अनेक उतार-चढ़ावों से भरी थी जिसमें परीक्षा, पीड़ा और आनन्द के क्षण शामिल थे। इस विजय से भारत के करोड़ों क्रिकेट प्रशंसक आनन्दित हुए हैं जो भयानक गर्मी के कारण असहाय कष्टों का सामना कर रहे थे। आखिरकार मानसूनी बरसात और विजय की 'ठंडी हवा' ने लंबे समय बाद आनन्द का अवसर दिया है। वास्तव में इस ऐतिहासिक विजय का मार्ग आसान नहीं था। फाइनल मैच भी कठिन प्रयासों का प्रमाण बना क्योंकि टीम इंडिया 15वें ओवर तक भारी दबाव में थी, जब डेटा विश्लेषणों ने बता दिया था कि भारत की मैच जीतने की संभावना केवल आठ प्रतिशत है। टी 20 विश्व कप के लिए भारत का अभियान शानदार विजयों तथा कांटे की टक्करों का अवसर रहा है। शानदार कैप्टेन रोहित शर्मा को शोएब अख्तर ने 'निस्वार्थ कैप्टेन' कहा था। शर्मा के नेतृत्व में भारत ने अनुभवी खिलाड़ियों तथा युवा प्रतिभाशालियों की टीम बनाई जिसमें संतुलन और क्षमता का मेल था। भारत का अपने विरोधियों पर प्रभुत्व बनाने तथा अनेक विजयों में इस टीम का महत्व सामने आया। धुर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार था और अंततः भारत वह मैच जीतने में सफल हुआ।

मैच में गेंदबाजों ने शानदार आक्रामक क्षमता तथा बेहतरीन स्पिनिंग दिखाई। इसके कारण विपक्षी टीमों को गतिशीलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अनेक खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान अपनी असाधारण क्षमता का प्रदर्शन किया। कैप्टेन रोहित शर्मा का नेतृत्व बहुत शानदार रहा। उन्होंने अपनी रणनीतिक प्रतिभा तथा टीम को प्रेरित करने की क्षमता के माध्यम से भारत को सफलता दिलाने में प्रमुख भूमिका अदा की। गेंदबाजों का नेतृत्व वरिष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बूमरा ने बहुत शानदार तरीके से किया। उनमें गेंद को दोनों ओर से स्विंग कराने की क्षमता है जिसके चलते उन्होंने उस समय महत्वपूर्ण विकेट लिए जब भारत को इसकी बहुत आवश्यकता थी। उनका ओवर मैच का परिवर्तनकारी अवसर बन गया। टी 20 विश्व कप जीतने में भारत की दक्षिण अफ्रीका पर हुई शानदार विजय पर आनन्द मनाया जा रहा है, पर यह क्षण इसलिए दुःखद भी है क्योंकि भारतीय क्रिकेट के दो कद्दावर खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टी 20 इंटरनेशनल के बाद अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। इस विजय ने अनेक लोगों में उत्साह भर दिया है जिन्होंने सड़कों पर अपनी शैली में आनन्द मनाया, पटाखे दगाए तथा तिरंगा लहराया। यह विजय न केवल क्रिकेट में सफलता, बल्कि समग्र राष्ट्रीय गर्व का विषय है। इस प्रकार देश आनन्द और उत्सव में एकजुट हुआ है। यह कठोर परिश्रम, दृढ़ता, अदम्य जीवन की इच्छा तथा राष्ट्रीय प्रतिबद्धता से प्रेरित है। 13 साल बार भारत की टी 20 विश्व कप विजय शानदार प्रदर्शन, दृढ़ता एवं प्रतिबद्धता की कथा है। अनेक पीढ़ियां यह क्षण याद रखेंगी और वे क्रिकेट के उस जादू से प्रभावित होंगे जो लाखों लोगों के दिल में रहता है। उम्मीद है कि भारत अपना यह प्रदर्शन दुहराता रहेगा।

नेता विपक्ष के समक्ष चुनौतियां

नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी के समक्ष विपक्षी एकता बनाए रखने तथा संसद में भाजपा के प्रभाव का मुकाबला करने की चुनौतियां सामने हैं।

के.एस. तोमर
(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

राहुल गांधी ने संसद में नए विपक्षी नेता बनने का कांग्रेस कार्यसमिति-सीडब्लूसी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इसका दुहरा उद्देश्य हो सकता है। पहला, इससे कानून के अंतर्गत उनको एक विधिक स्थिति प्राप्त हुई है और इससे वे 2029 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सीधे प्रतिद्वंद्वी बन गए हैं। इससे अतीत की तुलना में उनको प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ज्यादा गंभीरता से लिया जाएगा। दूसरा, संसद के भीतर और बाहर प्रधानमंत्री के सबसे मुखर आलोचक होने के बावजूद अक्सर राजीव गांधी के स्वरों को भाजपा के 'आक्रामक समूह' द्वारा अतीत में खारिज कर दिया जाता था। लेकिन वर्तमान परिदृश्य चुनौतीपूर्ण हैं क्योंकि भाजपा की संख्या लोकसभा में घट कर 240 सांसदों तक सीमित हो गई है, जो पिछली लोकसभा में 303 की तुलना में काफी कम है। इसके उलट कांग्रेस ने अपनी संख्या लगभग दूनी कर ली है और वह तीन निर्दलीयों के साथ पिछली लोकसभा में 52 से बढ़ कर 102 हो गई है। कांग्रेस की यह बढ़ी हुई शक्ति भाजपा की रणनीतियों का ज्यादा प्रभावी जवाब दे सकती है। इस प्रकार संसद में 'जैसे को तैसा' वाली स्थिति पैदा हो सकती है। यदि भाजपा का 'आक्रामक समूह' राहुल गांधी को खामोश करने का प्रयास करेगा तो कांग्रेस सांसद भी प्रधानमंत्री के भाषणों में व्यवधान पैदा करने का प्रयास करेंगे। कुल मिला कर संसद में शक्ति संतुलन भी बदला है। राजग, यानी भाजपा और उसके सहयोगियों की संख्या पिछले कार्यकाल में 336 से घट कर अब 294 हो गई है। इस बीच कांग्रेस नीत संप्रग की सीटें 90 से बढ़ कर 234 हो गई हैं। इसमें कुछ और सांसद जुड़ने से सत्तारूढ़ पक्ष के समक्ष बड़ी चुनौती आ सकती है।

संसद में नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए उनको प्रतिबद्ध पूर्ण-कालिक समय देना होगा। इस भूमिका का निर्वाह तदर्थ तरीके से नहीं हो सकता है क्योंकि इसके लिए लगातार प्रयासों तथा रणनीतिक योजनाओं की जरूरत होगी। उनकी प्रमुख चुनौतियों में अनेक दायित्व व रणनीतियां शामिल हैं। उनको सहयोगियों के साथ नियमित संवाद करना होगा। राहुल गांधी को नियमित रूप से सहयोगी दलों के नेताओं के साथ मिल कर ऐसी रणनीतियां बनानी होंगी जिनसे संसद में भाजपा नीत गठबंधन को कमजोर किया जा सके। इसके लिए विविधतापूर्ण राजनीतिक समूहों के साथ मजबूत संबंध विकसित करना जरूरी होगा।

उनको आक्रामकता के साथ ही परिपक्व दृष्टिकोण प्रदर्शित करना होगा। राहुल गांधी के लिए जरूरी होगा कि वे आक्रामकता के साथ परिपक्वता का संतुलन बनाएं। यह खासकर जनहित वाले मुद्दों को उजागर करते समय जरूरी होगा। संसद में इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करना उनकी सफलता की कुंजी होगा। उनके समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती विखंडित विपक्ष को एकजुट करना होगा। विविधतापूर्ण राजनीतिक विचारधारायें तथा क्षेत्रीय हित एक जटिल परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं। ऐसे में सहमति बनाना एक महत्वपूर्ण, पर कठिन काम होगा। उनको सत्तारूढ़ पार्टी के विमर्श का मुकाबला करना होगा। भाजपा का बहुमत घटने के बावजूद उसका विमर्श एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। मीडिया व जनता की राय पर सत्तारूढ़ पार्टी की मजबूत पकड़ को देखते हुए विपक्ष को एक रणनीतिक व प्रभावशाली विमर्श तैयार करना होगा। राहुल गांधी की नेतृत्व शैली तथा संप्रेषण कौशल की लगातार परीक्षा होती रहेगी। संसदीय बहसों तथा सार्वजनिक मंचों पर अपनी विश्वसनीयता स्थापित किए तथा जीवन्त नेतृत्व प्रदर्शित किए बिना जनता का विश्वास और समर्थन प्राप्त करना कठिन है।

नेता विपक्ष की प्रमुख जिम्मेदारी सरकार को उसके कामों के लिए जवाबदेह ठहराना है। राहुल गांधी अब नेता विपक्ष के रूप में सरकार को जवाबदेह ठहराने के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे। इसमें विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष का दृष्टिकोण स्पष्ट करना, बहसों में भाग लेना तथा प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना शामिल है। विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए उनको विपक्षी पार्टियों के बीच सहमति बनाने के साथ उनके प्रयासों में समन्वय करना होगा। विविधतापूर्ण विचारधाराओं तथा विभिन्न पार्टियों के हितों को देखते हुए यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। राहुल गांधी को संसद के भीतर और बाहर प्रभावी ढंग से संप्रेषण करना होगा। उनके भाषण, बयान तथा मीडिया से संपर्क जनता का दृष्टिकोण बदल कर राजनीतिक विमर्श को प्रभावी बना सकते हैं। राहुल गांधी को रणनीतिक निर्णय लेने की पहल करनी होगी। सहयोग करने तथा विरोध करने के बारे में रणनीतिक निर्णय लेना सतर्क राजनीतिक निर्णय लेने के लिए जरूरी है। इस प्रकार विभिन्न पसंदों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। संसदीय नियमों, प्रक्रियाओं और रणनीतियों को समझना तथा उन पर महारत हासिल करना जरूरी होगा। सरकार को प्रभावी रूप से चुनौती देने के लिए राहुल गांधी को इनमें महारत हासिल करनी होगी। नेता विपक्ष से लोगों की आशा होती है कि वे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाएंगे, विकल्पों का प्रस्ताव करेंगे तथा रचनात्मक समाधान सुझाएंगे। इन उम्मीदों पर खरे उतरना नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी की प्रभावशीलता स्पष्ट करेगा।

राहुल गांधी को लोकलेखा समिति-पीएसी के अध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद मिल सकता है जिसका काम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक-सीएजी की रिपोर्टें जांचना है। पीएसी में सरकारी नाामांकितों का बहुमत होता है और वे मतदान द्वारा चीजें तय करते हैं। इसके साथ ही नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री और भारत के प्रधान न्यायाधीश या सरकारी प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न 'कोलेजियमों' का हिस्सा बनना होगा जिनका काम प्रमुख जांच एजेंसियों के प्रमुख तय करना तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इन एजेंसियों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सीबीआई, लोकपाल, केन्द्रीय सतर्कता आयोग-सीवीसी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व निर्वाचन आयुक्त तथा मुख्य सूचना आयुक्त-सीआईसी शामिल हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो इंदिरा गांधी और राहुल गांधी के बीच कार्ल मार्क्स का सदंर्भ परिवर्तित रूप में याद आता है कि इतिहास स्वयं को त्रासदी की तरह दुहराता है और इसका फर्जी होना जरूरी नहीं होता है।

नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी का सम्मान बढ़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की 1980 में वापसी तथा राहुल गांधी के हालिया उभार में अनेक समानतायें हैं। इंदिरा गांधी को उस समय सत्ता गंवाने के बाद जनता पार्टी द्वारा किए अत्याचारों और अपमान के कारण 'बेचारी' कहा जाता था। आपातकाल के विपरीत प्रभावों के कारण जनता पार्टी सत्ता में आई थी। 1960 के दशकांत में उनके आलोचक श्रीमती गांधी को 'गूंगी गुड़िया' कहते थे, लेकिन अंततः वे मजबूत बन कर उभरीं तथा 1980 में दोबारा सत्ता प्राप्त की। इसी प्रकार 2024 में नेता विपक्ष बन कर राहुल गांधी का प्रभावी पुनर्जीवन हुआ है, जबकि उनको पहले भाजपा 'पप्पू' कह कर मजाक उड़ती थी।

विशेषज्ञों का सुझाव है कि इस मोड़ पर आम लोग उनको 'गांधी परिवार' का विशिष्ट सदस्य मानते हैं जो उनकी समस्यायें उजागर करने के लिए भयानक गर्मी और कड़कड़ाते जाड़े में उनके बीच आता है। इसे उनके बारे में ऐसे लोगों की राय बदल सकती है जो उनको 'बेचारा शाहजादा' कहते थे। उनकी संवेदना और योगदान से भाजपा को 2024 के चुनाव में थोड़ा झटका लगा है। राजग सरकार का फोकस हिंदुत्व, मुस्लिम-विरोध तथा जनता की समस्यायें हल करने के बजाय लंबे-चौड़े वादों पर हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के लिए 'शाहजादा' शब्द लोकप्रिय बना दिया है, पर उनके अभियान ने अंततः उनकी छवि को 'पप्पू' से बदल कर एक विश्वसनीय राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित कर दी है। कुल मिला कर नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी का नेतृत्व भारत का राजनीतिक परिदृश्य काफी बदल सकता है। संसद में विपक्ष का प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के लिए उनको इन चुनौतियों का सामना करना होगा तथा भारतीय जनता के सरोकारों को संबोधित करते हुए मजबूत नेतृत्व की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी होगी।

कर्मचारियों पर काम का दबाव

> युवा कर्मचारी काम के दबाव से पीड़ित होते हैं, जबकि वरिष्ठ कर्मचारी इससे अच्छी तरह निपट लेते हैं।

साक्षी सेठी
(लेखिका, शिक्षक हैं)

हालिया शोध एवं अध्ययनों के अनुसार, युवा कर्मचारी कार्यस्थल पर ज्यादा संघर्ष करते हैं, जबकि पुराने कर्मचारी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। मार्केटिंग तथा संबंधित उद्योगों में काम कर रहे माता-पिता में से लगभग 85 प्रतिशत माता-पिता के कर्तव्यों पर काम को प्राथमिकता देते हैं, जबकि इनके बड़े प्रतिशत का अनुभव है कि उनको कॅरियर के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 'पारिवारिक जीवन' को बलिदान करना पड़ता है। कार्यस्थल पर लोगों को अक्सर ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां उनको सीमित समय के भीतर बहुत से काम करने पड़ते हैं और उनको आराम करने के लिए समुचित अवकाश या कार्य-अंतराल नहीं मिलता है। इसके साथ कठोर परिश्रम के बदले में समुचित पुरस्कार या पहचान न मिलने के कारण वे अपने साथ अनुचित व्यवहार या पक्षपात की शिकायत करते हैं। इस कारण काम के समय उनको तनाव होता है तथा खराब कार्य परिवेश से निर्णय लेने में कठिनाई होती है। इससे उनको अनेक काम याद रखने में कठिनाई होती है।

इस कारण कर्मचारियों को मनोवैज्ञानिक, शरीरवैज्ञानिक और स्थितियों संबंधी अनेक कारणों से उनको दबाव और बेचैनी का सामना करना पड़ता है। काम का दबाव अनुभव करने पर किसी व्यक्ति में शरीर में दबाव की प्रतिक्रिया पैदा होती है जिसे 'फाइट आर फ्लाइट' कहते हैं। इसके कारण शरीर में दवाब वाले हार्मोन, जैसे कार्टीसोल और एड्रीनलीन निकलते हैं जो शरीर को संभावित खतरों से निपटने में सक्षम बनाते हैं। हालांकि, यह प्रतिक्रिया अल्पकालीन रूप से लाभदायक हो सकती है, पर लंबे समय तक बने रहने से इसके नकारात्मक शारीरिक व मानसिक प्रभाव सामने आते हैं जिसमें दिल की धड़कन बढ़ना, सिरदर्द व थकावट शामिल हैं। इसके साथ ही लगातार दबाव के कारण संज्ञानात्मक कामकाज प्रभावित होता है जिससे संकेन्द्रण तथा निर्णय लेने में कठिनाई पैदा होती है और काम याद नहीं रहते हैं। इसे दबाव और बढ़ता है।

इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि काम का दबाव अधिकांश प्रकार के रोजगारों और नौकरियों में स्वाभाविक हिस्सा है और यह कभी-कभी प्रेरक का काम भी करता है। इसमें महत्वपूर्ण परीक्षा के पहले छात्र को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना एक प्रमुख उदाहरण है। इस प्रकार की प्रेरणा से किसी व्यक्ति को केन्द्रित और उत्पादक बने रहने का अवसर मिलता है, लेकिन जब दबाव बहुत अधिक हो जाता है या यह लंबे समय तक बना रहता है तो इसके कारण दबाव, तनाव, मानसिक तनाव या बेचैनी पैदा हो सकती है। इस प्रकार कार्यस्थल पर दबाव और तनाव के बीच स्वस्थ संतुलन बनाए रखना उत्पादकता तथा कर्मचारियों की बेहतरी के लिए आवश्यक है। संगठनों को इस दिशा में स्पष्ट रूप से काम करते हुए स्पष्ट संप्रेषण बनाने के लिए कर्मचारियों से उम्मीदें भी निर्धारित करनी चाहिए ताकि उनके काम की भूमिका व जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से परिभाषित हों और इसे उनको बता दिया जाए।

ऐसे परिवेश में जहां प्रबंधकों से आसानी से संपर्क किया जा सकता हो और वे टीम की सहायता के लिए उपलब्ध हों, वहां कामों का सृजन और वितरण अच्छी तरह होता है तथा किसी एक कर्मचारी पर अत्यधिक भार नहीं पड़ता है। योग, ध्यान और फिटनेस कक्षाओं जैसे बेहतरी के कार्यक्रमों के साथ ही कर्मचारियों के लिए कौंसिलिंग व सहायक सेवाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे कर्मचारी तनाव से बचे रह सकते हैं। कर्मचारियों के काम को नियमित रूप से स्वीकार करना तथा उनको पुरस्कृत करना भी उनको कठिन काम और योगदान के लिए प्रेरित करता है। कर्मचारियों में टीमवर्क प्रोत्साहित करना तथा सहायक व समग्र कार्य परिवेश विकसित करना जरूरी है। इसके साथ ही फीडबैक व्यवस्था होनी चाहिए जहां कर्मचारी काम के बोझ पर अपनी बात रख सकें तथा सुधार के उपाय सुझा सकें। कर्मचारियों के लिए कठोर उत्पीड़न-विरोधी व्यवस्था और नीतियां बनाना तथा यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कुछ ऐसी रणनीतियों पर काम किया जाए जो संगठन को बेहतर कार्य परिवेश बनाने में सहायक हों। ऐसा कार्य परिवेश तनाव पैदा करने के बजाय बेहतर काम के लिए प्रेरणादायक होता है।

संगठन द्वारा कर्मचारियों की बेहतरी के लिए काम करने के साथ ही यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति काम के दबाव तथा परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने में सक्षम हों क्योंकि इससे समग्र रूप से उनकी बेहतरी प्रभावित हो सकती है। कार्यस्थल तथा घरेलू काम में प्राथमिकतायें तय करने के लिए कार्यस्थल और परिवार के लिए समय में अंतर करना चाहिए। इसके लिए उच्च प्राथमिकता वाले कामों को महत्व देने के साथ ही कम महत्वपूर्ण काम छोड़ना भी शामिल हैं। स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, उचित शौक तथा गतिविधियों में समय लगाने तथा कार्यस्थल के बाहर ऐसी स्थितियों के बारे में अद्यतन जानकारियां जरूरी हैं जिनसे तनाव प्रबंधन बेहतर होता हो।

शारीरिक और मानसिक तनाव तथा दबाव से मुक्ति पाने के इन तरीकों से व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों को ज्यादा मजबूत बने रहने तथा काम का दबाव ज्यादा प्रभावी ढंग से निपटाने में सहायता मिलती है। याद रखें कि तनाव की स्थिति में व्यक्ति को अल्पकालीन स्मृति बनाए रखने में कठिनाई होती है। इसके साथ ही कर्मचारियों को अल्पकालीन स्मृतियों व दीर्घकालीन स्मृतियों में अंतर बनाए रखना कठिन हो जाता है। अत्यधिक तनाव के कारण कभी-कभी कर्मचारियों की अल्पकालीन स्मृतियां दीर्घकालीन स्मृतियों में बदल जाती हैं। कार्यस्थल पर दबाव के कारणों को समझने तथा इसके प्रबंधन के लिए प्रभावी रणनीतियों के प्रयोग से व्यक्तियों और संगठनों में तनाव को घटाया जा सकता है। इससे तनाव घटाने तथा ज्यादा उत्पादक कार्यस्थल बनाए रखने में सहायता मिलती है।

आप की बात

नए कानूनों का लाभ

तीन नए आपराधिक कानून लाने से कानून-व्यवस्था सटीक और सुचारू रूप से संचालित होगी। विगत वर्षों से शायद ही कोई क्षेत्र छूटा हो जहां अपराध प्रवृति ने जन्म नहीं लिया हो। शर्मनाक घटनाओं के तो दिन-प्रतिदिन समाचार स्थायी होते जा रहे हैं। सरकारी दफ्तरों, विभागों और अन्य संगठनों में आर्थिक घोटालों की तो सुनामी सी आई है। नई न्याय संहिता के अंतर्गत 164 वर्ष पुराने कानून में परिवर्तन निश्चित ही अपराधों पर अंकुश लगाने में सहायक सिद्ध होगा। नए कानून का उदेश्य आधुनिक न्याय व्यवस्था को लागू करना तथा उसे मजबूत और शक्तिशाली बनाना है। न्याय संहिता में पुरानी दंड संहिता की धाराओं में भी परिवर्तन किए गए हैं उनसे कानून व्यवस्था बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी। जीरो एफआईआर, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, एसएमएस या ईमेल से समन भेजने और जघन्य अपराध की जांच की वीडियोग्राफी जैसे प्राविधान अनिवार्य किए गए है। राज्यों ने भी व्यवस्था सुधार की दिशा में तेजी से कदम उठाए हैं। मध्य प्रदेश के 1110 थानों में नए साफ्टवेयर अपलोड किए गए और लगभग सभी पुलिस कर्मियों को ट्रेनिग दी जा चुकी है। नए कानूनों के बारे में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है ताकि जनता भी अपने अधिकार व जिम्मेदारियां समझ सके।

– **योगेश जोशी,** बड़वाह

बाइडेन को सलाह

बुढ़ापे के आगे किसी की नहीं चलती। इंसान कितना भी चालाक व बुद्धिमान अपने जवानी में दिनों में रहा हो, एक उम्र के बाद वह कमजोर होने लगता है। स्वास्थ्य और सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से स्मृति क्षीण होना सबसे घातक साबित होता है। निसंदेह वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक अच्छे इंसान है। पिछले 4 वर्षों तक उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन बहुत अच्छे तरीके से चलाया और चुनाव तक चलाएंगे भी। मगर हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति की पहली डिबेट में वे अपने प्रतिद्वंद्वी पूर्व राष्टपति डोनाल्ड ट्रम्प से पिछड़ते नज़र आये। न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय ने डिबेट के दूसरे ही दिन खराब बहस प्रदर्शन का हवाला देते हुए डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से उन्हें बाहर निकल जाने की सलाह दी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर से भी ऐसी मांग उठने लगी है। डेमोक्रेट्स के दानदाताओं ने भी आशंका जतानी शुरू कर दी है। बाइडेन को यह समझाने में कठिनाई हुई कि वे दूसरे कार्यकाल में क्या हासिल करेंगे। वे ट्रम्प के उकसावे का ठीक से जवाब नहीं दे पाए। हालांकि, यह कदम आसान नहीं है, पर डेमोक्रेटिक पार्टी को अपने तथा अमेरिका के हित में बाइडेन के स्थान पर दूसरा उम्मीदवार चुनना चाहिए।

– **जंग बहादुर सिंह,** जमशेदपुर

जेडीयू का दृष्टिकोण

जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चुनाव के बाद संतुलित विकास पर जोर दिया गयाए जिसमें विशेष राज्य के दर्जे जैसी मांगों के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण दर्शाया गया है। जेडीयू और टीडीपी जैसी पार्टियां यह भी अच्छी तरह समझती हैं कि मोदी सरकार किसी भी दबाव के सामने झुकने वाली नहीं है। भाजपा ने निर्दलीय सांसदों को अपने पक्ष में करके अपनी सीटों की संख्या 300 के आसपास कर ली है। इसका मतलब है कि यदि जेडीयू व टीडीपी एनडीए से निकल जाए तो भी सरकार बहुमत में रहेगी। मगर इन दोनों दलों का फायदा भी एनडीए के साथ रहने में ही है। क्योंकि विपक्ष इतने सारे दलों का दलदल है कि वहां उनकी सुपीरियरिटी नहीं चल पाएगी। बिहार और आंध्र में इन दोनों दलों की सरकारें केंद्र से तालमेल बिठाकर ही अपने राज्य का अच्छा विकास कर सकती है। उन्हें केंद्र में भी अच्छे विभागों में मंत्री पद मिले हुए हैं। अतः इन्हें एनडीए के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश व अपने राज्यों के विकास के लिए चलना चाहिए। नीतीश कुमार आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के सर्व-सम्मत मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। यह गठबंधन बिहार की चहुंमुखी प्रगति में असाधारण योगदान कर सकता है।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

टी20 में विजय

भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 विश्व कप में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए भारत को विश्व विजेता के खिताब का शानदार तोहफा दिया है। भारत की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने शुभकामनाएं देकर क्रिकेट टीम का हौसला बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी राहुल द्रविड़ का शुक्रिया करते हुए सभी प्रमुख खिलाड़ियों के उत्कर्ष खेल की सराहना की है। यदि गौर से देखें तो भारत ने अपने पहले मैच में आयरलैंड को, दूसरे में पाकिस्तान, सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया को और सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया था। भारत इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा है। इसलिए सभी भारतीयों की उम्मीद के अनुसार फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर देशवासियों का दिल जीत लिया है। हर भारतवासी को इस क्रिकेट टीम पर गर्व है। फाइनल में एक समय दक्षिण अफ्रीका ने मजबूत पकड़ बना ली थी लेकिन सूर्य यादव ने असंभव को संभव करते हुए बेहद कठिन कैच पकड़ा और भारत का रुख जीत की तरफ मोड़ दिया। उम्मीद है कि इस विजय से उत्साहित भारतीय खिलाड़ी पेरिस ओलम्पिक में भी अभूतपूर्व प्रदर्शन करेंगे।

–**वीरेंद्र कुमार जाटव,** दिल्ली

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संतुलित विकास पर मंथन

जदयू ने शनिवार को नई दिल्ली में हुई अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जिस तरह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की अपनी मांग दोहराई है, वह बदले राजनीतिक माहौल में खासी अहमियत रखता है। लोकसभा चुनावों के बाद केंद्र में बनी एनडीए सरकार की जदयू पर निर्भरता को देखते हुए स्वाभाविक ही इस बात की पड़ताल शुरू हो गई है कि इस मांग पर जोर देने के पीछे जदयू नेतृत्व की मंशा क्या हो सकती है। वैसे बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग कोई नई नहीं है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी काफी पहले से यह मांग करते रहे हैं। पिछले साल बिहार विधानसभा इस मांग के पक्ष में प्रस्ताव भी पारित कर चुकी है। खास बात यह कि 14वां वित्त आयोग विशेष राज्य के इस दर्जे को समाप्त कर चुका है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगू देशम पार्टी ने अभी ऐसा कोई प्रस्ताव भले पास न किया हो, अपने राज्य के लिए वह भी ऐसी मांग करते रहे हैं। मौजूदा राजनीतिक समीकरण की बात की जाए तो उनकी पार्टी का समर्थन भी केंद्र की एनडीए सरकार के लिए उतना ही अहम है। बल्कि, जदयू के 12 सांसदों के मुकाबले 16 सांसद होने के नाते उनकी ज्यादा अहमियत मानी जाएगी। लेकिन समीकरण चाहे जो भी हो, अभी यह मानने की कोई वजह नहीं है कि ये दल अपनी विशेष राज्य के दर्जे की या किसी भी दूसरी मांग को लेकर ज्यादा आगे बढ़ेंगे। जदयू की ताजा बैठक पर गौर करें तो उसमें भी जोर टकराव के बजाय सरकार से सही तालमेल बनाए रखने पर ही दिखता है। इस बात का संकेत भाजपा नेताओं से करीबी रिश्तों के लिए जाने जाने वाले संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने से भी मिलता है। बैठक में खुद नीतीश कुमार का भी यह दोहराना अहम है कि वह अब एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा पारित प्रस्ताव में भी विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज के जिक्र को इस मायने में अहम माना जा रहा है। कुछ हलकों में तो इसे पार्टी के विशेष राज्य के दर्जे की मांग से पीछे हटने की कोशिश तक बताई जा रही है। हालांकि जदयू की ओर से कहा गया है कि यह पीछे हटना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि मांग तकनीकी उलझनों में न फंस जाए। बहरहाल चुनावी और राजनीतिक प्राथमिकताएं अपनी जगह हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अब सभी पक्षों के लिए उचित यही है कि जनादेश को उपयुक्त सम्मान देते हुए राजनीतिक स्थिरता कायम रखें और पूरे देश के संतुलित विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में सहयोग करें।

राहुल गांधी का कद और पद दोनों बढ़ा

ललित गर्ग

राहुल गांधी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता बन गये हैं, यह उनका पहला संवैधानिक पद है, इससे पहले वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। इस बड़े पद के साथ उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जायेंगी। दस वर्षों बाद लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता का पद मिला है। वैसे इस बार के चुनाव एवं चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद राहुल गांधी का न केवल आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि उनमें राजनीतिक कौशल एवं परिपक्वता भी देखने को मिल रही है, इससे यह प्रतीत होता है कि वे प्रतिपक्ष नेता के पद के साथ न्याय करते हुए अपनी राजनीति को चमकायेंगे एवं रसातल में जा चुकी कांग्रेस को सुदृढ़ करेंगे। वैसे देखा गया है कि प्रतिपक्ष के नेता बनने वाले अधिकांश लोग प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं। लेकिन राहुल गांधी को इसके लिये अभी लम्बा संघर्ष करना होगा, परिपक्व राजनीति एवं देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को साबित करना होगा। निश्चित ही राहुल गांधी का कद बढ़ा है और अब वे स्वल्प समय में ही कद्दावर नेता की तरह राजनीति करने लगे हैं। राहुल को देशभर में निकाली यात्राओं एवं चुनाव प्रचार में निभाई सशक्त भूमिका ने मजबूती दी है। राहुल की राजनीति को चमकाने में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की “भारत जोड़ो यात्रा” के अलावा मणिपुर से मुंबई तक की “भारत जोड़ो न्याय यात्रा” की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब प्रतिनेता के रूप में उनकी एक नई यात्रा शुरू हो रही है जो उन्हें नई राजनीतिक ऊंचाई दे सकती है।

देश को 10 साल बाद राहुल गांधी के रूप में विपक्ष का नेता मिला है, जो संसदीय राजनीति के लिए एक अच्छी खबर है। इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी एवं जनता की आवाज को जोरदार तरीके से उठाने एवं सरकार की नीतियों-योजनाओं पर तीखी नजर रखने एवं प्रभावी सवाल उठाने की स्थितियों को बल मिलेगा। लेकिन विपक्ष की नुमाइंदगी का मतलब यह नहीं कि वह हर मामले में सत्ता पक्ष के खिलाफ हो, बल्कि यह है कि वह हमेशा जनता के साथ हो और उसकी ओर से मुद्दे उठाए। नेता प्रतिपक्ष पद से सरकार के साथ ही विपक्ष पर भी जवाबदेही का दबाव बढ़ता है। राहुल की सुविधाएं बढ़ने के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गयी है। 16वीं और 17वीं लोकसभा में कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों के पास इस पद के लिए आवश्यक 10 प्रतिशत सदस्य नहीं थे। कांग्रेस ने इस बार लोकसभा चुनाव में 99 सीट जीतकर इस पद को हासिल किया है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार से जुड़े चयन के अलावा लोकपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) निदेशक जैसी प्रमुख नियुक्तियों पर महत्वपूर्ण पैनल के सदस्य भी होंगे। प्रधानमंत्री इन पैनल के प्रमुख होते हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी को लोकसभा में पहली पंक्ति में सीट मिलेगी। यह सीट डिप्टी स्पीकर की सीट के बगल वाली होगी। इसके अलावा संसद भवन में सचिवीय तथा अन्य सुविधाओं से युक्त एक कमरा भी मिलेगा। विपक्ष के नेता को औपचारिक अवसरों पर कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। एक केन्द्रीय मंत्री को मिलने वाली सभी सुविधाएं राहुल गांधी को मिलेगी।

राहुल गांधी इस बार उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले वह लोकसभा में केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के अमेठी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वह पांचवीं बार लोकसभा पहुंचे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव ने कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवन दिया है। इस बार के चुनाव परिणाम ने कांग्रेस एवं उसके नेता राहुल को मनोवैज्ञानिक लाभ पहुंचाया है, जो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि बनी है। इससे कांग्रेस ने अपना आत्मविश्वास फिर से पा लिया है, जो कोई छोटी बात नहीं। और यह राहुल और प्रियंका गांधी की गतिविधियों में साफ झलकता है। साथ ही, अब इस बात को लेकर भी कांग्रेस में कोई दुविधा नहीं रह गई है कि गांधी परिवार ही सर्वोच्च है और पार्टी पर उसका पूरा नियंत्रण होगा। इसका यह भी मतलब है कि टीम-राहुल का सभी मामलों में फैसला अंतिम होगा।

पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद से राहुल के पास कांग्रेस की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। सदन के भीतर पहली बार वह कोई पद संभालने जा रहे हैं। ऐसे में राहुल के सामने चुनौती होगी कि वह किस तरह पूरे विपक्ष को साथ लेकर चलते हुए रचनात्मक विरोध की भूमिका को आकार देते हैं। कांग्रेस का सबसे बड़ा काम दलित और पिछड़े मतदाताओं ने यूपी में जो उनकी मदद की है, उनका विश्वास बनाए रखने का है। यह बड़ी सचाई है कि आज भी देश के महत्त्व के राज्यों में भाजपा को क्षेत्रीय दल शिकस्त दे रहे हैं। अगर क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस का गठजोड़ बना रहे, तो ही भाजपा पर दबाव आएगा। बड़ा सच यह भी है कि न भाजपा बदली है ना उसकी विचारधारा। भाजपा एवं नरेन्द्र मोदी को भले ही चुनावों में पूर्ण बहुमत न मिला हो, लेकिन वह ही आज ताकतवर है। यह भी समझना होगा कि भाजपा विपक्ष की ताकत से नहीं, बल्कि सरकार की बड़ी गलतियों एवं पार्टी के अति उत्साह से नुकसान में पहुंची है।

यह भी एक तथ्य है कि मुस्लिमों के सक्रिय-समर्थन के बिना कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिल सकती थी। निश्चित ही मुसलमानों के वोट की अहमियत कुछ-कुछ सीटों पर हार-जीत का फैसला कर गई है। भाजपा अपनी आगे की रणनीति इसी आधार पर बनाएगी और वो पिछले चुनावों के जैसी ही होगी। मतलब कि भाजपा कोई नई भाषा नहीं बोलने वाली है। वह आरोप लगाती रहेगी कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करती है। कांग्रेस के सामने चुनौती होगी कि वो इस आरोप को अपने पर आने न दे, ताकि भाजपा हिंदुओं के हितों की एकमात्र रक्षक है, ऐसा दावा ना कर सके। कांग्रेस को इस हिंदू-मुस्लिम राजनीतिक बवंडर से बचने के लिये अपनी रणनीति को बनाना होगा। बिना हिन्दू वोट के कांग्रेस सफल राजनीतिक पारी नहीं खेल सकती है। इसके साथ ही कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सफलता और निष्फलता का सही आकलन कर लेना जरूरी है। जनता के समक्ष अपना आत्मविश्वास बढ़ाए रखना अच्छी बात है, लेकिन मोदी आज जिस जमीन पर खड़े हैं, जनता के बीच उनकी जो स्वीकार्यता है उसका सही आकलन करना कांग्रेस की आगे की रणनीति के लिए बेहद जरूरी होगा।

राहुल गांधी सदन में विपक्ष की मजबूत आवाज बनकर उभरेंगे, इसमें सन्देह नहीं है। पक्ष एवं विपक्ष के बीच एक संतुलन बनना लोकतंत्र की खूबसूरती है एवं अपेक्षा भी है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में विपक्ष के नेता की प्रमुख भूमिकाओं में से एक सरकार की नीतियों पर “प्रभावी” सवाल उठाना है। विपक्ष के नेता की भूमिका वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण होती है क्योंकि उसे सरकार की विधायिका और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करनी होती है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें सरकारी प्रस्तावों-नीतियों के विकल्प प्रस्तुत करने होते हैं। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष अलग एवं ऊंचे स्तर पर अपने तेवर दिखा सकता है। , लेकिन बावजूद इसके सदन में सकारात्मक वातावरण बना रहना भी जरूरी है। स्थिर सरकार देश की बड़ी जरूरत है, राजनेताओं से उम्मीद की जाती है कि एक बार जनादेश आने के बाद वे चुनावी दौर की कड़वाहट एवं आरोप-प्रत्यारोप की छिछालेदार राजनीति को भुलाते हुए जनता के हित में मिलकर काम करें।

सैलानियों का हब बन रहा है उत्तर प्रदेश

उमेश चतुर्वेदी

ध्यान रखना चाहिए कि जब सैलानी आते हैं तो अनेक लोगों के लिए रोजगार सृजन होता है। ईको टूरिज्म के क्षेत्र में लोगों ने अलग-अलग कार्य प्रारंभ किए हैं। सोहगीबरवा, दुधवा, चूका, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में लोग आ रहे हैं और प्रकृति को देखकर खुद को समझ रहे हैं। तीर्थयात्रियों और सैलानियों को लुभाने के लिए तीर्थस्थलों और पर्यटन केंद्रों की कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश हो रही है। लखीमपुर में पुरानी एयरस्ट्रिप का एयरपोर्ट के रूप में विकास करने की तैयारी है। पिछले साल यहां के लिए होलीडे ट्रेन चलाई गई थी। इसके साथ ही जगह-जगह स्थानीय निवासियों को गाइड के रूप में प्रशिक्षित करने की तैयारी है। इससे उन्हें रोजगार मिलेगा और तीर्थयात्रियों और सैलानियों का ज्ञानवर्धन भी होगा। पर्यटन न केवल मनोरंजन का माध्यम बन सकता है, बल्कि आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में भी मददगार हो सकता है। इसे देखते हुए राज्य के हेरिटेज टूरिज्म स्थलों मसलन बुंदेलखंड के किलों या जहां-तहां पड़ीं ऐतिहासिक इमारतों का ना सिर्फ विकास हो रहा है तो कहीं- कहीं उन्हें होटल या पर्यटन केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है या उनका विकास किया जा रहा है।

देश का दिल है उत्तर प्रदेश। भगवान राम और कान्हा की जन्मस्थली इसी प्रदेश में हैं। बाबा भोलेनाथ की नगरी, तीन लोकों में न्यारी काशी नगरी भी इसी प्रदेश में है। नाथ संप्रदाय के प्रमुख गुरु गोरखनाथ की नगरी भी इसी प्रदेश में है। अट्ठासी हजार ऋषियों ने जिस नैमिषारण्य में बैठकर देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया था, वह तीर्थस्थल भी इसी प्रदेश में है। और तो और, तीर्थों का तीर्थ प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश में ही है। भगवान बुद्ध ने जिस सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, वह भी यहीं है। जिस कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण लिया, वह भी यहीं है। तीर्थ स्थलों की जहां भरमार हो, वहां सैलानी और तीर्थयात्री ना आएं, तो अचम्भा ही माना जाएगा। ऐसा अचंभा यहां होता रहा है। लेकिन सात साल के योगी शासन में यहां की स्थिति ऐसी बदली कि अब यहां तीर्थयात्रियों की भरमार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से वाराणसी में विकसित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद तो वाराणसी भी पर्यटन और तीर्थ के मानचित्र में नए सिरे से उभर आया है। यही वजह है कि यहां सैलानियों की बाढ़ आ गई है। राज्य सरकार ने हाल ही में जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके अनुसार पिछले साल राज्य में 48 करोड़ पर्यटक आए थे। यह संख्या राज्य की कुल आबादी की दोगुनी से दो करोड़ ज्यादा है।

दुनिया में जहां भी पर्यटन ज्यादा है, वहां सबसे ज्यादा सैलानी सैर-सपाटे के लिए आते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश आने वाले ज्यादातर पर्यटक आध्यात्मिक पर्यटन के लिए आए थे। साल 2023 में अकेल काशी आने वाले तीर्थयात्रियों और सैलानियों की संख्या 10 करोड़ से अधिक थी। जबकि मथुरा-वृंदावन में साढ़े सात करोड़ और अयोध्या में पांच करोड़ से ज्यादा पर्यटक पिछले साल आए। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्रीराम के विराजमान होने के बाद यहां आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। यहां प्रतिदिन करीब डेढ़ से दो लाख पर्यटक आ रहे हैं। इन तथ्यों से राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्साहित होना स्वाभाविक है। तीर्थयात्रियों और आम सैलानियों में एक अंतर होता है। आम सैलानियों की तुलना में तीर्थयात्री प्रकृति और ईश्वर के प्रति अलग तरह की आस्था रखते हैं। शायद यही वजह है कि अब योगी सरकार राज्य में इको टूरिज्म की संभावनाओं में राज्य का भविष्य देखने लगी है। ऐसी संभावनाओं वाले तीर्थस्थलों में सबसे ज्यादा लखनऊ के नजदीक हैं। जिनमें नैमिषारण्य और चित्रकूट हैं। इसी तरह शुकतीर्थ, विंध्यवासिनी धाम, मां पाटेश्वरी धाम, मां शाकंभरी धाम सहारनपुर, बौद्ध तीर्थ स्थल कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिसा, जैन व सूफी परंपरा से जुड़े स्थलों में भी आध्यात्मिक तीर्थाटन की संभावनाएं ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में मानव सृष्टि और जीव सृष्टि के उद्गम स्थल के भी प्रमाण मिलते हैं। सोनभद्र के फासिल्स पार्क की आयु उतनी ही है, जितनी जीव सृष्टि की है। लगभग डेढ़ सौ करोड़ वर्ष पूर्व के फासिल्स वहां पाए जाते हैं। ऐसे अनेक स्थल, प्राकृतिक सरोवर, ताल यहां मिलेंगे। यहां का करीब 15 हजार वर्ग किमी का क्षेत्रफल केवल वन संपदा है। यूपी में पौराणिक काल के वन हैं। यूपी के तराई क्षेत्र के बहराइच, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर और पीलीभीत में वन सुरक्षित हैं। इन वनों में भी घूमने वालों का अब तांता लगा रहता है। इसी तरह चूका, दुधवा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व आने वाले टूरिस्टों की भीड़ बढ़ रही है। इसे देखते हुए चित्रकूट व बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व को का विकास किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन के साथ ही के साथ ही हेरिटेज व ईको टूरिज्म की संभावनाओं को देखते हुए उनके प्रति आकर्षण बढ़ाने की राज्य की ओर से कोशिश तेज की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश आने वाले तीर्थयात्रियों और सैलानियों का मनोरंजन हो, उनका ज्ञान बढ़े, अतीत व इतिहास के साथ उन्हें जुड़ने का अवसर प्राप्त हो, इस दिशा में भी काम किए जा रहे हैं। इसे देखते हुए राज्य में उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड गठित किया जा चुका है। इस दिशा में काम को आगे बढ़ाते हुए लखनऊ में कुकरैल के पास नाइट सफारी बनाया जा रहा है। इसके पहले लगभग विलुप्त हो चुकी कुकरैल नदी को जीवित करने की तैयारी है। कभी कुकरैल गोमती की सहायक नदी थी। कुकरैल नदी को लोगों ने कब्जा करके नाला बनाकर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पर हुए आठ हजार से अधिक अनधिकृत कब्जों को हटा जा चुका है। इसका असर दिख रहा है कि जब गर्मी में जल स्रोत सूख रहे थे, तब कुकरैल में जल के नए स्रोत बन रहे थे।

ध्यान रखना चाहिए कि जब सैलानी आते हैं तो अनेक लोगों के लिए रोजगार सृजन होता है। ईको टूरिज्म के क्षेत्र में लोगों ने अलग-अलग कार्य प्रारंभ किए हैं। सोहगीबरवा, दुधवा, चूका, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में लोग आ रहे हैं और प्रकृति को देखकर खुद को समझ रहे हैं। तीर्थयात्रियों और सैलानियों को लुभाने के लिए तीर्थस्थलों और पर्यटन केंद्रों की कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश हो रही है। लखीमपुर में पुरानी एयरस्ट्रिप का एयरपोर्ट के रूप में विकास करने की तैयारी है। पिछले साल यहां के लिए होलीडे ट्रेन चलाई गई थी। इसके साथ ही जगह-जगह स्थानीय निवासियों को गाइड के रूप में प्रशिक्षित करने की तैयारी है। इससे उन्हें रोजगार मिलेगा और तीर्थयात्रियों और सैलानियों का ज्ञानवर्धन भी होगा।

पर्यटन न केवल मनोरंजन का माध्यम बन सकता है, बल्कि आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में भी मददगार हो सकता है। इसे देखते हुए राज्य के हेरिटेज टूरिज्म स्थलों मसलन बुंदेलखंड के किलों या जहां-तहां पड़ीं ऐतिहासिक इमारतों का ना सिर्फ विकास हो रहा है तो कहीं- कहीं उन्हें होटल या पर्यटन केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है या उनका विकास किया जा रहा है। सैलानियों की सहूलियत और स्थानीय लोगों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिहाज से काशी, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन में स्पिरिचुअल दृष्टि से होम स्टे की व्यवस्था करने की तैयारी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार सृजन की संभावना बनेगी। बांदा के कलिंजर, जालौन व बस्ती में ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। पीलीभीत, खीरी, बहराइच, सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट समेत कई दूसरे जनपदों में भी ऐसी संभावना मूर्त रूप ले सकती है। राज्य के इको, स्पिरिचुअल और हेरिटेज तीनों तरह के पर्यटन को एक साथ जिस तरह विकसित किया जा रहा है, एक जनपद, एक उत्पाद को जिस तरह बढ़ावा दिया जा रहा है, अगर ईमानदारी पूर्वक इन योजनाओं पर काम हो, पूरे सूबे में सैलानियों की बाढ़ और बढ़ेगी। हर आने वाला सैलानी जब यूपी आएगा तो यूपी को कुछ देकर ही जाएगा। यूपी की आर्थिकी को नई गति देगा। घनी जनसंख्या वाले राज्य की अर्थव्यवस्था को तेजी देगा। इसके लिए राज्य की सड़कों को और बेहतर बनाना पड़ेगा। कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर रह गई खामियों को दूर करना होगा और लोगों को भरोसा दिलाना होगा।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

नये कानूनोंपर अमल

यह सत्य है कि ब्रिटिश शासनकालके दौरान देशमें बने कानूनोंकी आज प्रासंगिकता और उपयोगिता नहीं है। समाजमें हुए परिवर्तनके साथ ऐसे कानून अब अपने अर्थ खो चुके हैं। देशको आजाद हुए लगभग ७७ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं लेकिन हम अंग्रेजोंके कानूनोंसे मुक्त नहीं हो पाये। जहांतक आपराधिक कानूनोंका प्रश्न है, वे भी अप्रासंगिक हो गये हैं। इसलिए आपराधिक न्याय प्रणालीमें आमूल बदलाव करते हुए तीन नये आपराधिक कानून संसदसे स्वीकृति और राष्ट्रपतिके हस्ताक्षरके उपरान्त सोमवार एक जुलाईसे लागू कर दिया गया और इसीके तहत प्राथमिकी भी दर्ज होने शुरू हो गये हैं। इन नये कानूनोंके लागू होनेसे देशमें आपराधिक न्याय-प्रणालीमें व्यापक बदलाव आयेंगे और औपनिवेशिक काले कानूनोंका अन्त भी हो जायगा। नये कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियमने ब्रिटिश शासनकालके कानून भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य कानूनका स्थान ले लिया है। तीन नये कानूनोंसे आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी, जिसमें अनेक नयी सुविधाएं शामिल होंगी। जीरो एफआईआर, पुलिसमें आनलाइन शिकायत दर्ज कराने, एसएमएसके माध्यमसे समन भेजने, इलेक्ट्रानिक माध्यम और जघन्य अपराधोंके वारदात स्थलकी अनिवार्य फोटाग्राफी जैसे प्रावधानकी भी व्यवस्था की गयी है। बुजुर्गों और किशोरोंको थाने जानेसे छूट दी गयी है। १५ वर्षसे कम उम्रके बच्चों और ६० वर्षसे ऊपरके लोगोंको अब थाने जानेकी आवश्यकता नहीं है। यह सुविधा दिव्यांगों और गम्भीर रूपसे बीमार लोगोंको भी मिलेगी। मामलोंका फैसला मुकदमा पूरा होनेके ४५ दिनोंके अन्दर आयेगा और पहली सुनवाईके ६० दिनोंके अन्दर आरोप तय किये जायंगे। बच्चोंको खरीदना, बेचना जघन्य अपराध बन गया है। दुष्कर्म पीड़ितोंका बयान महिला पुलिस अधिकारी अभिभावक या रिश्तेदारकी मौजूदगीमें दर्ज होगी। मेडिकल रिपोर्ट सात दिनोंमें देनी होगी। संघटित अपराधों और आतंकवादके कृत्योंको परिभाषित किया गया। राजद्रोहकी जगह अब देशद्रोहका प्रावधान है। अपराधपर नकेल लगानेके लिए कानूनी शिकंजा कसा जाना भी स्वागतयोग्य है। नये कानूनोंके तहत महिला और बच्चोंके खिलाफ होनेवाले अपराधोंमें पीड़ितोंका अस्पतालोंमें मुफ्त इलाज भी राहतकारी है। नये कानूनमें नयी-नयी व्यवस्थाएं जनताके लिए उपयोगी हैं। इसके बावजूद नये कानूनोंका विरोध भी हो रहा है। बंगाल, तमिलनाडु सहित कई राज्योंने अपनी आपत्तियां दर्ज करायी हैं। कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालयमें भी गये हैं। किसी भी नये कानूनका विरोध होना कोई नयी बात नहीं है लेकिन गुण-दोषके आधारपर इसकी समीक्षा आवश्यक है जिससे कि आवश्यकतानुसार उसमें संशोधनका रास्ता खुला रहे। सम्भव है कि कुछ धाराओंको लेकर लोगोंको आपत्ति हो। इसलिए उसपर विमर्श जरूरी है।

पेंशनधारकोंको राहत

छह महीनेसे कम समयकी अंशदायी सेवावाले कर्मचारी भी अब पेंशन कोष निकाल सकेंगे। इसके लिए केन्द्र सरकारका कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-१९९५) में व्यापक बदलाव उन कर्मचारियोंके लिए अत्यन्त राहतकारी है जो अभीतक इस अधिकारसे वंचित थे। सरकारकी इस पहलसे निजी क्षेत्रमें काम करनेवाले लगभग २३ लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसके पूर्व ईपीएफओ सदस्य छह महीने या उससे अधिक समयतक अंशदायी सेवा पूरी करनेके बाद ही निकासी लाभके हकदार थे। इसके चलते अनिवार्य सेवा प्रदान करनेसे पहले बाहर निकलनेवाले सदस्योंके कई दावे खारिज कर दिये गये। बीते वित्तीय वर्ष २०२३-२४ के दौरान ऐसे लगभग सात लाख दावोंको अस्वीकार कर दिया गया जिसे अधिकारका हनन कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी। दरअसल ईपीएस संघटित क्षेत्रके कर्मचारियोंके लिए १९९५ में शुरू की गयी थी, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि योजनाके लिए पात्र कर्मचारी पेंशन योजनाके लिए भी पात्र हैं। इसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों इस निधिमें योगदान करते हैं। इसे श्रम और रोजगार मंत्रालयके तहत ईपीएफओ द्वारा संचालित किया जाता है। इसके लिए न्यूनतम दस वर्षकी अंशदायी सेवा आवश्यक है। यही कारण है कि निर्धारित समयमें पहले निकलनेवाले सदस्योंके दावे खारिज कर दिये गये और कार्यकालके दौरान कर्मचारियोंका जो योगदान था वह भी डूब गया जो किसी भी रूपमें न्यायसंगत नहीं है। केन्द्र सरकारने ईपीएसमें जो बड़ा बदलाव किया है वह स्वागतयोग्य है। सरकारको न्यूनतम पेंशन धारकोंको राहतके लिए भी कोई ठोस कदम उठानेकी जरूरत है जो समयकी मांग है। महंगीके इस दौरमें न्यूनतम पेंशनकी राशि ऊंटके मुंहमें जीरा है, जिसमें वृद्धिकी बात तो की जाती है लेकिन अबतक कुछ नहीं हुआ जो ऐसे पेंशन धारकोंकी दिक्कतें बढ़ानेवाला है। सरकारसे इनके लिए भी राहत अपेक्षित है।

लोक संवाद

शांति प्रदायक योग

महोदय,-योग शांति प्रदान करता है, यह चिंताको कम कर सकता है और मानसिक कल्याणको बढ़ावा दे सकता है। यह हमें अनुशासन और धैर्य विकसित करनेमें मदद करता है। यह हमें हमारे साथ जोड़ता है। योग सामान्य मानवताको प्रकट करता है। हमें यह समझनेमें मदद करता है कि हमारे मतभेदोंके बावजूद, हम एक हैं। योग एक दार्शनिक और आध्यात्मिक अनुशासनके रूपमें, इसकी जड़ें वैदिक साहित्यके प्राचीन ग्रंथोंमें गहराईसे अंतर्निहित हैं। ऋग्वेद, उपनिषद और भगवद गीता वैदिक परम्परामें योगकी बहुमुखी प्रकृतिकी बारीक समझ प्रदान करती है। ऋग्वेद सबसे पुराने वैदिक ग्रंथोंमेंसे एक है। ध्यान, सांस नियंत्रण और आध्यात्मिक तपस्याके संदर्भ पूरे ऋग्वेदमें पाये जा सकते हैं। जो योग दर्शनमें बादके विकासकी नींव रखते हैं। ये प्रारंभिक वैदिक भजन प्राचीन ऋषियों और ऋषियोंकी यौगिक आकांक्षाओंकी झलक प्रदान करते हैं। उपनिषद, वैदिक कालमें बादमें रचित दार्शनिक ग्रंथोंका एक संग्रह, आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्तिके मार्गके रूपमें योगकी प्रकृतिमें गहराईसे उतरता है। योग दर्शनके आध्यात्मिक आधारको स्पष्ट करते हुएए उपनिषदोंमें आत्मान (आंतरिक स्व), ब्रह्म (सार्वभौमिक चेतना) और योग जैसी अवधारणाओंको समझाया गया है। उपनिषद विभिन्न ध्यान तकनीकों, दार्शनिक पूछताछ और नैतिक उपदेशोंका भी परिचय देते हैं जो शास्त्रीय योगका आधार बनते हैं। हालके वर्षोंमें वैदिक योगमें रुचिका पुनरुत्थान हुआ है, क्योंकि अभ्यासी प्राचीन भारतकी समृद्ध आध्यात्मिक विरासतके साथ फिरसे जुड़ना चाहते हैं। विद्वानों, योगियों और आध्यात्मिक नेताओंने वैदिक योग शिक्षाओंको संरक्षित और पुनर्जीवित करनेके लिए लगनसे काम किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्राचीन अभ्यास और ज्ञान समयके साथ खो न जायं। स्वस्थ जीवनशैलीकी आदतों, तनाव प्रबंधन और मन-शरीर जागरूकताको बढ़ावा देकर, वैदिक योग निवारक स्वास्थ्य देखभालमें योगदान देता है, पुरानी बीमारियोंके जोखिमको कम करता है और जीवनकी समग्र गुणवत्ताको बढ़ाता है। वैदिक योग अभ्यास आंतरिक शांति, संतोष और आनंदकी भावना पैदा करते हैं, जिससे चिकित्सकोंको जीवनकी चुनौतियोंको समता और लचीलापनके साथ नेविगेट करनेमें सक्षम बनाया जाता है। योग एक आध्यात्मिक मार्ग है जिसका उद्देश्य व्यक्तियोंको उनके वास्तविक स्वरूप और दिव्य सारके प्रति जागृत करना है। आधुनिक दुनियामें योगकी बढ़ती लोकप्रियताके साथ वैदिक योग प्रथाओंके सांस्कृतिक विनियोग और व्यवसायीकरणका खतरा है। **-डा. अमरीक सिंह ठाकुर, वाया ईमेल।**

अपने सूचकांक तैयार करे भारत

वैश्विक स्तरपर विभिन्न देशोंकी भिन्न-भिन्न क्षेत्रोंमें रेटिंग तय करनेकी दृष्टिसे वित्तीय एवं विशिष्ट संस्थानों द्वारा सूचकांक तैयार किये जाते हैं। हालमें इन विदेशी संस्थानों द्वारा जारी सूचकांकोंमें भारतकी स्थितिको जान-बूझकर गलत दर्शाया गया है। दरअसल पश्चिमी देशोंमें कुछ शक्तियां भारतके हितोंके विरुद्ध कार्य कर रही हैं।

❑ प्रह्लाद सबनानी

विदेशी संस्थानों द्वारा जारी किये गये कई सूचकांकोंमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं अफ्रीकाके गरीब देशोंकी स्थितिको भारतसे बेहतर बताया गया है। उदाहरणके लिए हालमें पश्चिमी देशों द्वारा जारी किये गये तीन सूचकांकोंकी स्थिति देखिये। सबसे पहिले उदार (लिबरल) लोकतंत्र सूचकांकमें भारतकी रैकिंगको १०४ बताया गया है और भारतके ऊपर निजेर देशको बताया गया है। इसी प्रकार आनन्द (हैपीनेस) सूचकांकमें भी भारतका स्थान १२६वां बताया गया है जबकि पाकिस्तानको १०८वां स्थान मिला है, जहां अत्यधिक मुद्रास्फीतिके चलते वहांके नागरिक अत्यधिक त्रस्त हैं। एक अन्य, प्रेसकी स्वतंत्रता नामक सूचकांकमें भारतको १६१वां स्थान मिला है जबकि इस सूचकांकमें कुल मिलाकर १८० देशोंको शामिल किया गया है और अफगानिस्तानको १२५वां स्थान दिया गया है, अर्थात् इस सर्वेके अनुसार अफगानिस्तानमें प्रेसकी स्वतंत्रता भारतकी तुलनामें अच्छी पायी गयी है। पश्चिमी देशोंमें स्थिति इन संस्थानों द्वारा इस प्रकारके सूचकांक तैयार किये जाकर पूरे विश्वको भ्रमित किये जानेका प्रयास हो रहा है। इसी प्रकार भारतमें हालमें सम्पन्न हुए लोकसभा चुनावोंपर भी पश्चिमी देशोंने कई प्रकारके सवाल खड़े करनेके प्रयास किये थे। जैसे, इस भीषण गर्मीके मौसममें चुनाव क्यों कराये गये हैं, जिससे सामान्यजन वोट डालनेके लिए घरोंसे बाहर ही नहीं निकले, ईवीएम मशीनमें कोई खराबी तो नहीं है आदि। परन्तु भारतीय मतदाताओंने इन लोकसभा चुनावोंमें भारी संख्यामें भाग लेकर पश्चिमी देशोंको करारा जवाब दिया है। न ही, ईवीएम मशीनमें किसी प्रकारकी गड़बड़ी पायी गयी और न ही गर्मीका प्रभाव चुनावोंपर पड़ा। हालांकि सत्ताधारी दलको पिछले चुनावकी तुलनामें कुछ कम स्थान जरूर प्राप्त हुए हैं परन्तु देशमें किसी भी प्रकारकी कोई घटना घटित नहीं हुई है। विश्वके सबसे बड़े लोकतंत्रमें चुनाव सामान्यत: शांतिके साथ सम्पन्न हो गये। साथ ही विपक्षी दलोंको पिछले चुनावकी तुलनामें कुछ अधिक स्थान मिले हैं और उन्होंने भी चुनावके परिणामोंको स्वीकार कर लिया है।

अंतरराष्ट्रीय स्तरपर कई विदेशी संस्थान आनेवाले वर्षोंमें भारतकी आर्थिक प्रगतिको लेकर बहुत उत्साहित हैं एवं भारत सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासोंकी भी सराहना करते हैं। फिर भी क्रेडिट रेटिंगको अपग्रेड नहीं करते। वैश्विक पटलपर पश्चिमी देशोंके विभिन्न संस्थानों द्वारा भारतके प्रति ईर्ष्याका भाव रखनेके चलते अब समय आ गया है कि भारत विभिन्न पैमानोंपर अपनी रेटिंग तय करनेके लिए अपने सूचकांक विकसित करे क्योंकि वैश्विक स्तरपर पश्चिमी देशों द्वारा जितने भी सूचकांक तैयार किये जा रहे हैं उसमें भारतकी वस्तुस्थितिका सही वर्णन नहीं किया जा रहा है।

चुनावकी प्रक्रियापर कोई सवाल खड़ा नहीं किया गया है। इस सबके बावजूद पश्चिमी देशोंने पश्चिमी लोकतंत्र सूचकांकमें वर्ष २०१४ में भारतको २७वां स्थान दिया था और वर्ष २०२३ में भारतकी रैंकिंग नीचे गिराकर ४१वें स्थानपर बतायी गयी है। जबकि वास्तवमें तो इस बीच देशमें लोकतंत्र अधिक मजबूत ही हुआ है, परन्तु पश्चिमी देशों द्वारा भारतीय लोकतंत्रको ही जैसे खतरेमें बताया जा रहा है और एक तरहसे भारतीय लोकतंत्रपर ही सवाल खड़े कर दिये गये हैं। दरअसल पश्चिमी देशोंमें कुछ शक्तियां भारतके हितोंके विरुद्ध कार्य कर रही हैं एवं ये ताकतें विभिन्न सूचकांक तैयार करनेवाली संस्थाओंको प्रभावित करनेमें कोई कोर कसर नहीं छोड़तीं हैं। कुछ समय पूर्व एक अंतरराष्ट्रीय संस्थानने वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया था। इस सूचकांकमें यह बताया गया था कि भारतकी तुलनामें श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, एथीयोपिया, नेपाल, भूटान आदि देशोंमें भुखमरीकी स्थिति बेहतर है। अर्थात् सर्वेमें शामिल किये गये १२१ देशोंकी सूचीमें श्रीलंकाका स्थान ६४वां, म्यांमारका ७१वां, बंगलादेशका ८४वां, पाकिस्तानका ९९वां, एथीयोपियाका १०४वां एवं भारतका १०७वां स्थान बताया गया था। जबकि पूरा विश्व जानता है कि श्रीलंका, पाकिस्तान एवं म्यांमार जैसे देशोंमें खाद्य पदार्थोंकी भारी कमी है जिसके चलते इन देशोंके नागरिकोंके लिए दो जूनकी रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। जबकि भारत कई देशोंको आज खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहा है। फिर किस प्रकार उक्त सूचकांक बनाकर वैश्विक स्तरपर जारी किये जा रहे हैं। ऐसा आभास हो रहा है कि भारतकी आर्थिक तरक्कीको विश्वके कई देश अब सहन नहीं कर पा रहे हैं एवं भारतके बारेमें इस प्रकारके सूचकांक जारी कर भारतकी साखको वैश्विक स्तरपर प्रभावित किये जानेका प्रयास किया जा रहा है। युद्धकी विभीषिका झेल रहे एथीयोपियामें नागरिक अपनी भूख मिटानेके लिए घास जैसे भारी पदार्थोंको खाकर अपना जीवन गुजारनेको मजबूर हैं। इन विपरीत परिस्थितियोंके बीच जीवनयापन करनेवाले नागरिकोंको भुखमरीके मामलेमें भारतके नागरिकोंसे बेहतर स्थितिमें बताया गया है। दूसरी ओर भारतमें प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनाके अंतर्गत ८० करोड़ नागरिकोंको केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिमाह पांच किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि इन लोगोंको खाने-पीने सम्बंधी किसी भी प्रकारकी परेशानी नहीं हो। फिर भी भारतके नागरिकोंको भुखमरी सूचकांकमें ईथीयोपियाके नागरिकोंकी तुलनामें इतना नीचे बताया गया है। अब कौन इस प्रकारके सूचकांकोंपर विश्वास करेगा। यह भी बताया जा रहा है कि इस सूचकांकको आंकनेके लिए भारतके १४० करोड़ नागरिकोंमेंसे केवल ३००० नागरिकोंको ही इस सर्वेमें शामिल किया गया था। इस प्रकार सर्वेका सैम्पल बनाते समय भारत जैसे विशाल देशके लिए अपर्याप्त संख्याका उपयोग किया गया है।

वैश्विक स्तरपर विभिन्न देशोंकी सावरेन क्रेडिट रेटिंगपर कार्य कर रही संस्था स्टैंडर्ड एंड पूअरने हालमें भारतीय अर्थव्यवस्थाका आंकलन करते हुए भारतके सम्बंधमें अपने दृष्टिकोणको सकारात्मक किया है एवं कहा है कि वह भारतकी सावरेन क्रेडिट रेटिंगको अपग्रेड करनेके उद्देश्यसे भारतके आर्थिक विकास सम्बंधी विभिन्न पैमानोंका, आधारभूत ढांचेको विकसित करने एवं भारतके राजकोषीय घाटेको कम करनेसे सम्बंधित आंकड़ों एवं प्रयासोंका गम्भीरतासे लगातार अध्ययन एवं विश्लेषण कर रहा है। आगे आनेवाले दो वर्षोंके दौरान यदि उक्त तीनों क्षेत्रोंमें लगातार सुधार दिखाई देता है तो भारतकी सावरेन क्रेडिट रेटिंगको अपग्रेड किया जा सकता है। वर्तमानमें भारतकी सावरेन क्रेडिट रेटिंग है, जो निवेशके लिए सबसे कम रेटिंगकी श्रेणीमें गिनी जाती है। किसी भी देशकी सावरेन क्रेडिट रेटिंगको यदि अपग्रेड किया जाता है तो इससे उस देशमें विदेशी निवेश बढ़ने लगते हैं क्योंकि निवेशकोंका इन देशोंमें पूंजी निवेश तुलनात्मक रूपसे सुरक्षित माना जाता है। साथ ही अच्छी सावरेन क्रेडिट रेटिंग प्राप्त देशोंकी कम्पनियोंको अन्य देशोंमें पूंजी उगाहना न केवल आसान होता है, बल्कि इस प्रकार लिये जानेवाले ऋणपर ब्याजकी राशि भी कम देनी होती है। किसी भी देशकी जितनी अच्छी सावरेन क्रेडिट रेटिंग होती है उस देशकी कम्पनियोंको कमसे कम ब्याज दरोंपर ऋण उगाहनेमें आसानी होती है। परन्तु भारतकी सावरेन क्रेडिट रेटिंगको अपग्रेड करनेके लिए स्टैंडर्ड एंड पूअरको दो वर्षोंका समय क्यों चाहिए। जब इन समस्त क्षेत्रोंमें लगातार सुधार होते साफ दिख रहा है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तरपर कई विदेशी संस्थान (विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि) आगे आनेवाले वर्षोंमें भारतकी आर्थिक प्रगतिको लेकर बहुत उत्साहित हैं एवं आर्थिक प्रगतिके साथ राजकोषीय घाटेको कम करने हेतु भारत सरकार द्वारा लगातार किये जा रहे प्रयासोंकी भी सराहना करते रहते हैं। फिर भी स्टैंडर्ड एंड पूअरको भारतकी सावरेन क्रेडिट रेटिंगको अपग्रेड करनेके लिय दो वर्षोंका अतिरिक्त समय चाहिए। वैश्विक पटलपर पश्चिमी देशोंके विभिन्न संस्थानों द्वारा भारतके प्रति ईर्ष्याका भाव रखनेके चलते, अब समय आ गया है कि भारत विभिन्न पैमानोंपर अपनी रेटिंग तय करनेके लिए अपने सूचकांक विकसित करनेपर विचार करे, क्योंकि वैश्विक स्तरपर पश्चिमी देशों द्वारा जितने भी सूचकांक तैयार किये जा रहे हैं उसमें भारतके संदर्भमें वस्तुस्थितिका सही वर्णन नहीं किया जा रहा है।

विपक्षकी अवहेलना होगी मुश्किल

तीसरी बार केंद्रमें सत्तामें आयी भाजपा गठबंधन सरकारके लिए विपक्षकी अवहेलना आसान नहीं होगा। मजबूत विपक्षके कारण केंद्र सरकारको अपना रवैया नरम रखना होगा। इसका प्रमाण भी लोकसभामें मिल गया है।

❑ योगेंद्र

इस बार लोकसभामें विपक्षने जिस तरहके तेवरोंसे आगाज किया है, सत्तारुढ़ दल उस तरह प्रतिरोध नहीं कर पाया जिस तरह पहले और दूसरे कार्यकालमें किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाने भी पिछले कार्यकालकी तुलनामें इस बारकी शुरुआत सामंजस्य बैठानेसे की है। पिछले कार्यकालमें मणिपुरके मुद्देको लेकर लोकसभा अध्यक्षन १४१ सांसदोंको सदनसे निलंबित कर दिया था। विपक्ष उस दौरान प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीसे सदनमें बयान देनेकी मांग कर रहा था। इसे सत्तापक्षने मंजूर नहीं किया। सदनमें कई दिनोंतक हंगामेकी स्थिति बनी रही। इसपर अध्यक्ष ओम बिरलाने विपक्षके सदस्योंको निलंबित कर दिया। विपक्षका आरोप था कि प्रधान मंत्री मोदी मणिपुरकी वीभत्स घटनाओं और लगातार होती हिंसाके बावजूद सार्वजनिक बयान देनेसे कतरा रहे हैं। पीएम मोदीने मणिपुरकी घटनाका लोकसभा और सार्वजनिक मंचोंका जिक्रतक नहीं किया। इस बार भाजपा गठबंधन सरकारका ऐसी स्थितियोंसे बचना आसान नहीं होगा। मजबूत विपक्षकी घेराबंदीसे सरकारको ऐसे सार्वजनिक मुद्दोंपर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करनेका भारी दवाब होगा। लोकसभाके प्रोटेम स्पीकर और भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब द्वारा १८वीं लोकसभाके लिए निर्वाचित सदस्योंको शपथ दिलाये जानेके दौरान एआईएमआईएमके नेता असदुद्दीन ओवैसीने शपथ लेनेके बाद नारा लगाया-जय भीम, जय तेलंगाना और फिर जय फिलस्तीन कहा। फिर उन्होंने अल्लाह-ओ-अकबरके भी नारे लगाये। इसपर भाजपाके कई सदस्योंने आपत्ति जाहिर की। उन्होंने विरोध दर्ज करवाया। इसपर प्रोटेम स्पीकरने कहा कि यदि ओवैसीने कोई आपत्तिजनक बात कही है उसे कार्यवाहीके रिकार्डसे हटा दिया जायगा। ओवैसी हैदराबादसे लोकसभाके लिए निर्वाचित हुए हैं। वह पांचवी बार सांसद बने हैं। विवादके बाद ओवैसीने सफाई दी और कहा कि फिलीस्तीन बोलना संविधानके खिलाफ कैसे है। भाजपा सांसद जी किशन रेड्डीका काम ही विरोध करना है। भाजपाके पिछले कार्यकालके दौरान यदि ओवैसी इस तरह शपथ लेते तो निश्चित तौरपर उन्हें भाजपा सांसदोंका भारी विरोध सहना पड़ता, जो कि इस बार इस बार साामन्य नजर आया।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाने कांग्रेसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधीको सदनमें नेता प्रतिपक्षके रूपमें आधिकारिक रूपसे मान्यता दे दी। राहुल गांधीका नेता प्रतिपक्षका दर्जा नौ जून, २०२४ से प्रभावी रहेगा। कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सोनिया गांधीने मंगलवारको लोकसभाके कार्यवाहक अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) भर्तृहरि महताबको पत्र भेजकर कांग्रेसके इस फैसलेके बारेमें उन्हें अवगत कराया था कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होंगे। लोकसभाके पिछले कार्यकालमें कांग्रेसकी लगातार मांगके बावजूद संख्या बलका हवाला देते हुए मोदी सरकारने नेता प्रतिपक्षकी नियुक्ति नहीं की थी। १७वीं लोकसभामें पर्याप्त संख्या बल नहीं होनेपर लोकसभामें प्रतिपक्षके नेताका पद रिक्त रहा। नेता प्रतिपक्षकी सदनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और संवैधानिक अधिकार होते हैं। इनमे कटौती करना सत्तारुढ़ दलके लिए संभव नहीं है। यह एक सम्मानीय पद है। राहुल गांधीके लिए भाजपा जिस तरहका वक्तव्य हर वक्त इस्तेमाल करती रही है, वह अब संभव नहीं होगा। नेता प्रतिपक्षकी हैसीयत सत्तारुढ़ दलके नेतासे कम नहीं होती। राहुल गांधी सदनमें विपक्षकी आवाज उठाते हुए नजर आनेवाले हैं। लोकसभा चुनावके नतीजोंने बहुत कुछ बदलकर रख दिया है। राहुल गांधीके तौरपर पूरे दस सालों बाद सदनके भीतर विपक्षको अपना सेनापति मिला है। २०१४ में सत्तासे बेदखल होनेके बाद कांग्रेसको नेता प्रतिपक्षका पद मिला है, क्योंकि पिछले दस सालोंसे पार्टीके पास इस पदको पानेके लिए जरूरी ५४ सीटेंतक नहीं थीं। इस बार कांग्रेसके पास लोकसभामें ९९ सीटें हैं और इसीलिए २० साल लम्बे राजनीतिक करियरमें राहुल गांधीको पहली बार संवैधानिक पद मिला है। हालांकि राहुलके लिए आगेका सफर आसान नहीं होगा। विपक्षके सेनापतिके तौरपर और संवैधानिक पदपर होनेकी वजहसे राहुल गांधीको कई जिम्मेदारियां निभानी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधीको नेता विपक्ष बननेपर बधाई मिल रही है, लेकिन विपक्षके नेता ये भी कह रहे हैं कि पूरे गठबंधनके हितोंका ध्यान रखा जाय। नेता प्रतिपक्ष न सिर्फ अपनी पार्टीको, बल्कि पूरे विपक्षका नेतृत्व करता है। नेता प्रतिपक्ष कई जरूरी नियुक्तियोंमें पीएमके साथ बैठता है। मतलब ये कि अब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी साथ मिलकर कई फैसले लेंगे। दोनोंके रायसे फैसले लिये जायंगे। चुनाव आयुक्त, केन्द्रीय सतर्कता आयोगके अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोगके अध्यक्ष इन सभी पदोंका चयन एक पैनलके जरिये किया जाता है, जिसमें प्रधान मंत्री और नेता विपक्ष शामिल रहते हैं। अबतक राहुल गांधी कभी भी मोदीके साथ किसी पैनलमें शामिल नहीं हुए हैं। राहुल गांधी भारत सरकारके खर्चोंकी जांच करनेवाली लोक लेखा समितिके अध्यक्ष होंगे। राहुल सरकारके कामकाजकी लगातार समीक्षा करेंगे। वह ये जाननेकी कोशिश करेंगे कि सरकार कहांपर कितना पैसा खर्च कर रही है। राहुल गांधी दूसरे देशोंके राष्ट्रपति या प्रधान मंत्रीको राष्ट्रीय मुद्दोंपर अपना दृष्टिकोण देनेके लिए भारत बुला सकते हैं। मतलब कि यदि वह किसी मुद्देपर विदेशी मेहमानोंसे चर्चा करना चाहें तो वह ऐसा कर पायंगे। नेता प्रतिपक्षके तौरपर राहुल गांधी अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियोंके प्रमुखोंके चयनमें भी अहम भूमिका निभानेवाले हैं। वह पिछले दस सालसे इन एजेंसियोंपर काफी आरोप लगाते आये हैं। नेता प्रतिपक्ष बननेके बाद राहुलको पद भी मिला है और उनका कद भी बढ़ गया है। नेता विपक्षके तौरपर राहुल गांधीको कई अधिकार और सुविधाएं मिलेंगी। नेता प्रतिपक्षका पद कैबिनेट मंत्रीके बराबर होता है। राहुल गांधीको केन्द्रीयमंत्रीके समान वेतन, भत्ता और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। राहुलको कैबिनेट मंत्रीके आवासके स्तरका बंग्ला मिलेगा। उन्हें कार, ड्राइवरकी सुविधा भी दी जायगी। साथ ही १४ लोगोंका स्टाफ मिलेगा।

बतौर सांसद राहुल गांधीको एक लाख रुपये और ४५ हजार भत्ता मिलता है, लेकिन नेता विपक्ष बननेके बाद उन्हें मासिक वेतन और दूसरे भत्तोंके लिए तीन लाख ३० हजार रुपये मिलेंगे। नेता विपक्षके तौरपर राहुल गांधीकी पुरानी छवि टूट जायगी और वह एक नयी छविको गढ़ते नजर आयंगे। साल २००४ में जब राहुल गांधीने पहली बार चुनावी राजनीतिमें दस्तक दी थी। २००४ से २०१४ तक कांग्रेसकी सत्ता रही लेकिन राहुलने कोई मंत्री पद नहीं लिया। उनपर कैबिनेट पदके लिए दबाव भी था, लेकिन फिर भी उन्होंने मना कर दिया था। २०१४ में कांग्रेस जब सत्तासे बाहर हुई तो नेता प्रतिपक्ष बनाने लायक सीटें भी हासिल नहीं कर पायी थी। बदले हुए हालातमें केन्द्रकी भाजपा सरकार पिछले कार्यकालकी तरह विपक्षको दरकिनार करके सदनकी कार्यवाही नहीं चलवा सकती। मजबूत विपक्ष और राहुल गांधीके प्रतिपक्षका नेता बननेसे मोदी सरकारको अपने नजरियेमें फेरबदल करना होगा।

आत्मबोध

शनिका महत्व

❑ सदानन्द शास्त्री

शनि देव मनुष्योंके कर्मोंके अनुसार ही फल देते हैं। भगवान शनि देव भाग्यविधाता हैं। यदि निश्छल भावसे शनि देवका नाम लिया जाय तो व्यक्तिके सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। हिन्दू धर्ममें अमावस्याका विशेष महत्व है और अमावस्या यदि शनिवारके दिन पड़े तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। शनि देवको अमावस्या अधिक प्रिय है। उनकी कृपाका पात्र बननेके लिए शनिश्चरी अमावस्याको सभीको विधिवत आराधना करनी चाहिए। भविष्यपुराणके अनुसार शनिश्चरी अमावस्या शनि देवको अधिक प्रिय रहती है। शनैश्चरी अमावस्याके दिन पितरोंका श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जिन व्यक्तियोंकी कुण्डलीमें पितृदोष होते हैं, उन्हें इस दिन दान इत्यादि विशेष कर्म करने चाहिए। यदि पितरोंका प्रकोप न हो तो भी इस दिन किया गया श्राद्ध आनेवाले समयमें मनुष्यको हर क्षेत्रमें सफलता प्रदान करता है, क्योंकि शनि देवकी अनुकम्पासे पितरोंका उद्धार बड़ी सहजतासे हो जाता है। शनि देवको नीले रंगके पुष्प, बिल्व वृक्षके बिल्व पत्र, अक्षत अर्पण करें। भगवान शनि देवको प्रसन्न करने हेतु शनि मंत्रका जाप करना चाहिए। इस दिन सरसोंके तेल, उड़दकी दाल, काले तिल, कुलथी, गुड़, शनि यंत्र और शनि संबंधी समस्त पूजन सामग्रीको शनि देवपर अर्पित करना चाहिए और शनि देवका तैलाभिषेक करना चाहिए। शनि अमावस्याके दिन शनि चालीसा, हनुमान चालीसा या बजरंग बाणका पाठ अवश्य करना चाहिए। जिनकी कुंडली या राशिपर शनिकी साढ़ेसाती एवं ढैयाका प्रभाव हो, उन्हें शनि अमावस्याके दिनपर शनि देवका विधिवत पूजन करना चाहिए। भाद्रपद अमावस्याके दिन पोला मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्याके दिन दीपावली पर्व मनाया जाता है। शनिवारके दिन आनेवाली अमावस्याको शनिश्चरी अमावस्या कहते हैं। हिन्दू पञ्चांगमें अमावस्याका दिन वह दिन होता है जिस दिन चंद्रमाको नहीं देखा जा सकता है। चंद्रमा २८ दिनोंमें पृथ्वीका एक चक्कर पूर्ण करता है। १५ दिनोंके चंद्रमा पृथ्वीकी दूसरी ओर होता है और भारतवर्षसे उसको नहीं देखा जा सकता है। अमावस्याको हिन्दू शास्त्रोंमें काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और इसके अनुसार अमावस्याको पितृों अर्थात् गुजर गये पूर्वजोंका दिन भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्याके दिन स्नान कर प्रभुका ध्यान करना चाहिए, बुरे व्यसनोंसे दूर रहना चाहिए और हो सके तो गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद बुजुर्गोंको भोजन कराना चाहिए। जैसा कि पहले बताया गया है, अमावस्याको पितृोंका दिन कहा गया है तो इस दिन किसीको भोजन करानेसे हम एक तरहसे अपने पित्रोंको भोजन अर्पित कर रहे हैं। ऐसा करनेसे पितृ दोषसे मुक्ति मिलती है।

लोकतंत्रपर हावी हो रहा अलगाववाद

❑ प्रताप सिंह

चार जून २०२४ को १८वीं लोकसभाके लिए मतदाताओंके जनादेशने देश-दुनियाके सियासी पंडितोंके अनुमानको ध्वस्त करके मुल्ककी सियासतको हैरतमें डाल दिया था। चुनावी समरमें सियासी दुर्ग फतह करनेके लिए कई तरहके लोकलुभावन वादोंकी बिसात बिछायी जाती है। ज्यादातर सियासी जमातोंकी सियासत जाति-मजहब, क्षेत्रवाद एवं वंशवादकी सदारत करती है। चुनावोंके दौरान लोगोंको मुफ्तखोरीके प्रलोभन देना सियासतकी फितरत बन चुका है। परन्तु जागरूक एवं सतर्क मतदाता शिक्षित एवं साफ छविवाले जनप्रतिनिधिको लोकतंत्रका भाग्य विधाता चुननेकी कोशिश करते हैं, ताकि लोकतंत्रकी संस्थाओंमें आम लोगोंके हितोंकी पैरवी हो तथा सत्तापक्ष द्वारा निर्धारित की गयी नीतियोंपर सकारात्मक बहस हो सके। लेकिन पिछले कुछ वर्षोंसे सियासतका मिजाज बदल रहा है। जब जम्हूरियतके निजाममें आवाम कुछ बातोंको अपनी जुबानसे बयान नहीं कर पाती तो खामोशीसे अपने वोटके जरिये सियासी रहनुमांका चुनाव करके अपने जज्बातोंका इजहार किया जाता है। मौजूदा लोकसभा चुनावोंके दौरान विपक्षी दलोंने महंगी एवं बेरोजगारीपर जोरदार ताकीद पेश करके देशके आईनको बचानेका हवाला भी दिया था। परन्तु कुछ सीटोंपर लोगोंका जनादेश हैरतअंगेज करनेवाला रहा है।

मतदाताओंने ऐसे जन-प्रतिनिधियोंको देशकी संसदमें भेजनेका फरमान जारी कर दिया है जो अलगाववादकी खुलेआम हिमायत करते हैं तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियमके तहत जेलोंमें बंद हैं। भारतमें रहकर अपने ही मुल्कको खंडित करने वाली मनोग्रंथीसे पीड़ित होकर टेरर फंडिग एवं आतंकी गतिविधियोंके मामलेमें सलाखोंके पीछे हैं। विडम्बना है कि राष्ट्रीय सुरक्षाके लिए खतरा बन चुके तथा गैंगेस्टर एवं आर्म्स एक्ट जैसे संगीन मामलोंमें जेलोंमें बंद माफियाओंको देशका संविधान चुनाव लड़नेकी अनुमति देता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या चरमपंथ एवं अलगाववादकी हिमायत करनेवाले प्रतिनिधि संविधानके प्रति आस्था एवं विश्वास रखते हैं, संवैधानिक सिद्धांतोंको तसलीम करते हैं। यदि राष्ट्रीय सुरक्षाके लिए खतरा बन चुके प्रत्याशी जेलोंमें बैठकर चुनाव जीत जायं तथा मर्डर एवं आर्म्स एक्ट जैसी संगीन वारदातोंमें मुल्व्विस सियासी रहनुमाओंको मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनकर संसदमें भेजेंगे तो जम्हूरी निजामके साथ मुल्कके आईनपर भी सवाल उठेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्थाके प्रति इस कारकर्दगीको मतदाताओंकी नाराजगी समझें या मतदानके प्रति जागरूकताका अभाव। लेकिन मतदाताओंने कट्टरवादके हिमायती कुछ सियासी रहनुमाओंको प्रतिनिधि चुनकर मुल्ककी सियासतको जो पैगाम दिया है, उस नजरियेको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देशमें ऐसे कई सियासी रहनुमां हैं जिनके नामके साथ माफिया, डॉन एवं बाहुबली जैसे लफ्ज जुड़े हैं। सलाखोंके पीछे बैठकर चुनाव लड़कर अपने सियासी रुतबेकी नुमाईश करना भी देशमें एक फैशन बन चुका है। सियासतकी यह कारगुजारी सोचनेपर मजबूर करती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाकी बहालीके लिए राजा-महाराजाओंने अपनी रियासतोंका हिन्दोस्तानमें इलहाक करके जिस प्रजातंत्रकी कल्पना की थी, क्या वह लोकतंत्र कायम हुआ।

यदि अलगाववाद एवं कट्टरपंथकी पैरवी करनेवाली जहनियत भी जम्हूरियतकी सबसे बड़ी पंचायतमें तशरीफ ले जायगी तो ऐसी विचारधाराओंका संगम राष्ट्रके लिए गम्भीर खतरा बनेगा। कई जन-प्रतिनिधि फरमाते हैं कि सियासत समाजके कल्याण एवं आवामकी खिदमतका माध्यम है लेकिन सियासतदानोंकी कार्यशैली दर्शाती है कि सियासतका मकसद केवल सत्ताकी दहलीजपर पहुंचनेके लिए ही रह गया है। जम्हूरियतकी बुलंदीपर पहुंचनेकी लालसा हर जन-प्रतिनिधिके जहनमें कायम है। ज्यादातर सियासी रहनुमाओंपर सियासी रसूखकी हनक, अक्सरियतका खुमार एवं इक्तदारका गुमान हावी रहता है। धनबल, बाहुबल, मौकापरस्ती एवं अलगाववाद जैसी विचारधाराओंके मिलनसे सियासत विवशताका खेल बन चुकी है। चुनाव विश्लेषण करनेवाली संस्था असोसिएशन ऑफ डैमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) के अनुसार नब्बे प्रतिशतसे अधिक सांसद करोड़पतिकी फेहरिस्तमें शामिल हैं। जाहिर है हजारों करोड़ रुपयेकी संपत्तिके वारिस प्रतिनिधि गुरबतसे जूझ रही आवामकी मजबूरी नहीं समझ सकते।

सियासतदानोंकी कारगुजारियोंसे निर्वाचन आयोग एवं प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियां भी परेशान हो चुकी हैं, परन्तु माफिया, बाहुबली एवं अलगाववादी जैसे सियासी एजाज हासिल होनेके बावजूद सियासी रहनुमाओंके प्रति आवामका नजरिया अदबका ही रहता है। इसीलिए सियासत अपराधसे मुक्त नहीं हो रही। अलगाववादकी असबियत तथा आपराधिक पृष्ठभूमिसे ताल्लुक रखनेवाले प्रतिनिधि यदि देशके नीति निर्माता बनकर संसदमें मौजूद होंगे तो रक्षा क्षेत्र जैसे संवेदनशील मुद्देपर सियासी नजर-ए-करमकी उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि लोकतंत्रके मुख्य स्तम्भ विधायिका एवं कार्यपालिका भी अलगाववाद एवं चरमपंथकी गिरफ्तमें आ जायंगे तो सबसे बेहतर शासन व्यवस्था प्रजातंत्रमें अदब, एहतराम एवं सादगी जैसे गुणोंकी गुंजाइश नहीं रहेगी। फिलहाल जम्हूरियतकी सबसे बड़ी पंचायतमें चरमपंथ एवं अलगाववादकी रफाकत लोकतंत्रके लिए नदामतका सबब बनेगी। अत: संवैधानिक लोकतंत्रमें अलगाववादी मानसिकता मंजूर नहीं होनी चाहिए। प्रजातंत्रको महफूज रखनेके लिए आपराधिक छविवाले सियासी रहनुमाओंके प्रति हमदर्दीसे परहेज करना होगा। उन्हें चुनाव लड़नेसे रोकना होगा।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

संस्कार और सद्गुण से दूर मानवीय सरोकार!

मनुष्य जीवन बड़ा ही कठिन जीवन कहा जा सकता है। जिसमें दुख सुख का समावेश निरंतर होता रहता है। इस जीवन को सरल बनाने के लिए संस्कार और सद्गुण आवश्यक है, क्योंकि इसके जड़ में ही मानवता का वास होता है, जो कई तरह की समस्याओं और परेशानियों से जूझते हुए जीवन को बेहतर ढंग से निर्वहन करने में सक्षम होता है। देश का आम आदमी कई तरह की परेशानियों से जूझते हुए जीवन जान चला रहा है। या यू कहे जीये जा रहा है। हर किसी को कोई ना कोई जटिल समस्या घेरे रहती है और आदमी समस्याओं के निदान में ही जुटा रहता है। बड़े लोगों की बात छोड़ दीजिए, जिनके पास धन दौलत है, वह तो अच्छे से जीते हैं। उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि उनके पास आर्थिक आमदनी बहुत होता है, कमाई के साधन बहुत होते हैं। धनाढ्य आदमी हर बात पर बाबुशाही दिखाते जीवन चलाता है। लेकिन आम आदमी जीवन में घुटता रहता है।ढूंढता रहता है, जीवन जान चलाने बचाने का उपाय। यह संसार किसी अदृश्य शक्ति के भगवत रुप की ही कृपा की देन कही जा सकती है। यह धरा उन्हीं देव गुरुओं परमात्मा की देन है, जिन्होंने अपना आशियाना आसमा में बनाए और धरा पर मनुष्य रूप को उतारा है। यह संसार सदियों सदियों से प्रकट है, जहां मनुष्य मनुष्य के रूप में तो जीवात्मा के रूप में प्रकट हुआ, लेकिन उसके कद और काठी के साथ चेहरों की बनावट ऐसा बदलता गया, जो हर मनुष्य की अलग पहचान देता नजर आता है। आधुनिक काल में लोगो को अपने चेहरों की सुन्दरता से लगाव कुछ ज्यादा ही होता है। लेकिन एक समय था जब मनुष्य का चेहरा हनुमान भगवान के रूप में प्रकट हुआ था। बाद में यह सवंरता चला गया और अब तो मनुष्य के रूप में इस संसार में जो लोग भी अवतरित होते हैं, वे बचपन से जवानी और बुढ़ापा का बदला हुआ रंग अपने आप में ही पाते हैं।? प्रकृति की इस धरा पर हर तरह के जीव जंतु होते हैं सभी के बसर का व्यवस्था भी अनूठा होता है अलग-अलग होता है। सभी जीव होते हैं और जीवन के जीने के लिए माध्यम बना है, वह सब माध्यम प्रकृति ही ने ही बनाया है। संसार में मनुष्य के साथ हैं साथ ही अन्य जीव-जंतुओं पशु पक्षियों जानवरों और प्रकृति की रूप का श्रृंगार करता है। संसार में बदलाव प्रकृति के नियम के तहत ही होता है। साल दर साल, महीना दर महीना, दिन हर दिन, कुछ इस तरह से बदलता रहता है कि मनुष्य इसका उपयोग अपने अनुसार करता रहता है।इस संसार में आदि काल में जो संस्कार ज्ञानियों ने मनुष्य जीवन को दी, वह सब आधार बन गया जीवन जीने का, संस्कार से ही मनुष्य की अच्छे बुरे की पहचान होती है।मनुष्य अच्छा होता है, तो उसमें सद्गुण होते संस्कार होते है और मनुष्य में अगर अहम भाव हो जाए और वह अज्ञानी बन जाए तो उसे दैत्य मानव भी कहा जा सकता है। संसार का हिसाब किसी मनुष्य के हिसा से नहीं चल रहा। लेकिन इस हिसाब किताब में मनुष्य को जीने के लिए जो कुछ मिला है, उसमें मनुष्य ही निरंतर बदलाव करता रहता है। बदलाव धरातल सेजुडा है, आज हम इस बात को मान कर चलते हैं, कि जो यह संसार है, मनुष्य है जीव जंतु है, सभी को चलाने वाले जीवन प्रदान करने वाले कर्म धर्म कराने वाले अदृश्य शक्ति से सम्भव है। मानव मनुष्य भगवत रूप को देख नहीं पाता, पर मानता है, उसी की देन है, हम इस संसार में आते हैं और चले जाते हैं। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होता, जो इस संसार में आने के बाद जाता नहीं। लोगो के अनुसार भगवान रूप धर करके भी इस धरा पर आते हैं। मनुष्य का तो उन्हें एक काल के बाद, एक जीवन के बाद, जाना होता है। समाप्त होना होता है, या नहीं संसार बदलता रहता है, लेकिन इतना भी नहीं कि संसार मनुष्य की मनुष्यता ही बदल दे।संस्कार ही जीने का माधयम बनाता है। संस्कार को दरकार कर दरकिनार कर, कोई भी मनुष्य मनुष्य नहीं रह सकता। इस संसार में अगर कुछ है तो वह है, मनुष्य की मनुष्यता और इसी मनुष्य के बल पर संसार में मनुष्यों का जीवन खुशहाल होता है, लेकिन कितना बदल गया है, आज का यह संसार? यह सवाल है, जिसका जवाब मनुष्य को ही देना होगा! मनुष्य जानता है कि इस संसार में आदि से अंत काल तक का इतिहास यही रहा है कि यहां जीवों की जो उत्पत्ति होती रही है, वह कहने को तो प्रकृति की देन होती है, लेकिन यह प्रकृति को प्रदत करने वाला अदृश्य शक्ति का भी देन कहा जा सकता है। इस संसार में प्रकृति और प्रकृति में बदलाव का जो रूप दिखता है। वही रूप मनुष्य पर प्रभाव डालते हुए चलता है। पहले ज्ञान का अभाव हुआ करता था। तभी संसार चलता था। फिर धीरे-धीरे ज्ञान मनुष्य में अनुभव से पैदा होता गया, आवश्यकताओं से पैदा हुआ और मनुष्य ने धीरे-धीरे अपने अनुभव आवश्यक आवश्यकता और अपने ज्ञान के बल पर अपनी जरूरतों को इजाद करने लगा। धीरे-धीरे यह युग वैज्ञानिक युग भी कहलाने लगा। जहां मनुष्य रूपी वैज्ञानिक के अपनी सोच समझ और अनुभव के आधार पर बड़े से बड़े समस्याओं को भी हल करने लगे। विज्ञान की देन से बहुत सारी सुविधाएं उत्पन्न हुई और इन सुविधाओं का उपयोग करने वाला मनुष्य, हर तरफ अपनी पहचान बनाते चले, संसार देवताओं का है। या फिर मनुष्य का क्योंकि मनुष्य तो देवताओं के आशीर्वाद से ही फलता फूलता है, सुखी होता है। दुख से निजात पाता है। धर्म और कर्म भी संसार की ऐसी अमिता वाली बात होती है। जिसे करने के लिये हर मनुष्य को उद्धत होना पड़ता है। अगर संसार में धर्म-कर्म की बात ना हो तो यह संसार समाप्ति पर आ जाएगा। मनुष्य के साथ ही साथ ही संजीव जंतुओं को जीने का जो अधिकार इस संसार में मिला है सबको अपने अपने कर्म के अनुसार जिंदगी बितानी होती है और यही संसारिक्ता कहलाती है। हम सभी संसार के इस बदलाव को यही कहकर संभावना देते हैं। कि कितना बदल गया संसार? जी हां संसार का बदलाव प्रकृति के नियम के अनुसार होता रहता है और मनुष्य का विकास भी उन्हीं संस्कारों के बल पर संभव होता है। संसार में बदलाव और मनुष्य में ज्ञान किया सभी निश्चित रूप से मिलकर ही बदलाव के प्रतीक बनते हैं! आज की यह दुनिया जिसमें मनुष्य बसर करते हैं, काफी कठिनाइयों के बीच जीना मनुष्य की मजबूरी बन गई है। आधुनिकता के रंग में जमे जमाने में परेशानियां इतनी बढ़ गई है कि लोग जीना भूल गए हैं। बस जान बचाए चलते हैं, आधुनिकता में जीने में अनेक परेशानियां हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने की परेशानी, रहने के लिए घर नही, परेशानी ही परेशानी झेलते आम आदमी परेशान रहता है। रोजगार की समस्या, रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या। हर तरह की समस्याओं से जुझ कर आदमी जीवन जिए जा रहा है। और सद्गुण संस्कार से दूर होता जा रहा है मानवीय जीवन यह वर्तमान का हाल है। जबकि सद्गुण और संस्कार मनुष्य को जीवन में हर तरह से अपनाने चाहिए, जिसके माध्यम से मान सम्मान की प्राप्ति होती है और जीवन सफल सा दिखता है जीवन को सफल करने के लिए मानवता को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि संस्कार को अपनाया जाए सद्गुण के साथ जीवन को बिताया जाए अन्यथा यह जीवन तो व्यर्थ हो जाएगा ना? क्योंकि यह जीवन मिला है, संस्कार और सद्गुण अपनाने के लिए ही और जो संस्कार तथा सद्गुण से दूर रहता है, वह मानव मानव नहीं कहलाता, मनुष्य नहीं कहा जा सकता। वह जीवन जीता जरूर है, जिसमें जान है।पर मान सम्मान और जीवन जीने की कला संस्कार और सद्गुण में ही निहित है।

प्रभात वर्मा

पुस्तक समीक्षा

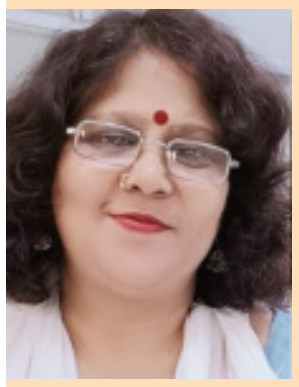

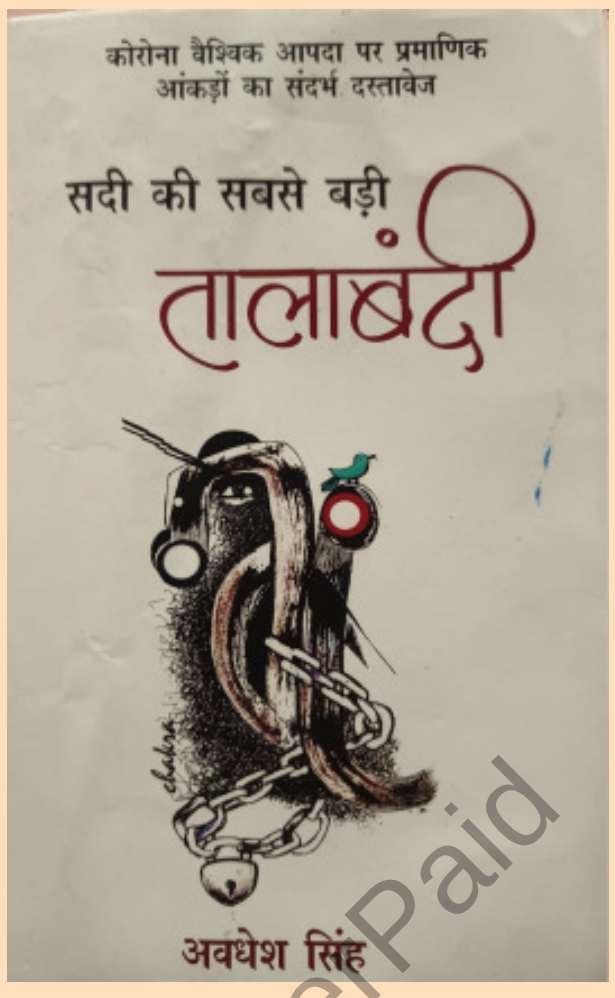

समाज में फैले स्वार्थ की कटुताएं और व्यक्तिगत हित के भाव की सटीक अभिव्यक्ति है: पुस्तक 'सदी की सबसे बड़ी तालाबंदी' में

लगभग एक वर्ष पहले मुझे एक अविस्मरणीय पुस्तक मिली- 'सदी की सबसे बड़ी तालाबंदी', लेखक -अवधेश सिंह जी की। पुस्तक पढ़ने के मध्य कई बार अश्रुपूरित नेत्रों ने व्यवधान डाला। मैं कई बार फूट-फूट कर रोई भी। बहुत सोचा कि इस पुस्तक पर अपने विचार लिखूँ, पर, खोये हुए अपनों की स्मृतियों के कारण मन सदैव हिम्मत हारता रहा। आज अपने को संयत कर अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ।यदि हम 'सदी की सबसे बड़ी तालाबंदी' की बात करें तो यह पुस्तक कई मायनों में विशिष्ट है। इसमें प्रयुक्त आंकड़ें, उस समय की पारिवारिक स्थितियाँ, समाज में फैलते स्वार्थ की कटुता? तथा व्यक्तिगत हित के भाव की सटीक अभिव्यक्ति इस पुस्तक को अन्य पुस्तकों से एकदम अलग कर देती है। मजे की बात यह है कि लेखक की शैली इतनी रोचक, तथ्यात्मक रूप से परिपक्व तथा सहज है कि पाठक पूरी पुस्तक तन्मयता से पढ़ता चला जाता है। देखा गया है कि कई बार आंकड़ों से जुड़ी पुस्तकें ऊब से भर देती हैं। लेखक ने संपूर्ण विषय को अट्ठारह भागों में बाँट कर लिखा है। महामारी के दौर का आरंभ, चरम सीमा तथा भविष्य में उपजने वाले विभिन्न दुष्परिणामों से निपटने के प्रयासों की सार्थक पहल का भली प्रकार वर्णन किया है। यह पुस्तक अपने विषय-विभाजन के कारण बहुत व्यवस्थित ढंग से पाठकों के मन-मस्तिष्क को छू पाने में तथा प्रभावित कर पाने में पूर्णतया समर्थ रही है। एक उदाहरण देखिए -९. कोरोना के असली योद्धा विषय के अंतर्गत जब पाठक यह पढ़ता है कि - "तमाम सुरक्षा कवच से लैस एम्स में अभी तक 489 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी कोरोना वायरस की चपेट मे आ गये हैं, जिनमें तीन की मौत डराने वाली है.. कमोबेश यही स्थिति पूरे देश की है, न तो कोरोना वायरस का कहर थमता दिख रहा है, और न कोरोना योद्धाओं का साहस।" यह पढ़कर मन उस विचित्र समय की याद करके चिंतित हो जाता है। लेखक ने जीवन के तथा समाज के हर रूप को शब्दों के माध्यम से चित्रित करने का सफल प्रयास किया है। यहाँ पर मैं बनार्ड शॉ के इस कथन को उद्धृत करना चाहूँगी- "विचारों के युद्ध में किताबें ही अस्त्र होती हैं।" इस पुस्तक को पढ़ते समय मुझे यह पंक्तियां एकदम सही प्रतीत हुईं। मुझे लगा कि दहशत भरे उस समय को जब भविष्य में कोई पढ़ना चाहेगा तो मददगारों के विभिन्न रूपों से भी रूबरू होगा

तथा मानवीय सरोकारों के नकारात्मक एवं सकारात्मक पक्षों को भी समझेगा तथा उनसे भविष्य को सुरक्षित करने का विलक्षण ढंग सीखेगा। किताब भले ही महामारी से जुड़ी है, परन्तु उसमें सिमटे मनोभाव पीढ़ियों को प्रभावित करने की अक्षुण्ण क्षमता रखते हैं। पुस्तक पढ़ते समय मुझे अब्राहिम लिंकन जी की यह पंक्तियाँ याद आ गईं-"मैं यही कहूँगा कि, वही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जो मुझे ऐसी किताब दे जो आज तक मैंने न पढ़ी हो।" ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक सदियों तक अपनी महत्ता बनाए रखेगी ऐसा मेरा विश्वास है।इसमें महामारी के समय संपूर्ण विश्व के क्रमानुसार आंकड़ों का यथार्थवादी आकलन किया गया है। मानवीय चेतना को झकझोरने वाले अनुभवों के साथ संदेश देने वाले कुछ वाक्य मन से विलग नहीं होते हैं।पुस्तक में पृष्ठ संख्या 48 पर कोविड हाहाकार..में लिखित पंक्तियाँ पढ़कर मन उद्वेलन से भर गया - राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान एक लाख से अधिक बच्चों ने अपने माता-पिता में से एक या दोनों को खो दिया है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने राज्यों से सक्रिय कदम उठाने को कहा। अदालत ने कहा, "उन बच्चों की पहचान करें जिन्होंने दोनों या एक माता या पिता को खो दिया है, संकटग्रस्त बच्चों की जरूरतों का पता लगाने के लिए यह एक जरूरी प्रारंभिक बिंदु है।" ऐसी तमाम बातें आम आदमी को पता ही नहीं हैं। पुस्तक पढ़कर यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार किसी भी समस्या से निपटने की तैयारी भी करती है तथा हर ओर अपनी पैनी नजर रखती है। भविष्य में आम जनता/छात्र-छात्राओं के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। क्योंकि लेखक की खोजी दृष्टि से सरकार द्वारा किए कोई कार्य बच नहीं पाए हैं। अमूमन लोगों को इतनी जानकारी होती ही नहीं है कि सरकार या अदालत भी कुछ सहयोग करती है। पुस्तक के अंत में सिख गुरुद्वारा कमेटी, अरदास केन्द्रों तथा छोटी बड़ी व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा की गई मदद की चर्चा समाज के लिए बहुत उपयोगी है। मन यह सोचकर शांत हुआ कि इंसानियत अभी जिंदा है और आगे भी ज़िंदा रहेगी। समाज इतना बुरा नहीं हुआ है जितनी बुराई होती है। मानव मानव की पीड़ा समझे तथा बाँटे यह किसी भी समाज के उत्थान का संकेत है। अंत में मैं लेखक को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनके सफल तथा सजग प्रयासों के कारण एक सार्थक पुस्तक हम सबके समक्ष है। यदि बात त्रुटियों की करें तो मुझे पुस्तक में न तो कुछ अतिरिक्त लगा, न फर्जी लगा। वर्तनी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। बहुत कम ऐसा होता है जबकि कोई पुस्तक इतने गंभीर विषय को समेटने के बावजूद रोचक बनी रहे। भविष्य में भी ऐसी पुस्तकें पढ़ने को मिलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं सफदर हाशमी साहब की इन पंक्तियों के साथ अपने विचारों को विराम देती हूँ- सफदर हाशमी कहते हैं- किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की दुनिया की, इंसानों की आज की, कल की एक-एक पल की खुशियों की, गमों की फूलों की, बमों की जीत की, हार की प्यार की, मार की क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं। तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। पुस्तक-सदी की सबसे बड़ी तालाबंदी लेखक-अवधेश सिंह प्रकाशक-ए.आर.पब्लिशिंग कंपनी पृष्ठ- 112, मूल्य-295

दस्तक प्रभात
समीक्षक-रश्मि संजय श्रीवास्तव

वास्तु एवं ज्योतिष के अनुभूत विषय

वास्तु वास्तविक विज्ञान है, जिसका आधार ज्योतिष है।ज्योतिष वेद की आँख है, ज्ञान चक्षु है।ज्ञान चक्षु इसलिए कि वेद ज्ञान है। जो भी निर्मित वस्तुएँ हैं, वे सभी वास्तु हैं। वास्तु विज्ञान/वास्तु शास्त्र द्वारा निर्मित हैं। वास्तु यानि निर्माण की विज्ञान सम्मत व्यवस्था। चाहे, वो घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, फ्लेट हो, घड़ी, रेडियो आदि आदि।सभी वास्तु के अधीन हैं। सभी एक नियम के तहत निर्मित हैं। और वहीं ज्योतिष में समय का निर्धारण है।किस समय में क्या करना चाहिए? इसकी सम्यक जानकारी है।ज्योतिष यानि समय व काल की गणना है।जो ज्योतिष के निर्धारित समय का नजरअंदाज करता है, उसके लिए वह समय काल बन जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, " अहमेवाक्षयो कालः" मैं ही अक्षय/अविनाशी काल हूँ। इसलिए, ज्योतिष को नहीं मानने वाले काल को आमंत्रण देते हैं। ज्योतिष एवं वास्तु का प्रभाव व्यक्तिगत के साथ-साथ उससे सम्बंधित लोगों पर भी पड़ता है।यह ज्योतिष एवं वास्तु की सत्यता है।इसको नकारा नहीं जा सकता है। मैंने ज्योतिष एवं वास्तु का इंकार कर कार्य करने पर उसकी दुर्दशा को बहुत ही निकट से देखा है। यों तो देखते सभी हैं, लेकिन वे समझ नहीं पाते और न ही समझाने पर समझ विकसित करते।ऐसे मनमाने लोग देश, समाज एवं परिवार को ले डूबते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। देश स्तरीय कार्य में ज्योतिष की अवहेलना कर देश की हानि कराते हैं, समाज स्तरीय कार्य में समाज की हानि और परिवार स्तरीय कार्य में परिवार की हानि से इंकार नहीं किया जा सकता है। मैंने देखा है "बिना किंवाड़ एवं छत के गृह प्रवेश एवं मंदिर प्रवेश के बाद हानि होते हुए, क्षति होते हुए। वहीं अयोध्या में देखिए निमार्णाधीन मंदिर की प्रतिष्ठा का प्रतिफल राजनैतिक हानि और आचार्य की मौत।और अभी आगे क्या होगा?ये तो समय ही बताते जाएगा। निमार्णाधीन घर / आधे-अधुरे घर, न किंवाड़ न छत, न छान-छप्पर। गृह प्रवेश का फल देखा है हमने यजमान की माता की मृत्यु। शास्त्र प्रमाण है, अकपाटमनाच्छन्न मदत्तबलिभोजनम्। गृहं न प्रविशेद्धीमान् विपदामाकरं तु तत।। अर्थात जिसमें किंवाड़े न लगे हों, जो छाया न हो, वास्तुदेवों को बलि भोजन न दिया गया हो, उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह विपत्ति का जनक होता है। अरे!वास्तु देवता बलि भोजन वहीं करेंगे, जहाँ वास्तु का सम्पूर्ण निर्माण हो चूका हो।आधे अधूरे निर्माण में वास्तु पूजन से क्या फायदा? वास्तु देवता बलि भोजन ग्रहण करेंगे ही नहीं। जव वे संतुष्ट नहीं होंगे, तो हानि करेंगे ही। उसी तरह निर्माण पूर्व भी आवश्यक रूप से वास्तु पूजन अनिवार्य है, वह भी शास्त्र सम्मत हो।मूहुर्त का निर्धारण हो, मुहूर्त में कार्य प्रारंभ हो।चाहे नव निर्माण हो या जीर्णोद्धार हो।भूमि पूजन, वास्तु पूजन अनिवार्य है। सभी धर्मों में लोग अपने धमार्नुसार संस्कार करते हैं। लेकिन, जो धर्म में रहकर धर्म का लोप करते हैं;वो धर्मघाती सब के लिए हानि करते हैं। निर्माण में शनिवार को लिया गया है।लेकिन, गृह प्रवेश में कहीं कहीं निषेध भी है।वहीं रविवार और मंगलवार को किसी भी परिस्थिति में निर्माण और प्रवेश नहीं करना चाहिए। रविवार यानि रवि/सूर्य पिता, चाचा का कारक है, तो मंगल भाई का कारक।यदि इन दिनों निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाता है, तो इन सम्बन्धों के हानि है, क्षति होगी।बिल्कुल सत्य है। यथा, रविभौमो गृहारम्भेऽनिष्टो वाऽनिष्टकरः सदा। मृयते निश्चितं ज्येष्ठः पिता वा पितृव्यस्तदा।। रविवार और मंगलवार को गृहारम्भ करना अनिष्ट और अनिष्टकर है। ज्येष्ठ, पिता, चाचा की मृत्यु निश्चित है। इसके प्रभाव को देखा है हमने, मृत्यु के रूप में।मृत्यु हुई, यजमान के भाई की, ज्येष्ठ की।सूत्र अपना फल दे गया। ज्योतिष के ये सारे सूत्र सत्य सिद्ध हैं। इन्हें नकारा नहीं जा सकता है। ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं।यथा- भादो में गृहारम्भ करने वाले की दुर्दशा आज तक देखी जा रही है।गृह प्रवेश का समय नहीं मिल पा रहा है।रात्रि में शिलान्यास किया, उस घर को देखा है, हमने, कई बार चोरी हुई, दुर्घटनाएं भी हुई। हाँ, कब होगा, यह तो उसके ग्रह गोचर व प्रारब्ध पर निर्भर करता है। लेकिन, फल तो मिलेगा ही। इसमें संदेह नहीं है। एक ज्योतिषविद् को पुअर थाट कहकर अपमानित करने वाला ज्योतिष को इंकार कर अपनी आँखें न फोड़ ले और वास्तु को नजरअंदाज कर अपने तन की बबार्दी न करे।क्योंकि, ज्योतिष आँख है और वास्तु तन है। फिर कभी और। जय ज्योतिष!जय वास्तु!!

दस्तक प्रभात
रवीन्द्र प्रसाद "दैवैज्ञ"

लघुकथा

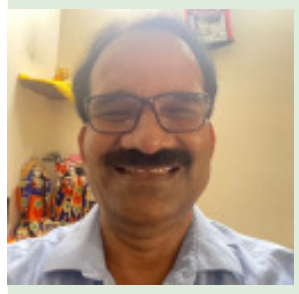

पाषाण की वेदना

मूर्तिकारी अदभुत कला है और मूर्तिकार गरीबी में जीवन यापन करने वाला आम नागरिक जिसके पास मूर्ति के चेहरे में भावों का समावेश करने का असाधारण हुनर और कौशल होता है। यह कला वास्तव में अद्भुत और अकल्पनीय है। मूर्ति चाहे अभीष्ट की हो या साज सज्जा की वस्तु, चाहे पूजा स्थल में विराजमान हो या बैठक/शयन कक्ष में, सदैव श्रद्धा, विश्वास, मनन और पूजन का प्रतीक रही है। ज्ञानू स्थानीय न्यूज चैनल में खोजी संवाददाता थे और न्यूज चैनल से प्रसारित बहुप्रशंसित साप्ताहिक धारावाहिक अनहोनी के एंकर। राजस्थान पत्रिका में मूर्ति कला प्रदर्शनी का इश्तहार देखा तो ज्ञानू रोमांचित थे। इंसान बेजान मूर्ति को देख, क्यों भाव विव्हल और नतमस्तक हो जाता है — ज्ञानू के लिये हमेशा से कौतूहल का संदर्भ रहा है।वो कई बार सोचते कि काश मूर्ति बोल सकती तो उनकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। मूर्तिकार बेजान पाषाण में जीवन के बहुरंगी आयाम का सृजन कैसे करता है ? जब उन्होंने प्रदर्शनी में स्थापित सुंदरी मूर्ति के आकर्षण के बारे में पढ़ा तो इच्छा और बलवती हो गयी थी। अपने गुलाबी शहर में प्रदर्शनी लगने से वहाँ जाने में कोई दिक़्कत नहीं थी। अगले दिन कार्यालय में यथाशीघ्र कार्य संपन्न कर ज्ञानू ने प्रदर्शनी देखने के लिए रूखसत किया। हाल में भीड़भाड़ का माहौल था। चारों तरफ अभिजात्य वर्ग के लोग नजर आ रहे थे जिनका हर अन्दाज नजाकत भरा था। ज्ञानू ने हाल में सरसरी नजर घुमाई और एक किनारें से प्रदर्शनी का अवलोकन करना चालू किया। एक से बढ़कर एक बेजोड़ कलाकृतियाँ थी। मानों अभी सजीव हो जायेंगी। रोमांच अतिरेक था ऊपर से हल्की सुमधुर बांसुरी की ध्वनि वातावरण को मनमोहक बना रही था। जैसे जैसे ज्ञानू अग्रसर हो रहे थे मदहोशी का आलम बढ़ता जा रहा था। पर ज्ञानू की बेसब्र नजरें बहुचर्चित सुंदरी की मूर्ति के दीदार के लिए लालायित थे। कहीं बिक तो नहीं गयी ? ज्ञानू का मन आशंकित था। चंचल मन में कई सम्भावनाएँ हिलोरे मार रही थी। भाईसाहेब वो सुंदरी वाली मूर्ति कहा है—ज्ञानू ने हाल में उपस्थित सुरक्षाकर्मी से पूछा। सीधे जाकर बायें मुड़ जाना, ठीक सामने सुंदरी जी स्वागोत्सुक नजर आयेंगी – कर्मी ने मुस्कराते हुए शरारती अन्दाज में कहा। ज्ञानू तेज कदमों से सुंदरी की तरफ बढ़ चले। सामने लोगो का मजमा लगा था। ज्ञानू जी ने देखा कि तकरीबन ५ फीट ऊँची बेजोड़ नारी काया मानों स्वर्ग से अवतरित अप्सरा, ० विराजमान थी। उसका चेहरा झीनी सी झिलमिली ओढ़नी से ढँका हुआ था। सोलह श्रृंगार किए अप्रतिम सौंदर्य और सादगी से परिपूर्ण गरिमामयी प्रतिमा की छबि अनूठी थी। ज्ञानू मंत्रमुग्ध थे और मन ही मन मूर्तिकार की कला की दाद दे रहे थे। उनका अवचेतन मन विस्मय लोक में विचरण कर आनंदित हो रहा था। साहेब जी प्रदर्शनी के बंद होने का समय हो गया है- सुरक्षा कर्मी की आवाज ने ज्ञानू को वापस यथार्थ के धरातल पर वापस ला दिया। नजरें घुमाई तो प्रदर्शनी कक्ष में इक्का दुक्का जनमानस ही नजर आ रहे थे। अचानक ज्ञानू को कराहने की आवाज आयी। अचंभित ज्ञानू इधर उधर ताकने लगे पर कुछ पता नहीं चला। शायद मन का भ्रम है सोच ज्ञानू बाहर जाने के लिए मुड़े कि पुनः वही दर्द भरी आवाज सुनाई दी। कौन है — सहमे ज्ञानू ने आवाज लगाई मैं पाषाण हूँ आवाज आई ज्ञानू सहम, टाँगो में कंपन हो रहा था। वो सुंदरी की प्रतिमा को निहारने लगे जहां से आवाज मुखर हो रही थी। क्या हुआ . आप दिखाई क्यों नहीं देते- ज्ञानू ने हकलाते हुए पूछा। उसे लगा कि उसका कंठ अवरुद्ध हो गया है। मुझे असीम वेदना हो रही रही है। मूर्तिकार की छेनी की मार ने जगह जगह घाव बना दिये है। उसने सुंदरी का रूप तराशने के लिए मुझे अनगिनत यातनाएँ दी है। मेरे तनमन को विक्षिप्त कर दिया है। आज सभी लोग सुंदरी के रूप पर फि दा है और मूर्तिकार की कला के कायल, पर मेरे उत्सर्ग का किसी को इल्म तक नहीं है। सुंदरी का सच जान ज्ञानू स्तब्ध थे। पाषाण की व्यथा ने उन्हें हृदय के अंतःस्थल तक झकझोर के रख दिया था। पाषाण की भयावह और द्रवित करने वाली सच्चाई चौंका रही थी। पाषाण के हर रूप में ढल जाने की मनोवृत्ति अनुकरणीय थी। समर्पण और बलिदान की पराकाष्ठा थी। अपना वजूद खो दूसरे को पहचान दिलाने की सीख थी। ज्ञानू यथाशीघ्र कर्मस्थल पर जा रहे थे क्योंकि उनकी लेखनी पाषाण के बलिदान की महिमा प्रतिपादित करने के लिए तैयार थी।

दस्तक प्रभात/ज्ञानेन्द्र मोहन खरे

अतुकांत

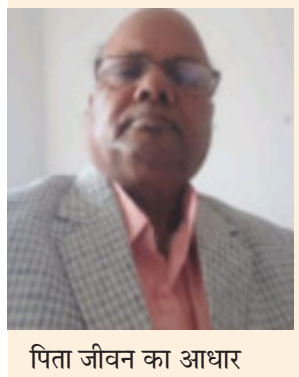

पिता

पिता जीवन का आधार
रहबर
छिप कर अश्रु बहाता
मंदिरों में
मांगता दुआएँ कल्याण की
सुखद भविष्य की
स्वास्थ्य की, प्रगति की
अपने पाल्य हेतु।
पूरित करता
हर वो साजोसामान
चाहे उसकी जो
भी अवस्था हो
पिता आस है जीवन की
पिता करुणा की प्रतिमूर्ति है
जो खड़ा है चट्टान की तरह
सुरक्षा कवच बनाते
बच्चों खातिर।
पर भौतिकता की तंग गली
से बच्चे प्रभावित
जब उपेक्षा करते हैं पिता की
तो दर्द के आंसू ढुलक
जाते हैं कपोलों पर
पिता टूट जाता है
इन आहत भावनाओं से
पिता मौन हो जाता।

दस्तक प्रभात/कमलेश्वर

कविता

सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय

बदले बदले मेरे सरताज नजर आते हैं
सामने सुंदर सुरूचिकर अल्फाज परोसते हैं
परोक्ष में दुनिया की सारी बुराईयां मुझमें दशार्ते हैं
हमदर्द होने का प्रदर्शन करते मगर पीठ पर हमला कराते हैं
सालभर खाते हैं दवा दारू भी मुफ्त 5 लाख का पाते हैं
समय आने पर विरोधी की झोली को फूलों से सजाता हैं
देश तेरे टुकड़े टुकड़े होने का नारा लगाते हैं
देश प्रेमी का स्वांग रच संसद जाने के लाईन में लग जाते हैं
बंगाल तमिलनाडु की चर्चा छोड़ मणिपुर बतलाते हैं
संविधान की पट्टी लेकर उसकी की धज्यियां उडा न सकुचाते हैं
वंदेमातरम छोड़ पाकिस्तान जिन्दाबाद का नारे लगाते हैं
जब तलक हम आस्तीन के सांप को नहीं भगाते हैं
140 करोड के हित चिंतक बन क्यों असलियत छुपाते हैं
अंदर के रावण को चिन्हित कर
जबतक न जलाते हैं
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय
सिर्फ नारा रह जाते हैं

दस्तक प्रभात
राम शंकर शास्त्री

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

नई दिल्ली, मंगलवार 2 जुलाई 2024
संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

विपक्ष ने कराया अपनी ताकत का अहसास

24 जून से प्रारंभ हुए संसद के विशेष सत्र को छह दिन बीत गए हैं और इन छह दिनों में ही तस्वीर साफ हो गई है कि इस बार लोकतंत्र में एक अकेला सब पर भारी जैसी जुमलेबाजी नहीं चलेगी। अब सदन के भीतर सत्ता पक्ष की मनमानी नहीं चलेगी। अब सत्ता पक्ष के सांसदों के शोर में विपक्ष की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकेगा। अब संसद टीवी का कैमरा कुछ खास लोगों पर ही फोकस नहीं करेगा, बल्कि विपक्ष के नेताओं को उसे दिखाना होगा। अब जितनी बार विपक्षी सांसदों के बोलते वक्त माइक बंद होगा, उतनी बार देश में इस पर बहस होगी कि आखिर संसद के भीतर माइक चालू या बंद करने की शक्ति किन हाथों में है।

दरअसल मौजूदा संसद सत्र के छठवें दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। उनके भाषणों में जिन मुद्दों को उठाया गया, उनमें जनता की तकलीफें और पीड़ा झलक रही थी। लेकिन दोनों ही सदनों में भाजपा विपक्षी नेताओं की बातों से असहज नजर आई।

सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन के भीतर नीट पर चर्चा की मांग उठाई, यह मांग वे पहले भी उठा चुके हैं। श्री गांधी का कहना है कि नीट पर चर्चा से 24 लाख छात्रों तक वे संदेश देना चाहते हैं कि इस सदन को छात्रों की पीड़ा का अहसास है। लेकिन भाजपा इस मामले में उसी तरह चर्चा से बचती हुई दिख रही है, जैसे मणिपुर के मामले में। नीट पर भाजपा ने चर्चा का मौका नहीं दिया तो राहुल गांधी ने भी भाजपा को हिंदुत्व के नाम पर फैलाई जा रही हिंसा से लेकर अग्निवीर और भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों पर इस तरह घेर लिया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह और रविशंकर प्रसाद तक सभी अपना बचाव करते दिखे। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी को एक नहीं दो-दो बार राहुल की बात पर बोलने के लिए उठना पड़ा और उसके बाद भी वो अपने बचाव में ऐसा कुछ नहीं बोल पाए, जिससे राहुल को चुप करा सकें। अपने भाषण की शुरुआत ही राहुल गांधी ने जय संविधान से की, फिर अपने ऊपर किए गए शाब्दिक हमलों, ईडी की जांच से लेकर अयोध्या में इंडिया गठबंधन की जीत और मणिपुर, नीट, जम्मू-कश्मीर सब पर भाजपा को जबरदस्त तरीके से घेरा। पिछली बार संसद में राहुल गांधी ने अडानी और मोदी की तस्वीर दिखाकर भाजपा को हिला दिया था और इस बार जब राहुल ने शिव जी तस्वीर दिखाई तो भाजपा समझ ही नहीं पाई कि अब इस दांव का जवाब कैसे दे। राहुल ने अपने भाषण में कुरान का भी जिक्र किया, गुरुनानक की अभय मुद्रा दिखाई और ईसा मसीह, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का संदेश भी साझा किया कि सारे धर्म डरो मत डराओ मत का संदेश देते हैं और कांग्रेस भी इसी अभय मुद्रा का निशान लेकर चलती है। भाजपा ने हिंदू शब्द पर राहुल को घेरने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने साफ कह दिया कि मोदी, भाजपा और आरएसएस का मतलब हिंदू नहीं है।

राहुल गांधी ने संसद के भीतर इस बात को खास तौर पर रेखांकित किया कि हिंदुत्व के नाम पर भाजपा के शासनकाल में किस तरह नफरत और हिंसा को बढ़ावा दिया गया है। नरेन्द्र मोदी और अमित शाह ने इसे समूचे हिंदू समाज के अपमान से जोड़ने की कोशिश की। अमित शाह ने आपातकाल और 84 के दंगों का जिक्र कर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की नाकाम कोशिश की, क्योंकि भाजपा के ये दांव अब भोथरे हो चुके हैं। हकीकत तो ये है कि श्री मोदी के तीसरे प्रधानमंत्रित्व काल में भीड़ की हिंसा, अल्पसंख्यकों को निशाने पर लेना और भाजपा का ऐसी घटनाओं पर बचाव करने का सिलसिला जारी ही है।

राहुल गांधी ने अपने भाषण में अयोध्या में भाजपा की हार के कारण से लेकर अग्निवीर योजना की विफलताएं और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग तक सब पर जमकर प्रहार किया और भाजपा उनके पूरे भाषण के दौरान सदन के नियमों और संविधान की दुहाई देती दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर राहुल गांधी का मखौल उड़ाने की कोशिश की कि मुझे लोकतंत्र ने यह सिखाया है कि मुझे नेता प्रतिपक्ष को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन उनके इस बचकाने मजाक से भी भाजपा को सहारा नहीं मिल सका। क्योंकि हकीकत यही है कि अब सदन में भाजपा बहुमत में नहीं है। इसलिए अब पहले की तरह मोदी-मोदी के शोर से विपक्ष को चुप नहीं कराया जा सकता। भाजपा को कदम-कदम पर जदयू और तेदेपा का साथ लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। और यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये दोनों दल कहां तक भाजपा का साथ देते हैं।

लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण की सोमवार को खूब चर्चा रही और उनके बाद जितने भी विपक्षी सांसदों ने भाषण दिए, सभी ने राहुल गांधी के फलसफे की सराहना की। इधर राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गांधी हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे पर संघ का प्रभाव, संघ को लेकर सरदार पटेल की सोच से लेकर श्री मोदी के अहंकारी नारों और भाषणों का जिक्र कर भाजपा को निरूत्तर कर दिया। श्री खड़गे ने साफ-साफ कहा कि आरएसएस एक मनुवादी संस्था है। इसकी विचारधारा देश के लिए खतरनाक है। भारत के संस्थानों पर आरएसएस का कब्जा हो रहा है। इस पर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बचाव करते दिखे। भाजपा अध्यक्ष द्वारा संघ का बचाव करना स्वाभाविक है। लेकिन यह विचारणीय है कि राज्यसभा सभापति की आसंदी से क्या खुलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बचाव कहां तक उचित है। श्री खड़गे ने राष्ट्रपति के अभिभाषण से उम्मीदें और उससे मिली निराशा के बारे में अपने विचार रखे, साथ ही यह भी बता दिया कि इस बार के चुनावों में किस तरह जनता ने संविधान को जिताया है और विपक्ष पर भरोसा दिखाया है।

कुल मिलाकर नयी सरकार को संसद के इस पहले ही सत्र में विपक्ष की ताकत का अहसास राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने करा दिया है। अब देखना होगा कि इस सत्र से लेकर अगले सत्र के दरम्यान क्या भाजपा के रवैये में कोई बदलाव आता है या नहीं।

इमरजेंसी, घोषित और अघोषित

इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि अठारहवीं लोकसभा के जिस पहले सत्र की शुरूआत, सत्ता पक्ष द्वारा पचासवीं सालगिरह के नाम पर (जबकि गणित के हिसाब से यह 49वीं सालगिरह ही थी), श्रीमती इंदिरा गांधी की 1975 की 25-26 जून की मध्यरात्रि की आंतरिक इमरजेंसी की घोषणा को जी भरकर गरियाने के साथ हुई है, उसी की चर्चा के पहले दिन की शुरूआत, बैठक शुरू होने से पहले विपक्ष द्वारा अपने खिलाफ, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के विरुद्ध संसद के दरवाजे पर विरोध प्रदर्शन किए जाने के साथ हुई। जाहिर है कि इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, अरविंद केजरीवाल के जेल में बंद रखे जाने का मुद्दा, केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष के खिलाफ ईडी, सीबीआई आदि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किए जाने के खास उदाहरण के तौर पर उठाया जा रहा था।

अरविंद केजरीवाल के मामले में केंद्रीय एजेंसियों के राजनीतिक विद्वेष की भावना से काम करने की सच्चाई तब और नंगई से सामने आ गयी, जब दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत द्वारा लंबी कानूनी मशक्कत के बाद, प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंडरिंग (पीएमएलए) जैसे अति-दमनकारी कानून के अंतर्गत, केजरीवाल के खिलाफ पहली नजर में मामला नहीं बनने के आधार पर, जमानत दे दिए जाने के बाद, मोदी सरकार की ईडी उनकी जमानत रुकवाने के लिए हाई कोर्ट में पहुंच गयी और अंतत: जमानत रुकवाने में कामयाब भी हो गयी। सभी ने देखा कि यह सब इतनी हड़बड़ी में और किसी भी तरह जमानत पर छूटने से उन्हें रोकने की नीयत से किया गया था कि राउज एवेन्य अदालत का फैसला अपलोड होने यानी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने से पहले ही, हाई कोर्ट से उसे रोकने के आदेश की प्रार्थना की जा चुकी थी और अदालत द्वारा अपने विवेक से उसे स्वीकार भी किया जा चुका था। लेकिन, यह किस्सा इतने पर ही खत्म नहीं हो गया। हाई कोर्ट के उक्त आदेश के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर किसी तरह की न्यायिक राहत का रास्ता रोकने की ही नीयत से, केंद्रीय एजेंसियां की रिले रेस में अब सीबीआई को आगे कर दिया गया, जिसने उसी प्रकरण के एक भिन्न पहलू—षडयंत्रात्मक पहलू—पर कार्रवाई के नाम पर, जेल में ही केजरीवाल को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। हैरानी की बात नहीं है कि सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद, केजरीवाल को ईडी के मामले में जमानत से संबंधित अपनी याचिका उपयुक्त नहीं रह जाने के चलते वापस लेनी पड़ी और इस तरह के केंद्रीय एजेंसियों ने, जाहिर है कि मोदी-शाह सरकार के इशारे पर, यह सुनिश्चित किया है कि प्रासंगिक निचली अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बावजूद, वह अभी और जेल में ही बंद रहें।

वास्तव में यह मामला एक केजरीवाल का ही नहीं है, हालांकि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का यह मामला इस लिहाज से दुर्लभतम है कि स्वतंत्र भारत के सात दशक से ज्यादा के इतिहास में, इससे पहले किसी भी और चीफ मिनिस्टर को, सांकेतिक अदालती दंडात्मक कार्रवाई को छोड़कर, इस तरह गिरफ्तार नहीं किया गया था। लगभग ऐसे ही मामले में एक और विपक्षी चीफ मिनिस्टर, हेमंत सोरेन लगभग पांच महीने बाद पिछले ही सप्ताह जेल से छूटे हैं। झारखंड के चीफ मिनिस्टर, हेमंत सोरेन के मामले में आरोपों की भिन्नता के अलावा इतना सा तकनीकी अंतर जरूर था कि ईडी द्वारा पीएमएलए के अंतर्गत गिरफ्तार किए जाने से पहले, उन्हें राज्यपाल को अपना इस्तीफा देने का मौका जरूर दिया गया था और इस्तीफा देते ही, राजभवन के दरवाजे से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस तरह, तकनीकी रूप से गिरफ्तारी के समय वह सीएम के पद पर नहीं थे। हैरानी की बात नहीं है कि संसद परिसर में विपक्ष के 1 जुलाई के विरोध प्रदर्शन के पीछे, केंद्रीय एजेंसियों के हाथों, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का अनुभव भी था, जिसे

राजेंद्र शर्मा

> यह मामला एक केजरीवाल का ही नहीं है, हालांकि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का यह मामला इस लिहाज से दुर्लभतम है कि स्वतंत्र भारत के सात दशक से ज्यादा के इतिहास में, इससे पहले किसी भी और चीफ मिनिस्टर को, सांकेतिक अदालती दंडात्मक कार्रवाई को छोड़कर, इस तरह गिरफ्तार नहीं किया गया था। लगभग ऐसे ही मामले में एक और विपक्षी चीफ मिनिस्टर, हेमंत सोरेन लगभग पांच महीने बाद पिछले ही सप्ताह जेल से छूटे हैं।

रांची हाई कोर्ट ने ही निराधार पाया है और जमानत मंजूर कर ली है।

बेशक, इस विरोध के पीछे सिर्फ विपक्षी मुख्यमंत्रियों का ही मामला नहीं था। इसके पीछे मोदी-शाह द्वारा देश में स्थापित उस तानाशाहीपूर्ण निजाम के आम विरोध की भी आवाज थी, जिसके संदर्भ में विपक्षी मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली ही सही, पर सिर्फ हिमशैल का सतह के ऊपर दिखाई देने वाला छोर भर है। इसमें यूएपीए जैसे दमनकारी कानूनों के तहत, भीमा-कोरेगांव केस समेत पचासों बुद्धिजीवियों तथा सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की, मौजूदा सरकार की आलोचना/ विरोध करने के लिए गिरफ्तारियां और बिना कोई मामला चलाए महीनों-सालों तक जेल में डाले रखा जाना शामिल हैं। इस सिलसिले में हाल में चर्चा में रहे दो प्रकरणों की याद दिलाना ही काफी होगा। इनमें पहला है, हाल के चुनाव के नतीजे आने के फौरन बाद, दिल्ली के लैफ्टिनेंट गवर्नर की इजाजत से, प्रख्यात लेखिका तथा विचारक, अरुन्धती राय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व-प्रोफेसर शौकत हुसैन के खिलाफ, 2010 के उनके भाषण के लिए, यूएपीए का केस थोपा जाना। यह पूरा मामला इतना बेतुका और बेढंगा है कि, संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार कार्यालय तक को, तुरंत इस मामले को वापस लिए जाने की मांग करनी पड़ी है।

दूसरा मामला, समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक के संस्थापक-संपादक, प्रबीर पुरकायस्थ की दमनकारी यूएपीए के ही तहत गिरफ्तारी का है, जिन्हें लगभग सात महीने जेल में बिताने के बाद, कुछ ही सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत देकर रिहा किया गया है। प्रबीर पुरकायस्थ को, उनके तथा उनके समाचार पोर्टल के खिलाफ अंतहीन जांच के बाद, पिछले साल के मध्य में एक अभूतपूर्व दमनकारी कार्रवाई के हिस्से के तौर पर, पोर्टल के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस कार्रवाई में समाचार पोर्टल से जुड़े पत्रकारों से लेकर, अंशकालिक रूप से उसके लिए सामग्री का योगदान देने वाले लेखकों-विद्वानों तक, पचास से ज्यादा लोगों के घरों पर पुलिस ने एक साथ छापा मारा था, उनसे पूछताछ की थी और सैकड़ों की संख्या में उनके लैपटॉप, फोन व अन्य उपकरण जब्त कर लिए थे, जो साल भर बाद भी वापस नहीं किए गए हैं। मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी की ही तरह, कम से कम किसी मीडिया संस्थान पर इस तरह के हमले की कार्रवाई, इमरजेंसी की कुख्यात सेंसरशिप के जमाने में भी नहीं हुई थी। इस सारे प्रसंग में इमरजेंसी की याद दिलाने वाला एक अतिरिक्त तत्व यह था कि प्रबीर पुरकायस्थ को, तत्कालीन शासन का विरोध करने के लिए, इमरजेंसी के दौरान भी इसी प्रकार जेल का मुंह देखना पड़ा था। तब संबंधित अति-दमनकारी प्रावधान का नाम मीसा था और इस बार यूएपीए।

इस सबके साथ एक और संयोग और जोड़ लें। जिस दिन संसद की कार्रवाई की शुरूआत, केंद्रीय एजेंसियों के सरकार के आलोचकों/ विरोधियों के खिलाफ दुरुपयोग के विरुद्ध, विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन से हुई, उसी सुबह से देश में तीन नये आपराधिक कानून लागू हो गए। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), जाब्ता फौजदारी (सीआरपीसी) और साक्ष्य कानून (एवीडेंस एक्ट) की जगह लेने के लिए बनाए गए नये तीन आपराधिक कानूनों की व्यापक रूप से हो रही आलोचनाओं में इन्हें दमनकारी और पुलिस राज्य की ओर ले जाने वाले कानून बताया जा रहा है, जो गलत नहीं लगता है। इन कानूनों में सजाओं को कड़ा करने तथा उनका दायरा बढ़ाने के अलावा जिनमें पुलिस हिरासत की अवधि पंद्रह दिन से बढ़ाकर तीन महीना करना तक शामिल हैं, नये अपराध जोड़कर अपराधों का दायरा भी बढ़ाया गया है। मिसाल के तौर पर राजद्रोह की धारा इस नाम से तो खत्म कर दी गयी है, लेकिन वास्तव में कथित राजद्रोह का दायरा बढ़ाकर, शासन के तमाम विरोध को इसके दायरे में समेटने का इंतजाम किया गया है। यह संयोग ही नहीं है कि इन कानूनों को संसद के शीतकालीन सत्र में, दोनों सदनों में करीब डेढ़ सौ विपक्षी सांसदों को यानी अधिकांश विपक्ष को निलंबित करने के बाद, बिना किसी समुचित बहस के ही पारित कराया गया था और संसदीय समिति में विपक्ष द्वारा दर्ज कराई गयी आपत्तियों को पूरी तरह से अनदेखा ही कर दिया गया था। बेशक, इन कानूनों के प्रस्तावक गृहमंत्री अमित शाह इनके भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए तथा भारतीय संसद द्वारा निर्मित और औपनिवेशिक आपराधिक न्याय कानूनों का अंत करने वाले कानून होने का दावा करते हैं, लेकिन इन कानूनों में हिंदी के नाम के सिवा शायद ही कुछ है, जिसे सचमुच भारतीय कहा जा सकता हो। जैसा कि पूर्व-गृहमंत्री पी चिदंबरम ने कहा है, इन कानूनों में 90 से 95 फीसद तक तो, पिछले कानूनों से कापी-पेस्ट ही किया गया है, बस धाराओं के नंबर बदल दिए गए हैं। अमित शाह का यह कहना तो सही है कि औपनिवेशिक दौर के कानून सजा पर केंद्रित थे, लेकिन उनके लाए कानूनों के न्याय को प्राथमिकता देने के उनके दावे से ठीक उलट, इन नये कानूनों का सारा जोर सजाओं को और भी कड़ा करने पर ही है। यह कुल मिलाकर ऊंची दुकान और कड़ुए पकवान का ही मामला है।

मोदी राज की इस हकीकत के सामने, मोदी से लेकर लोकसभा के स्पीकर से होते हुए, राष्ट्रपति के अभिभाषण तक इमरजेंसी, 49वीं सालगिरह पर इमरजेंसी का याद किया जाना, पाखंड से भी ज्यादा, मौजूदा तानाशाही को ढांपने की तिकड़म ही लगता है। इमरजेंसी को सचमुच याद करने का मतलब है, इस बढ़ती चौतरफा तानाशाही का विरोध करना। बेशक, 1975-77 की इमरजेंसी के विपरीत, आज की यह इमरजेंसी अघोषित है। लेकिन, है इमरजेंसी ही। बल्कि कई मायनों में यह घोषित इमरजेंसी से भी बदतर है। जनतांत्रिकता के पाखंड के अलावा भी बहुत कुछ है जो इस अघोषित इमरजेंसी को उस घोषित इमरजेंसी से बदतर तानाशाही बनाता है। जैसे मुसलमानों की मॉब लिंचिंग। जैसे शासन के संरक्षण में सांप्रदायिक गोलबंदी और उसके हिस्से के तौर पर जम्मू-कश्मीर में जनतंत्र का गला घोंटा जाना। जैसे मीडिया की मुख्यधारा का पूर्ण गोदीकरण।

(लेखक साप्ताहिक पत्रिका लोक लहर के संपादक हैं।)

कड़वी यादों की खो रही सीख

■ राजीव कुमार शुक्ल

भारत में जून महीने का अंतिम सप्ताह हमारे आधुनिक इतिहास के जिन पृष्ठों को फिर देखने और उलटने-पलटने का एक बेचैन अवसर बन कर आता है, उनमें से एक ख़ास है 25 और 26 जून, 1975 की दरमियानी रात में आंतरिक आपातकाल लागू किया जाना और फिर लगभग 21 महीनों यानी पौने दो साल का उसका आज़ाद हिंदुस्तान में अभूतपूर्व कालखण्ड। वह दौर 'इमरजेंसी' के नाम से कुख्यात हुआ और इस शब्द की 'लोकप्रियता' के अनेक प्रमाणों में से एक यह है कि आजकल बेहद साफ़ तौर पर कलात्मकता या यथार्थ प्रतिबिंबित करने की तड़प से इतर खुलेआम एकांगी और मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान के प्रति पक्षधर फ़िल्में राजनैतिक उद्देश्यों से बनाए जाने का जो सिलसिला चल रहा है, उसकी एक महत्वपूर्ण अगली कड़ी जो फ़िल्म है उसका नाम ही 'इमरजेंसी' है।

जब वह आपातकाल देश पर थोपा गया था, तब मैं बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीएससी (अंतिम वर्ष) की परीक्षा (सत्र विलम्बित था) दे चुका था या देने को था और ग्रीष्मावकाश में अपने ननिहाल दिल्ली आया था। देश में तब चल रहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सम्पूर्ण क्रांति आन्दोलन (जिससे हम भी उद्वेलित थे) से उपजी बेचैनी आसपास लगातार महसूस हो रही थी। 12 जून को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा का वह प्रसिद्ध निर्णय आया, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लोकसभा निर्वाचन को अवैध घोषित किया गया था। दिल्ली और देश का माहौल और उत्तप्त हो उठा था। बहरहाल, कुछ दिनों बाद मैं अपनी बड़ी मौसीजी के पास हाथरस गया, जहां अच्छा-ख़ासा बुख़ार चढ़ आया, तो कई दिन वहीं रहना पड़ा। बीमारी में दीन-दुनिया की ख़बर भी कुछ कम रही। वहां से मैं अपनी उस यात्रा के अगले चरण फ़र्रूख़ाबाद जिले के गांव कम्पिल के लिये रवाना हुआ।

> निश्चय ही स्वात्रंर्योत्तर भारत के लोकतान्त्रिक इतिहास के एक ग़लत और अंधेरे दौर के रूप में हमें 'इमरजेंसी' को याद रखना चाहिए, ताकि सदैव ध्यान रहे कि निरंकुश सत्ता प्रवृत्तियों को पहचानने और उनका मुक़ाबला करने में कभी चूक न हो, क्योंकि ऐसी चूक हमारे गणतंत्र का सत्व गंभीर और भीषण संकट में ला सकती है। निरंकुशता पर किसी दल या विचारधारा विशेष का एकाधिकार नहीं होता।

मैं 25 जून की रात हाथरस से किसी ऐसी ट्रेन से सफ़र पर चला, जिससे कासगंज तक जा कर गाड़ी बदलनी होती थी। भीड़ ऐसी थी कि हाथरस से कासगंज तक कहीं ढंग से टिकने की जगह भी नहीं मिली। खड़े-खड़े हाल पस्त हो गया। 26 जून, 1975 की सुबह गाड़ी कासगंज पहुंची। अगली गाड़ी आने में घण्टा-डेढ़ घण्टा बाक़ी था। बुख़ार के बाद की कमज़ोरी, रात्रि जागरण और घण्टों खड़े रह कर शरीर और मन चूर हो रहे थे। मैं प्लेटफ़ॉर्म पर एक बेंच पर आंखें मूंद कर बैठ गया था। तभी अख़बारों के हॉकर वहां आ पहुंचे और देश में आपातकाल लागू हो चुकने का उद्घोष करने लगे। तीर खाए जीव की तरह आत्मचेतना जैसे तड़पने लगी। झपट कर एक अख़बार ख़रीदा और पढ़ गया। याद है कि उत्तेजनावश अख़बार पकड़े हाथ थरथरा रहे थे और उसका कागज़ बड़ा अजीब और अजनबी लग रहा था। कासगंज के रेलवे स्टेशन की वह भोर जैसे जल उठी। थकान से लस्त था, पर आंखों और मन की कड़वाहट और एक अजीब सी सनसनी में नींद बहुत दूर जा छुपी। बहुत सारी दूसरी चीज़ों की तरह सुबह की पहली चाय भी बिल्कुल कसैली हो गई थी।

आपातकाल के दौरान क्या कुछ सोचा-देखा-महसूस किया और प्रतिरोध में एक विद्यार्थी के रूप में ही अपनी छोटी सी भूमिका निभाने में क्या किया, फिर कैसे 'दूसरी आज़ादी' आई, उसका क्या हश्र हुआ, मैं विचार और सम्वेदना के कितने सोपानों से गुज़रा, वह सब विस्तार से बयान करने की गुंजाइश अभी नहीं है। लेकिन यह दर्ज़ कर देने में कोई हर्ज नहीं कि एक सहज बुद्धि और विवेक संपन्न और लिखने-पढ़ने का रुझान रखने वाले किशोर के रूप में मन में जो विरोध और विद्रोह का भाव था, उसे एक अधिक सुविचारित दिशा तब मिली, जब मैं 1976 से बीचयू में ही पत्रकारिता का विद्यार्थी बन गया। अब यह बोध था कि जीवन की जो राह चुनी है, उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक अनिवार्य मूल्य है, जो तब गहरे संकट में था। अमूमन भारत के तत्कालीन मीडिया जगत ने (तब ग़ैर-सरकारी संचार माध्यम के रूप में सर्वसुलभ सिर्फ़ अख़बार हुआ करते थे, हालांकि तेज़-तर्रार लोग बीबीसी, वॉयस ऑफ़ अमेरिका आदि कुछ विदेशी रेडियो स्टेशनों से भी जुड़ाव रखते थे) विशेष गौरवशाली प्रतिरोध की गाथाएं तब ज़्यादा नहीं रचीं। लालकृष्ण आडवाणी ने बाद में पत्रकारिता जगत के लोगों के लिए वह प्रसिद्ध वाक्य कहा था कि उन्हें जब झुकने के लिए कहा गया, तो वे रेंगने लगे। लेकिन ऐसा नहीं कि साहस के कोई स्फुलिंग समय-समय पर कौंधते नहीं थे। बड़े प्रतिष्ठानों में 'इंडियन एक्सप्रेस' का आलोचनात्मक स्वर सबसे प्रखर और मुखर बना रहा। उसमें कुलदीप नैयर का विशेष तौर पर पहचाना और सम्मानित नाम बना। निखिल चक्रवर्ती संपादित पत्रिका 'मेनस्ट्रीम' और राजमोहन गांधी के सम्पादन में 'हिम्मत' ने भी अपनी अपेक्षाकृत सीमित पहुंच के बावजूद पत्रकारिता के संकल्प वाक्यों में एक 'स्पीक ट्रुथ टु पॉवर' को चरितार्थ किया।

इस संदर्भ में एक प्रसंग याद आता है। बतौर पत्रकारिता विद्यार्थी जब हम 'स्टडी-टूर' पर दिल्ली आए, तो कई प्रतिष्ठानों में ले जाए गए। उनमें आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र और राष्ट्रीय आकाशवाणी मुख्यालय भी गंतव्य थे। आपातकाल के उन कड़वे दिनों से विक्षुब्ध हम तीन-चार साथियों ने तय किया कि हम इस 'सरकारी भोंपू' में जाकर क्या करेंगे, हम उसके बदले निडर समाचारपत्र 'इण्डियन एक्सप्रेस' के कार्यालय जाकर निर्भीक पत्रकारिता के नायक आदरणीय कुलदीप नैयर जी से मिलेंगे। सो कुछ बहाना बना कर हम आकाशवाणी जाने से बच गए और 'इण्डियन एक्सप्रेस' चले गए। नैयर साहब ने 'बी ब्रेव' लिखकर ऑटोग्राफ़ दिया, जो निधि बन गया।

इस विराट महादेश में उस कठिन दौर में हिम्मती और सच्ची पत्रकारिता के और भी उदाहरण निश्चय ही रचे गए होंगे, पर अपनी जानकारी और स्मृति की सीमाओं के कारण मैं यहां उनका उल्लेख नहीं कर पा रहा।

तो निश्चय ही स्वात्रंर्योत्तर भारत के लोकतान्त्रिक इतिहास के एक ग़लत और अंधेरे दौर के रूप में हमें 'इमरजेंसी' को याद रखना चाहिए, ताकि सदैव ध्यान रहे कि निरंकुश सत्ता प्रवृत्तियों को पहचानने और उनका मुक़ाबला करने में कभी चूक न हो, क्योंकि ऐसी चूक हमारे गणतंत्र का सत्व गंभीर और भीषण संकट में ला सकती है। निरंकुशता पर किसी दल या विचारधारा विशेष का एकाधिकार नहीं होता। 'पॉवर करप्ट्स, अब्सोल्यूट पॉवर करप्ट्स अब्सोल्यूटली' सूक्ति के फलीभूत होने की आशंका हमेशा बनी रहती है, यदि संपूर्ण नागरिक समाज चेतन और निर्भय न हो। विशेष उत्तरदायित्व सिविल सोसाइटी का होता है और उनमें भी जिनकी सबसे कांटे की भूमिका होती है, उन समूहों में मीडियाकर्मी अनिवार्यत: प्रमुखता से शामिल हैं।

निश्चय ही इस परिप्रेक्ष्य में भी हमें आपातकाल को याद करना और रखना चाहिए। यह भी ध्यान में बना रहना ही चाहिए कि तब दमन प्रत्यक्ष था और साफ़ नज़र और पहचान में आता था। तब सामने स्थूल 'सेंसरशिप' थी और उससे कुछ लोगों और संस्थाओं ने लड़ाई लड़ी। अब टेक्नॉलॉजी और दूसरे विभिन्न बदलावों की उछालों की वजह से और नव-साम्राज्यवादी वैश्विक दैत्याकार कॉर्पोरेट शक्तियों के देशों के भीतर की पुरोगामी कट्टरपंथी ताक़तों के साथ गठजोड़ से निगरानी और नियंत्रण के तौर-तरीके कहीं ज़्यादा सूक्ष्म, शातिर, सर्वव्यापी और प्रभावी हो गए हैं। इसके अलावा तब अत्याचार अधिकतर 'स्टेट' की प्रत्यक्ष एजेंसियों जैसे पुलिस आदि के ज़रिए अंजाम दिए जाते थे। अब एक उन्मत्त भीड़ या वर्चस्वशाली लोग भी ऐसी भूमिका निभा सकते हैं, निभाते हैं। तो जूझने की समझ, हिम्मत और प्रविधि भी अब बेहतर चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हम अपने-अपने सीमित और चतुर स्वार्थों और उद्देश्यों से आपातकाल को याद करने और धिक्कारने में तो लगे रह जाते हैं, लेकिन 'इमरजेंसी' के वास्तविक कड़वे सबक़ भूलते जा रहे हैं?

पावन प्रसंग

प्रतिभा का दुरुपयोग न हो

सुल्तान महमूद के दरबार में कवियों और कलाकारों के लिए अच्छा शरण स्थल बना हुआ था। उन दिनों प्राय: प्रत्येक राजा-महाराजा अपने दरबार में कवि रखा करते थे, जो शौर्य, पराक्रम और उदारता की मनगढ़ंत कहानियां गढ़कर गीत बनाकर राजा- महाराजा की महिमा गाया करते थे। राजा-महाराजा बदले में बहुत सारा धन उन्हें पुरस्कार स्वरूप प्रदान करते। एक प्रकार से यह व्यवसाय ही बन गया था। सुल्तान महमूद के प्रसिद्ध राज दरबार में भी एक शायर थे, जिनका नाम था, सनाई। सनाई उच्चकोटि के शेर और गजलें लिखते, परंतु वे होतीं सब सुल्तान की प्रशंसा में। प्राय: वे सुल्तान की प्रशंसा में नए-नए शेर गाते, गजलें लिखते और राज दरबार में गाकर सुनाते। इसके बदले में उन्हें पुरस्कार भी खूब मिलता और सम्मान भी। प्रतिष्ठा और पुरस्कार ने उन्हें गर्वोन्नत भी कर दिया था।

एक बार की घटना है। उन्होंने सुल्तान की प्रशंसा में कुछ शेर लिखे। उन्हें सुनाने के लिए वे राज दरबार की ओर चले। मार्ग में एक मदिरालय था, उसमें कोई शराबी मद्यपान कर रहा था। प्राय: ही लोग वहां शराब पीते, उनका ध्यान कदाचित ही उस ओर जाता। उस दिन उनके पैर अनायास ही ठिठक गए। कारण था अंदर से कुछ आवाज आ रही थी। कोई पियक्कड़ साथी से कह रहा था-' सुल्तान महमूद के अंधेपन की गमजोई में ला एक पैगाम दे।'

'बेवकूफ'-साकी कह रहा था, ' कोई सुन लेगा तो तेरा सर सीधा कलम हो जाएगा। क्यों अपनी मौत को आवाज दे रहा है।'

'दावत नहीं सच बात कह रहा हूं। इसमें बेजा क्या है ? सुल्तान अंधा नहीं तो क्या है ?'

'अंधेपन की क्या निशानी देखी तूने सुल्तान में ?'

'बहुत कुछ देखा है'। पीने वाले ने कहा।

'सुल्तान के पास सुख से रहने के लिए किसी बात की कमी नहीं। उनके पास धन है, दौलत है, फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जो चीजें उनके पास हैं, उन्हें और बटोरने के लिए वह पड़ोसी राज्यों पर हमले करते हैं। वहां लूटमार मचाते हैं। हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार देते हैं। यह अंधापन नहीं तो क्या है ?'

सनाई वहीं खड़े रहे, कुछ सोच विचार करने लगे। अंदर से फिर वही आवाज आई-'ला एक और जाम दे। सनाई की बेवकूफी पर। अब तो साकी को चिढ़ सी आ गई। सनाई के कान भी ख़ड़े हो गए, ध्यान से सुनने के लिए। साकी कह रहा था- तुमने यह क्या बकवास लगा रखी है ? सनाई जैसे उम्दा शायर के लिए तुम्हें यह बोलते शर्म नहीं आती।

मानता हूं दोस्त, सनाई बहुत उम्दा शायर हैं, पीने वाला कह रहा था- 'परंतु उन सा बेवकूफ भी दुनिया में खोजे नहीं मिलेगा। वह कागज को रंगता भर है, जबकि मालिक ने उसे बहुत बड़ा हुनर दिया। वह नहीं जानता कि खुदा ने उसे क्यों पैदा किया ? और वह उसकी दी हुई काबिलियत को अंधे सुल्तान की तारीफ करने में ही खर्च कर रहा है।'

शराबी की इन बातों को सुनकर जिसे साकी निरी बकवास ही समझ रहा था, सनाई की आंखें खुल गईं। उनके हृदय में जैसे तीर से चुभने लगे हों और वे उलटे पांव लौट आए, वापस अपने घर। सुल्तान की प्रशंसा में उन्होंने जो नए शेर तैयार किए थे, उनको रास्ते में ही फाड़कर फेंक दिए।

बहुत देर तक ही नहीं दो-चार दिनों तक जब सनाई दरबार में नहीं आए तो सुल्तान ने खबर भिजवाई। संदेश वाहकों ने वापस आकर जो कुछ कहा, उसने सभी को सकते में डाल दिया कि सनाई घर पर हैं। बाद में पता चला कि सनाई अमुक स्थान पर फकीर के रूप में रूहानी गीत गाते देखे गए।

युग निर्माण योजना

आपके पत्र

भाग्य से नहीं मेहनत और संकल्प से जीवन में सफलता

इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो सफलता को कुछ निश्चित गुणों पर आधारित मानते हैं। असफल व्यक्ति ही भाग्य पर ज्यादा भरोसा करते हैं, असफल होने पर अपने भाग्य को कोसते हैं। जहां सफलता की संभावना एकदम कम और सफलता मिल जाए तो भाग्य को श्रेय दिया जाता है। वास्तव में जो सफलता के चरम पर होता है, वह खुद ही जानता है कि भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती है। सफल व्यक्ति से जुड़े हुए लोग उसके साहस और श्रम को श्रेय देने के बजाय व्यक्ति के भाग्य पर जोर देने लगते है।

भाग्य साहस और मेहनत की परिणति है। जिसके भीतर साहस और श्रम करने की प्रवृत्ति होती है, वही व्यक्ति सफल होता है। भाग्य उसका सदैव साथ देता है। साहसी व्यक्ति मेहनत से नहीं डरता, चुनौतियां स्वीकार करता है,और निडर होकर हर चुनौती का डटकर मुकाबला करता है। साहसी व्यक्ति कांटों से भरे पथ पर चलने के लिए तत्पर रहता है, डर नामक चीज़ से वह परिचित नहीं होता है और अपनी मेहनत और साहस के बल पर बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करता है। मशहूर मुक्केबाज मोहम्मद अली उर्फ कैशियस क्ले ने एक महत्वपूर्ण मुक्केबाजी की स्पर्धा जीतकर कहा था,- जो व्यक्ति जीवन में ज्यादा खतरे नहीं उठाता वह एक साधारण जिंदगी जीने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मोहम्मद अली के इस कथन में कई सफलता के तत्व छुपे हुए हैं, यदि आपने अपनी जिंदगी में साहस नहीं दिखाया तो निश्चित तौर पर आप कुछ भी उल्लेखनीय नहीं कर सकते, साहस एक ऐसा मानवीय गुण है जो व्यक्ति की सफलता को दोगुना कर देता है। साहस और श्रम ही जीवन का पर्याय है, और ऐसे व्यक्ति भीड़ में अलग दिखाई देते हैं। उन्हें ही समाज सफल व्यक्ति एवं भाग्यवान होने की श्रेणी में रखता है। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए वह अपने साहस और श्रम पर विश्वास रख आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहता है। नेपोलियन बोनापार्ट के अनुसार भाग्य केवल सक्रिय मस्तिष्क का साथ देता है, इसीलिए मनुष्य को अपना मस्तिक सदैव क्रियाशील रखना चाहिए, वास्तव में हम जैसे विचार रखते हैं, हम जैसा सोचते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं, जिसने विचारों की ऊर्जा को पहचाना, उसका जीवन सकारात्मक तथा सफलता के कदम चूमता है। अपने लक्ष्य के बारे में सदैव विचार करते रहें एवं उपलब्ध संसाधनों का रोना रोने के बजाय यह सोचना आवश्यक होगा कि हम अपना सर्वोत्तम कैसे दे सकते हैं। ऐसे विचारों और साहस के बहुत बड़े उदाहरण मीराबाई, बजरंग पूनिया और गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा हैं, जो देश के लिए बहुत बड़े उदाहरण हैं।

प्राचीन यूनानी कवि वर्जिन में युवाओं को संबोधित करते लिखा था कि च्भाग्य सदैव साहसी लोगों का साथ देता हैज्,ऐसे लोगों का साथ न दीजिए, उनसे मित्रता न कीजिए जो हमेशा अपनी उपलब्ध सुविधा के नाम पर रोना रहता रोते हैं, और अपनी परिस्थितियों से लगातार शिकायत करते हैं, ऐसे लोग सदैव खोजते रहते हैं कि मैं किसी बड़े धनवान व्यक्ति के घर में क्यों पैदा नहीं हुआ।

संजीव ठाकुर

https://t.me/AllNewsPaperPaid

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

संपादकीय

“मूर्खों से अपनी तारीफ सुनने से अच्छा है कि आप किसी बुद्धिमान की डांट सुनें।

- आचार्य चाणक्य

औपनिवेशिक अपराध कानूनों की जगह वर्तमान समय की जरूरतों के अनुरूप तीन नए कानूनों का लागू होना वाकई एक ऐतिहासिक शुरुआत है। 'दंड' के बजाय 'न्याय' पर आधारित ये कानून समयबद्ध न्याय तो सुनिश्चित करेंगे ही, समाज में व्यापक बदलाव लाने वाले भी साबित हो सकते हैं।

ऐतिहासिक शुरुआत

आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस ऐक्ट की जगह तीन नए कानूनों-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का लागू होना सही मायनों में एक ऐतिहासिक शुरुआत है। इसके साथ ही औपनिवेशिक अपराध कानूनों के युग की समाप्ति हो गई, जो एक सदी से भी ज्यादा समय से राज्य और नागरिकों के बीच के संबंधों को पारिभाषित करते आ रहे थे, और जिनके साथ कानून के शासन और इससे जुड़े दमनकारी तंत्र को स्थापित करने की अनिवार्यता भी जुड़ी थी। नए कानून अपने साथ ऐसे कई समय-सापेक्ष बदलाव लेकर आए हैं, जो स्वागतयोग्य हैं। उदाहरण के लिए, नस्ल, जाति और समुदाय को आधार बनाकर की गई हत्या या नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसे अपराधों के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में बीस साल या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, जो जायज भी है। लेकिन निर्भया कांड के बाद यौन अपराधों पर सख्ती के प्रावधानों के बावजूद यह पाया गया कि बालिकाओं और स्त्रियों के खिलाफ अपराधों में कोई कमी नहीं आई है। ऐसे में, देखने वाली बात होगी कि कठोर सजा का प्रावधान यौन अपराधों को कम करने की गारंटी बन पाता है या नहीं। ऐसे ही, राजद्रोह कानून की जगह देशद्रोह कानून ने ली है, जिसके अनुसार सरकार की आलोचना बेशक हो सकती है, लेकिन देश की नहीं। संगठित अपराध की पहली बार व्याख्या भी स्वागतयोग्य है, जिसमें मौत होने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा व दस लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की पहल अपराधियों को गलतियों से सीखने का मौका देगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत न्याय के लिए समय-सीमा निर्धारित करने संबंधी प्रावधान स्वागतयोग्य हैं, जिनसे त्वरित न्याय प्रदान करना मुमकिन हो सकेगा। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूतों के

दायरे को बढ़ाने के प्रावधान भी प्रशंसनीय हैं। नए कानूनों पर पक्ष-विपक्ष तो अपनी जगह है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि जेलों में विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या, न्याय के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे पीड़ितों और मुकदमों से भरी अदालतों के कारण आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। हालांकि, नए कानूनों को लोगों की बदलती जरूरतों के अनुरूप अनुकूलित होते रहना पड़ेगा। 'दंड' के बजाय 'न्याय' पर आधारित ये कानून समयबद्ध न्याय तो सुनिश्चित करेंगे ही, समाज में व्यापक बदलाव लाने वाले भी साबित हो सकते हैं।

बंजर होती जमीन

चरम मौसमी घटनाएं हमें समझा रही हैं कि अब हम अपने चरम पर पहुंच गए हैं। दुनिया की 24 फीसदी भूमि रेगिस्तान बनने को है, तो वहीं भारत की 25 फीसदी भूमि बंजर होने वाली है। आखिर इसके जिम्मेदार तो हम ही हैं।

अनिल प्रकाश जोशी
पर्यावरणविद

पर्यावरण को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में जिस विषय पर चर्चा का आह्वान किया है, वह बंजर पड़ती जमीन और बढ़ता मरुस्थल है। पर्यावरण के मौजूदा हालात से कम से कम यह तो समझा ही जा सकता है कि अब सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर जा रहा है। इस बार के ग्रीष्म काल को ही देख लीजिए, जिसने फरवरी से ही गर्मी का एहसास दिला दिया था और जून पहुंचते-पहुंचते अपना प्रचंड रूप दिखा दिया। पूरी दुनिया में औसतन तापक्रम बढ़ा है और अब प्रचंड गर्मी के दिन धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इस बात को राहत न मानें कि आने वाले समय में ये स्थिर हो जाएंगे। आज दुनिया में 80 प्रतिशत लोग इस गर्मी को झेल रहे हैं और ऐसे गर्म दिनों की संख्या पहले प्रतिवर्ष 27 के आसपास होती थी, लेकिन अब वर्ष में 32 दिन ऐसे होते हैं, जब गर्मी खतरे की सीमा तक पहुंच जाती है। अभी बिहार, जैसलमेर, दिल्ली में भयंकर हीटवेव की खबर आई थी, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में भी हीटवेव ने लोगों की हालत बदतर कर दी है।

इस बढ़ती गर्मी का सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही है कि हमने पृथ्वी और प्रकृति के बढ़ते असंतुलन की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। दुनिया भर में एक-एक करके प्रकृति के सभी संसाधन या तो बिखर गए या फिर घटते चले गए। और इसका जिम्मेदार अगर कोई है, तो स्वयं मनुष्य ही है। हमने अपनी जीवन-शैली को कुछ इस तरह बना लिया है कि अब हम उन आवश्यकताओं से बहुत ऊपर उठ गए हैं, जो जीवन का आधार थीं। अब हमने विलासिताओं को भी आवश्यकताओं में बदल दिया है, जिनके कारण पृथ्वी के हालात गंभीर होते चले गए। मसलन आज हमारी जीवन-शैली में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। बढ़ता शहरीकरण और ऊर्जा की अत्यधिक खपत के कारण ग्लेशियर पिघलने लगे हैं, तो नदियां सूखने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। जमीन हो या आसमान पृथ्वी का कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं बचा है।

दुनिया में बढ़ते मरुस्थल की चिंता पर हम कितने गंभीर हैं, इसका पता इन आंकड़ों से चलता है। दुनिया में करीब 24 प्रतिशत भूमि अब मरुस्थलीय लक्षण दिखा रही है। मरुस्थलीय भूमि उसे कहते हैं, जहां कुछ भी पैदा होना संभव नहीं रहता और पूरी धरती लवणीय हो जाती है तथा पानी की बहुत बड़ी कमी हो जाती है। बोलीविया, चिली, पेरू जैसे देशों में 27 से 43 प्रतिशत भूमि मरुस्थलीय हो चुकी है और अर्जेंटीना, मेक्सिको, प्राग की तो 50 प्रतिशत से ज्यादा भूमि बंजर पड़ चुकी है। दुनिया भर में बढ़ते ग्रासलैंड व सवाना जैसे मरुस्थल इसी ओर संकेत करते हैं कि ये भूमि उपयोगी नहीं रहीं।

अपने देश में माना जाता है कि 35 फीसदी भूमि पहले ही डिग्रेड हो चुकी है और इसमें से भी 25 फीसदी बंजर बनने वाली है। ज्यादातर ऐसी भूमि उन राज्यों में है, जो संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, झारखंड, गुजरात, गोवा, दिल्ली और राजस्थान भी इनमें शामिल हैं। इन क्षेत्रों में 50 फीसदी से ज्यादा भूमि बंजर होने वाली है। थोड़ी राहत की बात है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, मिजोरम जैसे राज्यों में अभी मात्र 10 प्रतिशत भूमि में ही बंजरपन दिखाई दे रहा है।

जहां पहले वन होते थे, तालाब थे, या जहां प्रकृति के अन्य संसाधनों के भंडार होते थे, उन सबको अन्य उपयोगों में ले लिया गया है। एक अनुमान के मुताबिक, दुनिया भर की 50 प्रतिशत भूमि को अन्य उपयोगों में लगा दिया गया है। इनमें 34 फीसदी देश अत्यधिक बदलाव की श्रेणी में हैं, जबकि 48 फीसदी देशों में मध्यम बदलाव हुआ है, और 18 फीसदी देश ही ऐसे हैं, जहां भूमि उपयोग में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। दक्षिण एशिया में तो 94 प्रतिशत भूमि का उपयोग बदल चुका और यूरोप 90 फीसदी तथा अफ्रीका में यह आंकड़ा 89 प्रतिशत है।

भूमि उपयोग बदलने के कारण प्रकृति तेजी से हमारा साथ छोड़ रही है। जबसे औद्योगिक क्रांति आई, तबसे हमने 68 फीसदी वन खो दिए। आज दुनिया में मात्र 31 फीसदी वन बचे हैं। इस तरह एक व्यक्ति के हिस्से में करीब 0.68 वृक्ष ही आएंगे। अपने देश में दावा किया जाता है कि हमारे पास 23 प्रतिशत भूमि वनों से आच्छादित है। अगर इसे सही मान भी लें, तो हमारे यहां प्रति व्यक्ति के हिस्से में 0.08 भूमि है। दूसरी चिंता की बात यह ही कि देश का ऐसा कोई भी कोना नहीं है, जहां खनन ने अपना पैर न फैला दिया हो। सरकारों के लिए यह राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत भी होता है। इसलिए खनन हर राज्य की आय का बड़ा साधन बन चुका है।

फिर दुनिया में खेती के पैटर्न में बहुत ज्यादा बदलाव आया। अब खेती व्यावसायिक हो चली है, जिसमें आक्रामक ढंग से रसायनों का अधिकाधिक उपयोग होता है। पहले पेट भरने के लिए खेती होती थी, पर अब पैसों के लिए खेती की जाती है। नतीजतन खेती वाली भूमि भी बंजर हो गई। पानी के अभाव के कारण भी कई स्थानों पर खेती को त्याग दिया गया है।

इसके अलावा, बंजर हालात के लिए क्लाइमेटिक वेरिएशन भी कारण बना है। हर देश में स्थान विशेष की परिस्थिति में ह्रास आया है। आज भी लकड़ी और चारे के लिए जंगलों पर निर्भरता बनी हुई है। दूसरी तरफ गर्मी में एसी और जाड़ों में हीटर का बदस्तूर उपयोग जारी है। हम सुबह से शाम तक ऊर्जा की खपत में लगे रहते हैं, पर उसकी आपूर्ति के रास्ते भी सीमित हो गए।

चिंताजनक बात यह है कि अब हमारे पास भी ऐसा विकल्प नहीं बचा है, जो बंजर पड़ती भूमि को फिर से हरा-भरा कर सके। एक ही रास्ता है कि अगर हम देश में वन लगाने को जन आंदोलन का रूप दे दें, तो शायद कुछ नियंत्रण हो पाए।। लेकिन इस क्रम में वनों की प्रजाति पर भी उतना ही गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि स्थानीय वन ही वहां की प्रकृति को जोड़ते हैं और साथ देते हैं। कभी-कभी वनीकरण के दौरान हम ऐसी प्रजातियों पर बल देते हैं, जिनका कोई प्राकृतिक योगदान नहीं होता और ये कमर्शियल फॉरेस्ट्री बन जाती है।

आज दुनिया भर में बढ़ती गर्मी और समुद्र से उठे तूफान हमें समझा रहे हैं कि अब हम अपने चरम पर पहुंच गए हैं, जहां से बंजर होती यह दुनिया फिर शायद हमारे लिए जीने लायक नहीं बचेगी।

जीवन धारा

रिचर्ड बाख

ज्यादातर समुद्री चीलें उड़ान के बारे में थोड़ा ही जानती हैं। वे मछलियों का शिकार कर या मछुआरों द्वारा फेंकी गईं रोटियों के टुकड़े से अपना पेट भरती हैं, पर जोनाथन इससे आगे जाना चाहता है। उसे अधिक ऊंचाई पर उड़ना है।

स्वर्ग का मतलब है परिपूर्ण होना

इन्सान के पास खुद की और सच की ताकत हो, तो कोई भी चीज उसके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। अपनी क्षमताओं का आकलन करें, क्योंकि वे आपकी ही हैं। यह याद करें कि आप आए कहां से हैं और जाना कहां है। यह देखें कि आपसे क्या गड़बड़ी हो गई और कहां पर फंसे हैं। हो सकता है, बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए शुरुआत में कुछ परेशानियां आएं। आपके अपने ही रुकावटें पैदा करें, लेकिन रुकना नहीं है। समुद्री पक्षी की कहानी 'जोनाथन लिविंगस्टन सीगल' से कुछ सीख ले सकते हैं। जोनाथन (समुद्री चील) ने किस तरह अपने लक्ष्य को समझ लिया। सुबह के समय समुद्र की थिरकती लहरों के बीच जोनाथन ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने का अभ्यास करता है। हालांकि एक छोटी-सी गलती के कारण उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह समुद्र में गिर जाता है।

दरअसल, ज्यादातर समुद्री चीलें उड़ान के बारे में थोड़ा ही जानती हैं। वे किनारे से खाने की जगह तक जाती हैं और मछलियों का शिकार कर या मछुआरों द्वारा फेंकी गईं रोटियों के टुकड़े से अपना पेट भरती हैं, लेकिन जोनाथन इससे आगे जाना चाहता है। उसे अधिक ऊंचाई पर उड़ना है। जोनाथन के ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने के अभ्यास से उसके माता-पिता भी नाखुश थे। उन्होंने समझाया कि क्यों तुम व्यर्थ में समय खर्च करते हो? तुम भी दूसरी चीलों की तरह क्यों नहीं रहते? उसकी मां समझाती है कि 'उड़ने का काम तुम दूसरों पर छोड़ दो। तुम्हारे पिता कहते हैं कि हमारा काम मछलियां पकड़ना सीखना है, ताकि पेट भर सकें और ज्यादा समय तक जिंदा रह सकें।' जोनाथन ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसे यह काम पसंद नहीं आया। नतीजतन उसे अपने समाज से भी उपेक्षा झेलनी पड़ी। समाज की पंचायत ने उससे कहा कि तुम गैरजिम्मेदारी का काम कर रहे हो। परिवार और समाज के विरोध के बावजूद जोनाथन ने उड़ना जारी रखी। इस बीच में कई कठिनाइयां भी आईं, वह कई बार गिरा, फिर उठा। उसने सोचा कि बाज कैसे ज्यादा ऊपर तक उड़ता है, मैं क्यों नहीं उड़ सकता? उसने ध्यान से देखा कि बाज के पंख छोटे होते हैं। यहीं से जोनाथन को तरकीब मिल गई। वह जब ऊंचाई पर पहुंचता, तो अपने पंखों को उतना ही खोलता, जिससे उसे उड़ने में सहायता हो। देखते ही देखते, वह हजारों मील तक काफी तेज रफ्तार में उड़ने लगा। एक दिन वह स्वर्ग में पहुंचा, वहां बूढ़ी मुखिया चील मिली, जिसका नाम चांग था। उसने जोनाथन से कहा कि 'वास्तव में स्वर्ग नाम की कोई जगह नहीं है। स्वर्ग का मतलब है 'परिपूर्ण' होना। उड़ने की सारी कलाएं सीखने के बाद उसने जो सीखा, उसे अपने समाज को बताने के लिए वह फिर अपने कबीले पर आया और दूसरी चीलों को भी उड़ने का प्रशिक्षण देने लगा।

(जोनाथन लिविंगस्टन सीगल से अनूदित अंश)

बेहतर जीवन की कल्पना

सूत्र

यह मायने नहीं रखता कि हम कितने योग्य हैं। जब तक आप कल्पना नहीं करेंगे, तब तक आप बेहतर जीवन नहीं जी सकते। 'जोनाथन लिविंगस्टन सीगल' कहानी भले ही काल्पनिक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए काल्पनिक होने का अभ्यास करेंगे, तो आप समझेंगे कि काल्पनिक चरित्र कभी-कभी शरीर और दिल की धड़कन वाले लोगों की तुलना में अधिक वास्तविक लगते हैं।

दूसरा पहलू

44 छात्रों पर हुए अध्ययन के अनुसार, गर्मी के दौरान बिना एसी में रहने वाले छात्रों का प्रदर्शन एसी वालों की तुलना में बदतर था।

गर्मी का असर मस्तिष्क पर

जुलाई, 2016 में बोस्टन में इतनी भारी गर्मी पड़ी थी कि लगातार पांच दिनों तक दिन का तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस था। तब स्थानीय यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में कुछ छात्र एसी कमरे में थे, तो कुछ छात्रों को बगैर एसी वाले कमरे में रहना पड़ा था। उस समय हार्वर्ड के शोधार्थी ने एक अध्ययन करने का फैसला किया कि खासकर रात को बढ़ता तापमान छात्रों के मस्तिष्क को प्रभावित करता है या नहीं। उन्होंने तापमान बढ़ने से पहले, तापमान बढ़ने के पांच दिन के दौरान और उसके बाद भी दो दिन तक यूनिवर्सिटी के 44 छात्रों के गणित और आत्मनियंत्रण का टेस्ट लिया।

डेना जी स्मिथ

गर्मी का असर लोगों के मस्तिष्क पर भी पड़ता है। इससे उनकी सोचने की क्षमता प्रभावित होती हैं और वे चिड़चिड़े, आवेगशील और आक्रामक हो जाते हैं।

टेस्ट से यह सच सामने आया कि युवा और स्वस्थ छात्र भी बढ़ते तापमान से प्रभावित हुए। तापमान वृद्धि के दिनों में बगैर एसी कमरे में रहने वाले छात्रों का प्रदर्शन, जिन्हें रात में 26.1 डिग्री तापमान का सामना करना पड़ता था, एसी कमरों में, जहां तापमान 18 डिग्री था, रहने वाले छात्रों की तुलना में बदतर पाया गया। शोधकर्ता ने पाया कि बगैर एसी वाले कमरों के छात्रों की नींद गर्मी से प्रभावित हुई, इसलिए भी उनका प्रदर्शन खराब रहा। शोध बताता है कि अधिक तापमान का हमारे शरीर पर सीधा असर पड़ता है। इससे बीमारियों से ग्रस्त बुजुर्गों में दिल का दौरा पड़ने, लू लगने और मरने की आशंका अधिक होती है। लेकिन गर्मी का असर लोगों के मस्तिष्क पर भी पड़ता है। इससे उनकी सोचने की क्षमता प्रभावित होती है और वे चिड़चिड़े, आवेगशील और आक्रामक हो जाते हैं। एक अध्ययन बताता है कि कमरे के तापमान में चार डिग्री की वृद्धि से स्मृति, प्रतिक्रिया देने की क्षमता और किसी काम को पूरा करने के कौशल में औसतन 10 फीसदी का ह्रास होता है।

एक अध्ययन बताता है कि कमरे के तापमान में चार डिग्री की वृद्धि से स्मृति, प्रतिक्रिया देने की क्षमता और किसी काम को पूरा करने के कौशल में औसतन 10 फीसदी तक की कमी आ जाती है। छात्रों की परीक्षाएं भी प्रभावित होती हैं।

यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया में पर्यावरणीय अर्थशास्त्री आर जिसंग पार्क कहते हैं कि स्कूली पढ़ाई के दौरान तापमान जितना बढ़ रहा है, परीक्षाओं में छात्रों का प्रदर्शन उतना ही खराब हो रहा है। उनके मुताबिक, बढ़ता तापमान छात्रों के सीखने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। पार्क यह भी कहते हैं कि तापमान वृद्धि का सबसे अधिक खामियाजा कम आय वाले अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे भुगतते हैं, क्योंकि उनमें से ज्यादातर के न तो घर में एसी होता है, न ही स्कूल में।

आंकड़े

क्रेडिट कार्ड

देश एक वर्ष में 18 फीसदी क्रेडिट कार्डधारक बढ़े हैं। इस साल मई तक विभिन्न बैंकों ने 38 लाख नए क्रेडिट कार्ड जारी किए।

जनवरी	9.95
फरवरी	10.06
मार्च	10.18
अप्रैल	10.25
मई	10.33

नोट : आंकड़े करोड़ में हैं। | स्रोत : RBI

आज योगिनी एकादशी है। महर्षि मार्कंडेय ने हेम माली को बताया कि आषाढ़ कृष्ण एकादशी का विधिवत व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी।

मार्कंडेय ने बताया मुक्ति का मार्ग

अंतर्यात्रा
संकलित

एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्रीकृष्ण से पूछा, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का माहात्म्य सुना है। कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। श्रीकृष्ण ने कहा, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें पुराणों की एक कथा कहता हूं।

अलकापुरी नगरी में कुबेर नाम का राजा रहता था। वह शिव भक्त था। हेम नाम का माली उसके यहां फूल लाता था। हेम की विशालाक्षी नाम की पत्नी थी। एक दिन वह सरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण अपनी स्त्री से हास्य-विनोद करने लगा। दोपहर तक जब हेम राजा के पास नहीं पहुंचा, तो सेवकों को भेजकर उसे बुलवाया। राजा ने क्रोध में हेम को शाप देते हुए कहा कि तूने भगवान शिव का अनादर किया है। मैं शाप देता हूं कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा।

वह स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गया। कोढ़ की वजह से उसे इतना कष्ट था कि नींद तक नहीं आती थी। एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर ऋषि बोले-तुमने ऐसा कौन-सा पाप किया है, जिससे यह हालत हो गई। हेम ने सारा वृतांत बताया। ऋषि बोले-तुमने सत्य वचन कहे हैं। यदि तू आषाण मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधिवत व्रत करेगा, तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। हेम ने ऐसा ही किया। उसे पाप से मुक्ति मिल गई।

आज का इतिहास

अंतिम स्वतंत्र नवाब की हत्या अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी

बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला की हत्या के साथ ही उनके शासन की समाप्ति को भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव माना जाता है। प्लासी की लड़ाई में नवाब की सेना के सेनापति मीर जाफर ने धोखा किया और 23 जून, 1757 को बंगाल की सेना रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से हार गयी। हार के बाद दो जुलाई 1757 को जवाब सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुए समझौते के मुताबिक मोहम्मद अली बेग ने नवाब की हत्या कर दी। सिराजुद्दौला की हत्या को लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर जाफर के बीच समझौता हुआ था। बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की कब्र पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के खुशबाग में स्थित है।

1983 : स्वदेश निर्मित परमाणु बिजली केंद्र की पहली इकाई ने मद्रास के निकट कलपक्कम में काम करना शुरु किया।

बंगाल में हो क्या रहा है

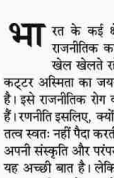

ममता सरकार फुटपाथों से 'बाहरी' हॉकरों को हटाने में लगी है, पर उन पर कब बुलडोजर चलेगा, जो महिला अस्मिता को तार-तार कर रहे हैं?

विमल राय | राजनीति

भारत के कई क्षेत्रीय दल समय-समय पर राजनीतिक कारणों से क्षेत्रीय अस्मिता का खेल खेलते रहे हैं। महाराष्ट्र से शुरू हुआ कट्टर अस्मिता का जयगान कई राज्यों में होता रहा है। इसे राजनीतिक रोग व रणनीति, दोनों कह सकते हैं। रणनीति इसलिए, क्योंकि क्षेत्रीय अस्मिता जहरीला तत्व स्वतः नहीं पैदा करती। किसी राज्य के लोग अगर अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़े रहना चाहते हैं, तो यह अच्छी बात है। लेकिन भारत में किसी राज्य की सरकार यदि दूसरे राज्य के लोगों को बाहरी बताए, तो यह राष्ट्रीय अखंडता पर चोट ही है।

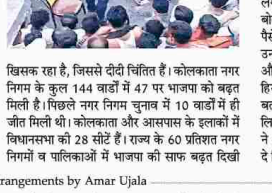

फिलहाल, एक बार फिर बंगाली अस्मिता चर्चा में है। हाल के लोकसभा चुनाव परिणाम के विश्लेषण से पता चला कि तृणमूल कांग्रेस का शहरी वोटबैंक

खिसक रहा है, जिससे दीदी चिंतित हैं। कोलकाता नगर निगम के कुल 144 वार्डों में 47 पर भाजपा को बढ़त मिली है। पिछले नगर निगम चुनाव में 10 वार्डों में ही जीत मिली थी। कोलकाता और आसपास के इलाकों में विधानसभा की 28 सीटें हैं। राज्य के 60 प्रतिशत नगर निगमों व पालिकाओं में भाजपा की साफ बढ़त दिखी है। बंगाल में ऐसे कुल 125 निकाय हैं। 2021 में भाजपा 69 निकायों में आगे थी। उनका मानना है कि शहरों में बाहरी लोग बढ़ गए हैं, इसलिए उन्होंने 'हॉकर हटाओ' अभियान शुरू किया है। जबकि नवंबर, 1996 में वाममोर्चा सरकार के 'ऑपरेशन सनशाइन' का हश्र वह देख चुकी हैं। उस समय उन्होंने खुद हॉकरों के पक्ष में फुटपाथ पर बैठकर आंदोलन किया था। असल में भ्रष्टाचार की वजह से शहरी वोटर ममता सरकार से नाराज हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में राज्य, खासकर कोलकाता व उपनगरों का जनसांख्यिकी संतुलन बिगड़ने पर चिंता जताई। उन्हें लगता है कि कुछ समय बाद शहरी क्षेत्रों में बांग्ला बोलने वाले अल्पमत में आ जाएंगे। उनके मुताबिक, पैसे लेकर हॉकरों को फुटपाथों पर जगह दी जा रही है। उन्होंने कई विधायकों, मेयरों, नगरपालिका अध्यक्षों और पार्षदों के अलावा पुलिस प्रशासन के एक बड़े हिस्से को हफ्तावसूली जैसे भ्रष्टाचार में लिप्त माना। बताया जा रहा है कि पुलिस जैसे ही अपनी कार्रवाई के लिए कुछ संवेदनशील इलाकों की तरफ बढ़ी, तो दीदी ने ऑपरेशन रोक कर हॉकरों को एक महीने का समय दे दिया। सवाल उठता है कि 4-5 दिनों के अभियान में उजाड़े गए हॉकरों को एक महीने का समय क्यों नहीं दिया गया, जो इस मौसम में पुलों के नीचे या खुले में बाल-बच्चों को लेकर रह रहे हैं? इस पर राजनीति भी हो रही है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि सिर्फ हिंदू हॉकरों को ही हटाया जा रहा है। माकपा नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान व कीर्ति आजाद जैसे 'बाहरी' लोगों को अपनी पार्टी के टिकट पर संसद भेजने वाली ममता का बाहरी राग मौजूं नहीं है। ममता को पता है कि कोलकाता ही नहीं, पूरे बंगाल का जनसांख्यिकी संतुलन किन समुदायों की घुसपैठ से बिगड़ रहा है। अगर उनका इशारा हिंदी भाषियों की ओर है, तो वह दौर अब सिर्फ लोकगीतों में ही दिखता है। अब तो नायिकाएं शायद यह गीत गाएंगी कि 'पूरब न जइयो सैंया चाकरी नहीं है।' भ्रष्टाचार, बंद होते कारखानों व नया निवेश नहीं होने से पढ़े-लिखे बंगाली नौजवान रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं। कूचबिहार जिले के माथाभांगा में 25 जून को एम महिला को नंगा कर इसलिए घुमाया गया कि वह भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे का सदस्य थी। इसी तरह, उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा में 'शरिया अदालत' ने एक युवक-युवती को सरेआम पीटने का फरमान सुनाया। विधायक हमीदुर्रहमान के करीबी ताजेमुल नाम के तृणमूल कार्यकर्ता ने दोनों को चौराहे पर पीटा। हमीदुर्रहमान तो पीड़िता को ही 'दुष्ट जानवर' कह रहे हैं।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 65 ■ अंक 139 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2022-24 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

संपादकीय

नई न्याय प्रणाली पर भरोसा स्थापित होने में समय लगेगा

किसी भी देश में संविधान के बाद सबसे अहम दस्तावेज होता है वहां की अपराध-न्याय प्रणाली बताने वाली संहिताएं। भारत में नई प्रणाली लाने के लिए तीन नई संहिताएं- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो चुकी हैं। मैकाले के 160 साल पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य कानून को अलविदा किया जा चुका है। कई राज्यों ने नई संहिताओं को फिलहाल न लागू करने की अपील की है। 100 जाने-माने पूर्व नौकरशाहों ने भी इस संबंध में लिखा है। यह सच है कि जहां तीन साल से ज्यादा समय में देश के तत्कालीन बेहतरीन दिमाग वाले लोगों ने बड़ी मेहनत से संविधान बनाया, वहीं अपराध संहिताओं को बनाने की प्रक्रिया फौरी रही। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष निलंबित था। संसदीय उप-समिति को समय बेहद कम मिला। यहां तक कि जब अधिसूचना हुई तब देश में चुनाव की आपाधापी शुरू हो गई। 4 जून के परिणाम आने के बाद पुलिस को फुर्सत मिली तो 160 साल पुराने कानूनों की जगह इन कानूनों की जटिलताओं को समझने के लिए मात्र 26 दिन मिले। पुराने कानून में हत्या की धारा 302 आईपीसी अचानक अब बीएनएस की धारा 103 हो गई। अभियोजन, अनुसंधान और न्याय निस्तारण में इतने बड़े बदलाव को समझने के लिए समय चाहिए था। सामान्य पुलिसकर्मी इस परिवर्तन के लिए कितना सुग्राही बन सका है? फिर आम जनता भी इसे अच्छी तरह से नहीं जान सकी है। आदेश के अनुरूप देश भर के 17,500 थानों में थानेदारों को जनता, वरिष्ठ नागरिक और प्रतिष्ठित लोगों को सोमवार को थाने बुलाकर नई संहिताओं के बारे में अवगत करने का कर्मकांड निभाया गया। नए बीएनएस के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी, डीएनए टेस्ट का व्यापक प्रयोग होगा। क्या वाकई जिलों में या थानों के पास इतने संसाधन फिलहाल उपलब्ध हैं? मैकाले से मुक्ति तो अच्छी है लेकिन नई न्याय प्रणाली पर भरोसा भी उतना ही जरूरी है।

प्रेरणा

खुश और संतुष्ट रहना युवा बने रहने के सर्वश्रेष्ठ तरीके हैं। - चार्ल्स डिकेंस

दूरदृष्टि • पूरी दुनिया में बाजार के ट्रेंड बताते हैं कि गठबंधन सरकारों का रिकॉर्ड भी बुरा नहीं

बाजार को राजनीति में नए चेहरे पसंद हैं

रुचिर शर्मा
ग्लोबल इन्वेस्टर व बेस्टसेलिंग राइटर
breakoutnations@gmail.com

यह बात लंबे समय से कही जा रही है कि 2024 लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष होगा, जिसमें दुनिया भर में 30 से अधिक राष्ट्रीय चुनाव होंगे। लेकिन टिप्पणीकारों ने इन चुनावों के आर्थिक प्रभाव पर हाल में ही ध्यान केंद्रित करना शुरू किया है। भारत, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के चुनावी-नतीजों पर बाजार की तीखी प्रतिक्रियाओं ने कुछ बुनियादी सवाल खड़े किए हैं। क्या अर्थव्यवस्थाएं मजबूत बहुमत वाली सरकार या बड़े गठबंधन के तहत बेहतर प्रदर्शन करती हैं? उनका प्रदर्शन वामपंथी पार्टी के तहत बेहतर होता है या दक्षिणपंथी पार्टी के तहत? मौजूदा नेता के तहत या नए चेहरे के तहत? इसका उत्तर देने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि बाजार किसी विचारधारा से प्रेरित नहीं होते। उन्हें राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। मेरी रिसर्च के डेटा बताते हैं कि सरकार कमजोर है या मजबूत, वामपंथी है या दक्षिणपंथी, अर्थव्यवस्था पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नेतृत्व के रूप में नए चेहरे जरूर उच्च-विकास और बेहतर-रिटर्न के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं।

सबसे पहले गठबंधन सरकारों के आर्थिक रिकॉर्ड पर विचार करें। इतिहास बताता है कि खंडित संसद हमेशा ही अर्थव्यवस्था के लिए बुरी नहीं होती। भारत, ब्राजील और इटली जैसे देशों में, अल्पमत की सरकारों के तहत अर्थव्यवस्था ने बेहतर प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए, भारत ने नीति-निर्माण के लिए थोड़ा कम समाजवादी दृष्टिकोण तभी अपनाया, जब वह 1970 के दशक के अंत में एक सच्चा बहुदलीय लोकतंत्र बन गया और अगले दशकों में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि में जड़ता टूटी। इस साल चुनाव के दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की खबर पर बाजार में तेजी से गिरावट आई। लेकिन तब से बाजार में उछाल कायम है, शायद यह समझते हुए कि गठबंधन सरकारों का मतलब हमेशा ही कमजोर विकास नहीं होता। वामपंथी कहे जाने वाले दलों के लिए भी यही सच है। 24 देशों में 173 सरकारों के एक अध्ययन से पता चलता है कि शेयर बाजार के रिटर्न में कोई अंतर नहीं होता, फिर चाहे वहां वामपंथी या दक्षिणपंथी मानी जाने वाली पार्टी सत्ता में हो।

ये सच है कि जब वामपंथी विचारधारा वाले राजनेता चुने जाते हैं तो निवेशक अक्सर वहां से बोरिया-बिस्तर समेट लेते हैं। लेकिन उसके बाद वे यह आकलन भी करते हैं कि वह नेता पद पर रहते हुए क्या करता है। सबसे यादगार मामला ब्राजील के तेजतर्रार नेता लूला दा सिल्वा का था। 2002 में अपना कार्यकाल शुरू होने से पहले उन्होंने ब्राजील के कर्ज पर डिफॉल्ट की धमकी देकर निवेशकों को डरा दिया था, लेकिन पद पर आते ही वे आर्थिक रूप से रूढ़िवादी हो गए। मैक्सिको में भी ऐसा ही परिदृश्य बन सकता है, जहां क्लाउडिया शिनबाम की भारी चुनावी जीत उम्मीदों से बढ़कर रही। बाजार को डर है कि मोरेनो पार्टी सत्ता में वापस आकर अपने समाजवादी एजेंडे को दोगुना कर देगी। लेकिन शिनबाम पद पर रहते हुए क्या करती हैं, यह अभी देखा जाना बाकी है। अमेरिका इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि वॉल स्ट्रीट कितनी गैर-पक्षपाती हो सकती है। 1860 के दशक के उत्तरार्ध से- जब दो-पक्षीय राजनीतिक व्यवस्था मजबूत होने लगी थी- शेयर बाजार ने डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में औसतन 68 प्रतिशत और रिपब्लिकन के कार्यकाल में 52 प्रतिशत रिटर्न दिया है। हालांकि यह अंतर किसी छिपे हुए पार्टी-पूर्वाग्रह को प्रकट नहीं करता है। आंकड़ों पर करीब से नजर डालने से पता चलता है कि जब डेमोक्रेट सत्ता में थे, तब आर्थिक परिस्थितियां (मुख्य रूप से जीडीपी वृद्धि और मुद्रास्फीति) ज्यादा अनुकूल थीं। यह काफी हद तक संयोग की वजह से था।

क्यों गिरता है बाजार?

समय के साथ नेताओं के नीरस होने से बाजार में गिरावट आती है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, शेयर बाजार ने टिकाऊ नेता के पहले कार्यकाल के दौरान प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में 20% बेहतर प्रदर्शन किया तो दूसरे में औसत।

इससे हम एक ऐसे राजनीतिक फैक्टर पर आते हैं, जो वास्तव में मायने रखता है : नए चेहरे। 1980 के दशक के उत्तरार्ध से 50 से अधिक लोकतंत्रों का अध्ययन करने पर मुझे 70 से अधिक नेता मिले, जो एक कार्यकाल से अधिक समय तक टिके रहे। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस (जिनमें से सभी में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं) सहित विकसित देशों में, जीडीपी वृद्धि नेता के पहले कार्यकाल में 2.9 प्रतिशत से गिरकर दूसरे कार्यकाल में 2.6 प्रतिशत और दुर्लभ तीसरे कार्यकाल में 2.4 प्रतिशत हो गई। उभरते देशों में- जहां नेता अधिक प्रभाव डाल सकते हैं क्योंकि उन्हें कम संस्थागत बाधाओं का सामना करना पड़ता है- औसतन वृद्धि पहले कार्यकाल में 5.3 प्रतिशत से गिरकर दूसरे कार्यकाल में 4.4 प्रतिशत और तीसरे कार्यकाल में केवल 3.5 प्रतिशत रह गई।

ऐसा लगता है कि समय के साथ नेताओं के नीरस होते जाने से बाजार में गिरावट आती है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, शेयर बाजार ने एक टिकाऊ नेता के पहले कार्यकाल के दौरान प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में 20 प्रतिशत बेहतर प्रदर्शन किया, दूसरे कार्यकाल में औसत रिटर्न दिया और तीसरे कार्यकाल के दौरान काफी कम प्रदर्शन किया। अमेरिका में भी यह अंतर चौंकाने वाला है। 1860 के दशक के उत्तरार्ध से वहां पर आठ राष्ट्रपतियों ने दो कार्यकाल पूरे किए हैं, जिसमें पहले कार्यकाल में बाजार का औसत रिटर्न 80 प्रतिशत और दूसरे कार्यकाल में मात्र 29 प्रतिशत रहा। ध्यान रहे कि अर्थव्यवस्थाओं और बाजारों का भाग्य कई फैक्टर्स से निर्धारित होता है। राजनीति इसका एक आयाम भर है। **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

इस आलेख पर सुझाव एवं प्रतिक्रिया देने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें

क्लाइमेट • जैसे आखिरी ओवरों में भारतीय टीम खेली, पृथ्वी को बचाने के लिए भी वैसे ही 'कमबैक' करना जरूरी

पर्यावरण के लिए भारतीय टीम की तरह खेलना होगा!

प्रो. चेतन सिंह सोलंकी
आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर, संस्थापक, एनर्जी स्वराज फाउंडेशन
chetanss@gmail.com

टी20 विश्व कप जीतने के लिए दक्षिण अफ्रीका को 30 गेंदों पर सिर्फ 30 रन चाहिए थे। खतरनाक हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर क्रीज पर थे। भारत के लिए जीत लगभग असंभव लग रही थी। फिर भी घटनाओं ने एक अविश्वसनीय मोड़ लिया और अंत में भारतीय टीम ने 7 रनों से जीत हासिल कर ली। भारत एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहा था और मैच किसी रोलर-कोस्टर की तरह था। जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ा, तनाव बढ़ता गया। जब ऐसा लग रहा था कि मैच हाथ से निकल रहा है, तब भारतीय टीम ने उल्लेखनीय लचीलेपन और टीम-वर्क का प्रदर्शन किया। महत्वपूर्ण क्षणों में प्रमुख खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी संभाली। यह अविस्मरणीय वापसी इस बात का प्रमाण थी कि दबाव में दृढ़ संकल्प और प्रदर्शन कैसे अप्रत्याशित परिणाम दे सकते हैं।

आज दुनिया भी एक ऐसी ही कठिन चुनौती का सामना कर रही है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 1.3 से 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। जब से औद्योगीकरण शुरू हुआ है, हमने कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। ये ईंधन कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं, जिनके जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं। दुनिया की 80% से अधिक वर्तमान ऊर्जा-आवश्यकताओं को कार्बन-आधारित ईंधन के उपयोग से पूरा किया जाता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति की 80% से अधिक दैनिक गतिविधियां कार्बन-उत्सर्जन का कारण बनती हैं। परिणामस्वरूप, पर्यावरण-संतुलन खतरनाक रूप से बिगड़ रहा है- हवा, पानी और मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधन तेजी से दूषित हो रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु-परिवर्तन अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ रहे हैं। बाढ़, सूखा, हीटवेव और जंगल में आग की घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। हम सभी दुनिया भर में एक्सट्रीम-वेदर की घटनाओं को देख रहे हैं।

क्या दुनिया इस स्थिति से उबरकर पर्यावरण-संतुलन को बहाल कर सकती है और जलवायु-परिवर्तन को रोक सकती है? इसका उत्तर संभवतः हां है, लेकिन इसके लिए भारतीय क्रिकेट टीम के समान दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होगी। जिस तरह हमारे प्रमुख गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने नियंत्रण संभाला और अपनी टीम को जीत दिलाई, उसी तरह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेताओं को आगे आकर जलवायु परिवर्तन से निपटने की जरूरत है। पर्यावरण-बहाली की दिशा में 8 अरब लोगों का नेतृत्व करने के लिए दुनिया को महान नेताओं की जरूरत है।

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु-परिवर्तन से निपटने में दुनिया के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर सकते हैं? क्या विश्व के नेताओं को कार्बन-उत्सर्जन को नाटकीय रूप से घटाने वाली नीतियों को लागू करते हुए उनका पालन नहीं करना चाहिए? क्या हर सीईओ, प्रिंसिपल, मीडिया-संचालक, माता-पिता अपने-अपने समूहों के सच्चे नेता बन सकते हैं और कार्बन-उत्सर्जन को कम करने की दिशा में तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं?

सूर्यकुमार यादव ने जिस तरह से सीमारेखा पर शानदार कैच लिया, उसी तरह से हर व्यक्ति को हमारी जलवायु को बचाने के हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्बन-फुटप्रिंट को कम करके अपना योगदान दे सकता है। हर व्यक्ति ऊर्जा और सामग्री का उपयोग करता है और सीओ2 सहित अन्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा-साक्षर बनकर और ऊर्जा और सामग्री की खपत को कम करके और स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और जीवन में हर चीज का कुशलतापूर्वक उपयोग करके जलवायु-सुधार में योगदान दे सकता है। जिस तरह हार्दिक पांड्या ने अंतिम ओवर में अपना धैर्य बनाए रखा, उसी तरह प्रत्येक संगठन; चाहे वह शैक्षणिक हो, वाणिज्यिक, सरकार, मीडिया या सामाजिक- उन्हें दृढ़ रहना चाहिए और जलवायु-परिवर्तन का सामना करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। हां, यह जरूर है कि इन कार्रवाइयों के लिए उन्हें अपने संस्थागत लक्ष्यों के साथ अल्पकालिक समझौते करना होंगे।

पेरिस समझौते पर 2015 में 195 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कार्बन-उत्सर्जन में भारी कटौती करने और 2030 तक 45% की कमी हासिल करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा स्थापित किया गया था। इसके बावजूद कार्बन-उत्सर्जन हर साल बढ़ता जा रहा है। इसे उलटने के लिए अधिक कड़े उपायों और एकीकृत प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। दुनिया को तत्काल और निर्णायक कार्रवाई चाहिए। चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प, नेतृत्व और सामूहिक कार्रवाई से हम जीत सकते हैं। दुनिया को पर्यावरण के मोर्चे पर सामूहिक-वापसी की जरूरत है। क्या आप इस रोमांचक संघर्ष में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
ptvijayshankarmehta.com

ईश्वर से सिर्फ कृपा मांगिए, जिंदगी बड़े मजे से कटेगी

यह बहस का विषय है कि भगवान से क्या मांगा जाए, कितना मांगा जाए और मांगा जाए भी या न मांगा जाए। सभी संत-महात्माओं के इस मामले में अपने-अपने विचार हैं। लेकिन हम शास्त्रों में देखें, तो अधिकांश भक्तों ने भगवान से कृपा मांगी है। अगर हम इसे स्वीकार कर लें, तो हम भी ये कर सकते हैं कि संसार की सारी बातें तो हमें ही कमाना हैं। जो भी धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा चाहिए, वो हमारे परिश्रम का परिणाम हो, लेकिन फिर भी भगवान से कृपा मांगी जाए। वाटिका में श्रीराम के साथ जब भाई लोग बैठे थे, तो बातचीत में भरत में कहा था, 'नाथ न मोहि संदेह कछु सपनेहुं सोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारिहि कृपानंद संदोह।' भरत ने श्रीराम से कहा, 'ना तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी कृपा का फल है।' श्रीराम को कृपानंद संदोह कहा है। कृपा और आनंद के समूह। इसलिए ईश्वर से कृपा मांग ली जाए। सुख, दुख आए तो कहना- हे परमात्मा कृपा बनाए रखना। अगर उसकी कृपा हमें मिलती रहे और हम मांगते रहें तो भी बाकी जिंदगी बड़े मजे में कट जाएगी।

• Facebook: Pt. Vijayshankar Mehta

वेब भास्कर

पुरस्कृत तस्वीर : बेस्ट ड्रोन फोटो में चुनी गई चीन की यह तस्वीर

चीन में दुनिया के कुछ सबसे लंबे और अनोखे केबल स्टे ब्रिज हैं। झेनजियांग प्रांत में बना यह 10 किलोमीटर लंबा ब्रिज एक समय तक दुनिया का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज था। इसके नीचे बहती कायाटेंग नदी और नदी में उभरती पेड़ की शाखाओं जैसी आकृतियां इस तस्वीर को और खूबसूरत बना रही हैं। नदी में यह आकृतियां खास ऊंचाई से ही दिखाई देती हैं। ड्रोन से ली गई यह तस्वीर इस साल के सिएना ड्रोन फोटो अवॉर्ड्स के अंतिम विजेताओं में चुनी गई है। तस्वीर को चीन के शौकिया फोटोग्राफर शेंग ने खींचा है।

• तस्वीर साभार : Sheng Jiang

विश्लेषण • राहुल को परिपक्वता का परिचय देना होगा

संसद में नेता-प्रतिपक्ष के रूप में राहुल के सामने नई चुनौती

के.एस. तोमर
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक
kstomar7@gmail.com

राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा संसद में विपक्ष का नेता बनने के प्रस्ताव को स्वीकारने से दोहरे उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। सबसे पहले तो उन्हें कानून के तहत एक संवैधानिक पद प्राप्त होगा, जिससे वे 2029 के चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे प्रतिद्वंद्वी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत बना सकेंगे। इससे मोदी को भी उन्हें अतीत के विपरीत गंभीरता से लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। दूसरे, संसद के अंदर और बाहर प्रधानमंत्री के सबसे कड़े आलोचक होने के बावजूद, पिछले एक दशक में अक्सर राहुल की आवाज को दबा दिया जाता रहा है। यह परिदृश्य अब बदलने वाला है, क्योंकि भाजपा इस बार 240 सांसदों की कम ताकत के साथ लोकसभा में प्रवेश कर रही है। इसके विपरीत, कांग्रेस ने अपनी ताकत लगभग दोगुनी कर ली है। उसके 52 से बढ़कर 99 सांसद हो गए हैं और तीन निर्दलीय भी उसके साथ हैं। यह मजबूत उपस्थिति कांग्रेस को भाजपा की रणनीति का अधिक प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में सक्षम बनाएगी। यदि भाजपा की शोर मचाने वाली ब्रिगेड राहुल को चुप कराने का प्रयास करती है, तो कांग्रेस के सांसद भी प्रधानमंत्री के भाषणों को बाधित करके जवाबी हमला कर सकते हैं।

कुल मिलाकर संसदीय शक्ति-संतुलन में भी बदलाव आया है। एनडीए की संयुक्त ताकत घटी है और इंडिया की ताकत बढ़ी है। उन्होंने कई नई सीटें जीती हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी के लिए बड़ी चुनौती पेश करने वाली है। अतीत में इंदिरा गांधी को 'गूंगी गुड़िया' कहा गया था, फिर उनके पोते को 'पप्पू' और 'शहजादा' के रूप में पेश किया गया है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इतिहास पहले खुद को त्रासदी के रूप में दोहराता है और फिर प्रहसन के रूप में, लेकिन राहुल गांधी के मामले में ऐसा नहीं हुआ है। एक राजनेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है और वे विपक्ष के नेता के रूप में उभरे हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी और राहुल गांधी के हालिया पुनरुत्थान के बीच स्पष्ट समानताएं देखी हैं।

जनता पार्टी से चुनाव हारने के बाद इंदिरा गांधी को 'बेचारी' कहकर पुकारा गया था, जो आपातकाल के प्रति रोष का नतीजा था। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में, उन्हें उनके आलोचकों द्वारा 'गूंगी गुड़िया' कहा जाता था, लेकिन उन्होंने 1980 में सत्ता में मजबूती से वापसी की। ऐसी ही वापसी 2024 में राहुल गांधी ने भी की है। उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 150 दिनों में 4,080 किलोमीटर की अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आम लोगों का दिल जीतने पर ध्यान केंद्रित किया। इस यात्रा के दौरान राहुल ने अपने निजी संघर्षों को उजागर किया और इस बात पर जोर दिया कि जांच एजेंसियां उन्हें परेशान कर रही हैं। यह भी बताया कि उनसे 50 घंटे तक पूछताछ की गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने सरकार पर आम लोगों की परेशानियों, गांवों की समस्याओं, बढ़ती असमानता, किसानों के अधिकारों, युवाओं की बेरोजगारी, जरूरी वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की अनदेखी करने का आरोप लगाया। आम लोगों ने देखा कि जिसे गांधी परिवार का राजकुमार कहा गया था, वह चिलचिलाती धूप और कड़ाके की ठंड में पैदल चल रहा है और उनकी समस्याएं सुन रहा है। लोगों की धारणाएं राहुल के प्रति बदलीं और उनके प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई।

राहुल गांधी के सामने बड़ी चुनौती सरकार को जवाबदेह ठहराने की होगी। इसके लिए विभिन्न मसलों पर विपक्ष के रुख को अच्छे से व्यक्त करना होगा। विपक्षी दलों में आम सहमति का निर्माण और समन्वित प्रयास भी जरूरी होंगे।

बहरहाल, संसद में विपक्ष के नेता (एलओपी) के रूप में राहुल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें एक समर्पित और पूर्णकालिक नेता बनना होगा। इस महत्वपूर्ण भूमिका को अनमने ढंग से नहीं निभाया जा सकता। उन्हें सहयोगी दलों के साथ नियमित संपर्क भी रखना होगा। विविध राजनीतिक समूहों के साथ मजबूत संबंध बनाना और बनाए रखना आवश्यक है। उनका दृष्टिकोण आक्रामक किंतु परिपक्व होना चाहिए। संसद में मुख्य मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की उनकी क्षमता उनकी सफलता का एक महत्वपूर्ण फैक्टर बनेगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

हैल्थ • एक चक्रीय पैटर्न में चलने वाली ये बीमारियां हर तीन से चार साल में परेशान करती हैं

इस साल डेंगू और चिकनगुनिया के मामले बढ़ सकते हैं

डॉ. चन्द्रकांत लहारिया
जाने माने चिकित्सक
c.lahariya@gmail.com

इस साल देश में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और अधिकांश उत्तर, मध्य व पूर्वी भारतीय राज्यों में हीटस्ट्रोक से मौतों की खबरें आईं। हमारी डेटा रिकॉर्डिंग प्रणाली कमजोर है और मौतों की वास्तविक संख्या आधिकारिक तौर पर बताई गई संख्या से कहीं अधिक होगी। हालांकि भीषण गर्मी अप्रत्याशित नहीं थी, पर्यावरण विशेषज्ञों और जानकारों ने पहले ही चेता दिया था कि इस साल गर्मियां भीषण रहने वाली हैं। फिर भी, जो मौतें हुईं, वे पर्याप्त योजना और निवारक उपायों की कमी को दर्शाती हैं।

अब मॉनसून आने के साथ गर्मी से कुछ राहत तो मिलेगी लेकिन इस वर्ष बारिश कुछ अधिक चुनौतियां ला सकती है और कुछ राज्यों में डेंगू के मामलों में तेजी से वृद्धि हो सकती है। कारण है कि डेंगू और चिकनगुनिया एक चक्रीय पैटर्न का पालन करते हैं और हर तीन से चार साल में इनका प्रकोप होता है। ये चक्र कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हो गया था, लेकिन भीषण गर्मी के बाद आशंका है कि हम इस वर्ष वेक्टर जनित बीमारी के अधिक मामले देखेंगे। दक्षिणी भारतीय राज्य जैसे कि कर्नाटक में डेंगू के मामले पहले से ही बढ़ रहे हैं।

दूसरी चुनौती, जिसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है, वो है श्वसन संबंधी वायरल बीमारियां। भारत में इन्फ्लुएंजा का मौसम आमतौर पर बारिश के आगमन के साथ और जुलाई से अक्टूबर के महीनों में शुरू होता है। कोविड के बाद से श्वसन संबंधी बीमारियों का महामारी विज्ञान बदल गया है। हम वायरल फ्लू और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों के मामलों में बढ़ोतरी देख सकते हैं। इन दोनों ही चुनौतियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को तैयार रहने की जरूरत है। सवाल है कि क्या किया जाए? क्या करना चाहिए।

पहली बात, बीमारियों की रोकथाम के लिए पानी को जमा होने से रोकने की योजना बनाने, जागरूक करने और विशेष अभियान चलाने की जरूरत है। समाधान सिर्फ अस्पतालों में डेंगू बेड या फ्लू बेड बढ़ाना नहीं है। इसकी आवश्यकता है, लेकिन बड़ा समाधान निवारक उपाय होते हैं। दूसरा, प्रमुख शहरों में विभिन्न विभाग मिलकर काम नहीं करते हैं। इसलिए, बीमारियों की रोकथाम के लिए अग्रिम योजना और समन्वय तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। तीसरा, मच्छरों से बचाव के लिए जन जागरूकता की आवश्यकता होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रभावी सामुदायिक भागीदारी की जरूरत है। समुदाय अपनी भूमिका निभा सकते हैं और नगर निगमों में पार्षदों, विधायकों, सांसदों के माध्यम से कुछ जवाबदेही भी ला सकते हैं। साथ ही, स्थानीय निकायों को नियमित मूल्यांकन व जांच करनी चाहिए, जिसमें सुझाई गई प्रक्रियाओं के उल्लंघन के लिए दंडात्मक उपाय भी शामिल हैं।

चौथा, वायरल और सांस की बीमारियां पूरे परिवार को प्रभावित कर सकती हैं। लोग आमतौर पर बिना इलाज के ठीक हो जाते हैं। लेकिन जिनको पहले से कोई बीमारी होती है, उन्हें ज्यादा खतरा है। इसलिए फ्लू के मौसम में हाइड्रेटेड रहें, अच्छा खाएं और शरीर को पर्याप्त आराम देकर बीमारियों से बच सकते हैं। पांचवां, फ्लू वायरस के खिलाफ टीके उपलब्ध हैं। डायबिटीज, हाई बीपी और सभी बुजुर्गों जैसी कमजोर आबादी को वार्षिक फ्लू टीकाकरण मिलना चाहिए।

मच्छर और वायरस पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। मच्छर जनित बीमारियों को खत्म करने के सभी प्रयास विफल हो गए हैं। इसलिए, डेंगू के पूरी तरह खत्म होने की संभावना नहीं है। इसी तरह इस ग्रह पर इंसानों से कई गुना ज्यादा वायरस हैं। इसलिए, स्वस्थ रहने के लिए निवारक उपायों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। इसके लिए हमें महामारी विज्ञान के सिद्धांतों का सहारा लेकर समय रहते कदम उठाने चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

श्रेष्ठ होना कोई कार्य करना नहीं बल्कि हमारी आदत है क्योंकि इसे हम बार-बार करते हैं-अरस्तु

कांग्रेस की दुकान पर हिन्दू विरोध की भरमार

कांग्रेस की तथाकथित मोहब्बत की दुकान में हिन्दुओं के लिए घृणा एवं विरोध की भरमार है। इसका नवीनतम प्रमाण संसद में दिया गया राहुल गांधी का भाषण है। कांग्रेस पार्टी के मुख्य चेहरे एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि "जो लोग अपने आपको हिन्दू कहते हैं, वो चौबीस घंटे हिंसा, हिंसा, हिंसा; नफरत, नफरत, नफरत; असत्य, असत्य, असत्य कहते हैं"। एक धर्म के प्रति इस प्रकार के विचार रखना दर्शाता है कि उनके मन में हिन्दू धर्म के प्रति कितनी नफरत है। राहुल गांधी ने जब हिन्दुओं को हिंसक, नफरती और झूठा बताया, तब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तत्काल खड़े होकर आपत्ति दर्ज करायी। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को आईना दिखाते हुए कहा कि पूरे समाज को हिंसक कहना, ये गंभीर विषय है। वहीं, गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के भाषण का विरोध करते हुए कहा कि "राहुल को पता नहीं है कि करोड़ों लोग गर्व से अपने आप को हिन्दू कहते हैं। आप हिंसा की बात करते हैं। हिंसा की भावना को भरे सदन में किसी धर्म के साथ जोड़ना गलत है। राहुल को माफी मांगनी चाहिए"। राहुल गांधी अपने इस बयान के लिए माफी माँगेंगे, इसकी संभावना अत्यंत क्षीण है क्योंकि उन्होंने हिन्दू विरोध और मुस्लिम तुष्टीकरण को अपनी राजनीति का आधार बना लिया है। बाद में अवश्य ही राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने भाजपा, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह कहा था।

राहुल गांधी ने जब हिन्दुओं को हिंसक, नफरती और झूठा बताया, तब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तत्काल खड़े होकर आपत्ति दर्ज करायी। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को आईना दिखाते हुए कहा कि पूरे समाज को हिंसक कहना, ये गंभीर विषय है। वहीं, गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के भाषण का विरोध करते हुए कहा कि "राहुल को पता नहीं है कि करोड़ों लोग गर्व से अपने आप को हिन्दू कहते हैं। आप हिंसा की बात करते हैं।

लेकिन जब वह भाषण कर रहे थे, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से 'हिन्दू' कहा था। अगर वे भाजपा, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी यह बयानबाजी कर रहे थे, तब भी यह गलत था। सदन के नियमों के अनुसार वे किसी भी दल या संगठन के बारे में बिना तथ्यों के इस प्रकार के आरोप नहीं लगा सकते हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में अनेक गलत तथ्यों का उल्लेख किया। 'अग्निवीर' के संबंध में जब उन्होंने गलत तथ्य रखे तब रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने खड़े होकर उनकी बात का खंडन किया और देश के सामने सच रखा। इसी प्रकार किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जब राहुल गांधी ने गलत बयानी की तब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिरोध किया और राहुल गांधी को चुनौती दी कि वे अपने बयान को सत्यापित करें। कुलमिलाकर लोकसभा के चुनाव के दौरान जिस प्रकार की भ्रामक बातें राहुल गांधी ने की थी, वही रुख उनका लोकसभा में दिखायी दे रहा है। जबकि दो दिन पहले उनमें एक समझदार नेता प्रतिपक्ष की झलक दिखी थी। लेकिन अपने दायित्व की गंभीरता को वे अधिक समय तक संभाल नहीं पाए। एक ओर राहुल गांधी संविधान की प्रति लेकर घूम रहे हैं लेकिन सदन के नियमों का उल्लंघन करने में उत्साहित दिखायी देते हैं। गृहमंत्री ने उचित ही टिप्पणी की है कि यदि उन्हें नियमों की जानकारी नहीं है, तब ट्यूशन ले लें ताकि सदन को नियमों के अनुसार चलाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को सदन के नियमों की पुस्तिका दिखाकर कहा कि आपने ही कहा है कि सदन नियमों से चलना चाहिए लेकिन आप ही नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। हिन्दुओं के सम्मानित संगठन 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' पर लोकसभा में ही नहीं अपितु राज्यसभा में भी हमला किया गया। राज्यसभा में जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने संघ को लेकर गलतबयानी की तब सभापति जयदीप धनखड़ ने कहा कि "आरएसएस देश के लिए काम करती है। इसमें अच्छे लोग जुड़े हैं"। यह अच्छी बात है कि राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा के आग्रह पर खड़गे के बेबुनियाद और नफरती आरोप को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया। हिन्दुओं को नफरती, हिंसक और झूठा कहकर राहुल गांधी ने कांग्रेस का बहुत नुकसान किया है। उनके भाषण ने उस अवधारणा को पक्का किया है, जिसके अनुसार कांग्रेस की छवि हिन्दू विरोधी और मुस्लिमपरस्ती की बनी हुई है। एक गंभीर नेता से किसी समुदाय के प्रति इस प्रकार की बयानबाजी की अपेक्षा नहीं की जाती है।

अमृत कलश

चुपचाप नहीं सार्वजनिक प्रकट कीजिए

एक मित्र ने बड़े जतन से एकाग्र होकर अपनी संस्था की अनूठी स्मारिका निकाली। सभी अतिथियों ने मंच से उनके इस उत्कृष्ट सृजन के लिए अनेकानेक शुभकामनाएं दीं। उनके उच्च अधिकारी ने भी उसके विमोचन अवसर पर मंच से भाषण दिया। भाषण देते वक्त यह जताने लगे कि इसमें कैसे मैंने दिन- रात एक कर दिया। इसे मूर्तरूप देने में अपना सर्वस्व झोंक दिया। जिस मित्र ने वास्तव में अपनी जान फूंक दी वो मंच से नदारद कहीं पीछे की कुर्सी पर दर्शक दीर्घा में गुमनाम से बैठे थे। जिसको इस कार्य का संपूर्ण श्रेय मिलना था उसके बारे में कृतज्ञता का एक शब्द भी नहीं कहा गया। हां, मंच से उतर भोजन के दौरान अवश्य उन महाशय ने कहा कि भाई यह सब आपकी ही मेहनत का प्रयास है जो स्मारिका निकालने का सुयोग बना। सारी मेहनत आपकी ही है। मित्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस खामोशी से मुस्कुरा दिए। आखिर मंच तो बगैर कुछ किए ही कोई और लूट ही चुका था। यदि वास्तव में ही इसका श्रेय सार्वजनिक मंच से दिया जाता तो कोई और बात थी। किसी के कान में फुसफुसा कर कह दीजिए आपने बहुत शानदार काम किया है तो उससे फर्क क्या पड़ता है। यह धूर्तता की ही तो निशानी है। आपके मन में किसी के प्रति सद्भाव हैं, कृतज्ञ हैं, किसी कार्य का श्रेय देना चाहते हैं तो इन सबको सार्वजनिक रूप से प्रकट कीजिए। चूंकि वो मित्र अंतर्मुखी हैं किंतु अपने काम के प्रति अत्यंत सजग और निष्ठावान इसलिए उनकी भलमनसाहत का कोई भी लाभ उठा लेता है। मित्र होने के नाते जब उन्होंने मुझसे यह वाक्या साझा किया तो मैंने इस विषय पर लिखने का मन बनाया। सूत्र यह है कि किसी कार्य या उपलब्धि का श्रेय सही व्यक्ति को सही समय पर सही मंच से नहीं दिया जाना भी एक तरह का अपराध है। जब आप यथोचित व्यक्ति को श्रेय देते हैं तो आप अपना कद ही बढ़ा रहे होते हैं।

-आशीष द्विवेदी

बोध कथा

सज्जनता का लबादा

एक चिड़िया और एक चिड़ा पेड़ की डाल पर बैठे थे कि दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया। चिड़िया ने चिड़े से कहा-उड़ जाते हैं, ये हमें मार देगा। चिड़ा कहने लगा ये भला मानुष लगता है। देखो तो जरा इसकी दस्तार (पगड़ी) और पहनावा ! शक्ल से शराफत टपक रही है। ये हमें क्यों मारेगा ! जब वो इंसान करीब पहुंचा तो उसने अपना तीर-कमान निकाला और चिड़े को मार दिया। चिड़िया फरियाद लेकर बादशाह के दरबार में पहुंची। शिकारी को तलब किया गया। शिकारी ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया। बादशाह ने इंसाफ करते हुए चिड़िया से कहा -तुम जो चाहे अपने मुजरिम को सजा दे सकती हो। तब चिड़िया ने कहा कि इससे बस इतना कह दिया जाये कि ये शिकारी है तो लिबास भी शिकारियों वाला पहनें। शराफत का लबादा उतार दें।

अंग्रेजों के काल के तीन कानूनों की जगह नए स्वदेशी विधान लागू

दंड नहीं, न्याय का विधान

प्रमोद भार्गव
लेखक/पत्रकार

1860 में बने इंडियन पेनल कोड को अब भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड को अब भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा। इन कानूनों के शीर्षक में ही 'दंड' की प्रधानता है।

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से आहत होकर अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके मददगारों को दंड देने की दृष्टि से अनेक औपनिवेशिक कानून लागू किए थे। इनमें प्रमुख रूप से अंग्रेजी राज का पर्याय बने तीन मूलभूत कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। 1860 में बने इंडियन पेनल कोड को अब भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड को अब भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा। इन कानूनों के शीर्षक में ही 'दंड' की प्रधानता है। मसलन इन कानूनों की चपेट में जो भी आएगा उसे दंडित होना ही पड़ेगा। इस भय से मुक्ति का प्रावधान करने की दृष्टि से 'न्याय' शब्द का प्रयोग कानून के शीर्षकों में किया गया है।

न्याय शब्द ही इस अर्थ का प्रतीक है कि यदि आपसे भूलवश कोई अपराध हो भी गया है तो आप न्याय के भागीदार होंगे। अंग्रेजों के बनाए हुए दंड के विधान वाले ये कानून वास्तव में उन अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, जिनके विरुद्ध आम भारतीय आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। अतएव अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे दमन और लूट को सुरक्षा देने वाले कानून 1 जुलाई 2024 से खत्म हो जाएंगे।

फिरंगी हुकूमत ने कानून भारतीयों को अधिकतम दंड देने की मानसिकता से बनाए गए थे, जबकि कोई भी विधि सम्मत प्रक्रिया दंड की अपेक्षा न्याय के सारोकारों से जुड़ी होनी चाहिए। इसीलिए भारतीय न्याय व्यवस्था के सिलसिले में कहा जाता रहा है कि यहां न्याय नहीं निराकरण होता है। इन कानूनों के लागू होने के साथ दुनिया में सबसे अधिक आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली भारत की होगी, क्योंकि अब इनकी आत्मा में भारतीयता निहित कर दी गई है। वैसे भी भारत में न्याय की अवधारणा बहुत पुरानी है और ये कानून उसी अवधारणा की भावना पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच प्रण किए थे, इनमें एक प्रण गुलामी की निशानियों को खत्म करना भी था। कानून संबंधी पारित विधेयक उसी परिप्रेक्ष्य में हैं। इन नए कानूनों के अंतर्गत दंड अपराध रोकने की भावना पैदा करने के लिए

दिया जाएगा। ये नए कानून महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर केंद्रित हैं। अब नए कानून में नाबालिग से दुष्कर्म और मॉब लिंचिंग के लिए फांसी की सजा दी जाएगी। राजद्रोह कानून ब्रिटिश सत्ता को कायम रखने के लिए था, इसे अब खत्म किया जा रहा है। कुछ प्रचलित धाराओं की संख्या भी बदली गई है।

प्रमुख रूप से अंग्रेजी राज का पर्याय बने तीन मूलभूत कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। 1860 में बने इंडियन पेनल कोड को अब भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कहा जाएगा। 164 साल पुरानी आईपीसी में 511 धाराएं थीं, जो बीएनएस-2023 में 358 रह जाएंगी। इसमें 21 नए अपराध जुड़े हैं और 41 धाराओं में सजा बढ़ाई गई है। पहली बार छह अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा जोड़ी गई है। साफ है, पीड़ितों के साथ न्याय पर फोकस किया गया है। 1898 में बने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) कहा जाएगा। इसमें 47 नई धाराओं के साथ अब कुल 531 धाराएं होंगी। पहले धारा 154 में होने वाली प्राथमिकी नए कानून के तहत धारा-173 में दर्ज की जाएगी। अब पुराने कानून दंड प्रक्रिया संहिता में से 'दंड' को हटाकर नागरिक सुरक्षा पर जोर दिया गया है, 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड को अब भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा। पुराने कानून में 167 धाराएं थीं, जो अब 170 रह गई हैं। बढ़ते साइबर अपराधों के संदर्भ में इस कानून की अहम् भूमिका जताई जा रही है।

नए प्रारूप में धारा 150 के तहत आरोपी को सात साल की सजा से लेकर उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती है। मॉब लीचिंग यानी उन्मादी भीड़ द्वारा हत्या और हिंसा के लिए अलग से सजा का प्रावधान किया गया है। झारखंड और अन्य कई अशिक्षित क्षेत्रों में महिलाओं को डायन बताकर समूह मार देता है। इन हत्याओं पर अब मॉब लीचिंग कानून लागू होगा। अभी तक ऐसे मामलों में हत्या की धारा 302 और दंगा या बलवा की धाराएं 147-148 के तहत कार्यवाही होती है। नाबालिग से दुष्कर्म या पहचान छिपाकर किए गए दुष्कर्म के आरोप में 20 साल का कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। विरोध नहीं करने के अर्थ का आशय सहमति नहीं निकाला जाएगा। मौजूदा स्थिति में नाबालिग से दुष्कर्म पर न्यूनतम सजा में सात साल की व्यवस्था है। इसी तरह राज्यों को अब असली पहचान छिपाकर संबंध बनाने वाले अपराधियों के लिए 'लव जिहाद' जैसा पृथक कानून बनाने की जरूरत नहीं है। प्रस्तावित कानून में गलत पहचान बताकर नौकरी, पदोन्नति और अन्य प्रलोभन दिलाने के झूठे वादे कर दुष्कर्म के अंजाम को सजा के दायरे में लाया गया है। लव जिहाद इसी के अंतर्गत आएगा। देश में पहली बार छोटे-मोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का क्रांतिकारी प्रावधान किया गया है। इन अपराधों में नशे में हंगामा और पांच हजार से कम की चोरी करने के आरोप में सामुदायिक सेवा की सजा दी जाएगी। ऐसी सजा में सार्वजनिक स्थलों पर पौधे लगाने जैसे प्रावधान शामिल हैं।

सबसे बड़ा परिवर्तन 1860 में अस्तित्व में आए औपनिवेशक कानून 'राजद्रोह' में किया गया है। राजद्रोह कानून से 'राजद्रोह' शब्द विलोपित करके 'देशद्रोह' किया है। क्योंकि अब देश स्वतंत्र हो चुका है। अतएव लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है। यह नागरिक का अधिकार है। इसके औचित्य पर लगातार सवाल उठते रहे थे। संसद में भी इस धारा के औचित्य पर कई बार प्रश्नचिन्ह खड़े किए गए हैं। लेकिन बदलाव के इस प्रस्ताव से पहले कोई भी सरकार ने इस कानून में परिवर्तन की हिम्मत नहीं जुटा पाई। संप्रग सरकार में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब 2012 में राज्यसभा में प्रस्तुत एक निजी विधेयक में सांसद डी राजा ने कहा था कि 'देश में चले स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के दमन और उन पर अमानुषिक अत्याचार के लिए फिरंगी हुकूमत ने 1860 में देशद्रोह का कानून बनाया था। इसे और कठोर 1870 में धारा 124-ए को दण्ड प्रक्रिया संहिता में शामिल कर दिया गया था, लिहाजा इस कानून में अब बदलाव की जरूरत है।' लेकिन इस निजी विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

दरअसल यही वह कालखंड था, जब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पूरे राष्ट्र में एकजुटता के साथ उभरा था। इसमें आमजन की बड़ी संख्या में भागीदारी थी। इसी आमजन को दंडित करने के लिए ही इस दमनकारी कानून को वजूद में लाया गया था। यह सब जानते हुए भी तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने धारा 124-ए को 'आतंकवाद, उग्रवाद और सांप्रदायिक हिंसा जैसी देशद्रोही समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक और संविधान सम्मत' बताया था। सरकार ने इस समय संसद में यह भी स्पष्ट किया था कि समुचित दायरे में रहकर सरकार की आलोचना करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन जब आपत्तिजनक तरीकों का सहारा लिया जाए, तब यह धारा प्रभावी हो सकती है।' तब बहस में भाजपा समेत कई दलों के सांसदों ने मौजूदा सरकार के इस रुख का समर्थन किया था। इस धारा के आतंकवाद और उग्रवाद के परिप्रेक्ष्य में चले आ रहे महत्व के चलते ही, इसे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू भी नहीं हटा पाए थे, जबकि वे इसे हटाए जाने के पक्ष में थे।

धारा 124-ए के अंतर्गत लिखित या मौखिक शब्दों, चिन्हों प्रत्यक्ष या अप्रत्क्ष तौर से नफरत फैलाने या असंतोष जाहिर करने पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जा सकता है। इस धारा के तहत दोषी पर आरोप साबित हो जाए तो उसे तीन साल का कारावास हो सकता है। 1962 में शीर्ष न्यायालय के सात न्यायाधीशों की खंडपीठ ने 'केदारनाथ बनाम बिहार राज्य' प्रकरण में, राजद्रोह के संबंध में ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि 'विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध अव्यवस्था फैलाने या फिर कानून या व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने या फिर हिंसा को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति या मंशा हो तो उसे राजद्रोह माना जाएगा।' इसी परिभाषा की परछाईं में हार्दिक पटेल बनाम गुजरात राज्य से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 'यदि कोई व्यक्ति अपने भाषण या कथन के मार्फत विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ हिंसा फैलाने का आवाहन करता है तो उसे राजद्रोह माना जाएगा।

यह लेखक के निजी विचार है

कांग्रेस की हालत सुधरी, पर इतिहास रचने से दूर..

उमेश चतुर्वेदी
वरिष्ठ पत्रकार

सोलहवीं और सत्रहवीं लोकसभा के चुनाव नतीजों की तुलना में देखें तो अठारहवीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 99 सीटों पर जीत बड़ी कही जा सकती है। इस पर कांग्रेस नेताओं का इतराना स्वाभाविक भी है। स्वाधीनता आंदोलन की प्रतिनिधि माने जाते रहे राजनीतिक दल का शीर्ष नेतृत्व इस तरह खुश हो रहा है, मानो उसने बड़ा तमगा हासिल कर लिया हो। लेकिन क्या यह कामयाबी इतनी बड़ी है कि पार्टी को इसकी खुशी में झूमना चाहिए? देश पर सबसे ज्यादा और तकरीबन सभी राज्यों में सबसे अधिक वक्त तक जिस पार्टी की सरकार रही हो, क्या उसके लिए यह जीत बड़ी मानी जा सकती है?

1885 में एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना यह सोचकर नहीं की थी कि आने वाले दिनों में वह उनकी ही नस्ल के शासन के खिलाफ उठ खड़ी होगी, बल्कि भारतीय आजादी की मांग के साथ हुंकार भरने लगेगी। ह्यूम ने यह भी शायद ही सोचा होगा कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीयों के गुस्से के तार्किक इजहार के लक्ष्य से स्थापित कांग्रेस उन्हीं की प्रतिनिधि पार्टी बन जाएगी। पहले तिलक और बाद में गांधी का स्पर्श पाकर कांग्रेस ने जैसे अपना चोला बदल लिया। इसका फल उसे आजादी के बाद मिला और तीस सालों तक लगातार वह शासन में रही। उसे पहली बार 1977 में झटका लगा। लेकिन वह जल्द ही वापसी करने में कामयाब रही। ऐसे ही अल्पकालिक झटके उसे, 1989 और 1996 में भी लगे। 1998 में लगे झटके के ठीक अगले साल वह वापसी करती दिखी, लेकिन उसी साल हुए चुनावों के बाद पांच साल के लिए बाहर हो गई। कांग्रेस के इतिहास में यह पहला मौका रहा, जब उसे लगातार पांच साल के लिए सत्ता से बाहर

रहना पड़ा। 2004 में अल्पमत से ही सही उसने वापसी की और दस साल तक गठबंधन का सरकार चलाया। लेकिन 2014 के चुनावों में उसकी ऐतिहासिक हार हुई और वह महज 44 सीटों पर सिमट गई। देश पर सबसे ज्यादा वक्त शासन करने वाली पार्टी को नेता प्रतिपक्ष तक का पद नहीं मिला और यही स्थिति 2019 में भी रही, बेशक आठ सीटें बढ़ गईं। दिलचस्प यह है कि गांधी-नेहरू परिवार के चश्म-ए-चिराग के हाथों में पूरी कमान थी। इससे पार्टी में निराशा फैलना स्वाभाविक था, जिसे कांग्रेस अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफे से चरम अभिव्यक्ति मिली।

पांच साल पहले के आम चुनावों की तुलना में 2024 में कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं। दिलचस्प यह है कि इनमें पिछली बार जीती गईं, 13 सीटें शामिल नहीं हैं। क्योंकि तेरह सीटें कांग्रेस हार चुकी है। फिर भी पार्टी ऐसे उछल रही है, मानो उसने तीन सौ सीटें जीत ली हो। पार्टी कुछ वैसे ही खुश नजर आ रही है, जैसे चार दशक पहले के चुनाव में मिली जीत से प्रसन्न थी। इंदिरा की हत्या की पृष्ठभूमि में हुए 1984 के आम चुनावों में पार्टी को 415 सीटें मिली थीं। 99 सीटों की जीत वाली यह उस कांग्रेस की खुशी है, जिसे आपातकाल के गुस्से के बावजूद 1977 40 प्रतिशत से कुछ ज्यादा वोट और 189 सीटें मिली थीं। जबकि 2024 के चुनावों की तुलना 1977 से हो भी नहीं सकती। कांग्रेस के ही आला नेता राजीव गांधी ने देश को इक्कीसवीं सदी में तरक्की के साथ आगे बढ़ाने का संदेश दिया था। इक्कीसवीं सदी में कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक मोर्चे पर देश काफी आगे बढ़ गया है। लेकिन कांग्रेस सौ सीटों का भी आंकड़ा नहीं छू पाई और उछल रही है।

कांग्रेस से जुड़े आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलेगा कि बुरे से बुरे दिनों में भी पार्टी सौ से ज्यादा संसदीय सीटें कब्जाती रही। 1996, 1998, 1999 और 2004 के चुनाव ऐसे रहे, जिनमें कांग्रेस दो सौ का आंकड़ा नहीं छू पाई, लेकिन सौ से नीचे भी नहीं गई। 1996 में 140 और 1998 में 141 सीटों पर ही सिमट गया था। पार्टी 1999 और 2004 के आम चुनावों में भी दो सौ की सीट संख्या को पार नहीं कर पाई। उसे क्रमशः 114 और 145 सीटें मिलीं। यह बात और है कि 2004 में बीजेपी उससे छह सीटें कम जीत सकी, इसलिए पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिल गया। लेकिन अगले आम चुनाव में पार्टी ने ठीकठाक उछाल मारा और 206 सीटों पर पहुंच गई। तब से तीन चुनाव हो चुके हैं और वह सौ का आंकड़ा तक नहीं छू पाई है।

चुनावी अभियान में जुबानी जंग होती रही है। लेकिन चुनाव बीतते ही उसे भुला दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस की अकड़ देखिए। पार्टी अपने से करीब ढाई गुनी ज्यादा सीट जीतने वाली बीजेपी को नैतिक रूप से हारी हुई पार्टी बता रही है। कांग्रेस की ओर से शुभकामनाएं तक नहीं भेजी गई हैं। विपक्षी दलों की ओर से शपथ समारोह में शामिल होने की परंपरा रही है। लेकिन कांग्रेस का आला नेतृत्व इससे दूर रहा। इससे संदेश यह गया कि पार्टी नेतृत्व अकड़ में है। सोशल मीडिया के दौर ने सामाजिक परिदृश्य को दो हिस्सों में साफ बांट दिया है। तटस्थता की अवधारणा कमजोर हुई है। सोशल मीडिया मंच पर वही सफल है, जो या तो पक्ष में है या विपक्ष में। दोनों पक्ष अपने-अपने तरीके से अपने लिए तर्क और कुतर्क गढ़ते रहते हैं। इसी तरह राजनीति भी साफ खांचे में बंट गई है। राजनीति भी कुतर्क को तर्क के मुलम्मे में लपेटकर अपने उन्मादी समर्थकों को और ज्यादा उन्मादी बना रही है। कांग्रेस की ओर से सत्ता पक्ष के लिए कड़वापन इसी प्रवृत्ति का विस्तार लगता है।

त्यागपूर्वक उपभोग

राजेश पाठक

'**सोशल** मीडिया पर अब तक इतने पेड़ लग गए कि गर्मी के तेवर आखिर ढीले पड़ ही गए !' इस साल गर्मी ज्यादा क्या पड़ी कि सोशल मीडिया पर वक्त गुजरने वालों ने इसका कारण पेड़ों की बढ़ती कटाई और वृक्षारोपण के अभाव में ढूंढा। फिर जिसको देखो वो इसे पोस्ट की शक्ल में आगे बढ़ाते दिखा। इसकी प्रतिक्रिया में ही किसी ने इस लेख में उद्धृत प्रथम पंक्ति के रूप में लगे हाथ कटाक्ष भी कर डाला।

जीवन शैली के स्थान पर उसके परिणाम पर चिंतन केन्द्रित होने से परिवर्तन के नाम पर हाथ में ज्यादा कुछ लगे इसकी गुंजाइश न के बराबर ही समझी जाये तो ठीक। बिजली विभाग ने अभी संचार पत्रों में एडवाइजरी जारी कर बताया कि बिजली की बचत और बढ़ते तापमान पर अंकुश लगाने में एसी (एयर कंडीशनर) का सदुपयोग भी योगदान दे सकता है। 27 डिग्री के नीचे तापमान सेट करने पर कंप्रेसर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिजली ज्यादा खर्च होती है। एयर फिल्टर को साफ भी करते रहें। ध्यान रहे कि चलता एसी दीवारों से घिरे कमरे के अन्दर जहां ठंडक प्रदान करता है, दीवारों के उस पार तापमान को अत्यधिक बढ़ाकर उन रहवासियों पर मुसीबत बनकर टूटता है। बिजली की बचत भी पेड़ों को बचा सकती है। पर्यावरणविदों के अनुसार एक यूनिट बिजली बनाने में 875 ग्राम कोयला जलता है।

'जिस हाल में हम बैठें हैं, यहां पांच एसी लगें हैं। हमने चार स्विच ऑफ कर रखें हैं और हम एक एसी के सहारे आराम से हैं '- अपनी सभा में ये बात आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर चेतन सिंह रखते हैं। 'सोलर स्वराज' के अपने अभियान के अंतर्गत चेतन ने 'AMG' के तीन सूत्र – Avoid , Minimise, Generate के साथ नवम्बर 2020 से पदयात्रा शुरू की है। इसमें Avoid का अर्थ है जहां तक हो सके विद्युत के उपयोग से बचो; Minimize यानी सम्भव न हो तो न्यूनतम उपभोग का पालन करो ; साथ ही Generate अर्थात सौर ऊर्जा के माध्यम से इसको स्वयं पैदा करो।

जीवन शैली के स्थान पर उसके परिणाम पर चिंतन केन्द्रित होने से परिवर्तन के नाम पर हाँथ में ज्यादा कुछ लगे इसकी गुंजाईश न के बराबर ही समझी जाये तो ठीक . बिजली विभाग ने अभी संचार पत्रों में एडवाइजरी जारी कर बताया कि बिजली की बचत और बढ़ते तापमान पर अंकुश लगाने में एसी (एयर कंडीशनर) का सदुपयोग भी योगदान दे सकता है. 27 डिग्री के नीचे टेम्परेचर सेट करने पर कंप्रेसर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है , बिजली ज्यादा खर्च होती है।

जो चेतन कहते हैं, वही बात धर्मशास्त्र में इस प्रकार कही गयी है- 'ओउम ईशा वस्यमिदं सर्व यात्किंच्य जगत्यां जगत. तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृद्ध कस्यस्विद्धनम.' अर्थात , 'ईश्वर की सत्ता जगत के हर भाग में विद्यमान है, इसलिए सम्पदा भगवान की है और इसलिये सम्पदा का त्यागपूर्वक उपभोग करें। (ईशावास्योपनिषद)

पिछले साल के आंकड़े के अनुसार दुनिया भर में 36 करोड़ से अधिक एसयूवी (स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल) कारें इस्तेमाल हो रहीं थी। ये कारें 200 से 300 किलोग्राम ज्यादा वजनी होती हैं इसलिए इन्हें ज्यादा ईंधन चाहिए। बताया जाता है कि इन कारों से 20 प्रतिशत कार्बन डायऑक्साइड अधिक वातावरण में घुलता है।

सामान्य बोध कहता है कि प्रकृति आपकी आवश्यकता की पूर्ति तो कर सकती है, बेलगाम उपभोग की लालसा को नहीं। इसलिए हमें प्रकृति को बचाना है तो अपनी जीवनशैली को बदलना होगा। पश्चिम में कई लोगों ने प्रकृति की ओर लौटना शुरू किया है।

समय-बोध

पानी के प्रबंध में कुशलता की जरूरत

डॉ. मनमोहन प्रकाश

कितना विचित्र व्यवहार है भारत की जनता और जनता के रहनुमा बनते राजनीतिज्ञों का कि जब पानी की कमी होती है, मिलता नहीं है तो हाहाकार मचाते हैं, खाली मटके फोड़ते हैं, नारे लगाते हैं, अनशन पर बैठते हैं, पूर्ववर्ती सरकारों को कोसते हैं, व्यवस्था के लिए धन का रोना रोते हैं, दूसरे राज्यों पर दोषारोपण करते हैं और जब इन्द्रदेवता वर्षा के रूप में पर्याप्त शुद्ध जल भेजते हैं तो उसे सहजते नहीं, उसका मितव्यियता से उपयोग नहीं करते हैं। उसके महत्व को समझते नहीं।

भारत में हर गर्मियों में कमोबेश सभी राज्यों और जिलों ने पानी की कमी और किल्लत को महसूस किया जाता है, टैंकरों से गली- मोहल्ले में पानी पहुंचाया जाता है। इस समय जहां एक ओर पानी को प्राप्त करने के लिए पड़ोसियों को आपस में लड़ते देखा जा सकता है वहीं दूसरी ओर रसूखदारों को पानी के टैंकरों द्वारा सप्लाई के माध्यम से पैसा बनाते हुए भी देखा जा सकता है। सरकारों ने भी पानी की समास्या का स्थाई समाधान खोजने के ईमानदारी से प्रयास किए हों. ऐसा जमीन पर दिखाई नहीं देता।

यह भी चिंता का विषय है कि सरकारों ने गंभीरता से कभी कारणों का पता लगाने का सही ढंग से प्रयास भी नहीं किया। तभी न तो शहर की जनसंख्या के अनुपात में जल संग्रहण संरचनाओं का विस्तार होता है और न ही जो है उनका ठीक से रखरखाव और प्रबंधन होता है। न ही जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने के प्रयास होते हैं और न ही जलसंग्रहण रचनाओं को वर्षा जल पहुंचाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाया जाता है।

अन्य शहरों और राज्यों की क्या बात करें, देश की राजधानी दिल्ली में हम सबने ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी और उसके द्वारा निर्मित अप्रिय, कष्टप्रद नजारा देखा है और 2024 की वर्षा ऋतु की शुरुआत में ही जगह-जगह पर घर और उसके आसपास जल भराव और उसमें रहवासियों (क्या खास और क्या आम) के महत्वपूर्ण समान के तैरने का नजारा भी देखा है। दोनों ही परिस्थितियों में राज्य सरकार ने अपनी गलती नहीं मानी।

पानी की कमी के लिए कु-जलप्रबंधन के स्थान पर जहां पड़ोसी राज्य द्वारा कम पानी छोड़ने/देने को जिम्मेदार ठहराया वहीं अतिवर्षा के लिए उसको सहजने के उपाय करने के स्थान पर इंद्र देवता को अतिवर्षा के लिए दोष दिया। ऐसी ही जल समस्या कमोबेश सभी राज्यों में है। वास्तव में ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी से बचना, योजनाबद्ध तरीके से उचित प्रबंधन ना करना संबंधित अधिकारियों और राजनेताओं की फितरत रही है वहीं जल मिलने पर उसका अपव्यय करना, महत्व न समझना उपभोक्ता की नियति। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के कुछ शहरों में जल समस्या दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन जैसा रूप ले ले।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

भारत में शारीरिक निष्क्रियता का बढ़ना चिन्ताजनक

-ललित गर्ग

भारत में बढ़ती शारीरिक अकर्मण्यता एवं आलसीपन एक समस्या के रूप में सामने आ रहा है, लोगों की सक्रियता एवं क्रियाशीलता में कमी आना एवं वयस्कों में शारीरिक निष्क्रियता का बढ़ना चिन्ता का सबब है। इस दृष्टि से प्रतिष्ठित लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल की वह हालिया रिपोर्ट आईना दिखाने वाली है जिसमें पचास फीसदी भारतीयों के शारीरिक श्रम न करने का उल्लेख है। महिलाओं की स्थिति ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली है। उनकी निष्क्रियता का प्रतिशत 57 है। वैसे अकेले पुरुषों की निष्क्रियता का प्रतिशत 42 है। इस अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि अगर वर्तमान में तेजी से पसर रहा आलसीपन एवं शारीरिक निष्क्रियता इसी तरह जारी रहा तो 2030 तक भारत में अपर्याप्त शारीरिक सक्रियता वाले वयस्कों की संख्या बढ़कर साठ प्रतिशत तक पहुंच जायेगी, जो चिन्ताजनक है।

लैंसेट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार, भारत की आधी वयस्क आबादी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के शारीरिक गतिविधि संबंधी मानदंडों को पूरा नहीं कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के वयस्कों में अपर्याप्त शारीरिक सक्रियता का पैमाना 2000 में 22.3 फीसदी से बढ़कर 2022 में 49.4 फीसदी हो गई है, साथ ही इसमें बताया गया है कि देश में महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा शारीरिक रूप से ज्यादा निष्क्रिय हुई हैं। इस निष्क्रियता, आलसीपन एवं उदासीनता का कारण बढ़ते उपभोक्तावाद एवं शहरीकरण से उपजी सुविधावादी एवं आरामदायक जीवनशैली है। इसके कारण बीमारियां भी बढ़ रही है। क्योंकि जब व्यक्ति को सुस्त, निढ़ाल एवं निस्तेज देखा जाता है तो इसका सीधा अर्थ यही लगाया जाता है कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। विडम्बना यह भी है कि समय के साथ विस्तृत होने दायरे के बीच ज्यादातर लोगों की व्यस्तता तो बढ़ी है, मगर उनकी शारीरिक सक्रियता, उत्साह एवं जोश में तेजी से कमी आई है, जो नये बनते भारत एवं सशक्त भारत के निर्माण के संकल्प के सामने एक बड़ी चुनौती है।

भविष्य के भारत को लेकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की साठ प्रतिशत आबादी अगर शारीरिक रूप से पर्याप्त सक्रिय नहीं रहे तो आने वाले वक्त में यहां की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से कैसी तस्वीर बनेगी। जिस देश की अधिकांश आबादी के सामने रोजी-रोटी की समस्या जटिल एवं अहम है, वहां के लोगों को जीवन चलाने के लिये शारीरिक रूप से जरूरत से ज्यादा सक्रिय रहते हुए श्रम करना पड़ता है। इन स्थितियों में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि भारत में ऐसे हालात कैसे पैदा हो रहे हैं कि यहां इतनी बड़ी आबादी सुस्त एवं आलसी होती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित शोधकताओं का मानना है कि भारत एशिया प्रशांत में उच्च आय वर्ग वाले देशों में निष्क्रियता के क्रम में दूसरे स्थान पर है। निस्संदेह, लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल की हालिया रिपोर्ट आंख खोलने वाली है, रिपोर्ट गंभीर चिन्तन-मंथन की आवश्यकता को भी उजागर कर रही है। यह जानते हुए भी कि भारत लगातार मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियों में जकड़ता हुआ बीमार राष्ट्र बनता जा रहा है। इन असाध्य बीमारियों का कारण कहीं-न-कहीं श्रम की कमी एवं सुविधावादी जीवनशैली ही है। दरअसल, आजादी के बाद देश में आर्थिक विकास को गति मिली है। अब हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। औसत भारतीय के जीवन स्तर में सुधार जरूर आया है तो आम नागरिक का जीवन सुविधावादी भी बना है। इस संकट की वजह शहरीकरण और जीवन के लिये जरूरी सुविधाओं का घर के आस-पास उपलब्ध हो जाना भी है, आनलाइन प्रचलन भी बड़ा कारण बन रहा है। पहले देश की साठ फीसदी से अधिक आबादी कृषि व उससे जुड़े श्रमसाध्य कार्यों में सक्रिय थी। लेकिन अब मेहनतकश किसान को कोई शारीरिक श्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कृषि की ही तरह अन्य श्रम से जुड़े कार्यों में भी मेहनत एवं श्रम पहले ही तुलना में कम करना पड़ता है क्योंकि धीरे-धीरे कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में आधुनिक यंत्रों व तकनीकों ने शारीरिक श्रम की महत्ता को कम किया है। कृषि-क्रांति से बड़ी संख्या में निकले लोगों ने शहरों को अपना ठिकाना बनाया, लेकिन वे शारीरिक सक्रियता को बरकरार नहीं रख पाये। इन स्थितियों ने भी व्यक्ति को आलसी, अकर्मण्य एवं सुस्त बनाया है। इस शारीरिक निष्क्रियता के मूल में भारतीय पारिवारिक संरचना व सांस्कृतिक कारण भी हैं। घर-परिवार संभालने वाली महिलाओं में भी बढ़ते सुविधा के साधनों के कारण श्रमशीलता कम हुई है। कुछ दूर पर सब्जी-फल लेने जाने पर भी हम वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि शहरों में स्वास्थ्य चेतना का विकास नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद शहरों के पार्कों में सुबह गिने-चुने लोग ही नजर आते हैं। व्यक्तियों में प्रातः भ्रमण, योग, ध्यान, व्यायाम की गतिविधियों में भी कमी देखने को मिल रही है। इस जटिल से जटिलतर होती समस्या से मुक्ति के लिये हर व्यक्ति को जागरूक होना होगा। खुद को छोटी-मोटी असुविधाओं के लिए तैयार करना होगा। कभी-कभार थोड़ा कम नींद लेने, कम खाने या फिर ज्यादा देर काम कर लेने की मानसिकता को बल देना होगा। जरा सी चुनौती सामने आने पर बेचैन न हों, उसे नया सीखने के मौके व नए अनुभव के रूप में देखना होगा। अक्सर जब कुछ नया करने के लिए कदम बढ़ाते हैं, तो पुरानी आदतें एवं आराम की मानसिकता तुरंत परीक्षा लेने आ जाती हैं। हमें ललचाती हैं या फिर खुद को थोड़ा ढील देने के लिए कहती हैं। मन भी खुद को बड़ी आसानी से समझाने लगता है कि कुछ देर और सो जाने, और मीठा खा लेने, फोन पर बात करने या काम को कल पर टालने से कुछ गड़बड़ नहीं होगा। कुल मिलाकर हम मन के बहकावे में आने लगते हैं और खुद को छूट देने लगते हैं जो हमें सुस्त, आलसी एवं निस्तेज बनाता है।

विचित्र स्थिति यह भी है कि लोगों में व्यस्तता में एक अजीब किस्म की बढ़ोतरी हुई, जीवन व्यस्त से ज्यादा अस्त-व्यस्त हुआ है। जरूरी कामों को छोड़कर तमाम लोग रोजाना पांच से सात घंटे या इससे भी ज्यादा समय अपने स्मार्टफोन या अन्य तकनीकी संसाधनों, सोशल मीडिया एवं अन्य आभासी मंचों पर समय बर्बाद करते हैं। कोरोना महामारी के दौरान वर्क फरोम हॉम का प्रचलन बढ़ा, उसने भी लोगों को ज्यादा शिथिल होने में भूमिका निभाई है। देर राज तक जगना एवं सुबह देर तक सोना, इस तरह बिगड़ती दिनचर्या एवं शरीर की प्राकृतिक घड़ी का चक्र बिगड़ने से दिन भर आलस्य बना रहता है। ताजा अध्ययन में पता चला कि 195 देशों में भारत अपर्याप्त शारीरिक सक्रियता के मामले में 12वें स्थान पर है। इसके अलावा, लैंसेट की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर एक तिहाई वयस्क लगभग 1.8 बिलियन लोग 2022 में अनुशंसित शारीरिक सक्रियता को पूरा करने में विफल रहे। जिसके कारण मधुमेह एवं हृदय रोग का खतरा मंडरा रहा है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में महिलाओं में अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि चिंता का विषय बनी हुई है। क्योंकि वे पुरुषों की तुलना में 14-20 फीसदी से अधिक पीछे हैं। अध्ययन के अनुसार, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में महिलाएं अधिक सक्रिय हैं। भारत में बढ़ती शारीरिक निष्क्रियता, आलसीपन एवं सुस्ती को दूर करने के लिये समग्र जन-चेतना को जगाना होगा। सरकार को भी शारीरिक श्रम की योजनाओं को बल देना होगा। शारीरिक सक्रियता में कमी की वजहों और नतीजों पर अगर गौर नहीं किया गया तो इन सबका समुच्चय आखिर व्यक्ति को विचार, कर्म, शरीर से कमजोर ही नहीं बल्कि बीमार बनायेगा, जो आजादी के अमृतकाल को धुंधलाने का बड़ा कारण बन सकता है।

उत्तर प्रदेश भाजपा की घटी सीटों को लेकर लगातार समीक्षा बैठके जारी, किस पर गिरेगी गाज?

अशोक भाटिया

लोकसभा चुनाव में भाजपा की घटी सीटों को लेकर लगातार समीक्षा बैठकर चल रही है। राज्यों की समीक्षा बैठकों की पूरी जानकारी केंद्र से साझा की जा चुकी है, जबकि कई राज्यों में अभी भी समीक्षाएं चल रही हैं। पार्टी से जुड़े सूत्रों की मानें तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में खिसके भाजपा के जनाधार को लेकर हुई समीक्षा बैठकों और तैयार हुई रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए हैं। इसमें तीन मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आम सहमति यह बनी कि अगर इनको वक्त से पहले समझ लिया गया होता, तो प्रदेश में यह स्थिति नहीं होती।लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ने पर एक रिपोर्ट हाईकमान को भेजी गई है। इससे जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि जिन विधायकों ने कथित भीतरघात करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार भीतरघात करने वाले भाजपा विधायक भी नेतृत्व के रडार पर हैं। आगामी विधानसभा चुनावों में करीब 100 भाजपा विधायकों के टिकट कटने के आसार हैं। जातीय समीकरण पक्ष में होने के बावजूद कई विधायक अपनी ही सीट नहीं जिता पाए। हार की समीक्षा कर रही भाजपा की स्पेशल टीम ने प्रदेश नेतृत्व को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी।

साल 2022 में भाजपा ने लगभग 80 विधायकों के टिकट काटे थे। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र की विधायकों ने लोकसभा कैंडिडेट के खिलाफ माहौल बनाया।कई विधानसभाओं में विधायकों की निष्क्रियता से भी पार्टी को नुकसान हुआ। ऐसे विधायको का पार्टी ने पूरा ब्योरा तैयार कर लिया है। सहयोगी दलों ने भी विधायकों की भूमिका को लेकर अपनी रिपोर्ट दी है। दावा है कि साल 2027 के चुनाव में इन बातों को ध्यान में रखकर ही पार्टी टिकट वितरण करेगी।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 33 सीटें मिली हैं। वहीं सपा और कांग्रेस अलायंस को 43 सीटें मिली हैं। भाजपा को राज्य से 70 से ज्यादा सीटों की उम्मीद थी। हालांकि उसे सिर्फ 33 सीटें मिलीं थीं।80 में 80 का नारा देकर चुनाव में उतरी भाजपा केवल 33 सीटों पर ही सिमट गई, जबकि इससे पहले दो लोकसभा चुनाव, 2014 और 2019 में भाजपा को 71 और 62 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा और पार्टी की रणनीति पूरी तरह फेल हो गई और भाजपा अयोध्या में भी हार गई।

लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रभुत्व और दबदबे को विपक्षी इंडिया गठबंधन से कड़ी चुनौती मिली, जिसको भाजपा को उम्मीद भी नहीं थी। इस चुनाव में भाजपा वह सीट भी हार गई, जहां उसका दबदबा होता था। भाजपा को सबसे बड़ा झटका अयोध्या में लगा। राम मंदिर के निर्माण के बाद ये पहला लोकसभा का चुनाव था और भाजपा को यहां से हार मिली। फिलहाल भाजपा अपनी हार की समीक्षा कर रही है और कयास लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भीतरघात करने वाले नेताओं पर एक्शन की तैयार की जा रही है। इसके अलावा भी हार के तमाम कारण सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव का मुस्लिम-यादव , पिछड़ा दलित समीकरण काम कर गया। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा को उसके कोर वोटर्स का भी वोट नहीं मिला। जिसमें सबसे खास रहे राजपूत वोटर्स। कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी वाला बयान काम कर गया। केजरीवाल ने ऐन चुनावों के बीच कहा था कि भाजपा फिर आई तो योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा देगी, ठीक उसी तरह जिस तरह मध्यप्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया। इस तरह राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक में भाजपा को हुए नुकसान में राजपूत वोटर्स की नाराजगी का कारण बताया जा रहा है। कुछ ऐसे ही कारणों से सोशल मीडिया में अचानक ऐसे चुटकुले और मीम्स दिखाई देने लगे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन चुनावों में भाजपा की हार के लिए जिम्मेदार बन गए हैं। इसमें चुनाव हारने वाली साध्वी निरंजन ज्योति और बहुत कम वोटों से जीतने वाले साक्षी महाराज के बयानों का भी सहारा लिया जा रहा है। जिन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों को लेकर भितरघात का आरोप लगाया है।

वैसे देखा जाय तो आज की भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाजपा में अहमियत को कम नहीं आंका जा सकता। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भाजपा के चुनावी कैंपेन में उनकी डिमांड शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे अधिक रहती है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी नरेंद्र मोदी ने अगर 206 रैलियां और सभाएं की हैं तो योगी आदित्यनाथ ने 204 रैलियां और सभाएं कीं । कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों ने चिट्ठी लिखकर योगी आदित्यनाथ की सभा की डिमांड की थी। पार्टी के पोस्टर बॉय बन चुके हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और उनका पार्टी के प्रति समर्थन किसी से भी कम नहीं है। उनकी कार्यशैली को देश को कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने फॉलो किया। विपक्षी शासन वाले राज्यों में कानून व्यवस्था में सुधार के लिए बुलडोजर बाबा का उदाहरण दिया जाता है।उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अलग-अलग कारणों से उनकी चर्चा होती रहती है। 2019 के लोकसभा चुनावों और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कानून व्यवस्था की गारंटी के रूप में उन्हें देखा जाता रहा है। इस बार भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास के लिए स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तारीफ की थी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में कभी भारतीय जनता पार्टी के पैरलल योगी आदित्यनाथ की पार्टी हिंदू युवा वाहिनी काम करती रही है। जिसे अब भंग किया जा चुका है। 2 दशक पहले तक योगी अपना चुनाव घोड़ा मय सवार वाले चुनाव चिह्न से चुनाव लड़ते थे। योगी से पूर्व के गोरखनाथ मठ महंत अवैद्यनाथ संसद का चुनाव लड़ते थे और योगी विधायकी का। गोरखपुर के आस पास के क्षेत्रों में भाजपा अगर मठ के पसंद के प्रत?शी नहीं खड़ी करती तो उसे हिंदू युवा वाहिनी के मजबूत प्रत्याशी का सामना करना होता था। मठ की ओर ऐसी व्यवस्था कर दी जाती थी कि गोरखपुर में एक नारा मशहूर हो गया कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है।

योगी के बिरोधी उनकी इसी कार्यशैली की चर्चा आज कर रहे हैं। इसके लिए गोरखपुर में 2018 में हुए लोकसभा उपचुनाव और 2023 में हुए घोसी उपचुनाव की चर्चा कर रहे हैं। दरअसल 2017 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी संसद की सीट छोड़नी पड़ी थी। गोरखपुर सीट पर उपचुनाव हुए और योगी की गढ़ रही सीट उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा हार जाती है।जाहिर है मुख्यमंत्री योगी पर सवाल उठने ही थे। मुख्यमंत्री के विरोधियों ने कहा कि योगी के पसंद के व्यक्ति को टिकट न मिलने के चलते उन्होंने जानबूझकर चुनाव में मन से प्रचार नहीं किया। इसी तरह घोसी उपचुनाव में हार पर कहा गया है कि वो दारा सिंह चौहान को विधायक बनाने की राह में वो रोड़ा बन गए क्योंकि चौहान को भाजपा में लाने के पक्ष में वो नहीं थे। कहने का मतलब यही है कि योगी आदित्यनाथ को जब छेड़ा जाता है तो वो रिएक्ट जरूर करते हैं।

उत्तर प्रदेश में योगी समर्थकों के नाराज होने की पर्याप्त वजहें हैं। समर्थकों का कहना है कि योगी के साथ भाजपा में सौतेला व्यवहार किया जाता है। जिस तरह से योगी पार्टी के लिए जी जान लगा देते हैं उस तरह चुनाव कैंपेन को लेकर फुल फ्लेज्ड पावर नहीं दी जाती है। यहां तक कि उनके समर्थकों को टिकट भी नहीं मिल पाता है। योगी समर्थकों की नाराजगी इस बात को लेकर रहती है कि योगी को अपने पसंद के अधिकारियों तक की नियुक्ति के पावर नहीं मिलता है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी ने कभी भी इस तरह का व्यवहार सार्वजनिक जीवन में नहीं दिखाया जिससे यह कहा जा सके कि वो अपने केंद्रीय नेतृत्व से इस मामले में नाराज हैं।उत्तर प्रदेश में भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो योगी को महत्व नहीं देते रहे हैं। महिला खिलाड़ियों से दुर्व्यवहार के आरोपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह सीधे बुलडोजर की कार्रवाई के बहाने योगी आदित्यनाथ की आलोचना करते रहते हैं। मंत्रिमंडल के भी कुछ लोग अंदर ही अंदर योगी के आदेशों की अवमानना करते रहे हैं। यह सब बातें ऐसी रही हैं जिनके कारण राजपूत समाज में यह बात अंदर तक फैल गई कि मोदी सरकार के मजबूत होने के बाद योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा।

हालांकि उत्तर प्रदेश की हार को राजपूतों की नाराजगी से जोड़ने वाले कितने नादान हैं इसे उत्तर प्रदेश के रिजल्ट से समझ सकते हैं। रायबरेली में राहुल गांधी करीब साढ़े चार लाख वोटों से चुनाव जीते हैं। इसके मुकाबले राजनाथ सिंह की जीत कितनी मामूली है। क्या राजपूतों ने राजनाथ सिंह को भी वोट नहीं दिया। अगर राजपूतों ने भाजपा को वोट नहीं दिया तो फिर गाजियाबाद में भाजपा कैंडिडेट अतुल गर्ग साढ़े तीन लाख वोटों से कैसे जीत गए। नोएडा में भी महेश शर्मा भाजपा से इससे भी बड़ी मार्जिन से जीते हैं। ये दोनों सीटें मोस्ट राजपूत डॉमिनेटेड हैं। बुलंदशहर में राजपूत निर्णायक संख्या में हैं यहां भी भाजपा जीती है।

अलीगढ़ में भाजपा को बहुत नजदीकी अंतर से जीत मिली वो इसलिए संभव हो सका क्योंकि राजपूत बाहुल्य बरौली विधानसभा से भाजपा को 35 हजार की लीड मिली। डुमरियागंज में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरिशंकर तिवारी के पुत्र कुशल तिवारी का मुकाबला भाजपा के राजपूत कैंडिडेट जगदंबिका पाल से था। जगदंबिका पाल को भी जीत मिली है। दरअसल भाजपा को मंथन करना होगा कि उसे क्यों वोट नहीं मिले। नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी केवल डेढ़ लाख वोट से नहीं जीतते? राजपूत वोटों के लिए योगी आदित्यनाथ पर ठीकरा फोड़ भाजपा अपना ही नुकसान करेगी। अयोध्या से लल्लू सिंह राजपूत प्रत्याशी थे और रामलला को भी राजपूत अपना पूर्वज मानते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि राजपूतों ने भाजपा को वोट न दिया हो। कुछ भी हो सीटों की हुई कमी की समीक्षा व समाधान जरुरी है क्योंकि अब जल्द ही उत्तरप्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है व 2027 में विधानसभा चुनाव जहाँ फिर दो युवाओ की जोड़ी का सामना करना है।

सपा अवधेश के सहारे देगी बीजेपी के हिंदुत्व को चुनौती

-अजय कुमार

समाजवादी पार्टी अयोध्या लोकसभा सीट से सपा की जीत को एक बड़ा सियासी मुद्दा बनाने का हर जतन कर रही है। जाने-अंजाने वह बीजेपी से लड़ते-लड़ते प्रभु श्रीराम को चुनौती देने लगी हैं। सपा सांसद धमेन्द्र यादव का वह कृत्य कैसे भुलाया जा सकता है जब संसद के भीतर वह अयोध्या से विजय हुए अवधेश प्रसाद की शान में जय अवधेश के नारे लगाते हैं। वह कहीं न कहीं ऐसा करके जय श्री राम के समानांतर अवधेश प्रसाद को खड़ा दिखाने की साजिश कर रहे थे। इतना नहीं सपा द्वारा सांसद अवधेश को अयोध्या का राजा बताया जा रहा था, जबकि समाजवादी जानते हैं कि अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम थे। यह बात आज तक निर्विवाद सत्य है। इसी तरह उनको सपा संसद में सबसे आगे की कुर्सी पर बैठाती है, जबकि समाजवादी पार्टी के अन्य दो-तीन बार तक के सांसद अवधेश प्रसाद के पीछे की कुर्सियों पर बैठे नजर आते हैं। हालात यह है कि अब तो विपक्ष अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर का चुनाव लड़ाने की भी बात कहने लगा है,जबकि वह पहली बार लोकसभा चुनाव जीत कर आये हैं। ऐसा लगता कि अयोध्या को समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी एजेडे में शामिल कर लिया है। ऐसा करके वह बीजेपी के हिन्दुत्व कार्ड को चुनौती तो अपने पीडीए वाले एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अवधेश दलित समाज से आते हैं,इसके जरिये भी वह दलितों को बड़ा संदेश देना चाहते हैं। यह सिलसिला फिलहाल थमने वाला नहीं लगता है। अभी दस सीटों पर विधान सभा चुनाव होने हैं। सपा देखना चाहती है कि इसका उसे चुनाव में कितना फायदा मिलेगा। यदि उप चुनाव में भी सपा का प्रदर्शन बेहतर रहा हो वह 2027 के विधान सभा चुनाव तक अपने इसी एजेंडे को आगे बढ़ा सकता है। ऐसा इसलिये हो रहा है क्योंकि विपक्षी नेताओं की आपसी चर्चा में लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पद के लिए अवधेश प्रसाद के नाम पर बेझिझक सहमति की सबसे बड़ी वजह है कि आइएनडीआइए फैजाबाद में भाजपा की हार को देश की रणनीति के लिए एक बड़ा निर्णायक संदेश मान रहा है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल कह चुके हैं कि अयोध्या से जुड़े फैजाबाद में सपा के अवधेश प्रसाद की जीत भाजपा के वैचारिक धारा की शिकस्त का बड़ा संदेश है। इस अनारक्षित लोकसभा सीट पर दलित समुदाय से आने वाले अवधेश प्रसाद ने भाजपा को पराजित किया है। फैजाबाद के सांसद को राजनीतिक अहमियत देने का संदेश तो 18 वीं लोकसभा की पहली बैठक में ही दे दिया गया था। जब अखिलेश अपने एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ से अवधेश प्रसाद को थामे सदन में पहुंचे। राहुल गांधी ने भी अवधेश प्रसाद को उसी दिन से विपक्ष के प्रमुख चेहरों में रखने का संदेश देते हुए उन्हें पहली पंक्ति में अपने साथ बिठाते हुए चर्चा की। राहुल ने अखिलेश से बातचीत में अवधेश को डिप्टी स्पीकर बनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सपा प्रमुख ने सहर्ष हामी भरी। इसके बाद जब राहुल की अखिलेश और अभिषेक से एक साथ मंत्रणा हुई तो टीएमसी नेता ममता बनर्जी, शरद पवार व एमके स्टालिन ने भी उनके नाम पर सहमति जता दी। विपक्ष की ओर से डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार का औपचारिक ऐलान तभी होगा जब सरकार चुनाव कराने की घोषणा करेगी। संसद सत्र में तीन दिन बचे है। आईएनडीआईए का कहना है डिप्टी स्पीकर का पद परंपरागत रूप से विपक्ष को दिया जाता है, जैसे वाजपेयी के कार्यकाल में कांग्रेस के पीएम सईद को डिप्टी स्पीकर बनाया गया। दरअसल, विपक्ष डिप्टी स्पीकर पद पर परंपरागत रूप से अपनी स्वाभाविक दावेदारी मान रहा है पर एनडीए सरकार तैयार नहीं हुई तो फिर चुनाव की स्थिति में भी अवधेश प्रसाद ही विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में उतरेंगे। कांग्रेस सूत्रों ने डिप्टी स्पीकर पद के लिए शीर्ष विपक्षी नेताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत होने का संकेत देते हुए कहा कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की सपा प्रमुख अखिलेश यादव और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी संग इसको लेकर चर्चा की थी।

वह दिन गए जब हम डाकिये का इंतजार करते थे

- सुरेश सिंह बैस शाश्वत

आज का डाक टिकट, जो डाक विभाग द्वारा मुद्रित एवं जारी कागज का वह टुकड़ा है, जिसका उपयोग निश्चित राशि के भुगतान के पश्चात एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने के लिये किया जाता है। डाक टिकट का सर्वप्रथम चलन ग्रेट ब्रिटेन द्वारा 6 मई 1840 को किया गया, जो पेनी ब्लेक के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्व जब डाक टिकट का चलन शुरू नहीं हुआ था, चिट्ठियों का सेवा शुल्क या तो भेजने वाले को पेशगी देना पड़ता था ?या पाने वाले को बाद में चिट्ठी का शुल्क दूरी के हिसाब से देना पड़ता था। डाक टिकटों को सबसे पहले ब्रिटेन के रोलैण्ड हिल द्वारा प्रयोग में लाया गया। इसके पश्चात 1843 में ब्राजील, 1845 में बोसेल, 1847 में अमेरिका, मारिशस और त्रिनिदाद आदि देशों द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। भारत वर्ष में सबसे पहले डाक टिकटों का चलन सन 1852 में सिंध के कमिश्नर बार्टले फेरे द्वारा सिंध प्रांत के लिये जारी किया गया। वे टिकट सिंधडाक के नाम से प्रसिद्ध हैं।

डाक व्यवस्था का पूर्वार्ध कैसा था, आइये इसे तब से जाने

पूर्व में जब डाक जैसे शब्द का सर्वथा अभाव था, तब यह कार्य या व्यवस्था हरकारों द्वारा सम्हाला एवं संपन्न किया जाता था। हरकारा जो आज से कई दशक पूर्व एक सुपरिचित शब्द था, तब यह डाक विभाग का कार्य करता था। उस समय वाहनों की कमी होने के कारण दूरवर्ती ग्रामों एवं कस्बों में डाक पहुंचाने का काम इनके ही सुपुर्द रहता था। हरकारा का शाब्दिक अर्थ है- हरकाम को करने वाले। पहले राजे-महाराजे इससे जो भी काम रहे उसे वह बराबर करता था। इसलिये. इसका नाम हरकारा पड़ा होगा। माना जाता है कि हरकारों का प्रचलन मुगलकाल में प्रारंभ हुआ। मुगल साम्राज्य दूर दूर तक फैले होने के कारण एक प्रांत की खबर को दूसरे प्रांत में भेजना तब - संभव न था। इसलिये ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, जो इन खबरों को पहुंचाने का काम करे, और तब पैदल तथा घुड़सवार इन दो श्रेणियों के हरकारों की नियुक्तियाँ की गई।

दूरवर्ती स्थान होने के कारण इनके लिये डाक को शीघ्रातिशीघ्र पहुंचा देना जरूरी होता था। पैदल हरकारे अपने माथे पर घटियां बांधकर एवं हाथ में चाबुक रखकर फटकारते हुए दौड़ पड़ते थे। लंबीदूरी को जल्द से जल्द तब करने का उनमें दबाव रहता था। साथ ही लगातार दौड़ते रहने की उनमें सामर्थ्य भी होता था। जब थकावट महसूस होती तो वे अपनी टेंट से अफीम का गोला निकालकर उसे झट चढ़ा लेते। प्रसिद्ध यात्री व लेखक इब्न बतूना ने हरकारों के संबंध में लिखा है। मैंने हरकारे देखे, जो मुहम्मद बिन तुगलक के राज्य में पत्र पहुंचाया करते हैं। इस समय दो तरह के हरकारे है एक पैदल और दूसरा घुडसवार पैदल हरकारा ₹एलवह₹ कहलाते हैं। जिसमें एक एक मील पर हरकारे बदले जाते हैं। हरकारे के हाथ में एक लाठी होती है, जिसके ऊपरी सिरे पर घुंघरू बंधे होते हैं। एक मील का फासला पूरा होते देख वह लाठी को हिलाकर उसमें बंधे घुंघरूओं को जोर जोर से बजाता है। आवाज सुनकर अगला हरकारा रुक्का (पत्र) लेने के लिये आगे आता है और इस तरह रुक्का पहुंचाने का काम जारी रहता है। एक अन्य लेखक बासरेट के अनुसार इन हरकारों के दौड़ने की गति घोड़ों जितनी तेज होती थी। नियुक्ति से पहले वे अपने पैरों में सीसे के जूते पहनकर दौड़ने का अभ्यास करते, और एक स्थान पर खड़े होकर पैरों को बार बार उठाकर टांगों को इतना ऊपर उठाते कि उनकी एड़ी कूल्हे तक पहुंच आए। जूते उतारने पर वे हरकारे के पद के लिये योग्य माने जाते एक विवरण के अनुसार हरकारों के धैले में जिसमें फरमान (बादशाह के सीधे आदेश) निशान (शाहजादे द्वारा शाह को छोड़ अन्य व्यक्तियों को लिखा गया पत्र), अर्जवस्त (शाहजादे या प्रजा द्वारा शाह को लिखा गया पत्र) अहकन और नम्ज (शाह द्वारा लिखवाये गये संक्षिप्त निर्देश) तंथ रुक्का (निजी पत्र) होता था। आगे यह भी उल्लेखित है कि उस समय हाथों में पत्र देना अशुभ माना जाता था। इस लिये - हरकारा दूसरे हरकोरे के पैर के पास पत्र फेककर वापस लौट जाता था।

घोडों पर सवार होकर डाक पहुंचाने की व्यवस्था को एलबोलक कहा जाता था। इसका संचालन बादशाह की घुड़सेना करती थी। इस तरह चौदह मील पर डाक चौकी की व्यवस्था होती थी, जहां पहुंचकर ये घुड़सवार हरकारे अपनी डाक दूसरे घुडसवार हरकारे को देते, जो ताजे दम घोड़ो के साथ आगे बढ़ते घोड़ों को बदलने की व्यवस्था ₹डाक लगाना₹ कहलाती थी। बाद में ₹डाक₹ वितरित किये जाने वाले पत्रों के समूह के लिये लागू हो गया। और आगे चलकर उसे पहुंचान वाली रेल का नाम₹डाक गाड़ी₹ (मेल) पड़ गया और डाक का वितरण करने वाला डाकिया कहलाने लगा। पहले वस्तुतः हरकारा जासूसी का भी काम करते थे। इनका काम नाजिम या सूबेदारों को मौलिक समाचार देने अथवा घटनाओं या हालातों के बारे में सूचित करना होता था। लिखित समाचार तो अपवाद स्वरूप ही होता था। सूबे में नियुक्त हरकारों को सूबेदार के समक्ष चारो ओर के समाचारों व घटनाओं का विवरण देना पड़ता था। प्रांतीय डाक द्वारा शाही दरबार के लिये भेजे जाने वाले पत्रों की बंद लिफाफे में देना जरुरी होता था। ये डाक सूदान हवीस (गोपनीय संवाददाता) द्वारा तैयार की जाती थी, जिसमें विभिन्न गुप्त समाचार, रिपोर्ट, नाजिस एवं दीवानों के प्रेषण व अन्य पत्र शामिल होते थे। इन्हें थैले में बंदकरे हरकारों के सुपुर्द कर दिया जाता था। धीरे धीरे यह व्यवस्था परिस्कृत होती रही पर इसका आमूलचूल परिवर्तन ब्रिटिश सरकार द्वारा नियमित डाक व्यवस्था प्रारंभ करने के बाद से ही शुरू हुआ। वैसे अपवाद स्वरूप यह राजस्थान सहित कुछ राज्यों में जारी रही किन्तु बाद में इन्होंने भी वह व्यवस्था समाप्त कर दी। और फिर डाक व्यवस्था पर इस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात उनका भी एकाधिकार जाता रहा। स्वतंत्रता के पश्चात डाक व्यवस्था एक विभाग के रूप में आस्तित्व में आया और वह आज भी पूर्णतः भारत सरकार अधीन अपना कार्य अनवरत कर रही है।

- सुरेश सिंह बैस शाश्वत

अनुप्रिया की साख पर आई आंच तो बीजेपी की लगाई क्लास

-संजय सक्सेना

-संजय सक्सेना

अपना दल (एस) की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की 2024 के लोकसभा चुनाव में सियासी जमीन क्या हिली,उन्हें दलित,कुर्मी पिछड़े सब याद आने लगे हैं। 2019 में मिर्जापुर लोकसभा सीट का चुनाव अनुप्रिया ने करीब दो लाख बत्तीस हजार वोटों के अंतर से जीता था,लेकिन 2024 में जीत का अंतर 37 हजार वोटों के करीब सिमट गया। ऐसा होते ही अनुप्रिया फिर से अपनी साख लौटाने के लिये उसी बीजेपी को घेर रही हैं जिसकी मोदी सरकार में वह और योगी सरकार में उनके पति मंत्री पद की शोभा बढ़ा रहे हैं। अपनी खोई हुई जमीन फिर से हासिल करने के लिये अनुप्रिया ने ओबीसी व एसटी के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती को लेकर जो सवाल खड़े किये वह उनके सियासी सुर्खियां बटोरने का प्रयास के अलावा कुछ नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि इसके पीछे उनकी कुर्मी वोट बैंट के खिसकने की घबराहट को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि खुद को अपनी जाति का एकमात्र नेता मान चुकीं अनुप्रिया को इस बार लोकसभा चुनाव में कड़े संघर्ष में बमुश्किल जीत मिली थी, उससे वह काफी दबाव में हैं।

दरअसल, लोकसभा चुनाव में उन्हें अपनी परंपरागत सीट पर अनुप्रिया को बड़ी मशक्कत और कड़े संघर्ष में जीत मिली थी, वहीं, राबर्टगंज सीट उनके हाथ से निकल गई। भाजपा ने अपना दल को दो ही सीटें दी थीं। इसके अलावा अनुप्रिया द्वारा एक दर्जन से अधिक सीटों पर कुर्मी जाति का प्रभाव होने का दावा किया जा रहा है, उनमें से अधिकांश सीटों पर भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा है। भाजपा द्वारा परिणामों की समीक्षा में यह बात सामने आने के बाद से ही अनुप्रिया एनडीए में अपनी साख बचाने को लेकर परेशान थीं और इसी लिये वह दबाव की राजनीति कर रही हैं। ये अलग बात है कि कुर्मी बहुल सीटों पर हार के बावजूद भी भाजपा नेतृत्व ने उनको न सिर्फ केंद्र में फिर से मंत्री बनाया, बल्कि उन्हें वह अहमियत भी दी है, जो पहले था। इसके बावजूद अनुप्रिया द्वारा ओबीसी-एसटी वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती पर सवाल उठाना भाजपा के लिए हैरानी का सबब बन गया है। खैर, अनुप्रिया के इस सियासी कदम का उन्हें आगे क्या फायदा होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने इस मुद्दे को उछालकर अपनी बिरादरी पर कमजोर होती पकड़ को फिर से मजबूत करने की कोशिश की है। वहीं, दूसरी ओर से अनुप्रिया के इस कदम को दबाव की राजनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि चुनाव परिणाम में कुर्मी वोट बैंक के खिसकने के बाद से ही अनुप्रिया को यह चिंता सताने लगी थी कि अगर एक बार वोट बैंक खिसका तो उसे दुबारा वापस पाना पार्टी के लिए कड़ी चुनौती होगी।इसलिए उन्होंने आरक्षित पदों पर भर्ती को लेकर सवाल उठाकर एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। हालांकि भर्ती आयोग के नियमावली के आधार पर अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने सरकार की ओर से अनुप्रिया के पत्र का जवाब भेजकर स्थिति को साफ कर दिया है। फिर भी उनके इस सियासी पैंतरे को लेकर चर्चा थम नहीं रही है। माना जा रहा है कि बिना सही तथ्यों से अवगत हुए ऐसा मुद्दा उठाना अनुप्रिया की बड़ी सियासी चूक है। उधर, भाजपा खेमा भी अब अनुप्रिया द्वारा पत्र लिखने के पीछे की वजहों की तलाश में जुटा गया है। दरअसल, भाजपा खेमे में इस बात की जोरदार चर्चा है कि अनुप्रिया ने यह कदम अनायास ही नहीं उठाया है। यह भी माना जा रहा है लोकसभा चुनाव में चुनाव जीतने वाले दो मंत्रियों के स्थान पर प्रदेश मंत्रिमंडल में होने वाले विस्तार और एमएलसी के रिक्त पदों पर चुनाव को देखते हुए ही अनुप्रिया ने यह कदम उठाया है। जिससे प्रदेश सरकार पर दबाव बनाया जा सके। वह पहले से ही प्रदेश सरकार में अपने कोटे से एक और मंत्री बनाने का मुद्दा उठाती रही हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक इबादत सम्पादकीय

कांग्रेस में तब्दिल हो रही भाजपा

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दस साल के कार्यकाल में ऐसे काम किए हैं कि उन्हें बिना मांगे जनता का भरपूर समर्थन मिलना चाहिए था लेकिन इसके विपरीत भाजपा को पूर्ण बहुमत भी हासिल नहीं हो सका है। इस बार मोदी जी ने जबरदस्त चुनाव प्रचार किया लेकिन कई प्रदेशों में भाजपा के अच्छा प्रदर्शन न करने के कारण भाजपा 240 सीटों पर सिमट गई। भाजपा में अपने प्रदर्शन को लेकर जबरदस्त मंथन चल रहा है। इस मंथन से भाजपा अपनी हार की सही वजह तक पहुंच कर क्या करेगी, ये देखने वाली बात होगी। मेरी नजर में भाजपा की दो कमजोरियों ने उसे उसके लक्ष्य से दूर रोक दिया। पहली कमजोरी उसके संगठन का कमजोर होना है। बेशक भाजपा खुद को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बोलती हो लेकिन इन चुनावों में कई राज्यों में पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जितने कार्यकर्ताओं के होने का दावा भाजपा करती है, उसके दस प्रतिशत कार्यकर्ता भी जमीन पर दिखाई नहीं दिए। चुनाव परिणामों के बाद टिकटों के बंटवारे को लेकर भाजपा नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है। भाजपा की गलतियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि मोदी ब्रांड अगर कमजोर पड़ जाता तो उसके लिए 240 सीटों तक पहुंचना संभव नहीं था। भाजपा लगातार दस साल से सत्ता में है और सत्ता में होने के कारण पैदा होने वाली बीमारियां उसमें भी आ गई है। 2014 वाली भाजपा और 2024 वाली भाजपा में बहुत बड़ा अंतर आ गया है और अगर हालात नहीं सुधरे गये तो ये अंतर भविष्य में बहुत भारी पड़ सकता है। देखा जाये तो कुछ हद तक भाजपा में कांग्रेस वाली बीमारियां आती जा रही हैं। सबसे बड़ी भाजपा की कमी यह सामने आ रही है कि उनकी सरकार और उसके संगठन में संवाद खत्म हो गया है। संगठन में नेता से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यकर्ता होता है। यूपी, राजस्थान सहित कई राज्यों में भाजपा सरकार ने भाजपा संगठन से दूरी बना ली है। भाजपा के कार्यकर्ता हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं क्योंकि उनके विरोधी यह कहकर चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी सरकार चल रही है। वास्तव में भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा सरकार के होने के बावजूद कोई काम नहीं करवा सकते हैं जबकि दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता अपनी सरकार होने पर नाजायज फायदा उठाते हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं का दर्द यह है कि वो नाजायज नहीं बल्कि किसी के जायज काम के लिए भी कहीं नहीं जा सकते क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। भाजपा सरकारों में अफसरों की ही चलती है इसलिए कार्यकर्ताओं की बात सुनने वाला कोई नहीं होता। वास्तव में भाजपा की सरकारें ही संगठन की कमजोरी का कारण बनती जा रही हैं। भाजपा का कार्यकर्ता कोई वित्तीय लाभ की चाह न भी रखता हो लेकिन सरकार बनने पर उसमें अपनी एक भूमिका तो देखता ही है। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता यह चाहता है कि उनकी सरकार बनने पर उसके रसूख में बढ़ोतरी हो। भाजपा के कार्यकर्ता ऐसा न चाहते हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ईमानदारी से काम करने वाला कार्यकर्ता जब देखता है कि उसकी पार्टी के नेता धीरे-धीरे अमीर होते जा रहे हैं और वो बेगार कर रहा है तो वो निराश हो जाता है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण से निकले संदेश

राष्ट्रपति मुर्मू ने 18वीं लोकसभा के पूर्ण बजट का भी कुछ प्रारूप रखा है कि वह भारत की जनता की आकांक्षाओं और जरूरतों के अनुसार होगा। संसद के जुलाई सत्र में जो बजट पेश किया जाएगा, वह वाकई जनवादी होगा। उसमें दूरगामी नीतियों और भविष्य के विजन के साथ-साथ ऐतिहासिक कदम भी उठाए जाएंगे। बेशक राष्ट्रपति भी उन कदमों का खुलासा नहीं कर सकती थीं, क्योंकि बजट की गोपनीयता का तकाजा था।

– डॉ. ओ.पी. त्रिपाठी

भारत के राष्ट्रपति में सभी कार्यकारी शक्तियां निहित होती हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता करती है तथा उन्हें सलाह देती है जोकि उस सलाह के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं।.संविधान के अनुच्छेद 87 में ऐसी दो स्थितियों का उल्लेख किया गया है जब राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया जाएगा। प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत होने पर, जब निचले सदन की पहली बार बैठक होगी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा और लोकसभा, दोनों को संबोधित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में भी राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को संबोधित किया जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं और आने वाले वर्ष की योजनाओं का अनिवार्य रूप से उल्लेख होता है। अभिभाषण सरकार के एजेंडा और दिशा का व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र के चैथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। 50 मिनट के भाषण में राष्ट्रपति ने हर मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा- पेपर लीक करने वालों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने सेना को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारियां भी बताईं। नॉर्थ-ईस्ट में शांति के लिए सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा- अगले बजट सत्र में बड़े फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने आपातकाल को संविधान पर सीधा हमला बताया, यह भी कहा- देश ने इस हमले से उबरकर दिखाया। उन्होंने महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीबों के बारे में बात की। राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की तारीफ की, वहीं जीएसटी को भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मील का पत्थर बताया। राष्ट्रपति का अभिभाषण भारत सरकार का ही दस्तावेजी वक्तव्य होता है। उसे सरकार लिखती है और राष्ट्रपति उसे पढ़ते हैं, क्योंकि सरकार राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित की जाती है। यह गणतंत्र की एक खूबसूरत परंपरा है कि राष्ट्रपति संसद की साझा बैठक को संबोधित करते हैं। अभिभाषण के मायने स्पष्ट हैं कि केंद्र सरकार की नीतियों, योजनाओं, उसके कार्यक्रमों और विजन का यह सारांश खुलासा होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उसी गरिमामय परंपरा को निभाया है। उन्होंने मोदी सरकार की उन परियोजनाओं की प्रशंसा की, जिन्हें देश अक्सर सुनता रहा है, लेकिन विपक्ष पूरी तरह सहमत नहीं है। वह उन्हें लीपापोती मानता है अथवा झूठे आंकड़े करार देता है। मसलन-गरीबी से बाहर निकालने वाले लोगों का डाटा सवालिया है। देश की जनता उन परियोजनाओं से इसलिए भी वाकिफ है, क्योंकि वह ही लाभार्थी है, लेकिन इस बार राष्ट्रपति मुर्मू का फोकस आर्थिक समृद्धि और सुधारों की निरंतरता पर अधिक रहा है। देश की आर्थिक विकास दर 8 फीसदी के करीब है और भारत का औसत विकास विश्व में सर्वाधिक और सबसे ज्यादा गतिमान है। भारत बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था होगा, सरकार का यह संकल्प है। यानी जापान और जर्मनी भी भारत से पीछे होंगे। राष्ट्रपति का उल्लेख कोई नया नहीं है। सत्तारूढ़ पक्ष अक्सर ऐसे दावे करता रहा है। आम चुनाव के दौरान ऐसे डाटा की भरमार रही, लेकिन मोदी सरकार ने राष्ट्रपति के जरिए यह खुलासा कराया है, लिहाजा उसे विश्वसनीय मानना चाहिए। सदन के अंदर अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने जैसे ही देश में लगाए गए आपातकाल के उस दौरा का जिक्र किया तो विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर शोर मचाना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान आपातकाल के उस दौरा का जिक्र करते हुए कहा कि आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर बड़े और सीधे हमले का काला अध्याय था। उस दौरान पूरे देश में हाहाकार मच गया था। लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने जीत हासिल करके दिखाई। क्यों कि भारत के मूल्य में गणतंत्र की परंपराएं रही हैं। राष्ट्रपति के ऐसा बोलते ही पीएम मोदी ने मेज थपथपाकर उनकी इस बात का समर्थन किया।

राष्ट्रपति मुर्मू ने 18वीं लोकसभा के पूर्ण बजट का भी कुछ प्रारूप रखा है कि वह भारत की जनता की आकांक्षाओं और जरूरतों के अनुसार होगा। संसद के जुलाई सत्र में जो बजट पेश किया जाएगा, वह वाकई जनवादी होगा। उसमें दूरगामी नीतियों और भविष्य के विजन के साथ-साथ ऐतिहासिक कदम भी उठाए जाएंगे। बेशक राष्ट्रपति भी उन कदमों का खुलासा नहीं कर सकती थीं, क्योंकि बजट की गोपनीयता का तकाजा था। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान पेपर लीक को लेकर सरकार द्वारा लाए गए कानून का भी जिक्र किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि भविष्य में कोई पेपर लीक ना हो इसके लिए सरकार सख्त उपाय कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि इसे लेकर पिछले दिनों कानून भी आ चुका है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में आगे कहा कि सरकार का प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। राष्ट्रपति के इतना कहने पर विपक्ष एक बार फिर सदन के अंदर शोर मचाना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान बीते दिनों हुए आम चुनाव का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पहली बार इस लोकसभा चुनाव में घर पर जाकर भी मतदान कराया गया है। 2024 की लोकसभा चुनाव की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों ने लागातर तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। ऐसा छह दशक के बाद हुआ है। ऐसे में ये साफ है कि 2024 का यह चुनाव नीति, नीयत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। यह गौरतलब रहा कि मोदी सरकार ने राष्ट्रपति के सौजन्य से यह सिद्धांत स्पष्ट कराया कि देश का विकास, उसके राज्यों के विकास पर ही, आश्रित है, क्योंकि तभी एक राष्ट्र के समग्र विकास का आकलन किया जा सकता है और एक राष्ट्रीय तस्वीर सामने आती है। इस विकास में प्रतिस्पर्धा भी होनी चाहिए और सहकारिता का भाव भी रहना चाहिए, यही भारत का सच्चा संघीयवाद है। राष्ट्रपति ने कुछ ऐसे क्षेत्रों का उल्लेख किया, जो 'सूर्योदय' की तरह माने जाते हैं। मसलन-विद्युत वाहन, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाईड्रोजन, बैटरी आदि। इन क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और प्रगति के प्रतीक हैं। राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन का भी जिक्र किया, जो बराबर की चुनौती है और सरकार उस संदर्भ में लगातार सक्रिय है। यह भी वैश्विक चुनौती है, जो किसी महामारी से कम नहीं है। राष्ट्रपति मुर्मू का फोकस महिला सशक्तिकरण पर रहा और उन्होंने देश के संपूर्ण बुनियादी ढांचे की सराहना की। जो सडकें, पुल, राजमार्ग, एक्सप्रेस-वे आदि बनाए जा रहे हैं, रेल और हवाई यात्रा का विस्तार किया गया है, कमोबेश उन्हें मोदी सरकार का 'हालमार्क' माना जाता है। गौरतलब तथ्य यह भी है कि बेशक भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति होगा, अमरीका और चीन के बाद भारत की अर्थव्यवस्था होगी, लेकिन विश्व की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे गरीब देश भी होगा। यह लड़ाई अभी बहुत लंबी है। दरअसल मोदी सरकार की अग्निपरीक्षा यह है कि वह विकास के सभी स्तंभों की बुनियाद मजबूत करे। इसमें कृषि, विनिर्माण और सेवा-क्षेत्र शामिल हैं। सभी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर रोजगार और नौकरियां पैदा करे, ताकि करोड़ों बेरोजगारों को माकूल काम दिया जा सके। उससे भी आर्थिक विकास बढ़ता है। राष्ट्रपति ने जो आर्थिक विजन दिया है, यदि सरकार उसका अक्षरशः पालन कर सके, तो भारत की तस्वीर बदल सकती है। अभी बयान ज्यादा हैं और यथार्थ निश्चित ही बेहद कुरूप है।

(चिकित्सक एवं लेखक, अम्बेडकरनगर, उत्तर प्रदेश)

बदहाल है हमारी स्वास्थ्य सेवाएं

– बाल मुकुन्द ओझा

सरकार के तमाम दावों के बावजूद भारत में शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र की तस्वीर बदहाल नजर आती है। एक सरकारी एजेंसी की ओर से हालिया जारी रिपोर्ट ने इस बदहाली पर मुहर लगा दी है। आज़ादी के 77 वर्षों के बाद भी लोककल्याणकारी सरकार का दावा करने वाले देश में सरकारी अस्पतालों की हालत बेहद खराब स्थिति में है। देश में करीब 80 प्रतिशत सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं तय मानकों के मुताबिक नहीं हैं। ये चौंकाने वाला खुलासा केंद्र सरकार की ओर से किए गए एक सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, यहां के 80 प्रतिशत सरकारी अस्पतालों में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। भारत में सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत खराब है। सरकार ने खुद यह रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स और जरूरी उपकरणों की भारी कमी है। यह रिपोर्ट 'नेशनल हेल्थ मिशन' के तहत आने वाले सरकारी अस्पतालों की हालत बताती है। एनएचएम सरकार की एक अहम योजना है जिसके तहत देश भर के जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान आरोग्य सेंटर्स आते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि एनएचएम के तहत आने वाले 2 लाख से ज्यादा अस्पतालों में से केवल 40,451 ने ही अपनी जानकारी सरकार को दी है। सरकार ने अस्पतालों से जानकारी इकट्ठा करने के लिए 'इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड' नाम का एक डिजिटल टूल बनाया था। इस टूल के जरिए पता चला कि जानकारी देने वाले 40,451 अस्पतालों में से केवल 8,089 अस्पताल ही आईपीएचएस के मानकों पर खरे उतरे। यानी, इन अस्पतालों में ही मरीजों के इलाज के लिए बुनियादी सुविधाएं, डॉक्टर, नर्स और उपकरण मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 42 प्रतिशत अस्पतालों ने आईपीएचएस के मानकों पर 50 प्रतिशत से भी कम अंक हासिल किए। बाकी के 15,172 अस्पतालों को 50 से 80 प्रतिशत के बीच अंक मिले। सरकार ने यह सारी जानकारी आईपीएचएस के डैशबोर्ड पर सार्वजनिक कर दी है।

भारत ने पिछले दशकों में स्वास्थ्य मानकों में आशानुरूप प्रगति की है। कई गंभीर बीमारियों की समाप्ति और जीवन प्रत्याशा में भी वृध्दि हुई है। कोरोना जैसी महामारी का सफलतापूर्वक सामना किया। इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बाद भी आज हमारा देश स्वास्थ्य की माकूल व्यवस्था से वंचित है। रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन करें तो ये बेहद चौंकाने वाली है। रिपोर्ट से जाहिर होता है की आजादी के सात दशक बाद भी भारत स्वास्थ्य की गंभीर समस्यों से जूझ रहा है। देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी होने से आम आदमी की स्वास्थ्य सम्बन्धी दिक्कतें बढ़ती ही जा रही है जिसे निजात दिलाने के कोई प्रभावी और सार्थक उपाय परिलक्षित नहीं हो रहे है। बेहतर कार्यदशा की कमी और सीमित अवसरों के कारण चिकित्साकर्मी ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से कतराते हैं। इससे ग्रामीणों को गुणवत्तायुक्त चिकित्सा सेवा नहीं मिलती और वे निजी क्षेत्र की सेवा लेने के लिए बाध्य होते हैं। देश में चिकित्सा व्यवस्था के खाके पर गौर करें तो स्थिति भयावह देखने को मिल रही है। देश में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बार बार चिंताएं जताई जाती हैं और उनसे निपटने के उपायों के बारे में चर्चा भी की जाती है, लेकिन धरातल पर उपायों का क्रियान्वयन नहीं होता है, जिसका खामियाजा एक बड़ी आबादी को कई तरह की बीमारियों के रूप में भुगतना पड़ता है। भारत में टीबी या कैंसर जैसे रोगों की बात करें तो यह एक ऐसी बीमारी बन चुकी है, जिसका मुमकिन इलाज होने के बावजूद कई कारणों से खत्म नहीं हो पा रही है। जिन लोगों पर इन समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी है वे इस तरफ गंभरता से ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में स्वस्थ राष्ट्र स्वस्थ नागरिक की कलप्ना एक सुनहरे सपने जैसी लग रही है। सरकार प्रति वर्ष स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी धनराशि खर्च कर रही मगर यह सेवा बिगड़ैल बैल की तरह काबू में नहीं आ रही है। अस्पतालों की हालत बद से बदतर होती जारही है और देश के कर्णधारों के चेहरे पर शिकन तक नहीं है। यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो बच्चे से बुजुर्ग तक को बीमारू राष्ट्र का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पिछले दिनों नीति आयोग ने स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ाने की जरूरत रेखांकित की थी। यह कटु सत्य है कि हमारे देश में आबादी की जरूरत के हिसाब से स्वास्थ्य सेवाएं दयनीय स्थिति में हैं।

(वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर)

संस्कार संस्कृति को नकारती नई पीढ़ी

– संजीव ठाकुर

नई युग के रूपांतरण के साथ ही संयुक्त परिवार का विघटनकारी स्वरूप सामने आने लगा है बुजुर्ग लोगों को वृद्धा-आश्रम के हवाले सौंपने के पश्चात नौजवान पीढ़ी अपने एकल परिवार को लेकर अलग-अलग निवास करने लगी है और इसी के फल स्वरुप भारतीय संस्कृति तथा संस्कारो को नकारती हुई पाश्चात्य संस्कृति को आत्मसात करने में लगी हुई है। भारतीय संस्कृति हमें अपने भारतीय होने का एहसास कराती है। जो हमें विश्व के अन्य देशों से विकास की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।

भारत में अनेक परंपराएं ऐसी हैं जो सामाजिक जीवन को अधिक सभ्य एवं अच्छा इंसान बनाए रखने में योगदान देती है। जिनसे मनुष्यता का जीवन जीने की प्रेरणा भी मिलती है। यांत्रिक उपकरणों की तरह जिंदगी जीना भी कोई जीना है। यह भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य का घालमेल ही है जो मनुष्य के जीवन को यंत्रवत बना देता है। जो आने वाले कल के लिए घातक भी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य दर्शन की कुछ विशेषताएं भी हैं, जो हमारे विचारों को अधिक तार्किक तथा बौद्धिक बनाती है। जिससे हम अपना जीवन तार्किक तथा बौद्धिक बना सकते हैं। जिन्हें हम अपने जीवन में क्रियान्वित कर अपने मनुष्य जाति के जीवन को अधिक सार्थक एवं सुलभ बना सकते हैं। निसंदेह हमें रूढ़ीवादी या एकदम पुरातन पंथी संस्कृति से लगाव न रखकर पाश्चात्य संस्कृति के जो फायदे हैं, उन्हें अपनाकर अपना जीवन सरल सार्थक एवं सुगम बना सकते हैं। परंतु आज वर्तमान में हमने पश्चिम दर्शन से खोखला आधुनिकवाद ओढ़ लिया है, हम ना अत्यंत आधुनिक ही हो सके हैं और ना ही सही-सही संस्कारित परंपरावादी ही बन पाए हैं हम हम पाश्चात्य दर्शन और भारतीय संस्कार और परंपरा के बीच त्रिशंकु बन कर झूल रहे हैं।

विवेकानंद जी ने कहा है कि वीणा के तार को ईतना भी ना कसो कि वह टूट जाए, और इतना भी ढीला छोड़ो कि वह बज भी ना पाए, मूलतः हमें दोनों संस्कृतियों की समग्र अच्छाइयों को आत्मसात कर उनकी बुराइयों को त्यागना होगा तब ही जीवन सफल हो सकेगा। भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान है। जबकि पश्चिमी सभ्यता भौतिकता लिए होती है, और उसमें भौतिकता की प्रधानता होती है। आध्यात्मिक प्रधान संस्कृति से तात्पर्य भौतिकता वादी दृष्टिकोण से दूर रहकर भौतिकता वादी होने का ही है। प्राचीन काल से ही भारत देश में 'अतिथि देवो भव' और 'वसुधैव कुटुंबकम' वाली संस्कृति रही है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर, विश्वास, भावना, आस्था, धर्म, रीति रिवाज जैसे तथ्यों से भरी पड़ी है। धर्म प्रधान संस्कृति होने के कारण ही इसे आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला देश माना गया है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में यदि कहें तो ईश्वरत और त्याग पर्यायवाची शब्द है। संस्कृति और सदाचार उसकी बाह्य अभिव्यक्तियाँ है। परंपरागत दृष्टिकोण से हम अपने धार्मिक तथा अध्यात्मिक दर्शन को लेकर बहुत हद तक अपने आप को एवं देश को महिमामंडित करने में लगे रहते हैं। किंतु आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें पूर्ण रूप से आध्यात्मिक ना होकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर इस तथ्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि 21 सदी में पांचवी एवं छठवीं सदी की मान्यताएं तथा परंपराएं जारी रख उन्हें अपना सकते हैं क्या?, आज जब दुनिया वैज्ञानिक चमत्कारों से भरी पड़ी है। दुनिया विज्ञान की प्रगति से चांद तो क्या सूर्य को भी खंगालने का प्रयास कर रही है। मानव का क्लोन बनाकर ईश्वर की सत्ता को चुनौती देने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में धार्मिक संस्कृति तथा आध्यात्मिकता को आवश्यकता से अधिक महत्व एवं परंपरा में लाना प्रासंगिक एवं तार्किक होगा। निसंदेह नहीं।

पाश्चात्य दर्शन भौतिकता प्रधान एवं वैज्ञानिक संस्कृति है। भौतिकता प्रधान युग से तात्पर्य ऐसी परंपरा जो यथार्थवादी दृष्टिकोण को सर्वाधिक महत्व देती है। वैसे ही भौतिकता का सामान्य मतलब इंद्रिय बोध से साक्षात संबंध रखने वाली वस्तु से है, अर्थात जो वास्तविकता है एवं यथार्थ है वही पाश्चात्य दर्शन है। पाश्चात्य संस्कृति को इसलिए भी वैज्ञानिक एवं वस्तु परख माना जाता है क्योंकि इसमें सूक्ष्म जांच पड़ताल कर वस्तु स्थिति का सही मूल्यांकन अपनाकर एक सामान्य सिद्धांत एवं नियम बनाया जाता है। जिससे भविष्य की बातों को जानकर जीवन को और अच्छा तथा बेहतर बनाने में मदद मिल सके।

कविता

सावन की बारिश

सावन की बारिश, रिमझिम फुहार,
धरती पे छाई, हरियाली की बहार।
बादल घिर आए, आकाश में छाए,
सूरज की किरणें भी, उनसे शर्माए।

पहली बूंद गिरी, मिट्टी से मिली,
खुशबू उसकी, दिल को भा गई।
नन्हे नन्हे बच्चे, दौड़े बाहर,
बारिश की बूंदों में, नाच उठे खुमार।

प्यारे मोर भी, पंख फैलाए,
सावन की इस ऋतु में, नृत्य दिखाए।
पेड़ों की शाखें, झूम उठी झूम,
फूलों की क्यारी में, महक उठे हैं रूम।

नदी की धारा भी, तेज़ बह चली,
सावन की इस बारिश में, उमंग सी जली।
किसान के चेहरे पर, आई मुस्कान,
बारिश की बूंदों में,
फसलों का गान।

अनुराग उपाध्याय

प्रधानमंत्री द्वारा संविधान को मस्तक से लगाने के बाद ही विपक्ष ने भी यह ज़रूरी समझा कि चूँकि 2024 के लोकसभा चुनाव में 'संविधान बचाओ' विपक्ष द्वारा उठाया गया एक मज़बूत मुद्दा था लिहाज़ा क्यों न उसके निर्वाचित सांसद में अपने पहले प्रवेश में हाथों में संविधान की प्रति रखें और 'जय संविधान' का स्वर संसद में बुलंद कर देश व दुनिया को यह सन्देश दें कि संविधान बचाने की असली लड़ाई दरअसल विपक्षी दलों यानी इण्डिया गठबंधन द्वारा लड़ी गयी है।

बेमानी नहीं है संविधान पर छिड़ी बहस

– तनवीर जाफ़री

18वीं लोकसभा में अधिकांश विपक्षी सांसदों द्वारा शपथ ग्रहण के बाद 'जय संविधान ' के स्वर बुलंद करना और अपने हाथों में संविधान की प्रतियां लेकर शपथ ग्रहण करना अनायास ही नहीं था। वास्तव में नई लोकसभा में इस मुद्दे पर विमर्श की शुरुआत तो तभी हो चुकी थी जब तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे नरेंद्र मोदी नई लोकसभा निर्वाचित होने के बाद जब पहली बार संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहुंचे उस समय उन्होंने सबसे पहले भारतीय संविधान को अपने हाथों में ससम्मान उठाकर अपने मस्तक से लगाया और संविधान को नमन करने के बाद एनडीए की बैठक में शामिल हुए। अपनी एक्स पोस्ट में उन्होंने यह तस्वीर भी सांझी की।

संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद मोदी ने कहा कि 'हम नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर काम करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हम मध्यम वर्ग को मज़बूत करेंगे और सर्वधर्म सद्भाव के सिद्धांत पर काम करेंगे।' प्रधानमंत्री द्वारा संविधान को मस्तक से लगाने के बाद ही विपक्ष ने भी यह ज़रूरी समझा कि चूँकि 2024 के लोकसभा चुनाव में 'संविधान बचाओ ' विपक्ष द्वारा उठाया गया एक मज़बूत मुद्दा था लिहाज़ा क्यों न उसके निर्वाचित सांसद में अपने पहले प्रवेश में हाथों में संविधान की प्रति रखें और 'जय संविधान ' का स्वर संसद में बुलंद कर देश व दुनिया को यह सन्देश दें कि संविधान बचाने की असली लड़ाई दरअसल विपक्षी दलों यानी इण्डिया गठबंधन द्वारा लड़ी गयी है। सवाल यह है कि 'संविधान ख़तरे में है ' या संविधान बदला जा सकता है, इस विमर्श की शुरुआत हुई कहाँ से ? विपक्षी दलों के किसी नेता ने तो संविधान बदलने की बात नहीं की ?

जिस अयोध्या विवाद को राजनैतिक मुद्दा बनाकर भाजपा ने स्वयं को स्थापित किया उसी (फ़ैज़ाबाद) लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही यह विवादित बयान किसके इशारे पर दिया कि - 'सरकार बनाने के लिए 272 सांसद चाहिए लेकिन संविधान संशोधन या संविधान बदलने के लिए दो तिहाई बहुमत चाहिए, नियम बदलना होगा और संविधान भी बदलना होगा'? ठीक उसी दौरान राजस्थान के नागौर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा ने भी सार्वजनिक तौर पर कहा कि - 'संवैधानिक बदलाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा में प्रचंड बहुमत होना चाहिए'। इसी तरह मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने भी बीच चुनाव में कहा कि 'जब हमारे देश का संविधान बना था उसमें धीरे-धीरे परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव हुए हैं। बदलाव करना प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई ख़राब बात नहीं है। तब परिस्थितियां कुछ और थीं, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। संविधान किसी एक व्यक्ति की मर्ज़ी से नहीं बदलता है, सर्वसम्मति होती है तो बदलता है, अगर ऐसा कुछ होगा तो किया जाएगा।'जब गोविल से पूछा गया कि क्या 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है क्योंकि सरकार की ऐसा कुछ बड़ा करने की इच्छा है?' इस सवाल पर गोविल का जवाब था कि, 'मुझे ये महसूस होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है.' क्या भाजपा लोकसभा प्रत्याशियों द्वारा उसी संविधान के लिए इतनी गंभीर बातें किया जाना जिसे स्वयं प्रधानमंत्री सर माथे लगा रहे हैं, कोई मामूली बात है ? विपक्ष आख़िर इसे मुद्दा क्यों न बनाये ?

इसी तरह कर्नाटक से छह बार बीजेपी के सांसद रहे अनंत कुमार हेगड़े ने भी संविधान बदलने को लेकर गंभीर बयान दिया था। हेगड़े ने गत 28 वर्षों में भाजपा प्रत्याशी के रूप में छह बार उत्तर कन्नड़ लोकसभा सीट से जीत हासिल की है लिहाज़ा उनके बयान को भी हल्के से नहीं लिया जा सकता। उन्होंने यह दावा किया था कि ' भाजपा का 400 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य संविधान को बदलना है। हेगड़े ने एक सभा में कहा था कि 'संविधान को 'फिर से लिखने' की ज़रूरत है। कांग्रेस ने इसमें अनावश्यक चीज़ों को ज़बरदस्ती भरकर संविधान को मूल रूप से विकृत कर दिया है, ख़ासकर ऐसे क़ानून लाकर जिनका उद्देश्य हिंदू समाज को दबाना था, अगर ये सब बदलना है, तो ये मौजूदा बहुमत के साथ संभव नहीं है.' हेगड़े ने कहा था कि ' 'ये किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा में अभी कांग्रेस नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत है, फिर भी चुप रहें, तो ये संभव नहीं है।' ' उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पार्टी को राज्यसभा और राज्यों में भी दो-तिहाई बहुमत की ज़रूरत है।' इसी तरह देश में और भी अनेक भाजपाई नेता व मंत्री आदि 400 पार के नारे से उत्साहित होकर इसी आशय के बयान देते रहे। जब भाजपा के प्रमुख नेताओं द्वारा इस तरह के संविधान विरोधी बयान दिये जा रहे थे, तत्काल रूप से विपक्ष उन बयानों को मुद्दा बनाकर भाजपा को संविधान विरोधी ठहरा देता था।

नतीजतन 'डैमेज कंट्रोल ' के लिये उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर स्वयं मोर्चा संभालना पड़ा था। विपक्ष के बार-बार ये कहने पर कि भाजपा संविधान को बदलना चाहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पलटवार करते हुए एक चुनावी रैली में यह जवाब देना पड़ा था 'कि उनकी सरकार संविधान का सम्मान करती है और यहां तक कि बाबा साहेब ख़ुद भी आ जाएं तो भी संविधान ख़त्म नहीं कर पाएंगे।' परन्तु सवाल यह है कि भाजपा ने संविधान बदलने की बात करने वाले किसी भी नेता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की ? इसके अलावा इस समय हिन्दू राष्ट्र निर्माण की बातें करना भी गोया फ़ैशन बन गया है। भाजपा व संघ के तमाम लोग, साधू, प्रवचन कर्ता, सरे आम हिन्दू राष्ट्र निर्माण की पुरज़ोर वकालत करते दिखाई दे रहे हैं। यह मांग ही अपने आप में संविधान विरोधी है। इस मांग का मतलब यही है कि हिन्दू राष्ट्र की मनोकामना रखने वालों को संविधान में दर्ज 'हम भारत के लोग' और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द पसंद नहीं ? इसी तरह सत्ता समर्थक नेताओं की तरफ़ से ही कभी आरक्षण समाप्त करने तो कभी इस पर पुनर्विचार करने की बातें की जाती हैं। ज़ाहिर है आरक्षण का लाभ उठाने वाला वर्ग इसे अपने लिये ख़तरा समझता है। परन्तु भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से इन विषयों को लेकर अपनी स्थिति संभवतः इसलिये स्पष्ट नहीं की गयी क्योंकि उसे विश्वास था कि भाजपा पूर्ण बहुमत में आकर संविधान सम्बन्धी अपने उन मंसूबों को पूरा करेगी जो उनके नेताओं द्वारा सांकेतिक तौर पर उठाये जा रहे थे। परन्तु जनता ने ऐसे कई प्रत्याशियों को भी हरा दिया और प्रधानमंत्री मोदी को भी संविधान को माथे से लगाकर स्वयं को संविधान समर्थक होने का प्रमाण देने के लिये मजबूर होना पड़ा। इसलिये 18 वीं लोकसभा की शुरुआत में ही संविधान पर छिड़ी बहस बेमानी नहीं है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

सम्पादकीय

बदलता भारत बदलती व्यवस्थाएं

आजादी के पिचहत्तर साल बाद देश अब बदलता दिखाई दे रहा है। जी हां गुलामी के प्रतीक कई कानूनों को खत्म कर दिया गया है। नई विधि संहिता लागू कर दी गई है। धाराएं बदल गई हैं। हत्या के लिए अब धारा 302 नहीं, भारतीय न्याय संहिता की धारा-103 लगेगी। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून बरसो बाद खत्म हो गए हैं। अगर 5000 से कम की चोरी करते पकड़े गए तो कोर्ट गली-मोहल्ले में झाड़ू लगाने की सजा भी सुना सकती है। कानून में नए बदलावों से आमजन को बड़ा फायदा भी होगा। मोबाइल, वॉट्सऐप और ई-मेल पर ई-एफआईआर दर्ज हो सकेगी। इसके साथ ही कई बड़े बदलाव हैं, जो एक जुलाई से लागू हो रहे हैं। नए अधिनियम भारतीय न्याय संहिता 2023 में 20 अध्याय और 358 धाराएं बनाई गई हैं। भारतीय दंड सहिता 1860 में 23 अध्याय और 511 धाराएं थीं। भारतीय न्याय संहिता 2023 को 1 जुलाई से ही लागू कर दिया गया है।

अब देश में चली आ रही 163 वर्ष पुरानी आईपीसी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यदि 5 या 5 से अधिक लोगों का समूह मिलकर जाति, मूल वंश या समुदाय, जन्म स्थान और भाषा को लेकर हत्या करते हैं, हैं तो मॉब लिचिंग कहा जाता है। ऐसे में उन सभी दोषियों को आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा के साथ-साथ जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। इसी प्रकार धारा 420 की जगह भारतीय न्याय संहिता के तहत 318- ए,बी,सी,डी में धोखाधड़ी या ठगी किए जाने पर मुकदमा दर्ज होगा। दोषी पाए जाने पर 3 साल से लेकर 7 साल की सजा का प्रावधान रहेगा। किसी की जगह पर पहचान बदल कर अगर धोखाधड़ी की जाती है तो 319 के तहत मुकदमा दर्ज होग। इसमें सजा को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। 18 वर्ष से अधिक उम्र की युवतियों व महिलाओं से यौन अपराधों के मामलों को धारा 63 से लेकर 73 तक रखा गया है। रेप किए जाने पर 64 के तहत मुकदमा दर्ज होग। महिलाओं के विरुद्ध बल प्रयोग, हमला, छेड़छाड़ जैसे मामलों को धारा 74 से लेकर 79 के तहत रखा गया है। रेप जैसे मामलों में अब कठोर कारावास 10 साल से कम नहीं होगा।

आजीवन कारावास तक दिया जा सकता है। इसमें सजा को बढ़ा दिया गया है। नाबालिग बच्चियों के साथ होने वाले यौन अपराधों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह से ही पॉक्सो एक्ट में ही दर्ज किए जाएंगे। दहेज प्रताड़ना किए जाने पर और विवाहिता का सामान नहीं लौटाने की परिस्थिति में धारा-85 के तहत 3 साल की सजा रखी गई है। जबकि दहेज हत्या जैसे मामलों में धारा 80 और 80(2) में न्यूनतम सजा 7 साल होगी। इसको आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं स्त्रीधन नहीं लौटाने पर अब 316 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच होगी। कानूनों में बदलाव बहुत जरूरी था। नई विधि संहिता लागू होने से कानून की किताब भी कुछ छोटी हो जाएगी क्योंकि ऐसे कानून जो वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं रहे हैं, उनको खत्म किया जा चुका है।

भारत में शारीरिक निष्क्रियता का बढ़ना चिन्ताजनक

लैंसेट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार, भारत की आधी वयस्क आबादी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के शारीरिक गतिविधि संबंधी मानदंडों को पूरा नहीं कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के वयस्कों में अपर्याप्त शारीरिक सक्रियता का पैमाना 2000 में 22.3 फीसदी से बढ़कर 2022 में 49.4 फीसदी हो गई है, साथ ही इसमें बताया गया है कि देश में महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा शारीरिक रूप से ज्यादा निक्रिय हुई हैं। इस निक्रियता, आलसीपन एवं उदासीनता का कारण बढ़ते उपभोक्तावाद एवं शहरीकरण से उपजी सुविधावादी एवं आरामदायक जीवनशैली है। इसके कारण बीमारियां भी बढ़ रही है। क्योंकि जब व्यक्ति को सुस्त, निढ़ाल एवं निस्तेज देखा जाता है तो इसका सीधा अर्थ यही लगाया जाता है कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। विडम्बना यह भी है कि समय के साथ विस्तृत होने दायरे के बीच ज्यादातर लोगों की व्यस्तता तो बढ़ी है, मगर उनकी शारीरिक सक्रियता, उत्साह एवं जोश में तेजी से कमी आई है, जो नये बनते भारत एवं सशक्त भारत के निर्माण के संकल्प के सामने एक बड़ी चुनौती है।

ललित गर्ग

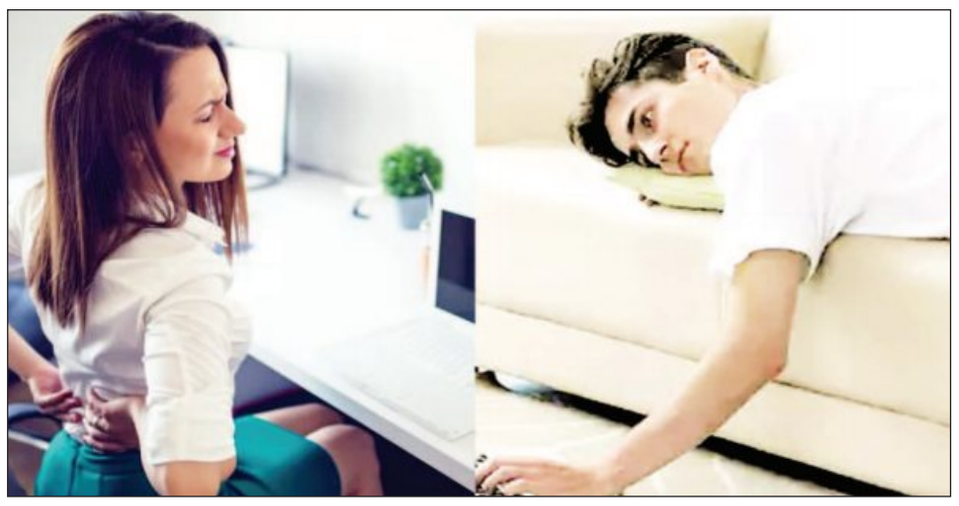

भारत में बढ़ती शारीरिक अकर्मण्यता एवं आलसीपन एक समस्या के रूप में सामने आ रहा है, लोगों की सक्रियता एवं क्रियाशीलता में कमी आना एवं वयस्कों में शारीरिक निष्क्रियता का बढ़ना चिन्ता का सबब है। इस दृष्टि से प्रतिष्ठित लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल की वह हालिया रिपोर्ट आईना दिखाने वाली है जिसमें पचास फीसदी भारतीयों के शारीरिक श्रम न करने का उल्लेख है। महिलाओं की स्थिति ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली है। उनकी निष्क्रियता का प्रतिशत 57 है। वैसे अकेले पुरुषों की निष्क्रियता का प्रतिशत 42 है। इस अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि अगर वर्तमान में तेजी से पसर रहा आलसीपन एवं शारीरिक निष्क्रियता इसी तरह जारी रहा तो 2030 तक भारत में अपर्याप्त शारीरिक सक्रियता वाले वयस्कों की संख्या बढ़कर साठ प्रतिशत तक पहुंच जायेगी, जो चिन्ताजनक है।भविष्य के भारत को लेकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की साठ प्रतिशत आबादी अगर शारीरिक रूप से पर्याप्त सक्रिय नहीं रहे तो आने वाले वक्त में यहां की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से कैसी तस्वीर बनेगी। जिस देश की अधिकांश आबादी के सामने रोजी-रोटी की समस्या जटिल एवं अहम है, वहां के लोगों को जीवन चलाने के लिये शारीरिक रूप से जरूरत से ज्यादा सक्रिय रहते हुए श्रम करना पड़ता है। इन स्थितियों में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि भारत में ऐसे हालात कैसे पैदा हो रहे हैं कि यहां इतनी बड़ी आबादी सुस्त एवं आलसी होती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित शोधकर्ताओं का मानना है कि भारत एशिया प्रशांत में उच्च आय वर्ग वाले देशों में निष्क्रियता के क्रम में दूसरे स्थान पर है।

निस्संदेह, लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल की हालिया रिपोर्ट आंख खोलने वाली है, रिपोर्ट गंभीर चिन्तन-मंथन की आवश्यकता को भी उजागर कर रही है।। यह जानते हुए भी कि भारत लगातार मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियों में जकड़ता हुआ बीमार राष्ट्र बनता जा रहा है। इन असाध्य बीमारियों का कारण कहीं-न-कहीं श्रम की कमी एवं सुविधावादी जीवनशैली ही है। दरअसल, आजादी के बाद देश में आर्थिक विकास को गति मिली है। अब हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। औसत भारतीय के जीवन स्तर में सुधार जरूर आया है तो आम नागरिक का जीवन सुविधावादी भी बना है। इस संकट की वजह शहरीकरण और जीवन के लिये जरूरी सुविधाओं का घर के आस-पास उपलब्ध हो जाना भी है, आनलाइन प्रचलन भी बड़ा कारण बन रहा है। पहले देश की साठ फीसदी से अधिक आबादी कृषि व उससे जुड़े श्रमसाध्य कार्यों में सक्रिय थी। लेकिन अब मेहनतकश किसान को कोई शारीरिक श्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कृषि की ही तरह अन्य श्रम से जुड़े कार्यों में भी मेहनत एवं श्रम पहले ही तुलना में कम करना पड़ता है क्योंकि धीरे-धीरे कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में आधुनिक यंत्रों व तकनीकों ने शारीरिक श्रम की महत्ता को कम किया है। कृषि-क्रांति से बड़ी संख्या में निकले लोगों ने शहरों को अपना ठिकाना बनाया, लेकिन वे शारीरिक सक्रियता को बरकरार नहीं रख पाये। इन स्थितियों ने भी व्यक्ति को आलसी, अकर्मण्य एवं सुस्त बनाया है। इस शारीरिक निष्क्रियता के मूल में भारतीय पारिवारिक संरचना व सांस्कृतिक कारण भी हैं। घर-परिवार संभालने वाली महिलाओं में भी बढ़ते सुविधा के साधनों के कारण श्रमशीलता कम हुई है। कुछ दूर पर सब्जी-फल लेने जाने पर भी हम वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि शहरों में स्वास्थ्य चेतना का विकास नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद शहरों के पार्कों में सुबह गिने-चुने लोग ही नजर आते हैं। व्यक्तियों में प्रात: भ्रमण, योग, ध्यान, व्यायाम की गतिविधियों में भी कमी देखने को मिल रही है।

इस जटिल से जटिलतर होती समस्या से मुक्ति के लिये हर व्यक्ति को जागरूक होना होगा। खुद को छोटी-मोटी असुविधाओं के लिए तैयार करना होगा। कभी-कभार थोड़ा कम नींद लेने, कम खाने या फिर ज्यादा देर काम कर लेने की मानसिकता को बल देना होगा। जरा सी चुनौती सामने आने पर बेचैन न हों, उसे नया सीखने के मौके व नए अनुभव के रूप में देखना होगा। अक्सर जब कुछ नया करने के लिए कदम बढ़ाते हैं, तो पुरानी आदतें एवं आराम की मानसिकता तुरंत परीक्षा लेने आ जाती हैं। हमें ललचाती हैं या फिर खुद को थोड़ा ढील देने के लिए कहती हैं। मन भी खुद को बड़ी आसानी से समझाने लगता है कि कुछ देर और सो जाने, और मीठा खा लेने, फोन पर बात करने या काम को कल पर टालने से कुछ गड़बड नहीं होगा। कुल मिलाकर हम मन के बहकावे में आने लगते हैं और खुद को छूट देने लगते हैं जो हमें सुस्त, आलसी एवं निस्तेज बनाता है। विचित्र स्थिति यह भी है कि लोगों में व्यस्तता में एक अजीब किस्म की बढ़ोतरी हुई, जीवन व्यस्त से ज्यादा अस्त-व्यस्त हुआ है। जरूरी कामों को छोड़कर तमाम लोग रोजाना पांच से सात घंटे या इससे भी ज्यादा समय अपने स्मार्टफोन या अन्य तकनीकी संसाधनों, सोशल मीडिया एवं अन्य आभासी मंचों पर समय बर्बाद करते हैं। कोरोना महामारी के दौरान वर्क फरोम हॉम का प्रचलन बढ़ा, उसने भी लोगों को ज्यादा शिथिल होने में भूमिका निभाई है। देर राज तक जगना एवं सुबह देर तक सोना, इस तरह बिगड़ती दिनचर्या एवं शरीर की प्राकृतिक घड़ी का चक्र बिगड़ने से दिन भर आलस्य बना रहता है। ताजा अध्ययन में पता चला कि 195 देशों में भारत अपर्याप्त शारीरिक सक्रियता के मामले में 12वें स्थान पर है। इसके अलावा, लैंसेट की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर एक तिहाई वयस्क लगभग 1.8 बिलियन लोग 2022 में अनुशंसित शारीरिक सक्रियता को पूरा करने में विफल रहे। जिसके कारण मधुमेह एवं हृदय रोग का खतरा मंडरा रहा है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में महिलाओं में अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि चिंता का विषय बनी हुई है। क्योंकि वे पुरुषों की तुलना में 14-20 फीसदी से अधिक पीछे हैं। अध्ययन के अनुसार, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में महिलाएं अधिक सक्रिय हैं। भारत में बढ़ती शारीरिक निष्क्रियता, आलसीपन एवं सुस्ती को दूर करने के लिये समग्र जन-चेतना को जगाना होगा। सरकार को भी शारीरिक श्रम की योजनाओं को बल देना होगा। शारीरिक सक्रियता में कमी की वजहों और नतीजों पर अगर गौर नहीं किया गया तो इन सबका समुच्चय आखिर व्यक्ति को विचार, कर्म, शरीर से कमजोर ही नहीं बल्कि बीमार बनायेगा, जो आजादी के अमृतकाल को धुंधलाने का बड़ा कारण बन सकता है।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहा आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, आपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारम्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संताप और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष
स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोपहर के बाद पारिवारिक जीवन में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहेगा। आज कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। पिता से आपको लाभ होगा। ज्योतिष और आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि बनी रहेगी।

वृष
मानसिक रूप से आप में भावुकता की मात्रा अधिक रहेगी। किसी बात को लेकर ज्यादा विचलित ना हों। अपनी कल्पनाशक्ति से साहित्य-सृजन में आप नवीनता ला पाएंगे। व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी।

मिथुन
दवाई खरीदने या अस्पताल की फीस पर आकस्मिक खर्च हो सकता है। आज दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ हर काम को आसानी से बना पाएंगे। गृहस्थ जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।

कर्क
आज के दिन बौद्धिक काम, नए सृजन और साहित्यिक गतिविधि में आप उलझे रहेंगे। किसी धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है। व्यापार में लाभ का अवसर मिलेगा। आज आपको कार्यालय और व्यापार में थोड़ा संभलकर चलना होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है।

सिंह
स्वभाव में उग्रता हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। दोपहर के बाद आप आप मनोरंजन की ओर ज्यादा बढ़ेंगे। मित्रों और स्नेहीजनों के साथ प्रवास या पर्यटन का योग है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रह पाएंगे।

कन्या
व्यापार में किसी तरह का लाभ होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पूंजी निवेश में सावधानी बरतें। धार्मिक काम के पीछे धन खर्च हो सकता है। कोर्ट-कचहरी के विषय में संभलकर चलें। दोस्तों के साथ मुलाकात होगी।

तुला
सुबह का समय दोस्तों के साथ घूमने-फिरने, खान-पान एवं मनोरंजन में बीत सकता है। पार्टनरशिप काम में ध्यान रखें। व्यापार में ज्यादा लाभ की उम्मीद नहीं है। दोपहर के बाद आप को प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है।

वृश्चिक
अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित रखना आपके ही हित में रहेगा। आज आपकी नौकरी और व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथी कर्मचारियों का साथ मिलेगा। संतान की चिंता आपको हो सकती है।

धनु
आज वाणी पर संयम रखें. स्नेहीजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है। आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा। किसी उलझन में दिन गुजरेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। आप नए काम का आरंभ कर सकेंगे।

मकर
आज का आपका दिन लाभकारी है। पारिवारिक और प्रोफेशनल दोनों ही क्षेत्रों में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर-परिवार में आनंद का वातावरण आप को खुश रखेगा। बहुत दिनों से अटके सरकारी कामों में सफलता मिलेगी।

कुंभ
किसी तरह का आर्थिक लाभ भी हो सकता है। हालांकि, स्वास्थ्य को लेकर उतार-चढ़ाव बना रहेगा। गृह एवं संतान सम्बंधी शुभ समाचार आप को मिलेंगे। पुराने और बचपन के दोस्तों से मुलाकात हो सकती है।

मीन
मित्रों का सहयोग भी आप को प्राप्त होगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए निरर्थक वाद-विवाद न करें। धन और प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है। आप की रचनात्मकता में सकारात्मक वृद्धि होगी। स्नेहीजनों के साथ घनिष्ठता बढ़ेगी।

शख्सियत

मृदुल कछावा
आईपीएस (एसपी भरतपुर)

नमस्कार दोस्तों हमारी आज की शख्सियत के सुपरस्टार हैं राजस्थान की शान भारतीय पुलिस सेवा के नौजवान और ऊर्जावान अधिकारी मृदुल कच्छावा। 30 अगस्त सन 1989 में जयपुर में जन्मे मृदुल शुरू सही ऊर्जावान और ओजस्वी युवा रहे है। सीए ईएस मास्टर ऑफ़ इंटरनेशनल बिजनेस बीकॉम की पढ़ाई के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन की। इस दौरान वह अंडर ट्रेनिंग हैदर हैदराबाद में 2016 में रहे । इसके बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भीलवाड़ा रहे ,उसके बाद असिस्टेंट सुपरीटेंडेंट आफ पुलिस श्रीगंगानगर रहे । सर्किल ऑफिसर श्रीगंगानगर ग्रामीण रहे उसके बाद एसपी एंटी करप्शन ब्यूरो में अजमेर रहे। इसके बाद पुलिस अधीक्षक धौलपुर रहे, पुलिस अधीक्षक करौली रहे, डीसीपी जयपुर सिटी कमिश्नरेट रहे इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक झुंझुनू के पद को सुशोभित किया और आज भरतपुर जिले के पुलिस अधीक्षक पद पर जनता को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मृदुल कछावा को एक बेहतरीन आईपीएस के रूप में जाना जाता है। अपनी पूरी पुलिस टीम का हौसला अफ़जाई करना और अपराधियों में ख़ौफ़ पैदा करना इनका मुख्य उद्देश्य है। ये जहां भी रहे वहां आपराधिक आंकड़ों में काफी गिरावट दर्ज की गई। जयपुर डीसीपी रहते हुए उन्होंने कई नवाचार किया जब यह करौली एसपी थे 2020 में तब इन्होंने विभिन्न नवाचार चला कर जहां पुलिस कर्मियों का इकबाल बुलंद किया वहीं अपराधियों के लिए खौफ पैदा किया। मृदुल कच्छावा को घुड़सवारी का बहुत शौक है बहुत डायनेमिक और हीरो स्टाइल में पुलिसिंग करने का जज्बा होने के कारण इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। मृदुल बहुत स्वभाव से हंसमुख और सरल हृदय व्यक्तित्व हैं हमेशा अपनी टीम का हौसला बढ़ाने और हमेशा अपनी पुलिस टीम का ख्याल रखते हैं। ये जहां भी रहे वहां पुलिसकर्मियों ने इन्हें पूरा सम्मान दिया। सच बात है आज तनाव भरी नौकरी में हंसमुख और पुलिस टीम को तनाव मुक्त रखने वाले अधिकारियों में कुछ ही अधिकारी हैं जो पुलिस टीम का हौसला बढ़ाते हैं। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

जय हिंद

आज का इतिहास

2 जुलाई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाणा पर जब 2 जुलाई, 1306 में आक्रमण किया, तब यह दुर्ग कान्हड़देव के भतीजे चौहान सरदार शीतलदेव के अधिकार में था।
- ब्रिटेन के थॉमस सेवरी ने 1698 में पहले व्यवसायिक स्टीम इंजन का पेटेंट हासिल किया।
- बंगाल के अंतिम नवाब सिराज उद्दौला की उनकी शरण में रह रहे एक व्यक्ति मोहम्मद बेग ने 1757 में निर्ममतापूर्ण हत्या की।
- अमेरिका के वोरमोंट शहर में 1777 को दास प्रथा की समाप्ति हुई।
- मैसूर के सुल्तान हैदर अली और अंग्रेज सेना में पोर्टो नोवो (अब परांगीपेट्टई) का युद्ध 1781 में हुआ।
- कलकत्ता उच्च न्यायालय का उद्घाटन 1862 में हुआ।
- इतालवी वैज्ञानिक मार्कोनी ने लंदन में रेडियो का पैटेंट 1897 में कराया।
- ब्रिटिश सरकार ने सुभाषचन्द्र बोस को 2 जुलाई, 1940 ई। को विद्रोह भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
- पहला वॉलमार्ट स्टोर कारोबार के लिए रोजर 1962 को अर्कंसास में खोला गया।
- फ्रांस ने 1966 में मुरूरोआ, प्रशांत महासागर में परमाणु परीक्षण किया।
- प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- वियतनाम गणराज्य का अंत 1976 में हुआ।
- साम्यवादी उत्तरी वियतनाम ने 1976 में समाजवादी वियतनाम गणराज्य के साथ जुड़ने की घोषणा की।
- स्वदेश निर्मित परमाणु बिजली केंद्र की पहली इकाई ने 1983 में मद्रास के निकट कलपक्कम में काम करना शुरू किया।
- आंद्रेई ग्रोमिको सोवियत संघ के राष्ट्रपति 1985 में निर्वाचित हुए।
- सउदी अरब में 1990 को मक्का से मीना की ओर जाने वाली सुरंग में भगदड़ मचने से 1,426 हज यात्रियों की मौत हो गई थी।
- फास्ट एंड फ्यूरियस सीरिज की पहली फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी।
- स्टीव फोसेट गुब्बारे के जरिए दुनिया का भ्रमण करने वाले पहले व्यक्ति 2002 में बने।
- भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने 2004 को जकार्ता में आपसी बातचीत की।
- इंग्लैंड फुटबाल टीम के कप्तान डेविड बेखम ने 2006 में अपना पद छोड़ा।
- कांगो में 2010 को टैंकर ट्रक विस्फोट में 230 लोगों की मौत हो गई।
- फिलीपींस में 2015 को 220 यात्रियों से भरी नौका डूबने से 62 लोगों की मौत हुई।

2 जुलाई को जन्मे व्यक्ति

- प्रसिद्ध जनकवि आलोक धन्वा का जन्म 1948 में हुआ।
- तेरहवीं और पंद्रहवीं लोकसभा के सदस्य तूफ़ानी सरोज का जन्म 1956 में हुआ।

2 जुलाई को हुए निधन

- होमियोपैथी का अविष्कार करने वाले क्रिस्टियान फ्रीडरिष सामुएल हानेमान का फ्रांस के पैरिस में 1843 को निधन हुआ।

विशेष आलेख

उत्तर प्रदेश भाजपा की घटी सीटों को लेकर लगातार समीक्षा बैठके जारी, किस पर गिरेगी गाज़ ?

अशोक भाटिया

लोकसभा चुनाव में भाजपा की घटी सीटों को लेकर लगातार समीक्षा बैठकर चल रही है। राज्यों की समीक्षा बैठकों की पूरी जानकारी केंद्र से साझा की जा चुकी है, जबकि कई राज्यों में अभी भी समीक्षाएं चल रही हैं। पार्टी से जुड़े सूत्रों की मानें तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में खिसके भाजपा के जनाधार को लेकर हुई समीक्षा बैठकों और तैयार हुई रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए हैं। इसमें तीन मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आम सहमति यह बनी कि अगर इनको वक्त से पहले समझ लिया गया होता, तो प्रदेश में यह स्थिति नहीं होती।लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ने पर एक रिपोर्ट हाईकमान को भेजी गई है। इससे जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि जिन विधायकों ने कथित भीतरघात करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार भीतरघात करने वाले भाजपा विधायक भी नेतृत्व के रडार पर हैं। आगामी विधानसभा चुनावों में करीब 100 भाजपा विधायकों के टिकट कटने के आसार हैं। जातीय समीकरण पक्ष में होने के बावजूद कई विधायक अपनी ही सीट नहीं जिता पाए। हार की समीक्षा कर रही भाजपा की स्पेशल टीम ने प्रदेश नेतृत्व को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। साल 2022 में भाजपा ने लगभग 80 विधायकों के टिकट काटे थे। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र की विधायकों ने लोकसभा कैंडिडेट के खिलाफ माहौल बनाया।कई विधानसभाओं में विधायकों की निष्क्रियता से भी पार्टी को नुकसान हुआ। ऐसे विधायको का पार्टी ने पूरा ब्योरा तैयार कर लिया है। सहयोगी दलों ने भी विधायकों की भूमिका को लेकर अपनी रिपोर्ट दी है। दावा है कि साल 2027 के चुनाव में इन बातों को ध्यान में रखकर ही पार्टी टिकट वितरण करेगी।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 33 सीटें मिली हैं। वहीं सपा और कांग्रेस अलायंस को 43 सीटें मिली हैं। भाजपा को राज्य से 70 से ज्यादा सीटों की उम्मीद थी। हालांकि उसे सिर्फ 33 सीटें मिलीं थीं।80 में 80 का नारा देकर चुनाव में उतरी भाजपा केवल 33 सीटों पर ही सिमट गई, जबकि इससे पहले दो लोकसभा चुनाव, 2014 और 2019 में भाजपा को 71 और 62 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा और पार्टी की रणनीति पूरी तरह फेल हो गई और भाजपा अयोध्या में भी हार गई।

लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रभुत्व और दबदबे को विपक्षी इंडिया गठबंधन से कड़ी चुनौती मिली, जिसको भाजपा को उम्मीद भी नहीं थी। इस चुनाव में भाजपा वह सीट भी हार गई, जहां उसका दबदबा होता था। भाजपा को सबसे बड़ा झटका अयोध्या में लगा। राम मंदिर के निर्माण के बाद ये पहला लोकसभा का चुनाव था और भाजपा को यहां से हार मिली। फिलहाल भाजपा अपनी हार की समीक्षा कर रही है और कयास लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भीतरघात करने वाले नेताओं पर एक्शन की तैयार की जा रही है।इसके अलावा भी हार के तमाम कारण सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव का मुस्लिम-यादव , पिछड़ा दलित समीकरण काम कर गया। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा को उसके कोर वोटर्स का भी वोट नहीं मिला। जिसमें सबसे खास रहे राजपूत वोटर्स। कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी वाला बयान काम कर गया। केजरीवाल ने ऐन चुनावों के बीच कहा था कि भाजपा फिर आई तो योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा देगी, ठीक उसी तरह जिस तरह मध्यप्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया। इस तरह राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक में भाजपा को हुए नुकसान में राजपूत वोटर्स की नाराजगी का कारण बताया जा रहा है। कुछ ऐसे ही कारणों से सोशल मीडिया में अचानक ऐसे चुटकुले और मीम्स दिखाई देने लगे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन चुनावों में भाजपा की हार के लिए जिम्मेदार बन गए हैं। इसमें चुनाव हारने वाली साध्वी निरंजन ज्योति और बहुत कम वोटों से जीतने वाले साक्षी महाराज के बयानों का भी सहारा लिया जा रहा है। जिन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों को लेकर भितरघात का आरोप लगाया है। वैसे देखा जाय तो आज की भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाजपा में अहमियत को कम नहीं आंका जा सकता। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भाजपा के चुनावी कैंपेन में उनकी डिमांड शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे अधिक रहती है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी नरेंद्र मोदी ने अगर 206 रैलियां और सभाएं की हैं तो योगी आदित्यनाथ ने 204 रैलियां और सभाएं कीं । कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों ने चिट्ठी लिखकर योगी आदित्यनाथ की सभा की डिमांड की थी। पार्टी के पोस्टर बॉय बन चुके हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और उनका पार्टी के प्रति समर्थन किसी से भी कम नहीं है। उनकी कार्यशैली को देश को कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने फॉलो किया। विपक्षी शासन वाले राज्यों में कानून व्यवस्था में सुधार के लिए बुलडोजर बाबा का उदाहरण दिया जाता है।उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अलग-अलग कारणों से उनकी चर्चा होती रहती है। 2019 के लोकसभा चुनावों और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कानून व्यवस्था की गारंटी के रूप में उन्हें देखा जाता रहा है। इस बार भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास के लिए स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तारीफ की थी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में कभी भारतीय जनता पार्टी के पैरलल योगी आदित्यनाथ की पार्टी हिंदू युवा वाहिनी काम करती रही है। जिसे अब भंग किया जा चुका है। 2 दशक पहले तक योगी अपना चुनाव घोड़ा मय सवार वाले चुनाव चिह्न से चुनाव लड़ते थे। योगी से पूर्व के गोरखनाथ मठ महंत अवैद्यनाथ संसद का चुनाव लड़ते थे और योगी विधायकी का। गोरखपुर के आस पास के क्षेत्रों में भाजपा अगर मठ के पसंद के प्रत्याशी नहीं खड़ी करती तो उसे हिंदू युवा वाहिनी के मजबूत प्रत्याशी का सामना करना होता था। मठ की ओर ऐसी व्यवस्था कर दी जाती थी कि गोरखपुर में एक नारा मशहूर हो गया कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। योगी के विरोधी उनकी इसी कार्यशैली की चर्चा आज कर रहे हैं। इसके लिए गोरखपुर में 2018 में हुए लोकसभा उपचुनाव और 2023 में हुए घोसी उपचुनाव की चर्चा कर रहे हैं। दरअसल 2017 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी संसद की सीट छोड़नी पड़ी थी। गोरखपुर सीट पर उपचुनाव हुए और योगी की गढ़ रही सीट उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा हार जाती है।जाहिर है मुख्यमंत्री योगी पर सवाल उठने ही थे।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान

देश में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति बेहतर करने के प्रयासों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने तीन महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की है. आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के आकलन के लिए एक वर्चुअल नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड की स्थापना, सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तर में सुधार एवं निगरानी के लिए नया डैशबोर्ड तथा खाद्य पदार्थ बेचने वाले वेंडरों के लिए त्वरित लाइसेंस और पंजीकरण की व्यवस्था इन पहलों में शामिल हैं. उल्लेखनीय है कि सरकार 1.73 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को स्थापित कर चुकी है. एम्स संस्थानों तथा मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या में हाल के वर्षों में उत्साहजनक बढ़ोतरी हुई है. साथ ही, जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उचित मूल्य पर उपलब्ध करायी जा रही हैं. ऐसे प्रयासों के लाभ सही ढंग से लोगों को मिलें, इसके लिए निगरानी और आकलन की व्यवस्था आवश्यक है. डिजिटल तकनीक पर आधारित होने से यह व्यवस्था पारदर्शी भी होगी तथा इसमें समय एवं अन्य संसाधनों का व्यय भी कम होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसे हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि स्वास्थ्य पर खर्च बढ़े और स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती दरों पर पूरी आबादी को उपलब्ध हों. इस संबंध में आवंटन में उत्तरोत्तर वृद्धि तथा अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, बीमा सुविधा आदि के विस्तार से उम्मीदें बंधी हैं. लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है. हाल में सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का एक व्यापक सर्वेक्षण कराया है. इसमें स्वास्थ्य केंद्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टरों एवं नर्सों की उपलब्धता, साजो-सामान की स्थिति आदि के बारे में जानकारी जुटायी गयी है. इस सर्वेक्षण में पाया गया है कि लगभग 80 प्रतिशत केंद्र निर्धारित मानकों एवं स्तरों पर खरे नहीं उतरे हैं. सरकार ने अपने पहले 100 दिन के कार्यकाल के लिए जो प्राथमिकताएं तय की है, उसमें एक यह भी है कि 70 हजार स्वास्थ्य केंद्रों को सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तर के अनुरूप बनाया जायेगा. इस लक्ष्य को पूरा करने में प्रस्तावित डैशबोर्ड बहुत सहायक होगा. भारत में दो लाख से अधिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र हैं, जिनमें जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर मंदिर शामिल हैं. उल्लेखनीय है कि इस सर्वेक्षण में 40 हजार से कुछ अधिक केंद्रों ने ही अपनी जानकारी मुहैया करायी है. आशा है कि शेष केंद्र भी जल्दी संबंधित सूचना मुहैया करा देंगे. देश की आबादी का बड़ा हिस्सा अपनी चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निर्भर है. इनकी दशा में सुधार होने से बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी.

डिजिटल तकनीक पर आधारित होने से यह व्यवस्था पारदर्शी भी होगी तथा इसमें समय एवं अन्य संसाधनों का व्यय भी कम होगा.

बाइडेन के लड़खड़ाने से बढ़ी अनिश्चितता

शिवकांत
पूर्व संपादक, बीबीसी हिंदी
shivkant.sharma@gmail.com

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के बीच हुई पहली टीवी बहस में बाइडेन के कमजोर प्रदर्शन से उनकी उम्मीदवारी पर सवाल खड़े हो गये हैं. वहां प्रमुख उम्मीदवारों के बीच टीवी पर सीधी बहस की परंपरा 1960 से चली आ रही है. ये बहसें प्रमुख पार्टियों- रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशनों के बाद होती हैं, जिनमें उम्मीदवारों की घोषणा होती है. पर इस बार पहली बहस अधिवेशनों से पहले हुई, जिसका अनुरोध बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने किया था. बाइडेन प्रचार अभियान के लोग उनकी वृद्धावस्था से कमजोर होती स्मृति और शारीरिक क्षमता को लेकर उठ रहे सवालों से चिंतित थे. इसलिए वे सिद्ध करना चाहते थे कि बाइडेन 81 वर्ष की उम्र में भी सजग और सक्षम हैं. एक के बोलते समय दूसरे का माइक बंद रखने की व्यवस्था करने के साथ-साथ स्टूडियो में दर्शकों को भी नहीं बुलाया गया था, ताकि ट्रंप समर्थक शोर मचाकर विघ्न न डाल सकें.

संचालकों ने झूठे तथ्यों और दावों को चुनौती न देने की नीति अपना कर 90 मिनट की बहस में अधिक से अधिक सवालों के समावेश की कोशिश की, जिसकी मीडिया में खासी आलोचना हो रही है. चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तो इसे रियलिटी शो की संज्ञा दे डाली और वास्तव में यह बहस रियलिटी शो ही साबित हुई. हाथ मिलाने के शिष्टाचार के बिना उम्मीदवारों ने बहस शुरू की और यह कटुता पूरे समय बनी रही. बाइडेन ने ट्रंप को झूठा और अपराधी कहा, तो ट्रंप ने बाइडेन को सबसे बुरा राष्ट्रपति और चीनी पैसे पर पलने वाला मंचूरियाई उम्मीदवार कह दिया. बाइडेन ने ट्रंप के आरोपों का खंडन किया और नोक-झोंक के ऐसे क्षणों में वे प्रखर और सजग दिखे. परंतु शुरू के पंद्रह मिनटों में वे काफी सुस्त, थके, कुछ खोये और बातें कहने में लड़खड़ाते दिखाई दिये. कोविड पर काबू पाने के लिए टीकाकरण की बात करते-करते भूल गये और 'हमने कोविड को परास्त कर दिया' कहने की जगह ' हमने मेडिकेयर को परास्त कर दिया' कह गये, जो अमेरिका की स्वास्थ्य बीमा सेवा है. वहीं ट्रंप इत्मीनान और चतुराई के साथ अपनी बातें रखते नजर आये. विडंबना यह है कि राष्ट्रपति बाइडेन की शारीरिक और मानसिक क्षमता संबंधी जिन आशंकाओं को दूर करने के लिए बहस को समय से दो महीने पहले कराया गया, वे असल में इससे पुष्ट हो गयीं.

ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी ने बाइडेन की अक्षमताओं को ही प्रचार का मुख्य बिंदु बना रखा है. इसलिए डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रचार तंत्र ने बहस से मचते हड़कंप को देखते ही स्पष्टीकरण जारी किया कि राष्ट्रपति को जुकाम था, इसलिए वे सुस्त दिख रहे थे. बाइडेन अपनी सक्षमता पर उठने वाले सवालों पर कहते आये हैं- मुझे देख लीजिए! इसलिए उन्होंने अपने समर्थकों को आश्वस्त करने के लिए अगले ही दिन जोश के साथ एक रैली को संबोधित किया. पर हकीकत यह है कि बाइडेन का प्रदर्शन 1960 में शुरू हुई टीवी बहसों में सबसे कमजोर साबित हुआ. परिणामस्वरूप सर्वेक्षणों के अनुसार ट्रंप इस बहस के बाद जन स्वीकार्यता में बाइडेन से चार की जगह छह अंकों से आगे हो गये. लेकिन उससे भी बड़ी समस्या यह है कि जिन सात स्विंग राज्यों में चुनाव का फैसला होना है, वहां ट्रंप लगातार आगे चल रहे हैं. बाइडेन और उनके प्रचार तंत्र को आशा है कि सितंबर में होने वाली दूसरी बहस में वे बेहतर प्रदर्शन कर इस बहस के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं और जीत सकते हैं. पर उनके अधिकतर समर्थक उम्मीद हार चुके हैं और मानते हैं कि उम्मीदवार बदले बिना अब यह चुनाव नहीं जीता जा सकता. वे बाइडेन से अपील कर रहे हैं कि वे ठंडे दिमाग से सोचें और मैदान से हट जाएं ताकि पार्टी नया उम्मीदवार चुन सके. इसी में देश और दुनिया की भलाई है.

यदि बाइडेन इसके लिए तैयार हुए, तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया जा सकता है. पर जन स्वीकार्यता में वे बाइडेन से भी पीछे चल रही हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के नियमों के अनुसार उन्हें उम्मीदवार बनाना जरूरी भी नहीं है. इसलिए नये उम्मीदवार का फैसला अगस्त में पार्टी अधिवेशन में जमा होने वाले प्रतिनिधियों को करना होगा. इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि नया उम्मीदवार भी ट्रंप को हरा ही सकेगा. डेमोक्रेटिक पार्टी में दो बार इसी तरह आखिरी दौर में उम्मीदवार बदले गये हैं और दोनों बार नये उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ा है. फिर भी पार्टी के रणनीतिकारों को लगता है कि इस बार नये उम्मीदवार के जीतने की संभावना अधिक है क्योंकि उसके आने से पार्टी के उम्मीदवार की शारीरिक क्षमता को निशाना बनाने वाला ट्रंप का सबसे बड़ा हथियार बेकार हो जायेगा.

चुनाव से हटने के लिए बाइडेन पर इस समय उनकी पार्टी के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय दबाव भी पड़ रहा है क्योंकि दुनिया इस समय चार बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है. यूक्रेन और गाजा में चल रहे युद्धों की वजह से दूसरे विश्वयुद्ध के बाद से चली आ रही नियमबद्ध वैश्विक व्यवस्था के टूटने का खतरा पैदा हो गया है तथा वैश्विक संस्थाएं अप्रासंगिक होती जा रही हैं. जलवायु परिवर्तन ने अभूतपूर्व चुनौती खड़ी कर दी है. कृत्रिम बुद्धि (एआइ) के विकास से जीवन के हर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहे हैं और बढ़ते निजी एवं सरकारी कर्ज के बोझ के कारण पूरी दुनिया में ऋण संकट बढ़ रहा है. इन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए दुनिया को इस समय अमेरिका के नेतृत्व की जरूरत है. ऐसे समय में अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की संभावना से यूरोप, मध्य-पूर्व, लातीनी अमेरिका और एशिया में चिंता है क्योंकि पिछले कार्यकाल में ट्रंप की नीतियां जलवायु विरोधी, टकरावपूर्ण और अमेरिका केंद्रित रही हैं और बहस के दौरान भी उन्होंने अपनी नीतियों की वही दिशा रखने की पुष्टि की. जलवायु और व्यापार नीतियों की चर्चा के दौरान भारत का प्रसंग भी आया और ट्रंप ने दोहराया कि वे ऐसी जलवायु नीतियों का समर्थन नहीं करेंगे, जिनका सारा लाभ चीन और भारत जैसे देशों को मिले. प्रवासन और व्यापार घाटे को लेकर भी ट्रंप की नीतियां सख्त रहने वाली हैं. इसलिए यदि डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर उम्मीदवार को लेकर चल रहे संशय की स्थिति में ट्रंप बाजी मार ले जाते हैं, तो भारत समेत विश्व को कई नीतियों पर फिर से तालमेल बिठाना होगा.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

बाइडेन और उनके प्रचार तंत्र को आशा है कि सितंबर में होने वाली दूसरी बहस में वे बेहतर प्रदर्शन कर इस बहस के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं और जीत सकते हैं. पर उनके अधिकतर समर्थक उम्मीद हार चुके हैं और मानते हैं कि उम्मीदवार बदले बिना अब यह चुनाव नहीं जीता जा सकता. वे बाइडेन से अपील कर रहे हैं कि वे ठंडे दिमाग से सोचें और मैदान से हट जाएं ताकि पार्टी नया उम्मीदवार चुन सके. इसी में देश और दुनिया की भलाई है.

राहुल गांधी का राजनीतिक उत्थान

प्रभु चावला
एडिटोरियल डायरेक्टर
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस
prabhuchawla@
newindianexpress.com

एक तस्वीर हजार शब्दों के समान होती है. पिछले दिनों एक तस्वीर आयी, जिसमें विपक्ष के नये नेता राहुल गांधी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से हाथ मिला रहे हैं तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू उनके पीछे खड़े हैं. मोदी और राहुल परंपरा के अनुसार बिरला को आसन तक ले गये थे. विपक्ष की पहली कतार में आने में राहुल को दो दशक का समय लगा है. उनके माता-पिता भी प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं. कभी ऐसा दौर भी था, जब वे संसद को खास अहमियत नहीं देते थे. मोदी को घेरने में कांग्रेस नाकाम रही क्योंकि राहुल द्वारा नामित नेता प्रभावी नहीं थे. इस बार मोदी का सामना करने के लिए उन्हें आगे रहना होगा. उनके आचरण और प्रदर्शन से राजनीति में उनका कद निर्धारित होगा. कांग्रेस अपने बूते सरकार नहीं बना सकती है. राहुल गांधी को अगले गांधी युग के लिए साजो-सामान का आविष्कार करना होगा. उन्हें अर्जुन के कौशल और शकुनि की चतुराई की आवश्यकता है ताकि वे वैचारिक रूप से भिन्न और महत्वाकांक्षी सहयोगियों को साध सकें.

उनके पक्ष में आयु और सामाजिक स्वीकार्यता है. सामाजिक और आर्थिक रूप से तथा आयु के हिसाब से उनके गठबंधन के सभी नेता अनुकूल हैं. अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सुप्रिया सुले, कनिमोजी, उमर अब्दुल्ला, अभिषेक बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और आदित्य ठाकरे राहुल के स्वाभाविक सहयोगी हैं. द्रमुक एवं राजद ने उन्हें प्रधानमंत्री के लिए अपनी पसंद बता दिया है. पर सभी को अपने प्रभाव क्षेत्र को बचाना और बढ़ाना है. राहुल के लिए यह अच्छी बात है कि कई राज्यों में कांग्रेस के पास खोने को कुछ खास नहीं है. वे अन्यों के वर्चस्व को स्वीकार कर सकते हैं और कुछ समय के लिए रणनीतिक रूप से पीछे हट सकते हैं. सोनिया गांधी अपने पूर्व आलोचक शरद पवार के साथ नाराजगी दूर कर तथा यूपीए सहयोगियों को अहम, मंत्रालय देकर 2004 में कांग्रेस को सत्ता में लायी थीं. यह एक सबक है. लोकसभा में मोदी के धार को कुंद करना राहुल की बड़ी चुनौती होगी. राहुल धारदार वक्ता नहीं हैं. उन्हें मोदी की राजनीति, आर्थिक नीति और कूटनीति में कमियां निकालने की कला सीखनी होगी. मोदी ने एक चुनौतीविहीन शासक की तरह राज्य और केंद्र में सरकार चलाया है. अब उन्हें अपने सहयोगियों की मांगों का भी ध्यान रखना होगा. या तो वे उन्हें मानेंगे या गलतियां करेंगे. राहुल सही मौके का फायदा उठा सकते हैं. नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें हर क्षण मोदी का सामना करना होगा. उन्हें विशेषज्ञ शोधार्थियों और सलाहकारों की आवश्यकता होगी, जो उन्हें अर्थशास्त्र, राजनीति, सरकार प्रबंधन, रक्षा, विदेश संबंध और पर्यावरण पर राय दे सकें. उन्हें ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी, जो प्रभावी ढंग से नैरेटिव का जवाब दे सकें.

क्या राहुल की विचारधारा नेहरू से मेल खाती है? उनके भाषणों से लगता है कि उन्होंने फेबियन समाजवाद के विचार को अपनाया है. 'दो भारत' की उनकी बात नेहरू से ली गयी है. सम्मोहक नारे, बड़े आंकड़े और अजीब लक्ष्य मोदी की ताकत के हिस्से हैं. चूंकि दोनों हमेशा टकराव की स्थिति में होंगे, इसलिए राहुल को नये कौशल सीखने होंगे. हर गांधी ने अपना नया कांग्रेस बनाया था. नेहरू को ऐसी पार्टी मिली थी, जो उनके लोकप्रिय व्यक्तित्व और महात्मा गांधी के लगाव से अभिभूत थी. इंदिरा ने कांग्रेस विभाजन कर समर्पित समर्थकों की टुकड़ी खड़ी की, जिनमें से कुछ मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बने. उनमें असुरक्षा का बोध नहीं था क्योंकि वे पार्टी से बड़ी थीं. अब सोनिया ने उसे अपनी संतानों को सौंप दिया है. गांधी परिवार की भारत की खोज त्रासदियों के माध्यम से निरंतरता की रही है. राजीव गांधी का प्रधानमंत्री बनना संजय गांधी और उनकी माता के निधन का परिणाम था. जब बोफोर्स घोटाले का विवाद उठा, तो उनके नजदीकी भाजपा में चले गये, जहां वे मंत्री एवं सांसद बने. विडंबना देखें, उनमें अधिकतर कांग्रेस नेताओं के परिजन थे. अब राहुल को कांग्रेस को एकजुट रखना होगा तथा उसे युद्ध के लिए तैयार करना होगा. भाजपा के दूसरे स्तर के नेता अभी सीखने की प्रक्रिया में हैं, जबकि कई कांग्रेस नेता युवा या अधेड़ हैं और कुछ साठ के दशक के शुरू में हैं. सचिन पायलट, रेवंत रेड्डी, डीके शिवकुमार, गौरव गोगोई, नाना पटोले, दीपेंदर हुड्डा, शशि थरूर, भूपेश बघेल आदि अकेले और साथ मिलकर अपने क्षेत्रों में जीत दिला सकते हैं.

जनवरी, 2013 में जयपुर में राहुल ने मीडिया को कहा था- 'कांग्रेस एक मजेदार पार्टी है. यह दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, पर शायद इसमें एक भी नियम या कायदा नहीं है. हम हर दो मिनट में नये कानून बनाते हैं, फिर उन्हें हटा देते हैं. पार्टी में नियमों के बारे में किसी को पता नहीं.' राहुल को केवल एक नियम का पालन करना चाहिए- खो गये गांधी जादू को पुनः सक्रिय करना. वे अगला प्रधानमंत्री बनने से बस एक कदम दूर हैं. पप्पू से प्रतिपक्ष का नेता बनने का उनका रूपांतरण उनकी दो यात्राओं के कारण विश्वसनीय है. उन्हें याद रखना चाहिए कि गांधी परिवार के, गांधी परिवार द्वारा और गांधी परिवार के लिए कांग्रेस अब आगे नहीं चल सकती. अब तक वह बची रही है, पर यदि उसे आगे बढ़ना है, तो उसे लोगों की कांग्रेस बनना होगा. **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

राहुल धारदार वक्ता नहीं हैं. उन्हें मोदी की राजनीति, आर्थिक नीति और कूटनीति में कमियां निकालने की कला सीखनी होगी. मोदी ने एक चुनौतीविहीन शासक की तरह राज्य और केंद्र में सरकार चलाया है. अब उन्हें अपने सहयोगियों की मांगों का भी ध्यान रखना होगा. या तो वे उन्हें मानेंगे या गलतियां करेंगे. राहुल सही मौके का फायदा उठा सकते हैं.

देश दुनिया

चीन को गंभीरता से लेना सीखे परिचम

लंबे समय से इस बात को स्वीकार किया गया है कि जलवायु परिवर्तन मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है. हर गुजरते वर्ष के साथ, लू, विनाशकारी बाढ़, आग और बढ़ते समुद्र स्तर के नये रिकॉर्ड ने जलवायु वैज्ञानिकों की सर्वसम्मत चेतावनियों को मजबूत कर दिया है कि हमारे वर्तमान जीवन जीने का तरीका तेजी से अस्थिर होता जा रहा है. हालांकि, इन कथनों से सहमत होना एक बात है, परंतु उन नीतियों को लागू करना बिल्कुल दूसरी बात है, जो उन कथनों को प्रभावी कार्रवाई में बदल दे. अपने बाजारों में चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों (इवी) के आगमन पर अमेरिका और यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया से इसका परीक्षण किया जा रहा है. यह अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए एक सरल प्रश्न है, कि उनके लिए सबसे अधिक क्या मायने रखता है, जलवायु परिवर्तन के खतरे का मुकाबला करना, या चीन को रोकना? अमेरिका ने इसे स्पष्ट कर दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा सौ प्रतिशत टैरिफ लगाने से चीन के इलेक्ट्रिक वाहन अमेरिकी बाजार से प्रभावी रूप से बाहर हो जायेंगे. चीनी प्रतिस्पर्धा की अनुपस्थिति घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के विकास को अवरुद्ध कर देगी, जो अधिकांश अमेरिकियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है. परिणामस्वरूप, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कार बाजार का घर अमेरिका, परिवहन को लेकर अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में काफी पीछे रह जायेगा. अमेरिका ने जता दिया है कि चीन को अलग-थलग करना, उसके लिए वैश्विक तापन से कहीं अधिक बड़ी प्राथमिकता है. अमेरिका के उलट, यूरोप ने अभी तक सीमा रेखा पार नहीं की है. यूरोप ने अमेरिका की तुलना में हमेशा वैश्विक तापन को अधिक गंभीरता से लिया है. पश्चिम को चीन को गंभीरता से लेना सीखना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि सहयोग और पारस्परिक निर्भरता का युग एक ऐतिहासिक अनिवार्यता और वांछनीय आवश्यकता दोनों है. **-मार्टिन जैकस**

बोधि वृक्ष

स्नेह की भावना

जब मन शांति को प्राप्त हो जाता है, तब सभी प्राणियों के लिए स्नेह की भावना विकसित होती है. ऋषि इसे प्रेम कहते हैं. जहां स्वार्थ और सीमित सोच होती है, वहां प्रेम विकसित नहीं हो सकता. प्रेम और जुनून परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां हैं. किसी सीमित वस्तु के लिए लगाव बहिर्मुखी ऊर्जा की अभिव्यक्ति है, जबकि अनंत के लिए आकर्षण अंतर्मुखी ऊर्जा की अभिव्यक्ति है. इसलिए ये दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते. प्रेम से भक्ति का मार्ग खुलता है. भक्ति आठ प्रकार की होती है- दो प्रकार की तामसिक भक्ति, दो प्रकार की राजसिक भक्ति, दो प्रकार की सात्विक भक्ति, ज्ञानमिश्र भक्ति और केवला भक्ति. इनमें से केवला भक्ति सर्वोच्च है. भक्ति मानव मन के प्रवाह को एक दिशा में नियंत्रित करती है. भक्ति साधना की पात्रता की पहली शर्त है. महान ऋषि नारद ने कहा है कि भक्ति की सर्वोच्च प्राप्ति परमब्रह्म की प्राप्ति है. केवला भक्ति वाले साधक आध्यात्मिक शास्त्रों में पारंगत और अभ्यास में सक्षम और दृढ़ मन वाले होते हैं. यह भक्ति की उच्च कोटि है. जिनकी श्रद्धा है, पर शास्त्र का ज्ञान नहीं, वे मध्यम प्रकार के भक्त हैं. जो न तो विद्वान हैं, न ही गंभीर, वे अभागे भक्त हैं. रागामिश्र भक्ति या केवला भक्ति केवल उच्चतम श्रेणी के भक्तों द्वारा प्राप्त की जा सकती है. वे अकेले ही अपनी आत्मा के व्यापक विकास को प्राप्त करते हैं. इसलिए शास्त्रों में निर्गुण भक्ति को पुष्टि मार्ग कहा गया है, जबकि अन्य मार्गों को मर्यादा मार्ग कहा गया है. केवला भक्ति के आकांक्षी जितना अधिक अपने इष्ट की ओर बढ़ते हैं, उतना ही वे अपने क्षुद्र स्वभाव से बेखबर रहते हैं और इष्ट के गुणों को प्राप्त करते हैं. केवला भक्ति के भक्त केवल ब्रह्म को देखते हैं. उनके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्म है, उनके लिए ब्रह्म साधना को छोड़कर सभी गतिविधियां महत्वहीन और मूल्यहीन हैं. इसलिए हे भक्तों, भगवान के नाम का स्मरण करो, नहीं तो तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो जायेंगे. आपके बचपन का धर्म- ब्रह्म साधना, पढ़ना और अभ्यास करना है. युवाओं का धर्म पैसा कमाना और ब्रह्म साधना का अभ्यास करना है. **-श्री श्री आनंदमूर्ति**

कुछ अलग

मिर्जापुर से हमेशचाकू तक

आलोक पुराणिक
व्यंग्यकार
puranika@gmail.com

मिर्जापुर सिर्फ शहर का नाम नहीं है, अब यह एक परम हिट सीरीज का नाम है. शहर सीरियल हो रहे हैं, सीरियल शैतान की आंत हो रहे हैं. सास-बहू सीरियल से ज्यादा पॉपुलर ऐसे सीरियल हो रहे हैं. मिर्जापुर क्या, क्राइम पॉपुलर हो रहा है. क्राइम हमेशा ही पॉपुलर रहा है. पब्लिक शरीफ आदमी को देखना पसंद नहीं करती. पब्लिक को क्राइम पसंद है. सीरियल बनाने वाले बताते हैं कि किसी महात्मा के नाम पर बनाये गये सीरियल को पब्लिक ना देखती, पर महात्मागिरी की आड़ में अय्याशी करने वाले महापुरुष के सीरियल चल जाते हैं. भलमनसाहत का मार्केट खत्म हो गया है.

इन दिनों सीरियल वाले तलाश कर रहे हैं कि कौन कौन से शहर हैं, जिनका नाम क्राइम में बहुत कुख्यात है. मेरा पक्का भरोसा है कि अब खोज शहरों से उतर कर मोहल्लों पर उतरेगी. छपेटीपुरा, खुच्चूगंज, हमेशचाकू, रिवाल्वरपुरम जैसे मोहल्लों के नाम पर सीरियल आयेंगे. हर शहर में होते हैं कुछ वीर मुहल्ले, जो चर्चा में रहते हैं. वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है. रैंकिंग अब क्राइम के आधार पर हुआ करेगी. नाला भुजुआ के लोग नाराज होंगे कि फतुहागंज पर सीरियल आ गया है, जबकि फतुहागंज में हुई हत्याओं की तादाद तो सिर्फ सौ रही पिछले महीने, हमारे नाला भुजुआ में तो दो सौ हत्याएं हुईं. हमारे नाला भुजुआ पर सीरियल क्यों ना बना? कई शहरों की पब्लिक अब समझ गयी है कि कई मुद्दों का कोई हल नहीं मिल सकता. खराब सड़क और गंदा पानी- ये मुद्दे अब पब्लिक को परेशान नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि इनके हल में किसी की दिलचस्पी नहीं है. तो, अब शहर का नाम बढ़े, इसे लेकर जनता में गहरा उत्साह रहता है.

दिल्ली तो राजधानी होने की वजह से प्रसिद्ध है, आगरा ताजमहल की वजह से फेमस है. जिन शहरों में कुछ नहीं है, वहां क्राइम के ताजमहल खड़े कर लिये जायें, शहर अपने आप फेमस हो जायेगा. ऐसा ही हो रहा है. जिन मुद्दों से निपटना संभव ना हो, उनसे कमाई कर लेनी चाहिए. मेरे जानकार एक नेता हैं, वे पानी की समस्या का हल ना निकाल पाये, तो उन्होंने अपने बेटे को बोतलबंद पानी का कारोबार शुरु करवा दिया. उनका बेटा बहुत कमा रहा है पानी की समस्या से. समस्या ना निपट पा रही हो, तो उससे कमाना शुरू कर देना चाहिए. क्राइम खत्म ना हो पा रहा हो, तो उससे कमाना शुरु कर देना चाहिए. मेरे मोहल्ले में चेन स्नेचिंग लगातार होती है, कितने ही नेता आये, चले गये. पर चेन स्नेचर जमे रहे. अब कुछ यूं होना चाहिए कि चेन स्नेचिंग पर सीरियल बन जाये, उस सीरियल का नाम मेरे मोहल्ले के नाम पर रखा जाये. आइए, इंतजार करें- घुघ्घुपूरा, काली नाला सीरियल आने वाले हैं.

आपके पत्र

पटना नगर निगम की खुली पोल

हल्की बारिश होने से ही पटना की सड़कों पर पानी भर गया. इससे साफ होता है कि नगर निगम की तैयारी अधूरी थी. नालों की सफाई के नाम पर खानापूर्ति की गयी है. इसका खामियाजा आम लोगों को झेलनी पड़ रही है. दूसरी तरफ नमामि गंगे व मेट्रो के निर्माण कार्य के चलते जहां-तहां सड़कों को खोद दिया गया है. इससे हादसे की आशंका बनी रहती है. यदि मॉनसून मेहरबान हुआ, तो पटना शहर की सड़कों पर जलजमाव तय है. इसलिए वक्त रहते निगम के अधिकारियों को संप हाउस की जांच कर लेनी चाहिए.

संतोष कुमार, पटना

बच्चों को लगी मोबाइल की लत

आजकल मोबाइल हर व्यक्ति की जरूरत है. इससे कई तरह के कामों में आसानी भी हुई, लेकिन छोटे बच्चों को इसकी लत लगती जा रही है. कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई होने के कारण छोटे-छोटे बच्चे मोबाइल के काफी करीब आ गये. इसके कारण उन्हें मोबाइल पर गेम खेलने की लत लग गयी. मोबाइल के उपयोग से उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है. इसलिए बच्चों को मोबाइल से दूर करने का प्रयास माता-पिता को करना चाहिए. बच्चों को घर के बाहर अन्य गेम खेलने की आदत डालने से वे मोबाइल से काफी हद तक दूर होंगे.

श्याम कुमार, बक्सर

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। मंगलवार, 2 जुलाई 2024

अब संभलना ही होगा

इस बार जैसा रंग दिखाया है मौसम ने, उसके बाद हमारी नींद खुल जानी चाहिए। क्लाइमेट चेंज के जिस खतरे को लेकर पिछले कई बरसों से पर्यावरण के जानकार और वैज्ञानिक आगाह कर रहे थे, वह अब सिर पर आ पहुंचा है। अगर इस बारे में कुछ न किया गया तो यहां से हालात बदतर ही होंगे।

मौसम का चरम | राजधानी दिल्ली और देश के तमाम दूसरे शहरों ने जून में ही मौसम के दो चरम झेल लिए। पहले जानलेवा गर्मी पड़ी। दिल्ली में जून का औसत अधिकतम तापमान करीब 42 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके बाद एकसाथ इतनी बारिश हो गई कि सारे इंतजाम पानी में बह गए। जान दोनों ने ली। अब यह सोचने वाली बात है कि जो शहर कुछ दिन पहले पानी की किल्लत से जूझ रहे थे, वे अचानक पानी में कैसे डूबने लगे?

Ai Image

मौसम में भारी उतार-चढ़ाव

देर ठीक नहीं | गर्मी का रेकॉर्ड तोड़ना अब आम होता जा रहा है। अभी तक जून के जो चार महीने सबसे ज्यादा गर्म दर्ज किए गए हैं, उनमें से तीन पिछले 13 बरसों में ही पड़ गए। हर साल ऐसा लगता है कि गर्मी पिछले बरस से अधिक पड़ रही है। सर्दियों का मौसम सिकुड़ता जा रहा है, जबकि बारिश अनियमित हो चली है। ये सारे संकेत डराने वाले हैं और साथ ही चेताने वाले भी।

दोतरफा उपाय | क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर हमें दो स्तरों पर काम करने की जरूरत है - पहला उपाय दीर्घकालिक हो और दूसरा फौरी। एक्शन प्लान और गाइडलाइंस पर काम करना होगा। आंध्र प्रदेश का उदाहरण ले सकते हैं, जहां हर साल हीटवेव से निपटने की योजना बनती है। इसमें लॉन्ग टर्म के साथ शॉर्ट टर्म उपाय भी रखे जाते हैं।

आंध्र का उदाहरण | तुरंत राहत के रूप में उन लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए, जिन्हें खुले में काम करना पड़ता है, जैसे श्रमिक, ट्रैफिक पुलिसकर्मी, रेहड़ी-पटरी दुकानदार। सार्वजनिक कूल शेल्टर बनाए जा सकते हैं, जहां वे लोग दोपहर में आराम कर सकें जिनकी मजबूरी है बाहर निकलना। लोगों को अपने घरों की बाहरी दीवारों और छतों पर सफेद पेंट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे घर के भीतर गर्मी कम लगती है।

कड़े फैसले | अगर बिगड़ते मौसम को संभालना है तो कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। हमारे महानगरों में नदियों-तालाबों पर तेजी से कब्जा हो रहा है। वेटलैंड पर बिल्डिंगें खड़ी की जा रहीं। इसको रोकना होगा। सजावटी के बजाय नीम, पीपल, जामुन जैसे पेड़ लगाए जाएं। घरों के निर्माण में पुरानी शैली अपनाई जाए यानी मोटी और ऊंची दीवारें, पर्याप्त वेंटिलेशन। जड़ों की ओर लौटने और प्रकृति के सम्मान से ही इस मुसीबत से बचा जा सकता है।

धूप-छांव

डकैतों का उसूल

प्रणव प्रियदर्शी

कहते हैं, वर्तमान जब गुजरकर अतीत बनता है तो एक मिठास छोड़ता जाता है। कड़वाहट भी छोड़ता है, लेकिन उसकी उम्र ज्यादा नहीं होती। यह मिठास अतीत का सही मूल्यांकन करने में बाधा बनी रहती है। बहरहाल, आज मूल्यांकन का कोई इरादा नहीं है, बस एक झांकी दिखाना चाहता हूं, अंग्रेजों के जमाने के सामंती दौर की, जो मैंने अपनी नानी की आंखों से देखी और उनकी जुबानी सुनी थी। वाकया बिहार के सहरसा जिले के एक गांव का है।

हुआ यों कि गांव के सबसे बड़े घर में एक दिन अचानक एक लाइन की पाती आई कहीं से कि 'अगले महीने की अमुक तारीख को बारात आ रही है। स्वागत की तैयारी रखिएगा।' घर वालों की तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। बारात आने का मतलब था सशस्त्र डाके की चेतावनी। जो तारीख बताई गई थी, वह आई और गुजर गई। धीरे-धीरे लोग निश्चिंत होने लगे। लेकिन तारीख बीतने के करीब डेढ़ महीने बाद एक रात 'बारात' सचमुच आ गई। खैर, इधर भी पूरी तैयारी थी। सभी घुड़सवारों को इज्जत से उतारा गया और दालान पर लगी कुर्सियों पर बैठने को कहा गया। डकैतों के सरदार ने कहा, 'आप भी जानते हैं हम बैठने नहीं आए हैं। हां, आपने ऐसा स्वागत किया तो परिवार के लोगों को कोई नुकसान हम नहीं पहुंचाएंगे, बस माल लूटकर जल्द से जल्द निकल जाएंगे।' मेजबान बोले, 'आपने बारात लाने की बात कही थी, तो अब तो परिवार की इज्जत की बात है। खाना तैयार है। पहले मुंह जूठा कीजिए, फिर आपका घर है, जो लेना हो लेकर चले जाइएगा।' जवाब मिला, 'उसूल हमारे भी हैं। हम जिस घर को लूटने जाते हैं, वहां का नमक नहीं खा सकते।' आखिर चूड़ा-दही, चीनी खाने पर सहमति बन गई। लेकिन जब निवाला मुंह में पहुंचा तब डकैतों को पता चला कि खेल हो चुका है। दही में किसी ने नमक मिला दिया था। मेजबान को बताया तो डांट-फटकार शुरू हुई कि ऐसा काम किसने किया। लेकिन जो होना था, हो चुका था। डकैतों ने कहा, 'अब हम इस परिवार को लूट नहीं सकते। जाइए आप लोग जीत गए।' मेजबान भला कैसे पीछे रहते। बोले, 'आप बारात लेकर आए हैं तो हमारे दामाद हुए। आपको हम खाली हाथ नहीं जाने दे सकते।'

अपनी तरफ से भरपूर माल असबाब और कीमती तोहफे देकर परिवार ने 'बारात' को विदा किया पर इस अनुरोध के साथ कि अब कभी इस गांव पर कोपदृष्टि मत डालिएगा। आगंतुकों ने भी वैसी ही उदारता से कहा, 'हम ही नहीं, जब तक हमारे बेटे पोते भी इस धंधे में हैं, तब तक इस गांव की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा।' और इतिहास साक्षी है कि वचन खोखला नहीं था।

बोल वचन

घुटने पर घंटा-मंटा

राहुल पाण्डेय

समूचे अवध में इस वक्त शायद ही ऐसा कोई जवान, बूढ़ा या बच्चा होगा, जिसने ना समझने की उम्र में घंटा-मंटा गीत ना सुना हो। घंटा-मंटा अवध में तकरीबन घर-घर का गीत है। अवध, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मगध के बहुत से इलाकों में पिता को चाचा कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि पापा या बाबू से पहले शिशु के मुंह से चाचा ही निकलता है। तो चाचा बच्चे को पिंडली पर लेकर झूला झुला रहे हैं, और गा रहे हैं- घंटा मंटा। बोल हैं- 'घंटा-मंटा लेइत है, दुई कौड़िया पाइत है, गंगा मा बहाइत है, गंगा हमका घास देय, घास दी गइया का, गइया हमका दूध दे, दूध दी हम बबुआ का।' यानी घंटा-मंटा करने से मिले पैसों को हमने गंगा को दिया, गंगा ने घास दी, घास गाय को दी, गाय ने दूध दिया, तब कहीं जाकर बच्चे को दूध मिला। फिर पुलुलुलु या घुटुक की आवाज निकालते हुए शिशु को पिंडलियों पर ऊपर उठाया जाता है कि वह जान ले कि मस्ती खत्म, अब दूध पीना पड़ेगा। शिशुओं को वक्त पर दूध पिलाना एक श्रमसाध्य प्रक्रिया होती है, जिसमें मां-बाप का साथ देता है घंटा-मंटा। यह एक खेल है या एक गीत, या एक वॉइस मार्क, यह शिशुओं को घंटा मंटा कराने वाले चाचा या अम्मा पर ही छोड़ना मुनासिब है। इसके लिए इंग्लिश क्या, हिंदी में भी कोई शब्द नहीं है। लोक में बहुत से शब्द ऐसे होते हैं, जिनका अन्य भाषाओं में समानार्थी शब्द नहीं मिलता है। वजह यह कि लोक में ध्वनियों पर बने शब्द अपने अर्थ भी ध्वनियों में ही लेकर आते हैं, जिनका अनुवाद नामुमकिन होता है।

Subrata Dhar

अलगाववादी तत्वों को बढ़ावा देने के सवाल पर दोनों देश आमने-सामने दिखने लगे हैं

भारत-अमेरिका में क्यों बढ़ गई तनातनी

रंजीत कुमार

एक-दूसरे को 21वीं सदी का सबसे अहम सामरिक साझेदार बताने वाले भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में अचानक तनातनी देखी जा रही है। अमेरिका ने भारत में धार्मिक भेदभाव का प्रत्यक्ष आरोप लगाया तो भारत ने भी जवाब में उसे सार्वजनिक तौर पर फटकारते हुए कहा कि अपने देश में वोट बैंक की राजनीति के लिए भारत पर आधारहीन आरोप न लगाए। गत 28 जून को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने जिस कड़े तेवर में अमेरिका को आईना दिखाने वाला दो टूक बयान साप्ताहिक ब्रीफिंग में पढ़ा, उससे भी साफ हो गया कि खालिस्तान मसले पर दोनों देश आमने-सामने हो चुके हैं।

संप्रभुता पर समझौता नहीं | पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने भारत के साथ सामरिक और रक्षा सहयोग को गहराई देने को लेकर नई दिल्ली में बातचीत की, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत को धार्मिक भेदभाव करने वाला देश बताकर आड़े हाथों लिया।

भारत का स्पष्ट संकेत | अमेरिका के इस बयान से वहां फल-फूल रहे खालिस्तानी अलगाववादी तत्वों को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए भारतीय प्रवक्ता ने अमेरिका को चेताया कि भारत विरोधी अतिवादी-आतंकवादी ताकतों को राजनीतिक मैदान न दे। प्रवक्ता ने इन अलगाववादी ताकतों का सीधा जिक्र नहीं किया, लेकिन संकेत साफ था। देश की संप्रभुता और अखंडता की कीमत पर सामरिक साझेदारी को अहमियत नहीं दी जाएगी, यह भारत के बयान से साफ है।

क्या हैं विवाद के बिंदु

- भारत पर धार्मिक पक्षपात का आरोप
- US का नजरिया 'वोट बैंक प्रेरित'
- खालिस्तानी तत्वों पर लगे अंकुश

क्वॉड पर अनिश्चितता | अमेरिका की तरह ही उसके साथी देश कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की सरकारें भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भारत विरोधी ताकतों को भड़काऊ गतिविधियां चलाने देती हैं। इसका असर न केवल सामरिक साझेदारी पर पड़ेगा बल्कि इन देशों ने चीन विरोधी जो नया भू-सामरिक समीकरण और ढांचा खड़ा करने की कोशिश की है, उन पर भी आंच आ सकती है। शायद यही वजह है कि हिंद-प्रशांत में चीन को चुनौती देने वाले मंच क्वॉड (चार देशों का संगठन) की गतिविधियों में हाल में शिथिलता आई है और इस साल भारत में होने वाली क्वॉड शिखर बैठक टाल दी गई है।

भरोसे में कमी | इससे साफ होता है कि भारत का इन देशों के साथ परस्पर सामरिक भरोसा घटने लगा है। भरोसे में कमी इस बात से भी उजागर होती है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पुराने सामरिक साझेदार रूस के साथ रिश्तों को अहमियत देते हुए जल्द ही मॉस्को जाकर व्लादिमीर पूतिन के साथ शिखर बैठक करने का फैसला किया है।

Ai Image

इसके संकेत भी स्पष्ट हैं। यह कोई रहस्य नहीं है कि मौजूदा वैश्विक समीकरण को देखते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस और पूतिन के करीब जाता दिखना अमेरिका को पसंद नहीं आएगा।

फाइव आईज की भूमिका | दिलचस्प है कि खालिस्तानी तत्वों को संरक्षण देने वाले देश फाइव आईज नाम के उस पांच देशों के गुट के सदस्य हैं, जो आपस में एक-दूसरे को प्रभावित करने वाली गुप्तचर जानकारियों का आदान-प्रदान करती हैं। गौर करने की बात है कि इन देशों की गुप्तचर एजेंसियों की नजर इस बात पर नहीं रहती कि अलगाववादी तत्व उनके सामरिक साझेदार भारत के खिलाफ किस तरह से साजिशें रच रहे हैं, कैसे आपत्तिजनक अभियान चला रहे हैं, बल्कि इस बात पर रहती है कि इन तत्वों पर भारत किस तरह नजर रखे हुए है।

सबूत नहीं दिए | पिछले साल कनाडा ने आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में किसी भारतीय के शामिल होने का आरोप फाइव आईज के सदस्य अमेरिका से मिली अपुष्ट जानकारी के आधार पर ही लगाया था। लेकिन इसके पक्ष में कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं दे सका है। ये सभी देश कभी भारत को इस बात के लिए आगाह नहीं करते कि किस तरह भारत को तोड़ने वाली साजिशें उनकी धरती पर रची जा रही हैं।

आतंकवादी को श्रद्धांजलि | हरदीप सिंह निज्जर को खुद कनाडा भी आतंकवादी मान चुका है लेकिन जिस तरह उसे वहां की संसद में श्रद्धांजलि दी गई और अमेरिकी प्रशासन ने इस पर चुप्पी बनाए रखी, उससे साफ होता है कि अपने यहां इन तत्वों को संरक्षण देने के मसले पर वे सभी देश एकजुट हैं।

चिंता की बात | इस मसले पर भारतीय राजनयिकों का इन देशों के अधिकारियों के साथ निरंतर संवाद होता है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारत का पक्ष, उसकी चिंता, उसकी जरूरत से ये देश वाकिफ नहीं हैं। इसके बावजूद इन देशों की सरकारों का रवैया नहीं बदल रहा। हाल में जिस तरह खालिस्तानी तत्वों ने भारतीय नेताओं राजनयिकों को खुली धमकी दी है वह एक और ताजा उदाहरण है खालिस्तानी तत्वों की कारगुजारियों का। फिर भी इन देशों की सरकारों ने इसे अनदेखा कर रखा है। यह भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है।

भारत ने चेताया | भारत किसी भी स्थिति में इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसने इन देशों की सरकारों से साफ कहा है कि खालिस्तान आंदोलन भारत में नहीं बल्कि अमेरिका और इसके साथी देशों में चल रहा है, जिसे इन देशों को सरकारी स्तर पर बढ़ावा नहीं देना चाहिए। घरेलू चुनावी राजनीति की मजबूरी को छिपाने के लिए अमेरिका, कनाडा जैसे देश भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाकर अपनी अलगाववादी समर्थक नीति को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे जल्द निबटना जरूरी है नहीं तो भारत में ये ताकतें फिर से फन उठा सकती हैं।

(लेखक विदेश और रक्षा मामलों के जानकार हैं)

बारिश बोले तो, चाय-पकौड़े और अटैक

नमिता जोशी

अपुन खोली में चद्दर ओढ़ के मस्त सो रयेला था कि सर्किट चिल्लाता हुआ आया। भाई, बंद करो अपना गाना और चिंकी भाभी को हंसाना। अपुन कू भोत गुस्सा आया। काइकू भेजा फ्राई कर रयेला है सुबह-सुबह? भाभी है किदर जो उसको हंसाऊंगा? और उसके हंसने से तेरे कू काइकू मिर्ची लग रयेली है? सर्किट ने अक्खा खोली का एसीपी प्रद्युमन के माफिक तलाशी लिया और फिर सॉरी के साथ बोला, मुन्नाभाई तुम कल गा रयेला था ना, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, इसके वास्ते अपुन कू गलतफैमिली हो गया। देखो न, ऊपरवाले ने अइसे खोले हैं बादल कि अक्खा एरिया लबालब हो गयेला है।

आई शप्पथ अपुन कू सर्किट की इस हरकत पे आज ज्वालामुखी के माफिक गुस्सा आया। पन क्या करेगा! सर्किट है अपना, हो जाता है कभी कभी फ्यूज! अभी कुछ दिन पहले गर्मी-गर्मी, पसीना-पसीना बोल के दिमाग का दही कियेला था। अब तेरे से मॉनसून की बारिश नहीं हजम हो रयेली है? ऊपरवाले के वास्ते बता, तेरे कू क्या मांगता है? तू किसी भी सीजन में कभी हैपी काइकू नहीं होता? अपुन की इस बात पे सर्किट क्या बोलता है, मालूम? मुन्ना भाई, अपुन ने बारिश की रिक्वेस्ट की थी ऊपरवाले से। और अभी तो रोज सुबह उठके लगता है कि किसी दुश्मन ने अटैक कर दिया हो। अपुन सर्किट कू समझाने लगा, अइसा अशुभ काइकू बोलता है सर्किट? आंख बंद कर, सांस गहरी खींच, मस्त मिट्टी की खुशबू आ रयेली है। और बगल की खोली में कांता बाई अपुन के वास्ते मस्त चाय-पकौड़े बना रयेली है। मिल के खाएंगे, काइकू टेंशन लेता है?

Ai Image

भेजा फ्राई

तभीच रूम में चमन चिरकुट ने अटैक किया और बोला, भाई तुम्हारे वास्ते जब तक चाय-पकौड़े बन के आएंगे, उससे पहले अक्खा कंट्री में हाय-हाय स्टार्ट हो गयेली है। जब भी मोबाइल खोलो, न्यूज में आता है कि बारिश के पानी में पिकनिक मनाने आए अक्खा फैमिली के लोग बह गए। आगे बढ़ो तो दिखाता है कि एयरपोर्ट का छत गिर गया और उसमें डेथ हो गया। इतना टाइम पकौड़ा तलने में नहीं जाता है, जितने में एक शहर में पानी की टंकी पब्लिक के ऊपर टूट कर गिर रयेली है। लगता है कि गर्मी-बारिश मिलके अपुन का माफिक भाईगिरी में लग गयेले हैं। सुपारी लेके निकलते हैं पब्लिक की लाइफ की।

अपुन ने दोनों को समझाया कि गलती मौसम का नहीं है। मिस्टेक तो अपुन जइसे इंसान लोग का है, अक्खा सिस्टम का है। क्लाइमेट चेंज भी अपुन जैसे लोग के वजह से हो रयेला है। बारिश से नफरत नहीं करने का, सिस्टम ठीक करने के वास्ते कुछ कर सकता है तो बोल।

सर्किट और चिरकुट दोनों अपना भेजा टटोलने लगे। क्या कर सकता है अपुन सोसायटी के वास्ते? अपुन मिडल क्लास लोग। अपुन कू बस गाली देना आता है। चल भाई, अब तुम इच बता दे कि क्या करना चाहिए? अपुन बोला, चल अभी भोत हो गया भेजा फ्राई। किचन में जाके चिरकुट तू अपुन के वास्ते भजिया पकौड़े और चाय बना के ला, तब तक अपुन गाना गाता है- जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना... और तू सर्किट दो रील बना, एक अपुन के बारिश के गाने का रील और दूसरा बारिश में चाय और पकौड़े बनाने की रेसिपी वाला रील।

मुंबइया स्टाइल में मुन्ना और सर्किट का ये भेजा फ्राई आपको कैसा लगा? हमें अपनी राय लिखकर भेजिए इस मेल आईडी पर nbtreader@timesgroup.com और सब्जेक्ट में लिखें-'भेजा फ्राई'

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

मार्क जैसी हिम्मत रखिए, एवरेस्ट भी छोटा पड़ जाएगा

सीताराम गुप्ता

गुजरात के प्रसिद्ध संत कवि नरसी मेहता पर 1940 में बनी एक फिल्म 'नरसी भगत' में भजन है, 'द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे, लंगड़ा चल कर पहुंचे काशी रे ...।' यानी जब प्रभु की दया का द्वार खुलता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। कैसे खुलता है प्रभु की दया का द्वार? कहां है हम पर ऐसी कृपा करने वाला वह ईश्वर? हम पर ऐसी कृपा करने वाला वह ईश्वर वास्तव में हमारे अंदर ही होता है। उसकी कृपा का द्वार हमारी इच्छाशक्ति से खुलता है। यदि हम अपनी इच्छाशक्ति के जरिए उसका द्वार खटखटाएंगे तो वह जरूर खुलेगा।

प्रभु की प्रार्थना करके हम अपनी सोई हुई मानसिक शक्तियों को ही जगाते हैं। यह अपने विश्वास को पुष्ट करने का ही एक मार्ग है। अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं और लोगों से कहते हुए सुनते हैं, 'ईश्वर की कृपा अभी हमारे ऊपर नहीं बरस रही है। एक न एक दिन वह जरूर सुनेंगे।' जब यह विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है, तब हम स्वयं पर भरोसा करने लगते हैं। सचाई यही है कि तब हम किसी कार्य में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं और असंभव से लगने वाले कार्य भी सरल लगने लगते हैं और हम सफल हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ ईश्वर पर भरोसा कर हम चुपचाप बैठ जाएंगे, तो हर क्षेत्र में कमजोर हो जाएंगे।

सकारात्मक दृष्टिकोण से उत्पन्न इच्छाओं के चयन और मजबूत इच्छाशक्ति के जरिए हम असंभव से लगने वाले कार्यों को करने में सक्षम हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही इच्छाशक्ति थी Mark Inglis में। उन्हें बचपन से ही पर्वतारोहण का शौक था। 23 वर्ष की उम्र में वह एक भयंकर दुर्घटना का शिकार हो गए। एक पर्वतारोहण अभियान के दौरान तूफान के कारण वह 14 दिनों तक एक बर्फीली गुफा में फंसे रहे। जब मार्क को होश आया तो वह एक अस्पताल में पड़े थे और उनके दोनों पैर गायब थे। बर्फ में उनके दोनों पैर बुरी तरह से गल गए थे। उनकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों को उनके दोनों पैर फौरन काट देने पड़े। मार्क पीड़ा से भर उठे, लेकिन उस बुरी हालत में भी उन्होंने एक संकल्प लिया और वह संकल्प था पर्वतारोहण न छोड़ने का।

भला कोई बिना पैरों के भी पर्वतारोहण कर सकता है? मार्क ने यह करिश्मा कर दिखाया। जब वह ठीक हो गए तो उन्होंने कृत्रिम पैरों के सहारे ही पर्वतारोहण का अभ्यास जारी रखा। फिर एक दिन ऐसा आया जब उन्हें वर्षों से संजोए अपने सपने को साकार होते देखने का मौका मिला। वह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट पर खड़े थे। मार्क कृत्रिम पैरों के सहारे एवरेस्ट पर पहुंचने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने। यह संभव हुआ उनके दृढ़ संकल्प और विषम परिस्थितियों में भी निरंतर अभ्यास करते रहने के कारण। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम क्यों न हों, व्यक्ति के बुलंद इरादे उसे हर ऊंचाई तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। जहां इरादे कमजोर हुए कि जीवन निराशा से भर जाता है। फिर बात आनंदमय जीवन जीने की नहीं होती, बल्कि गुजारा करने वाली बात सामने आ जाती है। उम्मीदों के पलों को सहेजकर अपनी ऊर्जा सकारात्मक काम में लगाने की जरूरत है।

BJP की अलोकतांत्रिक कार्यशैली नहीं चलेगी, विपक्ष इसे मंजूर नहीं करेगा

विशुद्ध राजनीति

इंटरव्यू

सदन के भीतर कांग्रेस के युवा रणनीतिकारों में एक अहम चेहरा हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। इस बार रोहतक सीट से जीतकर लोकसभा में पहुंचे हैं। इसके पहले राज्यसभा से भी सदन जा चुके हैं। संसद के नए सत्र में हुए टकराव, स्पीकर पद पर सरकार के साथ गतिरोध और कई राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही हरियाणा के आगामी चुनावों को लेकर **दीपेंद्र सिंह हुड्डा** से बात की **मंजरी चतुर्वेदी** ने। पेश हैं इसके प्रमुख अंश :

■ 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव को आप कैसे देखते हैं?

आम चुनाव में आए जनादेश को BJP या तो समझ नहीं रही या फिर उसकी अनदेखी कर रही है। देश ने अपने वोट की चोट से न सिर्फ BJP का सत्ता का घमंड तोड़ा, बल्कि राजनीति में संतुलन लाने के साथ-साथ एक मजबूत विपक्ष भी दिया है। अगर आप सत्र के पहले दिन ही विपक्ष को नकार उसी अलोकतांत्रिक कार्यशैली से काम करेंगे, जो पिछले 10 बरसों से चली आ रही है तो यह कहीं न कहीं जनादेश का अपमान है। अब भी अगर आप उसी कार्यशैली पर चलेंगे तो यह न तो देश की जनता को स्वीकार्य होगा और न ही विपक्ष को। सदन के भीतर टकराव की यही वजह है।

■ इस बार BJP को अपने भरोसे बहुमत नहीं मिला है। क्या आपको लगता है कि सरकार के रुख में कोई बदलाव आएगा?

शुरुआती तीन-चार दिन में संसद के भीतर सत्ता पक्ष की ओर से जो ट्रेलर दिखा है, उससे तो मुझे इनके रवैये में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं दिखती। जब डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देकर संसदीय परंपरा का पालन करने की बात आई, तो सरकार ने हिचकिचाहट दिखाई। विपक्ष ने भले ही स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारा हो, लेकिन मत विभाजन की मांग न करके सहमति से स्पीकर का चयन किया। विपक्ष ने गरिमा दिखाई। इसके बाद सदन में सभी ने दलगत राजनीति से उठकर स्पीकर को बधाई दी। इसके तुरंत बाद ही वह आसन के जरिए इमरजेंसी से जुड़ा प्रस्ताव ले आए। हम अचानक समझ ही नहीं पाए कि यह 1977 की जनता पार्टी की सरकार है या 2024 की BJP की अल्पमत सरकार, जो गठबंधन के सहारे सत्ता में है। हमने अपनी घड़ियां और कैलेंडर, सब चेक किया कि हम कहीं टाइम मशीन में तो नहीं चले गए, जो अभी इमरजेंसी की बात हो रही है।

■ डिप्टी स्पीकर पद को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है?

इस मुद्दे पर हमारा पूरा गठबंधन I.N.D.I.A. एकजुट है। हम इस मुद्दे को लेकर सार्वजनिक तौर पर सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार को सदन की परंपराओं की याद दिला रहे हैं। इस महान सदन की महान परंपराओं को तार-तार करने का अधिकार किसी के पास नहीं है।

■ आपने विपक्षी एकजुटता की बात की। विपक्ष भले ही अभी एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन TMC जिस तरह से बीच-बीच में अलग सुर रखती है, क्या वह विपक्षी एकता को चुनौती नहीं है?

आपका इशारा स्पीकर पद पर सामने आए रुख को लेकर है, लेकिन आपको याद दिला दूं कि स्पीकर को लेकर I.N.D.I.A. गठबंधन की जो मीटिंग हुई थी, उसमें TMC भी मौजूद थी। देश का समूचा विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है।

■ अगले कुछ महीनों में हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस के लिए क्या संभावनाएं देखते हैं?

हरियाणा में कांग्रेस जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। राज्य में BJP की 10 बरसों की सरकार इतनी नाकारा साबित हुई कि जो प्रदेश देशभर में विकास में नंबर एक था, आज वह बेरोजगारी में पहले पायदान पर खड़ा है। इस सरकार ने हरियाणा के नौजवानों का भविष्य बिगाड़ दिया। इस सरकार में अपने किसानों का अपमान देखा, देश की खिलाड़ी बेटियों का अपमान देखा, कर्मचारियों पर बार-बार लाठियां बरसाई गईं। आज हरियाणा के लोग हुड्डा सरकार के 10 बरसों के कामकाज को याद करते हैं।

■ हरियाणा कांग्रेस की एक बड़ी समस्या गुटबाजी रही है। इसके चलते कांग्रेस पिछली बार जीती हुई बाजी हार गई थी...

हरियाणा कांग्रेस एकजुट है। प्रदेश नेतृत्व ने पिछले कुछ बरसों में 'विपक्ष आपके समक्ष' और 'जनाक्रोश रैली' जैसे कार्यक्रमों के जरिए जिस मजबूती के साथ सरकार का विरोध करते हुए एक माहौल बनाया है, उसने जनता को भी एकजुट किया है। इसका असर आपने हाल के लोकसभा चुनाव में भी देखा। आने वाले चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ अपना खेल धांसू

T20 वर्ल्ड कप का फाइनल बहुत ही रोमांचक रहा। एक जुलाई के लेख 'यह T20 वर्ल्ड कप का 'लगान' मोमेंट है' में लेखक ने रोचक ढंग से इस रोमांच को बयान किया है। फाइनल तक भारतीय टीम अजेय पहुंची थी। हम सभी को उम्मीद थी कि इस बार खिताब हमारा ही होगा। टीम इंडिया ने उम्मीदों के अनुसार दक्षिण अफ्रीका को हराकर देशवासियों का दिल जीत लिया। सबसे खास बात यह देखने को मिली कि हर खिलाड़ी अपनी खास भूमिका में आए। क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब भारतीय टीम हो मैदान में तो कहना ही पड़ता है, अपना क्रिकेट सबसे धांसू।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

■ हाल सर्किट जैसा

11 मई को 'भेजा फ्राई' कॉलम में 'बीमार भाई मस्त, तीमारदार हो गया पस्त' शीर्षक से प्रकाशित लेख पढ़ा। लेखिका ने मुंबइया स्टाइल से रोचक अंदाज में हेल्थ सिस्टम और बीमार व्यक्ति के परिवार की परेशानियों से रूबरू कराया है। जब परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो बाकी सदस्यों का हाल भी सर्किट जैसा ही होता है। बार-बार फोन पर एक ही बात दोहराई जाती है कि कब, क्या, कैसे हुआ? मरीज तो आराम में होता है, लेकिन तीमारदारों का हाल बुरा हो जाता है।

भेजा फ्राई

निशा जैन, ईमेल से

■ ऐसे धुल गई दिल्ली

मॉनसून की पहली बारिश ने दिल्ली में सरकारी तंत्र को तहस-नहस कर दिया। जलभराव से बचने के सारे उपाय धुल गए। विभाग एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में व्यस्त है। पिछले साल भी बारिश में यही हाल था, पर किसी ने सबक नहीं लिया। दिल्ली का मिंटो ब्रिज 1980 में डूब गया था। 2024 में भी वही हाल है। लापरवाह अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा।

आर.के. शर्मा, ईमेल से

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

जून में दिन-रातें गर्म, बारिश का भी रेकॉर्ड - एक खबर
- कह सकते हैं कि जून में एसी-छाते, सबकी डिमांड!

पूर्णिमा रावत

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

ईशावास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

पंजाब केसरी संपादकीय

उपाध्यक्ष पद भरा जाना जरूरी

संसद लोकतन्त्र में सर्वोपरि होती है क्योंकि इसमें भारतीय गणतन्त्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। ये प्रतिनिधि विभिन्न राजनैतिक दलों के होते हैं मगर सभी का उद्देश्य व लक्ष्य संविधान के अनुसार देश का शासन चलाते हुए इसके विकास व प्रगति का होता है। यह विकास लोगों के विकास पर निर्भर करता है क्योंकि लोगों से मिल कर ही देश बनता है। संसद को चलाने के अपने नियम व प्रथाएं होती हैं। ये नियम व प्रथाएं इसीलिए होती हैं जिससे संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच संवाद व वार्तालाप की स्थिति सदैव बनी रहे और इन्हीं के मार्फत देश की समस्याओं का हल हो। हमारे पुरखे हमारे हाथ में जो संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली सौंप कर गये हैं उसमें लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए इन सदनों के अध्यक्षों की प्रतिस्थापना इस प्रकार की गई जिससे सदनों के भीतर पहुंचे सभी सदस्यों के अधिकार संरक्षित व सुरक्षित रह सकें क्योंकि ये प्रतिनिधि ही जनता की आवाज सदन में रखते हैं।

जहां तक लोकसभा का प्रश्न है तो यह जनता द्वारा चुना गया प्रत्यक्ष सदन होता है और इसी सदन में बहुमत के आधार पर सरकार का गठन होता है। यह अधिकार राज्यसभा को नहीं होता। इस सदन में अध्यक्ष के साथ एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। दोनों ही पद संवैधानिक होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 में यह स्पष्ट कहा गया है कि लोकसभा के एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष होंगे। अत: लोकसभा में इन दोनों पदों पर बैठे व्यक्तियों का होना जरूरी होता है। मगर हमने देखा कि पिछली 17वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद पूरे पांच साल खाली पड़ा रहा और सदन का काम उनके बिना ही चलाया जाता रहा। लोकतन्त्र में कोई भी पद 'निरापद' नहीं होता। विशेष परिस्थितियों में हर बड़े से बड़े पद पर बैठे व्यक्ति की सत्ता को संसद में चुनौती दी जा सकती है। वैसे तो श्रेष्ठ परंपरानुसार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से होना चाहिए परन्तु सदन में विभिन्न राजनैतिक दलों के बीच मतैक्य स्थापित न होने की वजह से इस पद पर चुनाव की भी नौबत आ जाती है जैसा कि इस बार हुआ और श्री ओम बिरला को ध्वनिमत से अध्यक्ष चुना गया।

> परंपरानुसार लोकसभा अध्यक्ष पद सत्ता पक्ष अपने पास रखता है और उपाध्यक्ष पद विपक्ष को दे देता है। इसकी वजह यही है कि लोकतन्त्र आपसी सहयोग व सहकार से ही चलता है। अत: उपाध्यक्ष पद पर विपक्ष के प्रत्याशी को बैठा कर संसद के सुचारू व निर्बाध तरीके से चलाने की गारंटी दी जाती है। संसदीय प्रणाली में बेशक बहुमत का शासन होता है मगर विपक्ष की भी इसमें भागीदारी हर कदम पर अपेक्षित रहती है। अक्सर विपक्ष के सुझावों से सत्ता पक्ष लाभान्वित होता है। इसकी वजह यह मानी जाती है कि विपक्ष में रह जाने पर इस पक्ष के सांसद आम जनता के निकट सम्पर्क में रहते हैं और वे सरकारी नीतियों की खामियों के प्रति सरकार को सचेत करते रहते हैं।

परंपरानुसार लोकसभा अध्यक्ष पद सत्ता पक्ष अपने पास रखता है और उपाध्यक्ष पद विपक्ष को दे देता है। इसकी वजह यही है कि लोकतन्त्र आपसी सहयोग व सहकार से ही चलता है। अत: उपाध्यक्ष पद पर विपक्ष के प्रत्याशी को बैठा कर संसद के सुचारू व निर्बाध तरीके से चलाने की गारंटी दी जाती है। संसदीय प्रणाली में बेशक बहुमत का शासन होता है मगर विपक्ष की भी इसमें भागीदारी हर कदम पर अपेक्षित रहती है। अक्सर विपक्ष के सुझावों से सत्ता पक्ष लाभान्वित होता है। इसकी वजह यह मानी जाती है कि विपक्ष में रह जाने पर इस पक्ष के सांसद आम जनता के निकट सम्पर्क में रहते हैं और वे सरकारी नीतियों की खामियों के प्रति सरकार को सचेत करते रहते हैं। इससे सरकार ज्यादा से ज्यादा सतर्क होकर चलती है। यही कारण है कि लोकतन्त्र में सशक्त विपक्ष की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद खाली रखना किसी भी तरह से संसदीय परंपराओं के प्रतिकूल माना जाता है।

अनुच्छेद-93 यह तो कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होंगे मगर यह नहीं बताता कि उपाध्यक्ष का पद कितने दिनों बाद भरा जायेगा। इसमें यह तो कहा गया है कि अध्यक्ष स्वयं उपाध्यक्ष पद के लिए समुचित समय में अधिसूचना जारी करेंगे मगर यह नहीं कहा गया कि कितनी अवधि पर यह अधिसूचना जारी हो जायेगी। इसी खामी का लाभ पिछली लोकसभा में उठाया गया और पिछले अध्यक्ष भी रहे श्री ओम बिरला ने अधिसूचना जारी ही नहीं की परन्तु यह राजनैतिकता के विरुद्ध था। अत: इस बार खबरें आ रही हैं कि सत्ता पक्ष उपाध्यक्ष का पद भी भरेगा।

इस पद के लिए विपक्ष तैयारी कर रहा है और उसने अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद श्री अवधेश प्रसाद को इस पद के लिए लगभग तैयार कर लिया है। उपाध्यक्ष पद के अधिकार भी वे ही होते हैं जो अध्यक्ष पद के होते हैं। वैसे तो एक बार को छोड़ कर अभी तक लोकसभा में कभी भी अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया है। मगर इसकी संभावना किसी भी लोकसभा में बनी रहती है। विपक्ष के सांसद जब अध्यक्ष को पक्षपात करते देखते हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं जैसा कि पहली लोकसभा के भीतर इसके अध्यक्ष श्री जी.वी. मावलंकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि वह प्रस्ताव भारी मतों से गिर गया था। ऐसी सूरत में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आते ही वह अपनी कुर्सी से उठ कर सदन में आकर सदस्यों के साथ बैठ जाते हैं और फिर प्रस्ताव पर होने वाले मतदान में हिस्सा भी नहीं लेते। उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। यह संवैधानिक व्यवस्था होती है। इस प्रकार आकस्मिकता में सदन को चलाने के लिए उपाध्यक्ष की अनिवार्यता होती है। वर्तमान हालात में सत्ता पक्ष यह पद विपक्ष को देना चाहेगा अथवा नहीं यह देखने वाली बात होगी। मगर संवैधानिक जरूरत के अनुसार इस पद को भरा अवश्य जाना चाहिए। वैसे सर्वसम्मति न होने पर इस पद पर भी चुनाव कराने का रास्ता खुला होता है।

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

क्योंकि विपक्ष ही तो है जो...

अगर लोकतंत्र के पावन मंदिर मे पक्षपात नजर आए,
और विपक्षी नेताओं की आवाज को जानबूझकर दबाया जाए,
फिर कैसे भारत का गौरवशाली लोकतंत्र तरक्की कर पाए,
क्योंकि विपक्ष ही तो है जो संसद मे जनता के मुद्दे उठाए...!!

गीता पाढा

क्या राहुल ने राहुल को पीछे छोड़ दिया ?

डा. विजय दर्डा
संपादक : लोकमत समूह
पूर्व राज्यसभा सांसद

आलिया भट्ट और राहुल गांधी को मजाक का पात्र बना देने के लिए सोशल मीडिया पर जितना लंबा अभियान चला, उतना शायद ही किसी और के लिए चला होगा। यह सब किसने किया और क्यों किया, इसके बारे में चर्चाएं तो बहुत होती हैं लेकिन पुख्ता तौर पर किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि आलिया ने अपने बेहतरीन अभिनय से वर्षों पहले उस भ्रम को तोड़ दिया और अब राहुल गांधी को ऐसा मौका मिला है लेकिन उनके लिए चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं।

बड़े तरीके से राहुल गांधी की यह छवि बना दी गई कि वे जिम्मेदारियों से भागने वाले व्यक्ति हैं। उनकी कार्यप्रणाली में निरंतरता की कमी की भी बातें की जाती रही हैं। उन्होंने 2004 में अमेठी से चुनाव लड़ा और संसद में पहुंचे, उसके बाद 10 साल तक उनकी सरकार रही लेकिन उन्होंने मंत्री पद नहीं लिया। कई मौकों पर अपनी ही सरकार की नीतियों की आलोचना करने से भी नहीं हिचके। अंतत: 2017 में वे पार्टी के अध्यक्ष बने लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी पराजय के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा कि किसी नए व्यक्ति को यह जिम्मेदारी देनी चाहिए। जहां तक संसद में पद लेने का सवाल है तो 2014 के बाद कांग्रेस के पास कोई विकल्प उपलब्ध ही नहीं था। नेता प्रतिपक्ष के लिए किसी भी पार्टी के पास संसद का कम से कम 10 प्रतिशत सीट शेयर यानी 54 सीटें होना अनिवार्य है। 2014 में कांग्रेस को केवल 44 और 2019 में केवल 52 सीटें मिली थीं, नेता प्रतिपक्ष की पात्रता ही नहीं थी।

2024 के चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिलीं तो लोगों के मन में एक ही सवाल था कि क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का पद स्वीकार करेंगे या पद से दूरी बनाए रखेंगे? राहुल ने न केवल पद स्वीकार किया बल्कि उन्होंने जिस अंदाज में अपनी बात कही उससे उनकी नई छवि का एहसास होता है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को कहा कि सरकार के पास राजनीतिक शक्ति है लेकिन विपक्ष भी भारत के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। संसद चलाने में विपक्ष मदद करेगा लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सहयोग भरोसे के साथ होना चाहिए।

सवाल यह नहीं है कि संसद कितनी शांति से चल रही है बल्कि सवाल यह है कि आम आदमी की आवाज उठाने के लिए कितनी अनुमति मिलती है, विपक्ष की आवाज दबाकर संसद शांति से चला सकते हैं लेकिन यह नजरिया अलोकतांत्रिक होगा। अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें।

राहुल के इस स्पष्टवादी तेवर ने संकेत दे दिया है कि भविष्य के लिए उनका रुख क्या होगा। महत्वपूर्ण यह है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां टेबल के आर-पार वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमने-सामने होंगे। नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट रैंक मिलता है, वह पूरे विपक्ष का नेतृत्व तो करता ही है, वह पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग और एस्टिमेट कमेटी जैसी महत्वपूर्ण समितियों का हिस्सा भी होता है। नेता प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका संयुक्त संसदीय समितियों और चयन समितियों में होती है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, चुनाव आयुक्तों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जैसे पदों की नियुक्तियां ये चयन समितियां ही करती हैं।

अभी तक नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ही एक-दूसरे पर तीखे शब्द बाण चलाते रहे हैं लेकिन यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि टेबल पर दोनों जब एक साथ बैठेंगे तो एक-दूसरे के प्रति उनका रुख किस तरह का रहेगा? हालांकि अध्यक्ष ओम बिरला को जिस तरह से मिलकर वे आसंदी तक ले गए उससे एक उम्मीद जगी लेकिन इमरजेंसी के जिक्र ने रिश्तों में खटास डाल दी है। इमरजेंसी के लिए जनता ने इंदिरा गांधी को सजा दे दी थी और फिर सत्ता में वापस भी ले आई थी, यह विवाद रिश्तों में आग लगाने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी को शासकीय प्रबंधन का लंबा अनुभव है और वे कूटनीति में भी माहिर व्यक्ति हैं। ऐसे में राहुल गांधी के समक्ष ज्यादा बड़ी चुनौती रहेगी। यदि वे इसमें सफल होते हैं तो निश्चय ही एक परिपक्व नेता के रूप में उनकी नई पहचान कायम होगी और जो लोग उनकी छवि को तबाह करने की हर संभव कोशिश करते रहे हैं उन्हें करारा जवाब भी मिलेगा।

मैंने यह महसूस किया है कि राहुल गांधी बहुत समझदार नेता हैं। देश की नब्ज को समझने के लिए उन्होंने पूरे देश की यात्रा की है, जिस तरह से गांधी जी और विनोबा जी ने की थी। वे विशेषज्ञों से चीजें समझते हैं, फालतू बातों में उनकी कोई रुचि नहीं रहती और झूठ का वे सहारा नहीं लेते। हां, उनके किचन कैबिनेट को लेकर जानकार सवाल खड़े करते रहे हैं लेकिन वक्त के साथ वे चीजों को जरूर सुधारेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 'भारत जोड़ो यात्रा' से उनका व्यक्तित्व बदला है। यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि 'मैंने राहुल गांधी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब मैं वो राहुल गांधी नहीं हूं।' ...देखना है, क्या सचमुच राहुल गांधी ने राहुल को पीछे छोड़ दिया है?

लंबित मामलों पर इंसाफ कब मिलेगा

आर.के. सिन्हा
पूर्व राज्यसभा सांसद

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पटना हाई कोर्ट के 100 साल पूरे होने के मौके पर देश की अदालतों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई थी। यह बात 2016 की है। वे जब अपना वक्तव्य दे रहे थे तब देश के चोटी के वकील, जज और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। सारा देश जानता है कि देश की निचली से लेकर उच्चतम न्यायालयों तक में मामलों की संख्या लाखों-करोड़ों हो चुकी है। इस कारण न्याय पाने वालों को अभूतपूर्व देरी का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के रूप में अपनी तीसरी पारी में मोदी जी लंबित मामलों से जूझ रही देश की न्याय व्यवस्था में सुधार करेंगे। अगर यह होता है तो डॉ. शीला मेहरा जैसे करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी।

देवकी नंदन पांडे, विनोद कश्यप और अशोक वाजपेयी जैसे दिग्गज हिन्दी न्यूज रीडरों के साथ, डॉ. शीला मेहरा ने ऑल इंडिया रेडियो से दशकों तक देश-दुनिया को अपनी धीर-गंभीर आवाज में खबरें सुनाई हैं। भारत की कई पीढ़ियों ने इन सबकी गहरी आवाज और स्पष्ट उच्चारण में खबरों को पढ़ते हुए सुना है। जिन दिनों रेडियो की मार्फत देश समाचार सुनता था तब डॉ. शीला मेहरा किसी सेलेब्रिटी से कम नहीं थीं। लगभग एक दशक पहले सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद उनका जीवन बदल गया। उसके बाद वो अपने पति, श्री आर.के. मेहरा के साथ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के धक्के खाने लगीं। कारण : मेहरा दंपती ने गाजियाबाद में 25 हजार रुपये में जमीन खरीदी थी। यह 1970 के दशक के शुरुआत की बात है। इनकी तरह कई अन्य लोगों ने भी गाजियाबाद में जमीनें खरीदी थी। दिल्ली के कोलाहल से दूर घर बनाने की उनकी उम्मीद 1975 में जीडीए द्वारा उनकी जमीन अधिग्रहण करने के साथ ही चकनाचूर हो गई। उस समय जीडीए को आवास विकास के नाम से जाना जाता था। जीडीए ने अधिग्रहीत जमीन पर बाद में प्रताप विहार को विकसित किया लेकिन उन सभी किस्मत के मारे लोगों को एक पैसा भी नहीं मिला जिनकी जमीन अधिग्रहीत की थी। वे सब नौकरी पेशा लोग थे।

अपने भाग्य को कोसने के बजाय, डॉ. शीला मेहरा, उनके पति और बाकी लोग अपनी अधिग्रहीत जमीन का उचित और न्यायसंगत मुआवजा पाने के लिए जीडीए से लड़ रहे हैं। मेहरा दंपती ने 2 फरवरी, 1978 को गाजियाबाद की निचली अदालत में मुकदमा दायर किया ताकि उन्हें मुआवजा मिल सके। उन्हें और शेष लोगों को जीडीए के शीर्ष अधिकारियों से आश्वासन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। वे अपने वकीलों को फीस दे रहे हैं, हालांकि उनकी आय के स्रोत बहुत कम हैं। कब जीडीए से मुआवजा पाने के लिए लड़ रहे लोगों को न्याय मिलेगा? जीडीए जैसे विभागों के कामकाज को जानने वाले कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक आदेश से सैकड़ों असहाय लोगों को उनका हक मिल सकता है। जब इन लोगों को जीडीए से न्याय नहीं मिला तो इन्होंने गाजियाबाद की निचली अदालत में 1978 मुकदमा दायर किया था। इन्हें अदालत से नियमित तौर पर तारीखें मिलती हैं। अदालत की तारीख के दिन पांच लोगों को वहां मौजूद रहना होता है। वे केस के जज, मुकदमे के वादी, उनके वकील, जीडीए के वकील और जीडीए के अधिकारी। पर अफसोस कि ये सब तारीख वाले दिन कभी मिल नहीं पाते। कोई ना कोई जरूर गैर-हाजिर रहता ही है।

यह गंभीर चिंता का विषय है कि देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की संख्या पांच करोड़ को पार कर गई है, जैसा कि 20 जुलाई, 2023 को राज्यसभा को बताया गया। देश के तब के विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, 25 उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में 5.02 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। भारत में 2022 में जजों की स्वीकृत संख्या प्रति दस लाख आबादी पर 21.03 की थी। जजों की कुल स्वीकृत संख्या सर्वोच्च न्यायालय में 34, उच्च न्यायालयों में 1108 और जिला अदालतों में 24,631 थी। भारत के विधि आयोग और न्यायमूर्ति वी.एस. मलीमथ की समिति ने जजों की संख्या प्रति दस लाख आबादी पर 50 तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। जजों की स्वीकृत संख्या निर्धारित होने के बावजूद भारत की अदालतों ने जजों की रिक्ति के कारण काफी समय से पूरी क्षमता में काम नहीं किया है।

एक विचार यह है कि अदालतों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। सरकार का अदालतों में मामलों के निपटान में कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारें भी मामलों के निपटान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उदाहरण के लिए यदि उत्तर प्रदेश के तेज-तर्रार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीडीए को निर्देश दें तो मुआवजा चाहने वालों को तुरंत न्याय मिल सकता है। इससे डॉ. शीला मेहरा जैसे लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सकती है।

पिछली 17 फरवरी को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा था, "निचली अदालतें ही हैं जहां समस्याओं का समाधान शुरू होता है, वहां ध्यान देने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कई मामले बढ़ रहे हैं जो खुद निचली अदालत में ही निपटने चाहिए।" लेखक सलमान रुश्दी की दिल्ली के पॉश एरिया फ्लैग स्टाफ रोड में पैतृक संपत्ति का कोर्ट में बीती आधी सदी से चल रहा कानूनी विवाद इस बात की चीख-चीख कर पुष्टि करता है कि हमारे यहां कोर्ट के रास्ते से न्याय पाना कितना कठिन और थकाने वाली प्रक्रिया है।

लम्बित मामलों पर तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। जरा सोचिए कि जब सलमान रुश्दी जैसी अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत को न्याय के लिए इतना जूझना पड़ रहा है तो आम इंसान की कोर्ट में क्या हालत होती होगी। हमारे यहां कहा ही जाता है कि किसी को प्रताड़ित करना है तो उसे किसी कानूनी केस में फंसा दो या फिर पुरानी यानी सैकिंड हैंड कार दिलवा दो। आप देश के किसी भी भाग में निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर देख लें। वहां पर आपको इंसाफ के लिए जूझते बेबस लोग मिलेंगे। ''न्याय में देरी, न्याय से वंचित होना'' एक पुरानी कहावत है। अब समय आ गया है कि डॉ. शीला मेहरा और सलमान रुश्दी जैसे करोड़ों लोगों को सस्ता और त्वरित न्याय प्रदान किया जाए।

धर्मगुरुओं के बीच यूट्यूब संग्राम

विनीत नारायण
www.vineetnarain.net

जब से सोशल मीडिया का प्रभाव तेजी से व्यापक हुआ है तब से समाज का हर वर्ग, यहां तक कि ग्रहणियां भी 24 घंटे सोशल मीडिया पर हर समय छाई रहती हैं। इसके दुष्परिणामों पर काफ़ी ज्ञान उपलब्ध है। सलाह दी जाती है कि यदि आपको अपने परिवार या मित्रों से संबंध बनाए रखना है, अपना बौद्धिक विकास करना है और स्वस्थ और शांत जीवन जीना है तो आप सोशल मीडिया से दूर रहें या इसका प्रयोग सीमित मात्रा में करें। पर विडंबना देखिए कि समाज को संयत और सुखी जीवन जीने का और माया मोह से दूर रहने का दिन-रात उपदेश देने वाले संत और भागवताचार्य आजकल स्वयं ही सोशल मीडिया के जंजाल में कूद पड़े हैं। विशेषकर ब्रज में ये प्रवृत्ति तेजी से फैलती जा रही है।

अभी पिछले ही दिनों वृंदावन के विरक्त संत प्रेमानंद महाराज और प्रदीप मिश्रा के बीच सोशल मीडिया पर श्री राधा तत्व को लेकर भयंकर विवाद चला। ऐसे ही पिछले दिनों वृंदावन में नये स्थापित हुए भागवताचार्य अनिरुद्धाचार्य के भी वक्तव्य विवादों में रहे।

इसी बीच बरसाना के विरक्त संत श्री रमेश बाबा द्वारा लीला के मंचन में राधा स्वरूप धारण कर बालाकृष्ण से पैर दबवाने पर विवाद हुआ। ये सब ब्रज की विभूतियां हैं। हर एक के चाहने वाले भक्त लाखों-करोड़ों की संख्या में हैं। जैसे ही कोई विवाद पैदा होता है इनका चेला समुदाय भी सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय हो जाता है। ठीक वैसे ही राजनैतिक दलों की ट्रोल आर्मी जो बात का बतंगड़ बनाने में मशहूर है, सक्रिय हो जाती है। ये सब सोशल मीडिया में अपनी पहचान बनाने का एक तरीक़ा बन गया है। अब प्रेमानंद जी वाले विवाद को ही लीजिए, कितने ही कम मशहूर भागवताचार्य भी इस विवाद में कूद पड़े। जिनके फ़ॉलोवर्स चार-पांच सौ ही थे, पर जैसे ही वे इस विवाद में कूदे तो उनकी संख्या 20 हज़ार पार कर गई। यानी बयानबाज़ी भी फ़ायदे का सौदा है।

परंपरा से शास्त्र ज्ञान का आदान-प्रदान गुरुओं द्वारा निर्जन स्थलों पर किया जाता था। जहां जिज्ञासु अपने प्रश्न लेकर जाता था और गुरु की सेवा कर ज्ञान प्राप्त करता था। यही पद्धति भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को बताई थी। भगवद् गीता के चौथे अध्याय का चौंतीसवां श्लोक इसी बात को स्पष्ट करता है। "तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ।।4.34।।"

परंतु सोशल मीडिया ने आकर ऐसी सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। अब धर्म गुरु चाहें न चाहें, पर उनके शिष्य उनके प्रवचनों का सोशल मीडिया पर प्रसारण करने को बेताब रहते हैं और फिर अलग-अलग गुरुओं के शिष्य समूहों में आपसी प्रतिद्वंद्वता चलती है कि किस गुरु के कितने चेले या श्रोता हैं। जिस संत के फ़ॉलोवर्स की संख्या लाखों में होती है उन पर टिप्पणी करना या उन्हें विवाद में घसीटना लाभ का सौदा माना जाता है। क्योंकि वैसे तो ऐसा विवाद खड़ा करने वालों की कोई फॉलोइंग होती नहीं है, पर इस तरह उन्हें बहुत बड़ी तादाद में फॉलोवर और लोकप्रियता मिल जाती है। मतलब ये कि आप में योग्यता है कि नहीं, पात्रता है कि नहीं, आपको उस विषय का ज्ञान है कि नहीं, इसका कोई संकोच नहीं किया जाता। केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लालच में बड़े- बड़े संतों के साथ नाहक विवाद खड़ा किया जाता है। आजकल ऐसे विवादों की भरमार हो गई है।

वृंदावन के विरक्त संत प्रेमानंद महाराज और प्रदीप मिश्रा के बीच सोशल मीडिया पर श्री राधा तत्व को लेकर भयंकर विवाद चला।

वैसे तो तकनीकी के हमले को कोई चाह कर भी नहीं रोक सकता। पर कभी-कभी इंसान को लगता है कि उसने भयंकर भूल कर दी। 2003 की बात है जब मैंने बरसाना (मथुरा) के विरक्त संत श्री रमेश बाबा के प्रवचन नियमित रूप से हर सप्ताह बरसाना जा कर सुनना शुरू किया, बाबा की भक्ति और सरलता ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मुझे लगा कि बाबा के प्रवचन पूरी दुनिया के कृष्ण भक्तों तक पहुंचने चाहिए। तब ऐसा होना केवल टीवी चैनल के माध्यम से ही संभव था। क्योंकि तब तक सोशल मीडिया इतना लोकप्रिय नहीं हुआ था। मैंने इसके लिए प्रयास करके श्री मान मंदिर में टीवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो की स्थापना कर दी। उस दौर में मान मंदिर के विरक्त साधुओं ने मेरा कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि बाबा की बात अगर इस तरह प्रसारित की जाएगी तो बरसाना में कलियुग का प्रवेश कोई रोक नहीं पाएगा। पर बाबा ने मुझे अनुमति दी तो काम शुरू हो गया। इसका लाभ मान मंदिर को यह हुआ कि उसके भक्तों की संख्या में देश-विदेशों में तेजी से बढ़ौतरी हुई और वहां धन की वर्षा होने लगी। तब मुझे विरोध करने वाले अव्यावहारिक प्रतीत होते थे। पर आज जब मैं पलट कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि वाकई इस प्रयोग में मान मंदिर के पवित्र, शांत और निर्मल वातावरण को बहुत सारे झमेलों में फंसा दिया। अगर वहां टीवी का प्रवेश न हुआ होता तो वहां का अनुभव पारलौकिक होता था। जिसे अनुभव करने नीतीश कुमार, अर्जुन सिंह, सुषमा स्वराज, लालू यादव, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तक उस दौर में वहां गए और गद्गद् हो कर लौटे।

हमने बात शुरू की थी सोशल मीडिया पर बाबाओं के संग्राम से और बात पहुंच गई अध्यात्म की एकांतिक अनुभूति से शुरू होकर उसके व्यवसायीकरण तक। इस आधुनिक तकनीकी ने जहां श्री राधा-कृष्ण की भक्ति का और ब्रज की संस्कृति का दुनिया के कोने-कोने में प्रचार किया वहीं इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आज वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना व मथुरा आदि अपना सदियों से संचित आध्यात्मिक वैभव व नैसर्गिक सौंदर्य तेजी से समेटते जा रहे हैं। हर ओर बाजार की शक्तियों ने हमला बोल दिया है। कहते हैं कि विज्ञान अगर हमारा सेवक बना रहे तो उससे बहुत लाभ होता है। पर अगर वो हमारा स्वामी बन जाए तो उसके घातक परिणाम होते हैं।

एक ब्रजवासी होने के नाते और संतों के प्रति श्रद्धा होने के नाते मेरा देशभर के संतों से विनम्र निवेदन है कि वे सोशल मीडिया के संग्राम से बचें और अपने अनुयायियों को होड़ में आगे आकर अपना बढ़ा-चढ़ा कर प्रचार करने से रोकें जिससे वे अपना ध्यान भजन साधन के अलावा तीर्थ स्थलों के सौंदर्यकरण और रख-रखाव में लगा सकें ताकि तीर्थ यात्रियों को ब्रज जैसे तीर्थों में जाने पर सांस्कृतिक आघात न लगे।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग : 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगज़ीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय
सहारा

नई दिल्ली • मंगलवार • 2 जुलाई • 2024

www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

जो जानता नहीं कि वह जानता नहीं, वह मूर्ख है-उसे दूर भगाओ। जो जानता है कि वह जानता नहीं, वह सीधा है -उसे सिखाओ। जो जानता नहीं कि वह जानता है, वह सोया है-उसे जगाओ। जो जानता है कि वह जानता है, वह सयाना है-उसे गुरु बनाओ -अरबी कहावत

editpagesahara@gmail.com

सार्थक पहल

हर कोई अपनी मां के लिए पेड़ लगा रहा है। चाहे वह अमीर हो या गरीब, चाहे वे कामकाजी महिलाएं हों या घरेलू। मां के नाम पेड़ लगाने के अभियान से मां का तो सम्मान होगा ही साथ में धरती मां की रक्षा भी होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आकाशवाणी के मासिक कार्यक्रम 'मन की बात' के दौरान ये बातें कही। विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को शुरू किए गए 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की चर्चा के दौरान उन्होंने यह कहा। 2024 के लोक सभा चुनाव के लिए मोदी ने देशवासियों का धन्यवाद ज्ञापन किया और कहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था, जिसमें पैंसठ करोड़ लोगों ने मत डाले। वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की हौसलाफजाई भी नहीं भूलें। उन्होंने जनता से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए हैशटैग 'चीयर 4 भारत' का प्रयोग करने का आग्रह भी किया। चूंकि कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों तक प्रधानमंत्री की आवाज सीधा पहुंचाना है। दूर-दराज व ग्रामीण इलाकों तक संदेश पहुंचाने के लिए इसे टीवी व यू-ट्यूब के साथ रेडियो पर प्रसारित किया जाता है। 2014 के सर्वेक्षण के अनुसार इसे 66.7 फीसद आबादी द्वारा सुना गया। साथ ही यह आकाशवाणी के लिए राजस्व जुटाने का प्रमुख कार्यक्रम बन चुका है।

निःसंदेह 'मन की बात' कार्यक्रम द्वारा मोदी ने खास वर्ग के दिलों को छूने का काम किया है। ग्लोबल वार्मिंग की मार झेल रहे नागरिकों को मां के नाम पर पौधा रोपने के लिए प्रोत्साहित करना, बेहतरीन नतीजे दे सकता है। पेड़ का आज के समय में कितना महत्त्व है, यह जगजाहिर है। हमारी परंपरा व परिवार के अटूट बंधन की यही तो बुनियाद है। हालांकि देश के मुखिया को जबरदस्त बारिश, बाढ़, पीने के पानी की कमी जैसी बुनियादी दिक्कतों की भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। राज्य सरकारों की नकेल कसते हुए उन्हें प्राकृतिक आपदाओं और बुनियादी जरूरत के प्रति जवाबदेह बनाना होगा। लोग सिर्फ पौधे लगा कर उन्हें छोड़ न दें, बल्कि उनकी उचित देखभाल का जिम्मा भी लें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में हमें और आने वाली पीढ़ी को कई तरह की दुश्वारियां झेलनी पड़ सकती है। सरकार की तरफ से मिलने वाले निःशुल्क पौधों की व्यवस्था सुधारने का काम स्थानीय प्रशासन को मुस्तैदी से करना होगा और जनता के इस प्रयास को प्रात्साहित करने के लिए कदम से कदम मिलाने होंगे।

स्वागतयोग्य निर्णय

केंद्र सरकार का राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) जवानों का जोखिम और कठिनाई भत्ते को बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का फैसला स्वागतयोग्य है। एनडीआरएफ के 16 हजार जवानों के लिए वाकई खुशी की बात है। गृहम मंत्री अमित शाह ने शनिवार को यह ऐलान किया। सचमुच जोखिम या खतरे के समय इन्हीं जवानों को याद किया जाता है। आज न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में कहीं भी आपदा आती है तो लोग एनडीआरएफ की तरफ देखते हैं। एनडीआरएफ न सिर्फ भारत का दुनिया का प्रमुख आपदा प्रबंधन बल है। कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, लेकिन अगर एनडीआरएफ का जवान अपनी वर्दी में खड़ा है तो इससे मुश्किल में फंसे लोगों का हौसला कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे कर्मियों के लिए केंद्र सरकार की यह पहल वाकई सकारात्मक है। वैसे, 2 वर्ष पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खतरे और कठिन जगहों पर तैनात सैन्य अफसरों और कर्मियों को अतिरिक्त भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके तहत अफसरों को 10,500 और जेसीओ व जवानों को छह हजार रुपए प्रतिमाह का जोखिम भत्ता देने का आदेश पारित किया गया था। गौर करने वाली बात है कि अर्द्धसैनिक बलों के जवानों के लिए यह नियम पहले से है। ऐसे नियम कर्मचारियों और अधिकारियों के मनोबल को निश्चित तौर पर संबल प्रदान करेंगे। क्योंकि काबिल लोगों को चुनौतीभरे माहौल में काम करने के लिए राज़ी करने के लिए ये चलन जरूरी है। एनडीआरएफ जवान और अधिकारी किन प्रतिकूल हालात में अपनी ड्यूटी निभाते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। जान को हथेली पर रखकर काम करना हर किसी के वश की बात नहीं होती है। निश्चित तौर पर यह काम सरकार को बहुत पहले करना चाहिए था। हालांकि जोखिम के काम सिर्फ सेना के जवान या अर्द्धसैनिक बल के जवान ही नहीं करते हैं। अग्निशमन कर्मी, बिजली का काम करने वाले (लाइनमैन) आदि भी अपनी जान को खतरे में डालकर काम करते हैं। उनकी हौसलाअफजाई के लिए उन्हें कुछ अतिरिक्त तो दिया ही जाना चाहिए। इन्हीं सब जवानों और कर्मचारियों की बदौलत कई लोग सुकून और सुरक्षित महसूस करते हैं। बहरहाल, देर से ही सही इस फैसले से निःसंदेह जवानों और अधिकारियों के मनोबल को मजबूती मिलेगी।

टू दि प्वाइंट/ आलोक पुराणिक

नए सेल्समैन

टी 20 क्रिकेट का विश्व कप में कमाल हुए, आस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को अफगानिस्तान जैसी नई टीम ने हरा दिया। पाकिस्तान जैसी पुरानी टीम को अमेरिका जैसी नई टीम ने हराया। मतलब कोई भी किसी को पीट सकता था, यह बात साफ हुई। मतलब कहीं-न-कहीं, क्रिकेट का हाल पॉलिटिक्स जैसा है, कोई भी किसी को हरा सकता है। क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, कारोबार भी है। अरबों रुपए लेते हैं क्रिकेटर यह बताने के लिए कि कौन सी कार या बाइक पर चलकर उनमें छक्के लगाने की ताकत आ जाती है। या कौन कोल्ड ड्रिंक पीने से वह इनर्जी आ जाती है कि एक ओवर में छह विकेट लिये जा सकते हैं।

अब बदल गया है। कोल्ड ड्रिंक कंपनियां अब पाकिस्तानी क्रिकेटरों से कह सकती हैं कि चलिए अपना कोल्ड ड्रिंक थमा दीजिए अफगानिस्तानी क्रिकेटरों को। पाकिस्तानी क्रिकेटरों तो तमाम कंपनियां यह कह सकती हैं कि खबरदार हमारे प्रोडक्ट के साथ दिख मत जाना वरना हम खंडन कर देंगे कि यह हमारी कोल्ड ड्रिंक पीकर नहीं हारे हैं। अफगानिस्तानी क्रिकेटरों को अब बहुत कुछ बेचने को मिल सकता है। पाकिस्तानी क्रिकेटरों को अब सेल्समैनिशप की नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। बाजार जीतने वाले के साथ होता है। हारने वाले को सिर्फ सिंपैथी मिलती है। कुल मिलाकर बाजार वाला क्रिकेट में हो गया है। कोई नया ब्रांड पुराने ब्रांड बाजार से बाहर कर देता है। अमेरिका और अफगानिस्तान क्रिकेट बाजार में नए ब्रांड हैं, पुराने ब्रांड इनसे परेशान हो रहे हैं। पुराने ब्रांड परेशान हो जाते हैं। पर कारोबार तो कारोबार है, कोई परेशान होगा, कोई मजे करेगा। अफगानिस्तान क्रिकेट के धंधा का नया कारोबारी है। नया कारोबारी बहुत मेहनत करता है कारोबार जमाने के लिए। पुराने कारोबार वाले थोड़े से तसल्ली में रहते हैं कि चल रहा है पुराना कारोबार है चलता रहेगा। पर इतिहास बताता है कि पुराने की दुकान बंद ही इस चक्कर में हो जाती है कि पुराने मस्त मगन रहते हैं, नए वाले ताकत लगाकर पुराने को निपटा देता है। पॉलिटिक्स से लेकर क्रिकेट तक का यही हाल पुराने निपट जाते हैं, नए जम जाते हैं। पुराने वालों के भरम पुराने रहते हैं, हालात नए हो जाते हैं।

तो फिर बढ़ेंगी मुश्किलें

बिहार

प्रेमकुमार मणि

बिहार भाजपा में इन दिनों भीतर-भीतर आग सुलग रही है। कारण कुछ बाह्य हैं, कुछ आंतरिक। केंद्र में भाजपा की सरकार तो बन गई है, लेकिन इस बार 2014 और 2019 जैसी सफलता नहीं मिली है। जब शीर्ष कमजोर होता है तो निचले स्तर पर जनतंत्र की कोपलें स्वतः उभरने लगती हैं। यही कारण है कि नेताओं की दबी हुई भावनाएं भी अभिव्यक्त होने लगी हैं। पिछले दिनों भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने पार्टी मामलों पर टिप्पणी करके स्थिर जल में लहरें पैदा कर दी है। नतीजों के कारण यूं भी कुछ बेचैनी है।

2020 के विधानसभा चुनाव में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ कर भी नीतीश की पार्टी भाजपा के मुकाबले बहुत पीछे रह गई थी। इस बार वह एक सीट कम लड़ कर भी बराबरी पर है। केंद्रीय स्तर पर भी जो लोक सभा के नतीजे आए हैं उसमें नीतीश अधिक प्रासंगिक और शक्तिमान हो गए हैं। अब चूंकि नीतीश की राजनीति बिहार केंद्रित है इसलिए स्वाभाविक है उनका प्रभाव बिहार पर पहले से अधिक होगा। बिहार भाजपा की परेशानी इन सब से ही बढ़ी है। जब नीतीश ने राजद के साथ 2022 में राजनीतिक समझौत किया था तब भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझ कर सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा का अध्यक्ष बनाया था। ऐसा इसलिए किया गया था कि सम्राट एक साथ नीतीश और तेजस्वी को राजनीतिक चुनौती दे सकेंगे। उस समय ऐसा लग रहा था कि जनता दल (यूनाइटेड) और राष्ट्रीय जनता दल की समन्वित राजनीति का नेतृत्व जल्दी ही तेजस्वी करने वाले हैं। नीतीश कुमार इस तरह के संकेत भी दे रहे थे।

ऐसे में भाजपा को तेजस्वी को जवाब देने लायक एक युवा नेतृत्व विकसित करना था। सम्राट चौधरी को आगे कर पार्टी ने यही किया था। सम्राट इस निकष पर खरे भी उतरे थे। उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। बिहार-जहां राजनीति में जाति एक बड़ा फैक्टर होता है-के धरातल पर पिछड़े वर्ग के बड़े हिस्से को आकर्षित करने और सामान्य वर्गों के लिए अनुकूल बने रहने की छवि उनकी बन रही थी। भाजपा का जो आधार वोट है उस में उनकी स्वीकृति भी पुख्ता हो रही थी। इसी बीच जनवरी 2024 के आखिर में नीतीश एक बार फिर भाजपा के साथ हो लिये और पुराने सारे गणित गड्डमड्ड हो गए। यह लोक सभा चुनाव के ठीक पहले हुआ था। चुनाव में पिछली बार की तरह सफलता नहीं मिली, जबकि एक छोड़ 39 सीटों पर एनडीए को कामयाबी मिली थी, लेकिन इस चुनाव को 2019 के निकष पर देखना सही नहीं होगा। इस चुनाव में लालू प्रसाद ने जाति कार्ड खूब खेला। अपनी पार्टी और गठबंधन से सम्राट चौधरी के जनाधार क्षेत्र में सेंध लगाने की हरसंभव कोशिश की। इसके उलट सम्राट अपनी ही बिरादरी के किसी व्यक्ति को अपनी पार्टी का टिकट नहीं दिला सके। ऐसे में हवा यह बनी थी कि सम्राट चौधरी को लालू

प्रसाद ने अपनी राजनीतिक चाल से ध्वस्त कर दिया है। उनकी पार्टी में भी इसी तरह की बात जोर बांधने लगी कि सम्राट की कोई राजनीतिक उपयोगिता नहीं सिद्ध हुई, लेकिन इन तमाम बातों के बीच सम्राट चुपचाप अपने काम में लगे रहे। उनके साथ दो चुनौती थी। पहली तो तेजस्वी यादव का राजनीतिक मुकाबला करना और दूसरा नीतीश जैसे कद्दावर नेता के साथ एकता बनाए रखना। इन दोनों स्तरों पर वह सफल रहे।

सम्राट ने अपना संतुलन बनाए रखा। तेजस्वी के बाद सबसे अधिक चुनावी सभाएं उन्होंने की। अपने गृहक्षेत्र में लोजपा के एक ऐसे उम्मीदवार को जिताने में वह सफल हुए जिनका जाति के हिसाब से कोई वोट बैंक नहीं था। पूरे बिहार में अपने प्रभाव के वोट को ट्रांसफर कराने में वह लगभग सफल हुए। हां, सोन इलाके के शाहाबाद और मगध के कुछ चुनाव क्षेत्रों में उनकी नहीं चली। यहां महागठबंधन के विजयी नौ में से सात उम्मीदवार जीते हैं। यदि सम्राट ने अपना प्रभाव न दिखलाया होता तो बिहार एनडीए की स्थिति बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसी हो जाती। बिहार का सामाजिक-राजनीतिक मन-मिजाज उत्तर प्रदेश से मिलता-जुलता है। यदि बिहार में उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति हो जाती, तो क्या होता? एनडीए को दस-बारह सीटें कम आती और इंडिया गठबंधन को उतनी ही अधिक। फिर तो केवल तेदेपा के हाथ में सरकार बनाने की कुंजी होती। सम्राट ने इस स्थिति से भाजपा को बाहर रख कर उसकी साख बचा ली। यह उनकी उल्लेखनीय सफलता है, लेकिन आने वाले समय में बिहार भाजपा के सामने बड़ी चुनौती आगामी विधान सभा चुनाव है, जो अगले वर्ष होने वाला है। इसके समय पूर्व होने की भी चर्चा है। राजद, कांग्रेस और वाम का गठबंधन से मुकाबला और एनडीए के भीतर नीतीश से ताल-मेल रखना निश्चित ही राजनीतिक कौशल का काम होगा, जिसे भाजपा नेतृत्व को करना होगा। जब नीतीश की जुगलबंदी राजद के साथ थी तब वहां नीतीश अधिक सहज थे। क्योंकि तेजस्वी ने चाचा-भतीजा की स्थिति बनाई हुई थी।

सम्राट ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि यह उनके स्वभाव में ही नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार से उनकी कितनी और किस स्तर पर पटरी बैठती है, यह समय बताएगा। यह भी है कि नीतीश और सम्राट का सामाजिक आधार एक ही है। दोनों के साथ होने के असर को लालू प्रसाद चाह कर भी बहुत कमजोर नहीं कर सकते, लेकिन सम्राट की मुश्किलें भाजपा के भीतर से उभर सकती हैं। उनकी अयोग्यता यह है कि वह संघ से जुड़े कभी नहीं रहे हैं। उनका राजनीतिक प्रशिक्षण समाजवादी घराने में हुआ है। निश्चित तौर पर वह इस मामले में नीतीश और लालू से जूनियर हैं, लेकिन जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है उनका सामना तेजस्वी से होना है और इस नजरिये से वह उपयुक्त दिखते हैं।

इस बीच उन्होंने कुछ अनुभव भी हासिल किया है और स्वीकार्यता भी, लेकिन भाजपा के संघी नेता कुपित हैं कि पार्टी में बाहरी लोगों का महत्त्व अधिक होता जा रहा है। वहां हिन्दू होना ही जरूरी नहीं है, संघी होना भी जरूरी है। अब हिन्दू में भी बाहरी-भीतरी का यह संघर्ष छिड़ा तो सम्राट के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी और ये मुश्किलें अंततः भाजपा की होंगी। उत्तर प्रदेश की तरह यदि बिहार में भाजपा की जड़ें कमजोर हुई तो केंद्र में उसका बने रहना मुश्किल होगा। बिहार की राजनीति इसलिए न केवल भाजपा के लिए बल्कि देश के लिए भी आने वाले समय में महत्त्वपूर्ण बनी रहेगी।

सम्राट का राजनीतिक प्रशिक्षण समाजवादी घराने में हुआ है। निश्चित तौर पर वह इस मामले में नीतीश और लालू से जूनियर हैं, लेकिन जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है उनका सामना तेजस्वी से होना है और इस नजरिये से वह उपयुक्त दिखते हैं। इस बीच उन्होंने कुछ अनुभव भी हासिल किया है और स्वीकार्यता भी, लेकिन भाजपा के संघी नेता कुपित हैं कि पार्टी में बाहरी लोगों का महत्त्व अधिक होता जा रहा है। वहां हिन्दू होना ही जरूरी नहीं है

- विदेश से पैसा भेजने के मामले में भारतीयों ने नया रिकार्ड बना दिया है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारतीयों ने 120 अरब अमेरिकी डॉलर का धन भारत भेजा
- यह लगातार दूसरा साल है जब भारतीयों ने 100 अरब अमेरिकी डॉलर का स्तर पार किया है। इस सूची में चीन (50 अरब अमेरिकी डॉलर), फिलीपींस (39 अरब अमेरिकी डॉलर) और पाकिस्तान (27 अरब अमेरिकी डॉलर) शामिल हैं

(मीडिया इन्पुट्स)

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न सिर्फ जमानत मिली बल्कि हाईकोर्ट ने पूरे केस और ईडी के नियत पर ही सवाल उठा दिया। ऐसे केस में ईडी अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि अगर वह मनमाने तरीके से किसी को महीनों जेल रखेंगे और बाद में उनका केस कमजोर और पूर्वाग्रह वाला दिखे तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी ऐसी ही सख्त कारवाई हो। वे भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।

नरेन्द्रनाथ, पत्रकार
@iamnarendranath

अर्थव्यवस्था को मजबूती देते प्रवासी

मुद्दा | डॉ. जयंतीलाल भंडारी

हाल ही में 27 जून को यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन एजेंसी के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय प्रवासियों के द्वारा वर्ष 2023-24 में भेजा गया रेमिटेंस (प्रवासियों के द्वारा अपने घर भेजा गया धन) दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। पिछले वर्ष में यह रेमिटेंस 107 अरब डॉलर यानी 8.95 लाख करोड़ रुपए की ऊंचाई पर है। खास बात यह है कि पिछले वर्ष में भारतीयों द्वारा भेजी गई यह रकम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) से लगभग दो गुना है। यह लगातार दूसरा साल है, जब भारतीयों ने 100 अरब डॉलर से ज्यादा की धनराशि भारत भेजी है। पिछले वर्ष 2022-23 में भारतीय प्रवासियों ने 111 अरब डॉलर का रेमिटेंस भारत भेजा था। ज्ञातव्य है कि भारत के बाद मेक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देश है।

यह भी कोई छोटी बात नहीं है कि पिछले एक दशक में भारत में लगातार अन्य देशों के मुकाबले रेमिटेंस सबसे अधिक रहा है। भारत में वर्ष 2010 में रेमिटेंस के तौर पर 53.48 अरब डॉलर आए थे। वहीं ये वर्ष 2015 में बढ़कर 68.19 अरब डॉलर और वर्ष 2020 में 83.15 अरब डॉलर हो गए हैं। प्रवासी भारतीयों की से भारत भेजा गया धन वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब ड़ॉलर था। प्रवासियों का यह धन जहां प्रवासियों के परिजनों को मुस्कुराहट दे रहा है, वहीं अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभप्रद है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3 फीसद की ऋणात्मक विकास दर की स्थिति में पहुंच गई थी और बड़ी संख्या में उद्योग-कारोबार बंद होने के कारण देश में आर्थिक-सामाजिक परेशानियां बढ़ गई थी, उस समय आर्थिक मुश्किलों के बीच भारतीय प्रवासियों के द्वारा भेजी गई बड़ी धनराशि से भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिला था। गौरतलब है कि दुनिया में प्रवासी भारतीयों की संख्या करीब 1 करोड़ 80 लाख है। दुनियाभर में सबसे ज्यादा प्रवासी भारत के हैं। सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब में रहते हैं। पहले जहां भारत से अकुशल श्रमिक कम आय वाले खाड़ी देशों में जाते थे, वहीं अब विदेश जाने वाले भारतीयों में हाई स्किल्ड लोगों की संख्या ज्यादा है जो अमेरिका, इंग्लैंड,

सिंगापुर, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे उच्च आय वाले देशों में जा रहे हैं। ऐसे में वे अधिक कमाई करके अधिक धन भारत भेज रहे हैं। निसंदेह प्रवासी भारतीय भारत की राजनीतिक, आर्थिक और कारोबारी शक्ति बढ़ाने में भी अहम सहयोग कर रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है कि दुनिया के कोने-कोने में भारतवंशी और प्रवासी भारतीयों की राजनीतिक, आर्थिक और कारोबारी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती ऊंचाई भारत के तेज विकास के मद्देनजर महत्त्वपूर्ण हो गई है। इतना ही नहीं भारतवंशी व प्रवासी भारतीय वैश्विक आर्थिक व वित्तीय संस्थानों आईटी, कम्प्यूटर, मैनेजमेंट, बैंकिंग, वित्त आदि के क्षेत्र में भी बहुत आगे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, गूगल के सुंदर पिचाई, नोवार्टिस के वसंत नरसिम्हन आदि अपनी प्रतिभा, कौशल से कारोबार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया की अगुवाई कर रहे हैं और भारत के विकास के सहभागी भी बन रहे हैं। इस समय 18वीं लोक सभा चुनाव के बाद भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की एनडीए गठबंधन सरकार बनने के बाद प्रवासियों का कहना है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी नई सरकार से प्रवासियों को भारत के विकास में सहयोग और सहभागिता करने के मद्देनजर नई ऊर्जा प्राप्त होगी।

अमेरिका में कार्यरत भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेटिक फंडराइजर तथा भारत हितैषी प्रवासियों के विभिन्न संगठनों का कहना है कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के आर्थिक और राजनीतिक मंचों पर जिस तरह भारत की सफलताओं का परचम फहराया है, उससे प्रवासियों के द्वारा गर्व अनुभव किया जा रहा है। उनका मानना है कि पिछले 10 वर्षों में भारत की सुरक्षा में सुधार हुआ है। सरकार ने आतंकवादी खतरों या आतंकवादी घटनाओं को नियंत्रित कर दिया है। सरकार की नीतियां भारत को आगे बढ़ा रही हैं। ज्ञातव्य है कि जहां वर्ष 2023 में इस्राइल और हमास आतंकियों के बीच चल रहे संघर्ष के बीच इस्राइल में फंसे भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए भारत ने 'ऑपरेशन अजय' चलाया है। साथ ही वर्ष 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन में भारतीय समुदाय सीधे खतरे में आ गया था। तब 'ऑपरेशन गंगा' के तहत बड़ी संख्या में भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया था। इसमें कोई दो मत नहीं कि अभी भारत द्वारा अपने प्रवासियों के दुख-दर्द को कम करने में और अधिक सहयोग किया जाना होगा। भारत सरकार की और अधिक सक्रियता जरूरी है। हम उम्मीद करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में एनडीए गठबंधन की नई सरकार के द्वारा प्रवासियों के साथ स्नेह व सहभागिता के नए अध्याय लिखे जा सकेंगे।

स्वयं की खोज | ओशो

एक फकीर अपने एक मित्र के घर से विदा हो रहा था। अंधेरी रात थी और उसके मित्र ने कहा: रात अंधेरी है और उचित होगा कि मैं एक दीया जला दूं और तुम दीया ले जाओ। वह फकीर हंसने लगा और उसने कहा कि तुम जानते हुए भी ऐसी बात कहते हो, लेकिन उसका मित्र नहीं समझ पाया कि वह क्या कह रहा है। वह दीया जला कर ले आया। वह उसे दीया देने लगा। फिर भी उसके मित्र ने कहा कि नहीं तुम जानते कि तुम क्या कर रहे हो। उसके मित्र ने यह बात सुनी दुबारा, अचानक उसे खयाल आया, उसने हाथ में दीया लिया हुआ था, उसे फूंक कर बुझा दिया और वह हंसने लगा और दीया फेंक दिया। साथी फकीर ने कहा कि शायद तुम्हें खयाल आ गया। दूसरों के दीये किस भांति हमारे काम आ सकते हैं? दूसरों की ज्योति किस भांति हमारे अंधकार को मिटा सकती है? अंधकार मेरा है और ज्योति आपकी है, उन दोनों का कहीं कोई मिलन ही नहीं होगा। अज्ञान मेरा है और ज्ञान आपका है, उन दोनों का कहीं भी कोई मिलन नहीं होगा। घृणा मेरी है और प्रेम आपका है, तो मेरी घृणा को आपका प्रेम नहीं काट सकेगा। बाहर की दुनिया में दूसरे के दीये को लेकर भी हम यात्रा कर सकते हैं, भीतर की दुनिया में अपना ही दीया चाहिए, किसी का दीया काम नहीं कर सकता है। लेकिन हमें आज तक यही बताया गया। मुझे भी बचपन में यही बताया गया था कि मैं स्वीकार कर लूं जो कहा जा रहा है, लेकिन यह बात मेरी कभी समझ में नहीं आ सकी, यह मैंने कहा कि ठीक, क्राइस्ट ठीक कहते होंगे, बुद्ध ठीक कहते होंगे, वे सत्य ही कहते होंगे, लेकिन वे जो कहते हैं वह उनका ज्ञान है, उनका ज्ञान मेरा ज्ञान कैसे हो सकता है? मैं मैं हूं, वे वे हैं। उनका ज्ञान उनका ज्ञान है, उनका ज्ञान मेरा ज्ञान कैसे हो सकता है? मैंने पूछा, बुद्ध को, बुद्ध के पहले भी ज्ञानी हो चुके थे, बुद्ध ने उनके ज्ञान को नहीं मान लिया। बुद्ध पागल थे? महावीर के पहले ज्ञानी हो चुके थे। महावीर ने खुद खोज क्यों की, उनके ज्ञान को मान लेते? हम ज्यादा समझदार हैं महावीर बड़े नासमझ थे। क्राइस्ट के पहले दुनिया में जागे हुए पुरुष नहीं हुए थे? क्राइस्ट फिजूल ही परेशान हुए और श्रम उठाया, उनकी बात मान लेते और समाप्त हो जाती बात, लेकिन आज तक दुनिया में जिन्होंने भी सत्य को खोजा है उन्हें स्वयं ही खोजना पड़ा है, किसी के उधार सत्य को मान कर कभी भी नहीं चल सका है।

रीडर्स मेल

गांधी जी की सोच पर चलना होगा

दुनिया ने विकास की गति के जिस रफ्तार को पकड़ा है। उस रफ्तार से पीछे आना संभव नहीं है। आज जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। भारत अगर महात्मा गांधी के पर्यावरणीय वैज्ञानिक सोच को अपना रास्ता बनाए तो स्वयं विनाश से बचेगा ही, दुनिया का आदर्श-आत्मक मॉडल भी बन सकेगा। स्वतंत्र भारत का गांधीवादी दृष्टिकोण ग्रामीण पुनरुद्धार पर केंद्रित था। आज लोक कल्याणकारी राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति का चेहरा हमारे नियोजन और विकास के केंद्र में बना रहे। अंत्योदय से सर्वोदय हो। प्रकृति की अपनी नियम है। मनुष्य धरती पर उस नियम से बंधा है, वह तभी तक जीवित रहेगा, जब तक यह बंधन कायम रहेगी। वनस्पति के बिना इस पृथ्वी पर जीवधारी एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकते हैं।

डॉ. नन्दकिशोर साह, ई मेल से

सभी लोग भरें आयकर

यह अत्यंत दुखद है कि देश की कुल आबादी के दो प्रतिशत से भी कम लोग आयकरदाता हैं, जबकि अन्य विकसित एवं विकासशील देशों में उसकी आबादी के अनुपात में आयकरदाताओं की संख्या अधिक है। हालांकि इन आयकरदाताओं में से अच्छी-खासी संख्या उनकी है जिन्हें राजकोष से वेतन मिलता है। जो ईमानदारी पूर्वक आयकर अदा करते हैं। चूंकि यह अपनी आमदनी छुपा नहीं सकते हैं, ऐसे में इस बार के बजट से आमजन विशेषकर नौकरी-पेशा वालों को उम्मीद है कि उन्हें आयकर स्लैब में विशेष छूट मिले। इसका स्वरूप इस तरह का हो कि आयकर अदा करने के काम को वे सहज, सरल मानें। यह काम उनके लिए बोझिल न लगे, जिससे आयकर अदा करने वालों की संख्या बढ़े। तभी हम 2027 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे एवं 2047 तक विकसित भारत की नींव रखी जा सकती है।

मुकेश कुमार मनन, ई मेल से

भारत बना बादशाह

भारत टी 20 विश्वकप क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 में विश्वकप विजेता बन गया है। 13 वर्ष बाद भारत ने खिताब पर दोबारा कब्जा जमाया। भारत का इस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। भारत अपराजेय रहा और अफ्रीका को पराजित कर विश्व चैंपियन बना। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोली की यह सर्वश्रेष्ठ विदाई मानी जा सकती है। भारत की यह जीत बेहद गौरवशाली है। भारत वर्तमान में क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया है। ऐसा बेताज बादशाह जो वर्ल्ड कप के अपने पूरे मैचों में अपराजेय रहा।

नरेन्द्र तिवारी, बड़वानी, मप्र

सिविक संस्थाओं की लापरवाही

थोड़ी सी बारिश में शहरों का क्या हाल हो जाता है, यह किसी से छिपा नहीं है। अभी पिछले हफ्ते दिल्ली-एनसीआर में प्री-मानसून की बारिश ने राजधानी और उसके आसपास के शहरों की पोल खोल कर रख दी। क्या शहरों की व्यवस्था संभालने वाली संस्थाएं इतनी बेपरवाह हो गई हैं, कि उन्हें इतना भी भान नहीं कि मानसून आने से पहले अपने तरफ से तैयारियां करनी पड़ती हैं।

ज्ञानी कपूर, शिमला, हिमाचल प्रदेश

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा

वर्ष-33, अंक 318

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित। । समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

न्याय की ओर

तीन नए आपराधिक कानून- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का लागू होना सुखद व स्वागतयोग्य है। इसके साथ ही भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव का दौर शुरू हो गया है। औपनिवेशिक युग के निर्मम या आम नागरिक विरोधी कानूनों को समाप्त करने की मांग लंबे समय से हो रही थी और अंततः अब पुलिस को अनुशासित के साथ-साथ कारगर बनाने की ओर देश ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। पुलिस को अब सबसे पहले यह ध्यान में रखना होगा कि कोई भी कानून अगर लागू हो, तो सभी पर समान रूप से लागू हो। पुलिस प्रशासन की सफलता इसी में है कि तमाम लोगों को यह महसूस हो कि कानून न्यायपूर्ण ढंग से लागू किया जा रहा है। एक पहलू यह भी है कि पुलिस प्रशासन को कुशल और सक्षम बनाने के लिए संसाधनों की कमी आड़े नहीं आए। जिस स्तर की सेवा की उम्मीद लोग पुलिस से कर रहे हैं, उसके लिए सरकारों को पुलिस पर व्यय बढ़ाना होगा। सक्षम और सहयोगी पुलिस हमारे तेज विकास में कारगर होगी।

ध्यान रहे, पिछले कानूनों में यह बड़ी कमी थी कि उनका इस्तेमाल गरीबों के खिलाफ जितनी आसानी से होता था, उससे कहीं ज्यादा कठिनाई से अमीरों के खिलाफ मामले दर्ज होते थे। आरोप सिद्ध होने या सजा के मामले में भी गरीबों को ही ज्यादा भुगतना पड़ता था। हम बार-बार कह रहे हैं कि इन तीन कानूनों ने ब्रिटिश काल के तीन कानूनों की जगह ले ली है, तो जमीन पर वास्तव में लोगों को यह एहसास कराना होगा कि ब्रिटिश हिसाब से बने कानून अब देश में नहीं चल रहे हैं। नए कानूनों में यह ताकत है कि इनसे अपने यहां संपूर्ण न्याय प्रणाली में आम नागरिकों के अनुरूप आधुनिक बदलाव हो सकता है। जीरो एफआईआर, पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण, एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सम्मन और सभी जघन्य अपराधों के लिए अपराध स्थलों की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान ज्यादा कारगरता के साथ लागू हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने अपना काम कर दिया है और अब राज्यों को अपने स्तर पर इन अच्छे कानूनों को लागू करने की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी और देश के ज्यादातर राज्यों में पुलिस जिस तरह से प्रशिक्षित हो रही है, इससे जुड़ी खबरों का सामने आना भी सुखद है।

अपराधों से जुड़े नए कानूनों में यह ताकत है कि इनसे देश की संपूर्ण न्याय प्रणाली में आम नागरिकों के अनुरूप बदलाव हो सकता है।

यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि इन कानूनों के माध्यम से देश में पुलिस सुधार को भी बल मिलेगा। पुलिस कानून-कायदे के तहत काम करने को विवश या बाध्य होगी। इसके साथ ही, समग्र न्याय प्रणाली में इस स्याह पहलू को बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है कि ये अच्छे कानून कहीं भ्रष्ट आचरण से दुष्प्रभावित न हो जाएं। कानून बन जाना ही पर्याप्त नहीं है, यह देखना भी जरूरी है कि कानून को लागू करने और कराने वाले कितने ईमानदार हैं। राज्य सरकारों को प्रशिक्षण के स्तर पर यह सुनिश्चित करना होगा कि पुलिस सैद्धांतिक रूप से ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप से कुशल और शालीन हो। पुलिस बल मात्र सत्ताधीशों का नहीं, बल्कि समग्र समाज का बल है। पुलिस ही प्राथमिक रूप से संविधान और नियम-कायदों की बुनियाद मजबूत करती है। आज पुलिस को निरंतर प्रशिक्षित करने की जरूरत है और उनका प्रशिक्षण महज कागजी नहीं रहना चाहिए। प्रशिक्षण अगर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, तो यकीन मानिए, तीनों नए कानूनों में देश को न्याय की ओर ले जाने की क्षमता है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 02 जुलाई, 1949

दक्षिण अफ्रीकी गोराशाही

दक्षिण अफ्रीका की मूल आबादी यद्यपि अंग्रेजों की नहीं है परन्तु वहां का शासन अंग्रेजों के हाथ में है इसलिए वहां पूरी गोराशाही है। वहां के मूल निवासियों को अंग्रेजों के बराबर अधिकार प्राप्त नहीं हैं और जो भारतीय बुलावे पर वहां गये तथा जिन्होंने अपनी मेहनत से दक्षिण अफ्रीका को समृद्ध बनाया, उन्हें वहां से निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है। कहने की जरूरत नहीं कि ये वे भारतीय हैं, जो वहां रहते-रहते वहीं के बाशिन्दे बन गये हैं, और उनकी रहन-सहन पर वहां का ऐसा असर पड़ चुका है कि आज उन्हें भारत लौटना पड़े तो यहां वे अच्छी तरह नहीं खप सकेंगे। कसूर उनका केवल यह है कि अपनी मेहनत के साथ खर्च में किफायत करके उन्होंने अपनी स्थिति कुछ बना ली है और अपनी कुशलता से व्यापार में भी कुछ स्थान बना लिया है तथा महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वाभिमान एवं स्वाधिकारों का भान भी उन्हें हो गया है। सुविधा और अधिकार सिर्फ अपने ही लिए रखने के इच्छुक अंग्रेजों को भय है कि भारतीयों को घोंटा नहीं गया तो अपने गुणों से ये अंग्रेजों की बराबरी ही नहीं करेंगे, बल्कि कहीं उन्हें मात न दे जायें तथा उनको देखकर देसी लोग भी अपने अधिकारों की मांग न करने लगें। इसलिए नित नई बन्दिशें वहां भारतीयों पर लगाई जा रही हैं।

भारत स्वतंत्र नहीं था, तब भी इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं करना चाहता था, सार्वजनिक और सरकारी सभी तरीकों से इसका विरोध किया गया, तब स्वतंत्र होकर वह इसे क्यों बर्दाश्त करना चाहेगा? दक्षिण अफ्रीका में सारी विपरीतताओं के बावजूद भारतीय जातिगत भेदभाव की इस नीति का विरोध कर रहे हैं और भारत ने इसी के विरोधस्वरूप न केवल दक्षिण अफ्रीका का आर्थिक बहिष्कार कर रखा है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उसने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय दक्षिण अफ्रीकी नीति की निन्दा करते हैं और अंतिम बार यह सुझाव सामने आया है कि हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका आपस में मिलकर कोई हल निकाल लें तो अच्छा। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान जब इसके लिए तैयार हुए तो दक्षिण अफ्रीका के स्वराष्ट्र सचिव की घोषणा आई कि उनकी सरकार दक्षिण अफ्रीका में भारतीय आबादी को कम से कम कर देना चाहती है।

फैसले बदलने और बदले की सियासत

दक्षिण एक्सप्रेस
यहां स्कैन करें

एस. श्रीनिवासन | वरिष्ठ पत्रकार

तमिलनाडु में जिस तरह राजनेता अपने विरोधियों के प्रति निजी रंजिश पालते रहे हैं, आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी उसी राह चल पड़े हैं।

दक्षिण के राज्यों में बदले की राजनीति कोई नई परंपरा नहीं है। तमिलनाडु के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों जे जयललिता और एम करुणानिधि के बीच की तनातनी ऐतिहासिक है। कभी सिनेमा में एक-दूसरे के सहयोगी रहे ये दोनों नेतागण राजनीति में इस कदर विरोधी बन गए कि एक-दूसरे से नफरत करने लगे। यह दुखद परंपरा अब तेलुगु राजनीति में भी फैल गई है, जहां दो पेशेवर राजनेता जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू एक-दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं।

जुलाई, 2001 में जब मुख्यमंत्री जयललिता ने करुणानिधि को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, तब सभी लोग हैरान रह गए थे। उनको बिल्कुल आधी रात को बिस्तर से उठाया गया था। उस समय करुणानिधि 78 साल के थे और उन्हें बेहद अभद्र तरीके से पुलिस वैन में ठूंसा गया था। जयललिता ने डीएमके प्रमुख से बदला लेने का एलान सार्वजनिक रूप से किया था। उन्होंने अपने चुनावी भाषणों में समर्थकों से वायदा किया था कि जैसे ही वह मुख्यमंत्री बनेंगी, सबसे पहले करुणानिधि का हिसाब चुकता करेंगी। जयललिता दरअसल इसलिए नाराज थीं, क्योंकि करुणानिधि के राज में उनके साथ बुरा सुलूक किया गया था। उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में डाल दिया गया था और कथित तौर पर तिलचट्टों से भरी कोठरी में बंद कर दिया गया था। जयललिता ने कहा था कि वह करुणानिधि को भी उसी कालकोठरी में भेजेंगी और उसी थाली में खाना खिलाएंगी, जिसमें उनको भोजन परोसा गया था।

पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में पांच साल तक सत्ता से दूर रहने के बाद पिछले दिनों जब चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने, तो उनका पहला काम था, वाईएसआर कांग्रेस के कार्यालय और जगन मोहन के घर के एक हिस्से को ध्वस्त कराना। चंद्रबाबू नायडू दरअसल राज्य विधानसभा में वाईएसआर कांग्रेस नेताओं द्वारा उनके खिलाफ की गई कथित असंसदीय टिप्पणियों का बदला

ले रहे थे। चुनाव से ठीक पहले नायडू को कथित भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और फिर रिहा कर दिया गया। चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए नायडू की आंखों में आंसू आ जाते थे। उन्होंने शपथ ली थी कि अब मुख्यमंत्री के रूप में ही सदन में लौटेंगे। चुनाव नतीजों के बाद आंध्र प्रदेश की सड़कों पर टीडीपी और वाईएसआर के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें भी हुईं। बेशक, चुनावी हार-जीत के बाद राजनेताओं पर अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप नया नहीं है, बंगाल में ममता बनर्जी पर भी ऐसे ही आरोप लगते हैं, मगर आंध्र प्रदेश में सियासी लड़ाई चूंकि निजी दुश्मनी में बदल गई, इसलिए मामला जटिल हो गया। हालांकि, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में राजनेता भले ही अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति निजी खुन्नस पालते हैं, पर केरल में वैचारिक लड़ाई होती है।

चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन के बीच तनातनी तब अधिक बढ़ गई थी, जब नवगठित राज्य के लिए राजधानी का चयन हुआ। विभाजन के बाद 2014 में शपथ लेने वाले नायडू ने अमरावती को प्राथमिकता दी थी, जिसका नाम इस क्षेत्र के अमरेश्वर स्वामी मंदिर के नाम पर रखा गया था। नायडू ने एक ऐसी राजधानी बनाने का वायदा किया था, जो सिंगापुर की तरह होगी और भारत की सबसे अच्छी होगी। उन्होंने 2029 तक राज्य को एक आर्थिक शक्ति बनाने का भी वायदा किया था। उनकी योजना के तहत कम से कम 33,000 एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि को विश्वस्तरीय राजधानी बनाने में उपयोग किया जाना था, जो शिक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग का केंद्र होती।

इस प्रस्तावित राजधानी के निर्माण में तब नायडू ने 50,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया था। मगर उन्हें केंद्र से सिर्फ 2,500 करोड़ रुपये मिले और राज्य के खजाने से भी वह आधी राशि ही जुटा सके। नतीजतन, इस मुद्दे पर भाजपा के साथ उनके मतभेद बढ़ने लगे और 2019 में उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया। नायडू के बाद 2019 में जब सत्ता जगन के हाथों में आई, तो उन्होंने अमरावती को छोड़ने व तेलंगाना-आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन पर शिवारामकृष्णन समिति की सिफारिशों पर आगे बढ़ने का फैसला किया। समिति ने किसी चमक-दमक वाली राजधानी-निर्माण में सभी पैसे लगाने के बजाय इसे अलग-अलग मदों में बांटकर सूबे के प्रमुख शहरों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने का सुझाव दिया था।

चूंकि चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने 90 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया था और किसानों व उद्योगों को भारी लाभ देने का वायदा किया था, इसलिए वह मुश्किल में पड़ गए। अमरावती के किसान, जो कृष्णा नदी की अत्यंत उपजाऊ जमीन पर खेती किया करते थे, उस समय हक्का-बक्का रह गए, जब नायडू के प्रस्तावों को जगन किनारे करने लगे और एक शाही राजधानी बनाने के बजाय चार शहरों में संसाधन बांटने का फैसला किया। लिहाजा, दोनों नेताओं के बीच कटुता बढ़ती चली गई, क्योंकि यह मुद्दा चंद्रबाबू नायडू के लिए नाक का सवाल बन गया था। यही कारण है कि अब जब नायडू सत्ता में लौट आए हैं, तो अमरावती के किसान खुश हो गए। चूंकि इस शहर को राजधानी बनाने का वायदा है, इसलिए यहां की जमीनों के दाम भी दोगुने हो गए हैं।

पांच साल बाद भाजपा और टीडीपी एक साथ आए हैं। टीडीपी को नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जगह मिली है, तो नायडू ने भी अपने राज्य मंत्रिमंडल में भाजपा को शामिल किया है। इन दोनों पार्टियों की यह दोस्ती कितनी दूर तक साथ जाएगी, यह आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने और नई राजधानी के लिए धन मुहैया कराने के सवालों पर टिका है। केंद्र अब तक इस मामले में चुप है, हालांकि कुछ समय पहले वित्त मंत्रालय ने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार करते हुए कहा था कि वह पहले ही केंद्र और राज्य के करों से प्राप्त धन का 40 फीसदी से अधिक हिस्सा राज्यों में बांट रहा है, इसीलिए अतिरिक्त मांगों पर विचार नहीं किया जा सकता।

इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पार्टी-सम्मेलन में फैसला किया है कि सूबे को विशेष राज्य का दर्जा देने का निर्णय वह केंद्र पर छोड़ रहे हैं। टीडीपी ने अब तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। इस असहज स्थिति का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस अब जद (यू) व टीडीपी, दोनों से विधानसभाओं में विशेष राज्य संबंधी प्रस्ताव पारित कराने की मांग कर रही है, जिनका वायदा दोनों ने चुनाव में किया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह कहानी आगे क्या रूप लेती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

सरकारी मीडिया से जुड़े मिथ तोड़ता आकाशवाणी समाचार

यहां स्कैन करें

उमेश चतुर्वेदी | वरिष्ठ पत्रकार

जिस देश में 388 से ज्यादा समाचार चैनल हों, जहां पर सैकड़ों निजी-सार्वजनिक रेडियो स्टेशन काम कर रहे हों, वहां दर्शकों और श्रोताओं की नजर में *आकाशवाणी समाचार* की सबसे मजबूत साख कोई मामूली बात नहीं है। सभी जानते हैं कि आकाशवाणी सार्वजनिक प्रसारक है। टेलीविजन चैनलों और रेडियो स्टेशनों की भीड़ में सार्वजनिक प्रसारक को सामान्य तौर पर 'सत्ता का भोंपू' ही माना जाता है। कम से कम उसके लिए यही 'नैरेटिव' गढ़ा गया है कि वह सत्ता के सुर में अपने सुर मिलाता रहता है, फिर सत्ता चाहे जिस राजनीतिक दल या गठबंधन की हो। ऐसे में, सार्वजनिक प्रसारक का एक हिस्सा होने के नाते *आकाशवाणी समाचार* की साख श्रोताओं की नजर में ऊंची होनी ही नहीं चाहिए थी। मगर सच्चाई ठीक उलट है।

दिलचस्प बात यह है कि यह निष्कर्ष किसी देसी संस्था या विश्वविद्यालय के अध्ययन का नहीं है। दुनिया भर में श्रेष्ठ अकादमिक अध्ययन के लिए प्रतिष्ठित ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रायटर्स इंस्टीट्यूट की सालाना 'डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024' के अनुसार, भारतीय लोगों की नजर में सबसे विश्वसनीय समाचार देने वाला सार्वजनिक संस्थान *आकाशवाणी समाचार* है।

रायटर्स इंस्टीट्यूट के सर्वे में शामिल 65 प्रतिशत लोगों ने भारत के सबसे पुराने प्रसारक आकाशवाणी पर अपना गहरा भरोसा जताया है।

गौरतलब है, साल 2024 चुनावी वर्ष रहा। चुनावी वर्ष में तटस्थ और तथ्यपरक समाचारों की महत्ता बढ़ जाती है। सार्वजनिक प्रसारक को लेकर जो ठोस अवधारणा है, उसके मुताबिक चुनावी साल में इसे सत्ता का साथ देना चाहिए था, लेकिन *आकाशवाणी समाचार* ने ऐसा किया होता, तो रायटर्स जैसी संस्था के सर्वे में वह पहले नंबर पर शायद ही आ पाता। रायटर्स इंस्टीट्यूट के सर्वे और अध्ययन में शामिल 65 प्रतिशत लोगों ने भारत में सबसे पुराने प्रसारक *आकाशवाणी समाचार* पर गहरा भरोसा जताया है। 20 प्रतिशत लोग ऐसे थे, जिन्हें इस पर भरोसा नहीं है। इस रिपोर्ट में दूसरे नंबर पर *बीबीसी* की हिंदी सेवा रही है। उसे भी 65 प्रतिशत लोग विश्वसनीय मानते हैं। मगर उस पर भरोसा न करने वाले 22 प्रतिशत लोग हैं। इसी संख्या के चलते *बीबीसी आकाशवाणी* से पिछड़ गया।

इसके बाद *डीडी न्यूज, एनडीटीवी, इंडिया टुडे, सीएनएन* जैसे प्रसारक ब्रांड को लोगों ने भरोसेमंद माना है। यह दिलचस्प है कि साख की बुनियाद पर शीर्ष की कतार में तीन पर सार्वजनिक प्रसारक संस्थान हैं। यह भी रोचक बात है कि भारत में सार्वजनिक प्रसारक को स्वायत्तता देने के विमर्श का आधार *बीबीसी* ही बना था। यह बात और है कि ऐसा हो नहीं पाया। *बीबीसी* प्रसारण का दायित्व पेशेवरों पर है, तो प्रसार भारती में अधिकारियों और पेशेवर लोगों की मिली-जुली व्यवस्था है। दोनों ही प्रसारक अपनी-अपनी संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। सार्वजनिक प्रसारक का लक्ष्य सरकार की नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाना होता है, जबकि निजी प्रकाशक के लिए ऐसी बाध्यता नहीं होती। सार्वजनिक प्रसारक को बाजार का ध्यान नहीं रखना होता, क्योंकि वह कमाई के लिए उस पर निर्भर नहीं होता, इसलिए निजी प्रसारकों की तुलना में उस पर बाजार का दबाव नहीं होता।

संचार क्रांति के पहले तक चूंकि सूचनाओं के साधन सीमित थे, लिहाजा प्रसारण केंद्र जो भी कहते, दिखाते या सुनाते, उन पर दर्शक और श्रोता आंख मूंदकर भरोसा कर लेते थे। लेकिन आज के दर्शक और श्रोता काफी ज्यादा जागरूक हैं। वे अपार सूचनाओं और जानकारियों से लैस हैं, इसलिए वे प्रसारण संस्थाओं द्वारा प्रसारित सूचनाओं का अपने तईं विश्लेषण करते हैं और उसके बारे में अपनी राय बनाते हैं।

बुनियादी सामाजिक मूल्यों, लोक-मान्यताओं और सत्य के साथ खड़े रहना आसान बात नहीं होती। इसलिए सार्वजनिक प्रसारक होने के नाते *आकाशवाणी समाचार* के लिए बरसों पहले जो दिशा-निर्देश तैयार किए गए थे, उन पर अब भी कड़ाई से पालन होता है। एक दौर में *आकाशवाणी समाचार* को शब्दों की दुनिया का ब्रह्मलेख माना जाता था। चैनलों व रेडियो स्टेशनों की भीड़ में किंचित वैसी स्थिति नहीं रही, पर श्रोताओं के भरोसे पर वह अब भी मजबूती से खड़ा है। रायटर्स डिजिटल रिपोर्ट यही संकेत करती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

संबंध हमारे दर्पण

जीवन अनुभव है, संबंधों में अनुभव! व्यक्ति अलग-थलग नहीं रह सकता, इसलिए जीवन संबंध है और संबंध ही कर्म है। तो संबंध को, यानी जीवन को समझने की क्षमता हमारे अंदर कैसे आ सकती है? संबंध का अर्थ न केवल व्यक्तियों के साथ एकलयता का होना है, बल्कि वस्तुओं और विचारों से घनिष्ठता भी है। जीवन संबंध है और वह अभिव्यक्त होता है वस्तुओं, व्यक्तियों और विचारों के साथ संबंध में। संबंधों को समझते हुए ही हम जीवन का पूर्णतया, भली-भांति सामना कर पाएंगे। संबंध वह दर्पण है, जिसमें आप अपने आपको देखते हैं। बिना संबंध के आप नहीं हैं; होने का अर्थ ही संबंधित होना है। संबंध में ही आपका अस्तित्व होता है, अन्यथा आप हैं ही नहीं। इस संबंध की समझ का अभाव ही द्वंद्व पैदा करता है।

संबंध की समझ का यह अभाव इसलिए है, क्योंकि हम इसका उपयोग केवल एक साधन के तौर पर करते हैं, ताकि हम अपनी उपलब्धियां बढ़ा सकें, परिवर्तन की ओर बढ़ सकें या कुछ और बन सकें। परंतु संबंध ही अपने आपको जानने-समझने का एक साधन है, क्योंकि संबंध का ही मतलब है होना, यही अस्तित्व है। अपने आपको समझने के लिए हमें एक-दूसरे के साथ रिश्ते को समझना होगा। संबंध वह दर्पण है, जिसमें मैं खुद को देख सकता हूं। वह दर्पण विकृत हो सकता है या फिर 'जो भी है' उसे सही-सही दिखा सकता है। मगर हममें से ज्यादातर लोग संबंध में, उस दर्पण में उन्हीं चीजों को देखते हैं, जिनको हम देखना चाहते हैं; हम जो है, उसे नहीं देखना चाहते।

यदि हम अपने जीवन की, दूसरों के साथ अपने संबंध की जांच-पड़ताल करें, तो हम देखेंगे कि यह अलगाव की प्रक्रिया है। वास्तव में, हमें दूसरे की कोई चिंता नहीं है। हम इसकी चर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन दरअसल हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। हम किसी से वहीं तक संबंधित हैं, जहां तक वह संबंध हमारे मन को भाता है, जब तक वह हमें आश्रय देता है, तुष्टि देता है। ज्यों ही उस संबंध में कोई ऐसी बाधा पड़ती है, जो हमें असुविधाजनक लगती है, हम उस संबंध से छुटकारा पा लेते हैं। दूसरे शब्दों में, संबंध तब तक है, जब तक हमें तुष्टि मिलती रहती है।

सुनने में कुछ कठोर लग सकता है, पर अपनी संकीर्णताओं से चिपके रहकर यदि आप सोचते हैं कि विश्व-एकता और विश्व-शांति स्थापित कर लेंगे, तो यह नामुमकिन है।

सुनने में यह कुछ कठोर लग सकता है, लेकिन यदि आप जीवन को सचमुच निकटता से देखें, तो पाएंगे कि यह तथ्य है और तथ्य की उपेक्षा करना अज्ञान में रहना है। अपनी संकीर्णताओं से चिपके रहकर आप सोचते हैं कि आप विश्व-एकता, विश्व-शांति स्थापित कर लेंगे? यह नामुमकिन है। जब तक आपने कोई सीमा बना रखी है, चाहे वह राष्ट्रीय हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो या सामाजिक, विश्व में शांति हो ही नहीं सकती।

जे कृष्णमूर्ति

शेखर कपूर | अभिनेता

बच्चों को अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की लत लगाना देश के भविष्य के साथ किसी गुनाह से कम नहीं। यह न सिर्फ डायबिटीज और हृदय रोग, बल्कि डिमेंशिया की जल्दी शुरुआत का भी कारण बन सकता है।

नए कानूनों से बनेगी आधुनिक न्याय व्यवस्था

जुलाई की पहली तारीख से देश भर में तीन नए आपराधिक कानून- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए। सोमवार को नए कानूनों के तहत दर्ज किए गए मामलों की संख्या को यदि देखें, तो उम्मीद यही है कि ये तीनों कानून लागू हो जाने से देश की कानून-व्यवस्था कहीं अधिक सुचारू रूप से संचालित होगी। विगत वर्षों में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र छूटा है, जहां आपराधिक प्रवृत्ति ने जन्म न लिया हो। शर्मनाक घटनाओं का समाचार तो अब मानो स्थायी ही हो गया है। सरकारी दफ्तरों और विभागों में भ्रष्टाचार के साथ-साथ आर्थिक घोटालों की सुनामी सी आ गई है। ऐसे में, नई न्याय संहिता निश्चय ही अपराधों पर अंकुश लगाने में सहायक सिद्ध होगी। ब्रिटिश कालीन कई कानूनों की वैसे भी अब प्रासंगिकता बची नहीं थी। उनको छोड़कर आगे बढ़ना ही उचित था। नए कानूनों का उद्देश्य आधुनिक न्याय व्यवस्था को लागू करना है। इसे मजबूत और शक्तिशाली बनाना है। न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में भी इस कदर परिवर्तन किए गए हैं कि वे कानून व्यवस्था को न्यायप्रिय बनाने में मददगार साबित होंगे। जीरो एफआईआर, ऑनलाइन शिकायत, एसएमएस या ईमेल से समन भेजने व जघन्य अपराध की वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान अनिवार्य किए गए हैं। इन सबसे अपराधियों के फन को कुचलने में सहायता मिलेगी और पुलिस तत्काल प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो सकेगी। कानून व्यवस्था के दुरुस्त और कठोर होने से न्याय व्यवस्था को मजबूती मिलती है। इससे अपराधियों के मन में भय पैदा होता है, जिससे अपराध पर स्वतः अंकुश लगता है। जनता जनार्दन की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार ने उचित ही व्यवस्थागत सुधार की ओर कदम उठाया है। पता नहीं क्यों, इसका विरोध किया जा रहा है, जबकि इनसे फायदा तो जनता को ही है।

योगेश जोशी, टिप्पणीकार

न्याय देने पर जोर

सोमवार, 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इसे स्वाभाविक ही सत्ता पक्ष ऐतिहासिक क्षण बता रहा है, क्योंकि ब्रिटिश काल के कानूनों की विदाई हो गई है। हालांकि, विपक्ष को इसमें खामियां दिख रही हैं। जो लोग पुराने कानूनों के समर्थक हैं, उनको यह एहसास होना चाहिए कि नए कानून न्याय पर जोर दे रहे हैं, जबकि पुराने कानूनों में दंडनीय कार्रवाई को प्राथमिकता दी गई थी। नए कानून एक साल में न्याय सुनिश्चित करेंगे, जिससे हमारी न्याय प्रणाली में दूरगामी बदलाव मुमकिन हो सकेंगे।

रचना, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

नए कानून

बुनियादी ढांचे में सुधार बिना सारा प्रयास बेकार

देश में नए कानून बेशक लागू कर दिए गए हैं, लेकिन कई चुनौतियां अब भी कायम हैं। जब तक इन मुश्किलों को दूर नहीं किया जा सकेगा, नए कानून के प्रभावशाली असर की गारंटी नहीं ली जा सकती। जो नए तीन कानून लाए गए हैं, वे हैं- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इनको ब्रिटिश कालीन भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह पर लाया गया है। दावा किया गया है कि इससे न्याय प्रणाली आधुनिक बन जाएगी और लोगों के लिए न्याय पाना आसान हो जाएगा। जीरो एफआईआर, ऑनलाइन शिकायत, जघन्य अपराधों के वारदात-स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान इन संहिताओं को काफी मजबूत और प्रासंगिक बना रहे हैं। मगर लग यही रहा है कि बुनियादी समस्याओं पर गौर किए बिना कानूनी सुधार किए गए हैं, जिससे इन कानूनों का व्यापक असर पड़ना मुश्किल जान पड़ रहा है।

जिन चुनौतियों से इन आपराधिक कानूनों को पार पाना है, उनमें से कुछ की चर्चा जरूरी है। मिसाल के तौर पर, देश के सुदूरवर्ती इलाकों में संचालित थानों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली की अबाध आपूर्ति अब तक सुनिश्चित नहीं हो सकी है। थानों के भवनों की स्थिति दयनीय है। पुलिसकर्मियों की कमी एक बड़ा मसला है और न्याय प्रक्रिया में सुधार भी जरूरी है। अभी आलम यह है कि कई पुलिस स्टेशन चंद पुलिसकर्मियों के बूते जैसे-तैसे चलाए जा रहे हैं, जिसके कारण वहां एफआईआर दर्ज करने से भी बचने का प्रयास किया जाता है। देश में जजों की कितनी कमी है, यह बात छिपी नहीं है। ऐसे में, महज कानून बना देने से हालात नहीं बदल सकते। बुनियादी ढांचे को जब तक मजबूत नहीं किया जाएगा, नए आपराधिक कानून बेअसर ही रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि हमारे देश में पहले भी अपराधों पर अंकुश रखने के लिए सख्त कानून बने हैं, लेकिन चूंकि उनका पालन सख्ती से नहीं हुआ, इसलिए हमें बहुत हद तक सफलता नहीं मिल सकी। अगर इन कानूनों का गंभीरता से पालन किया जाता, तो यहां की राजनीति इस तरह दूषित नहीं होती या देश भ्रष्टाचार के दलदल में यूं न धंसता। असल में, कानून जब तक राजनेताओं, पैसे वालों या रखूसदारों के हाथ की कठपुतली बना रहेगा, तब तक उसमें चाहे जितने बदलाव कर लिए जाएं, देश में अपराध कम नहीं हो सकते। अपराध को यदि कम करना है, तो व्यापक सुधार की जरूरत है। सिर्फ नए कानूनों को लागू कर देने से हालात नहीं बदल सकते।

दीपक कुमार, टिप्पणीकार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

व्यक्ति की भाषा उसके व्यक्तित्व का परिचय देती है

राहुल गांधी की नजर में हिंदू

नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपने पहले संबोधन से राहुल गांधी ने निराश ही किया। उन्होंने कोई छाप छोड़ने के बजाय टकराव और कलह पैदा करने का काम किया। उन्होंने कहा कि जो अपने आपको हिंदू कहते हैं, वे 24 घंटे हिंसा और नफरत करते हैं। जब उनके इस कथन पर आपत्ति जताई गई तो वह यह कहने लगे कि भाजपा और आरएसएस ही हिंदू नहीं हैं। यह निष्कर्ष तो ठीक है, लेकिन क्या वह यह सिद्ध करना चाहते हैं कि जो भी हिंदू भाजपा या आरएसएस से जुड़ा है, वह 24 घंटे हिंसा और नफरत करता है? संभव है कि वह ऐसा ही मानते हों, लेकिन उन्हें यह याद रखना चाहिए कि हाल के लोकसभा चुनावों में भाजपा को लगभग 24 करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया है। क्या राहुल गांधी यह कहना चाह रहे हैं कि ये सब वे हिंदू हैं, जो 24 घंटे हिंसा और नफरत करते हैं? उनका आशय जो भी हो, उनके इस कथन से इतना तो पता चलता ही है कि वह भाजपा को अपने राजनीतिक विरोधी के रूप में नहीं, बल्कि एक शत्रु के रूप में देखते हैं और उससे नफरत भी करते हैं। राहुल गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत जय संविधान से की और यह दावा किया कि उन्होंने इसे बचाने का काम किया है। स्पष्ट है कि वह अभी भी चुनावी मुद्रा में ही हैं। शायद इसी कारण वह सदन के स्थान पर किसी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अधिक दिखे। यह ठीक है कि चुनाव के दौरान भी उन्होंने संविधान के खतरे में होने का हौवा खड़ा किया था और माना जाता है कि इससे उन्हें कुछ राजनीतिक लाभ भी मिला, लेकिन यदि वह संविधान के इतने ही बड़े हितैषी और रक्षक हैं तो फिर उस आपातकाल की आलोचना क्यों नहीं सहन कर पा रहे हैं, जिसे देश पर थोपकर न केवल संविधान को बदलने का काम किया गया था, बल्कि यह व्यवस्था भी बना दी गई थी कि कोई भी अदालत संसद से पारित किसी कानून की सुनवाई नहीं कर सकेगी। आखिर इसे तानाशाही के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है? क्या यह हास्यास्पद नहीं कि राहुल गांधी एक ओर संविधान बचाने का दावा कर रहे हैं और दूसरी ओर इसी संविधान को कुचलने वाले आपातकाल की आलोचना को अनावश्यक करार दे रहे हैं? ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते समय राहुल गांधी सरकार की आलोचना नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दिखाया कि उनका उद्देश्य सरकार की आलोचना करना कम, बल्कि जनता को गुमराह करना अधिक है। इसी कारण वह यहां तक कह गए कि यदि किसी अग्निवीर की जान चली जाती है तो उसके स्वजन को सरकार कोई मुआवजा नहीं देती। आश्चर्य नहीं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनके इस गलत बयान का खंडन करना पड़ा।

जहर का कारोबार

राज्य में पूर्ण शराबबंदी के सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। घरेलू हिंसा में कमी आई है। लोगों के स्वास्थ्य में भी तुलनात्मक रूप से सुधार आया है। खाने-पीने की नुकसानदेह चीजों पर नियंत्रण जरूरी है। राज्यवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर शराबबंदी की तरह ही अन्य कई अभियान चलाने की जरूरत है। गौर करें तो बाजार में मिलने वाली सब्जियां, फल और कई भोज्य पदार्थ प्रदूषित हैं। ये मीठे जहर की तरह हैं, जिनका लंबे समय के बाद दुष्परिणाम दिखता है। विशेषकर सब्जियों और फल का कारोबार तो बिल्कुल ही अनियंत्रित है। न तो ग्राहक इसके प्रति सचेत हैं और न ही प्रशासन गंभीर। हाल ही की पटना की एक घटना का उदाहरण दिया जा सकता है। एक अधिकारी ने जामुन के चमकते फल को देखकर यह जानना चाहा कि इनपर किस तेल का लेप लगाया गया है। इस सवाल पर वहां के फल विक्रेता अधिकारी के खिलाफ एकजुट हो गए। खुद पर हमले की आशंका देख अधिकारी ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद ठेला लगाकर जहर के कारोबार में जुटे दुकानदार वहां से भाग निकले। सब्जियों का सामान्य से ज्यादा चमकता हरा रंग और सामान्य से ज्यादा बड़े आकार पर सचेत होने की जरूरत है। ऐसी सब्जियों को रासायनिक विधि द्वारा इस रूप में बदला जाता है। सेब पर मोम का लेप किस गुणवत्ता का है, इसकी जांच नहीं होती। प्रायः पेट्रोलियम उत्पादों के लेप लगाए जाते हैं। इसकी वजह से ऐसी सब्जियां या फल फायदे की जगह नुकसान करते हैं। आम उपभोक्ता को उसके द्वारा चुकाई गई कीमत के बदले शुद्ध भोज्य पदार्थ न मिले तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। इसलिए जरूरी है कि शराब से भी ज्यादा खतरनाक ऐसे भोज्य पदार्थों की बिक्री पर अंकुश के लिए अभियान चले। उपभोक्ताओं को भी जागरूक किया जाए। उन्हें बताया जाए कि किस प्रकार की वस्तु की खरीद करें या न करें।

> आम उपभोक्ता को उसके द्वारा चुकाई गई कीमत के बदले शुद्ध भोज्य पदार्थ न मिले तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

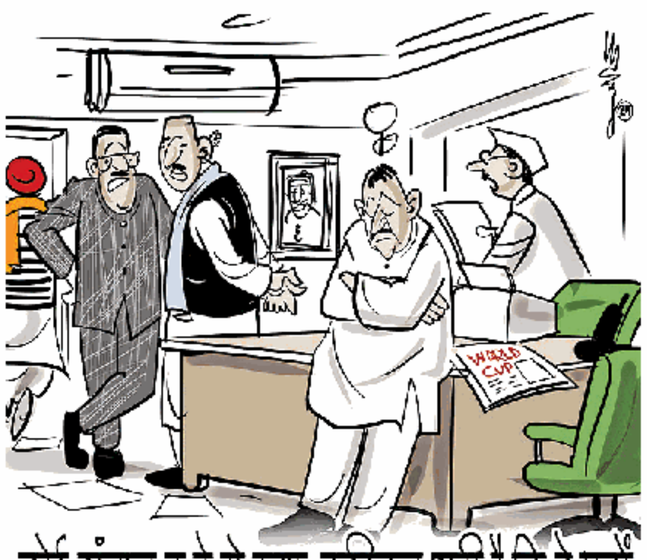

कोई संज्ञान न ले तो क्या...हकीकत यही है कि वे मुद्दों को लपकने में 'सूर्यकुमार यादव' से भी आगे हैं!!

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या आप मानते हैं कि टी-20 विश्व कप में भारत की जीत के पीछे आइपीएल जैसे ढांचे का योगदान है?

आज का सवाल
क्या नए क्रिकेटर टी-20 टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा की कमी को पूरा कर सकेंगे?

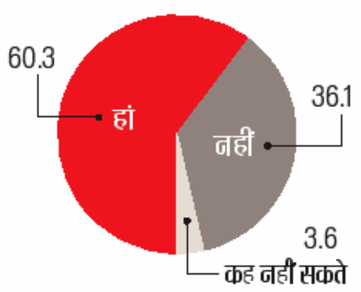

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

बहुत कुछ कहने वाली विजयगाथा

तरुण गुप्त

टी-20 विश्व कप विजय ने न केवल वर्षों से आइसीसी खिताब की प्रतीक्षा समाप्त की, बल्कि राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा और विराट कोहली को यादगार विदाई भी दी

आखिरकार आइसीसी ट्राफी की हमारी लंबी प्रतीक्षा पूरी हुई। गत शनिवार को ब्रिजटाउन की धरती हमारे लिए इस स्वर्णिम उपलब्धि की साक्षी बनी। इससे पहले अंतिम बार 2013 में इंग्लैंड में हमने चैंपियंस ट्राफी अपने नाम की थी। क्रिकेटरों और उनके समर्थकों-प्रशंसकों की एक पूरी पीढ़ी उस उत्साह का अनुभव करने के लिए व्याकुल थी, जो केवल किसी अंतरराष्ट्रीय खिताब की प्राप्ति पर ही संभव होता है। कई वर्षों से हम सभी प्रारूपों में शीर्ष टीम के रूप में विराजमान हैं। निरंतरता के मानदंडों पर हमारा प्रदर्शन बीते कुछ वर्षों में सर्वश्रेष्ठ रहा है। द्विपक्षीय शृंखलाओं में हमारा रिकार्ड उत्कृष्ट रहा है। साथ ही, खेल के प्रति जुनून और प्रतिभाओं की पर्याप्तता को देखते हुए हम किसी भी शृंखला अथवा टूर्नामेंट से पहले 'फेवरेट' यानी सबसे प्रबल दावेदार माने जाते रहे हैं। इस बार विश्व कप का मंच ऐसा रहा, जहां हमने इस फेवरेट वाले टैग के साथ पूरा न्याय किया। हम अपेक्षाओं की कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरे।

पूरी टी-20 प्रतियोगिता के दौरान रोमांच की कहीं कोई कमी नहीं रही। ग्रुप चरण में हमने एक कम स्कोर वाले मैच में चिरप्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को परास्त किया। अगले चरण में दमदार आस्ट्रेलिया के खिलाफ रनों का अंबार लगाकर उन्हें मात दी। उस मुकाबले में रनों का ऐसा पहाड़ खड़ा किया, जो खेल के इस सबसे छोटे प्रारूप की विशेष पहचान मानी जाती है। उसके बाद सेमीफाइनल में हमने पिछले विश्व चैंपियन इंग्लैंड की चुनौती को निस्तेज किया। इस जीत के साथ ही कुछ साल पहले एडिलेड में हुए इसी प्रारूप के विश्व कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों मिली दस विकेट की शर्मनाक हार का हिसाब भी चुकता किया। अंतिम पड़ाव पर हमारा सामना दक्षिण अफ्रीका से हुआ। अंत तक हमारी टीम ही अपराजेय रही। हमारा विजय रथ आगे बढ़ता रहा। उसके शीर्ष तक पहुंचने की राह में क्रिकेट की महाशक्तियों से लेकर नवोदित टीमें पीछे छूटती गईं।

क्रिकेट एक टीम गेम है। फाइनल मुकाबला इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा। सीमित ओवरों के क्रिकेट के निर्विवाद रूप से सर्वकालिक महानतम बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने टी-20 करियर के अंतिम पड़ाव पर अपनी बल्लेबाजी से भारतीय पारी को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। अक्षर पटेल और शिवम दुबे सरीखे युवाओं ने पारी को आवश्यक गति प्रदान की। जसप्रीत बुमराह की तो बात ही अलग है, जो सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को दिन-प्रतिदिन नए आयाम पर लेकर जा रहे हैं। उनके प्रदर्शन का वर्णन करने के लिए लेखकों-टिप्पणीकारों को मैच दर मैच या यूं कहें कि स्पेल दर स्पेल नए विशेषण खोजने पड़ रहे हैं। फाइनल में भी उन्होंने उम्दा स्पेल डाला। सूर्यकुमार यादव के कैच ने यह साबित किया कि बड़े से बड़े टूर्नामेंट की नियति महीन एवं मामूली अंतर से निर्धारित हो सकती है।

अवधेश राजपूत

विश्व कप विजय टी-20 अंतरराष्ट्रीय से रोहित शर्मा के लिए उपयुक्त विदाई रही। उन्होंने दबाव में खुद पर नियंत्रण रखा एवं टीम को कुशाग्र नेतृत्व प्रदान किया। एक बल्लेबाज के रूप में पारी के प्रारंभ में निःस्वार्थ भाव से विस्फोटक शुरुआत देने के लिए विकसित की अपनी शैली पर ही उन्होंने भरोसा किया। उनकी इस शैली ने टीम के लिए बड़ी सफलताओं की नींव रखने का काम किया। कोच राहुल द्रविड़ के कार्यकाल की भी सफल परिणति हुई। कैरेबियाई जमीन पर ही 2007 के एक दिवसीय विश्व कप में उनके नेतृत्व में भारतीय टीम पहले चरण में बाहर हो गई थी। वह अप्रत्याशित पराजय भारी अपयश का कारण बनी थी। उसी जमीन पर यह जीत उस जख्म पर सबसे माकूल मरहम कही जा सकती है। एक खिलाड़ी के रूप में उनका रिकार्ड अभूतपूर्व रहा है। कोच के रूप में भी उनकी प्रतिबद्धता कमाल की रही है। असल में वह पार्श्व में रहकर सक्रिय रूप से अपना काम करने वाले नायक की तरह हैं, जिनकी उपलब्धियों का कुछ अन्य की तुलना में अपेक्षित महिमामंडन नहीं हो सका। यह जीत हमें यह भी सिखाती है कि आज की कड़ी प्रतिस्पर्धा के दौर में सौम्य, शालीन एवं मर्यादित आचरण वाले भी शीर्ष पर पहुंचने में सक्षम होते हैं।

इस विजयगाथा से जुड़ी कई और प्रेरक कहानियां हैं। परीकथा सरीखी ऋषभ पंत की वापसी। एक बेहद खतरनाक सड़क दुर्घटना में वह बाल-बाल बचे। उनके करियर को लेकर संदेह किया जाने लगा, लेकिन उन्होंने न केवल बल्लेबाजी, बल्कि विकेट के पीछे भी कमान संभालकर प्रेरणा का नया अध्याय लिखा। कुछ समय पहले तक ट्रोलिंग के शिकार और व्यक्तिगत जीवन में तमाम तरह की उथल-पुथल झेलने वाले हार्दिक पांड्या ने उस दौर को पीछे छोड़ते हुए अपने प्रदर्शन से दृढ़ता एवं लचीलेपन का उदाहरण प्रस्तुत किया। सदाबहार रवींद्र जडेजा ने भी अपने प्रदर्शन से अपनी उपस्थिति जताई। इस प्रतियोगिता में हमें एक अलग ही अर्शदीप के दर्शन हुए, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से बड़े मंच पर बड़ी छाप छोड़ी और सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शीर्ष पर रहे। ऐसी उपलब्धियों की एक अंतहीन सी सूची है, जो नाना प्रकार के पहलुओं को रेखांकित कर सकती है।

किसी भी बड़े टूर्नामेंट की समीक्षा में अपरिहार्य रूप से बड़े सबक छिपे होते हैं। सदैव परिणाम को लेकर आतुर रहने वाले देश के लिए पहला सबक तो यही है कि हमें प्रयासों और उनकी निष्ठा में आस्था रखनी चाहिए। ईमानदार प्रयास ही किसी बड़ी सफलता का प्रथम पड़ाव होते हैं। ऐसे प्रयासों से ही सफलता की भव्य इमारत खड़ी की जा सकती है। यदि आप अनथक प्रयास करते हैं तो 'करत-करत अभ्यास'.... वाली कहावत सार्थक होकर सफलता से आपका साक्षात्कार करा देती है। इसलिए सदैव दृढ़ता का परिचय दें। असफलताओं के प्रभाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। खेलों की इस मिसाल को हम अपने सामान्य जीवन में भी उतार सकते हैं कि प्रयास की व्यापकता, संवेदनशीलता, मंशा और ईमानदारी के भाव अनुकूल परिणामों के निमित्त बनते हैं। इस तथ्य को कभी विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए कि महत्वपूर्ण तो प्रयास एवं प्रक्रिया होती है। परिणाम तो उनकी एक स्वाभाविक परिणति है।

response@jagran.com

नियमों के तहत सहायता मांगें राज्य

सीबीपी श्रीवास्तव

विशेष राज्य के दर्जे को लेकर दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर विचार किए जाने की आवश्यकता है

जदयू की बैठक में उठी विशेष राज्य की मांग ● प्रेट

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनने के साथ ही इसकी संभावना जताई जाने लगी थी कि राजग के प्रमुख घटक दल टीडीपी और जेडीयू आंध्र और बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर सकते हैं। बीते दिनों जेडीयू के नेताओं ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग दोहरा दी। भारत के संविधान में राज्यों का गठन स्वायत्त प्रशासनिक इकाइयों के रूप में संघ द्वारा किया जाता है। राज्यों के विकास और उनकी सुरक्षा को देखते हुए संसद को कानून बनाने का अधिकार है और कोई भी राज्य अन्य राज्यों के समान अधिकार प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता। भारत में संसद को यह शक्ति है कि वह कानून के तहत किसी राज्य के लिए विशिष्ट नियमों और शर्तों का निर्धारण कर सकती है। चूंकि राज्य प्रशासनिक इकाइयां हैं और संघ सरकार द्वारा आवंटित संसाधनों के वितरण के लिए उत्तरदायी हैं, अतः उनकी भौगोलिक, सामरिक तथा सामाजिक-आर्थिक दशाओं को देखते हुए उन्हें विशेष सहायता दी जा सकती है। यहां यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि प्रशासन से संबद्ध होने के कारण ऐसा कोई उल्लेख संविधान में नहीं है, क्योंकि संविधान शासन व्यवस्था के तीनों अंगों-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को दिशा निर्देश देता है, जिसके अनुरूप विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों के अनुरूप कार्यपालिका प्रशासनिक कार्रवाई करती है और विवादों के समाधान के लिए न्यायपालिका उत्तरदायी होती है।

प्रशासनिक सुगमता और राज्यों के विकास पर गौर करते हुए 1969 में पांचवें वित्त आयोग ने विशेष राज्य का दर्जा देने की सिफारिश की थी। इस आधार पर असम, नगालैंड और जम्मू-कश्मीर को यह दर्जा दिया गया था। इनके अतिरिक्त, हिमाचल, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना सहित 11 राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया है। संप्रग सरकार के शासन में संसद द्वारा विधेयक पारित करने के बाद आंध्र प्रदेश से अलग होने पर तेलंगाना को विशेष दर्जा मिला था। 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और तीन पर्वतीय राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए 'विशेष श्रेणी का दर्जा' समाप्त कर दिया था और ऐसे राज्यों में कर हस्तांतरण के माध्यम से संसाधन अंतर को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने का सुझाव दिया था।

पिछले कुछ समय से बिहार के साथ आंध्र विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि विशेष श्रेणी राज्य विशेष दर्जे से अलग है। विशेष राज्य श्रेणी केवल आर्थिक और वित्तीय पहलुओं से संबंधित है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 (ए-जे) में कई राज्यों के लिए विशेष प्रविधान किए गए हैं। किसी राज्य को विशेष श्रेणी का राज्य बनने की अर्हता के लिए कई शर्तें निर्धारित हैं, जैसे-राज्य में पर्वतीय क्षेत्र, कम जनघनत्व या जनजातियों की बहुलता, अंतरराष्ट्रीय सीमा की साझेदारी, राज्य में आर्थिक और अवसंरचनागत पिछड़ापन और राज्य के वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति। इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए अब यह विचार करना आवश्यक है कि आंध्र प्रदेश और बिहार विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांग रहे हैं?

आंध्र प्रदेश का तर्क है कि राज्य के विभाजन के बाद उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों में कमी आ गई है, जिससे राज्य की राजकोषीय व्यवहार्यता भी कम हो गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि राज्य का विभाजन अतार्किक एवं समता के सिद्धांत के विरुद्ध था। जहां तक बिहार की बात है, तो वह विशेष दर्जे की मांग 2008 से ही कर रहा है। जेडीयू की नई कार्यकारिणी ने अपनी यह मांग फिर से रेखांकित की है। बिहार का यह भी तर्क है कि उसका विभाजन सही तरह नहीं किया गया। वह संसाधनों की अपर्याप्तता का दावा भी करता रहा है। बिहार के दावे में यह भी शामिल है कि उसकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो नेपाल से मिलती है, लेकिन वर्ष 2015 और फिर 2023 में केंद्र सरकार ने ऐसा दर्जा देने की मांग को इस तर्क पर अस्वीकार कर दिया था कि ऐसा दर्जा देने वाली योजना समाप्त कर दी गई है।

बिहार और आंध्र प्रदेश, दोनों ही राज्य मूलतः कृषि आधारित हैं और उनके विभाजन के बाद निश्चित रूप से उनकी राजस्व प्राप्तियों में कमी आई है, लेकिन केंद्र की भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। संवैधानिक रूप से भारत में सहकारी संघवाद प्रचलित है, जिसके अनुसार यह संघ का दायित्व है कि वह राज्यों के आर्थिक-सामाजिक विकास के प्रति संवेदनशील हो और उनकी सहायता करे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि क्या राजनीतिक दबाव बना कर ऐसे दर्जे की मांग करना उचित है? गठबंधन सरकारों की एक बड़ी समस्या यह रही है कि अक्सर उसके घटक दल दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं, जिसका उद्देश्य मूलतः राजनीतिक होता है। यह बहुदलीय राजनीति का एक आलोचनात्मक पक्ष है। क्षेत्रीय राजनीति के मजबूत होने से एक ओर जहां क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय स्तर तक लाने में सहायता मिली है, वहीं दूसरी ओर इसकी नकारात्मकता यह रही है कि क्षेत्रीय दल अधिकांशतः राजनीतिक दबाव बना कर अपने निजी हित साधने का प्रयास करते हैं। इसे राजनीतिक ब्लैकमेलिंग में रूप में भी देखा जाता है। इस संदर्भ में पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि राजनीति जब विकास की दृष्टि से की जाती है तो वह देश के हित में होती है, लेकिन जब राजनीति का उद्देश्य केवल राजनीतिक होता है तो वह हानिकारक सिद्ध होती है। राष्ट्र हित में राजनीतिक दलों द्वारा कार्य किए जाने पर उनके राजनीतिक हित भी साधे जा सकते हैं। अतः दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर ही ऐसे संवेदनशील मुद्दों को संबोधित किया जाना उचित होगा।

(लेखक सेंटर फार अप्लायड रिसर्च इन गवर्नेंस, दिल्ली के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आत्मनिरीक्षण

प्रायः लोग अपना दोष नहीं देखते, परंतु दूसरों की कमी उन्हें बहुत शीघ्र दिख जाती है। आवश्यकता बाहर के दोषों को न देखकर अपनी कमियों को निहारने की है। इस प्रक्रिया को आत्मनिरीक्षण कहते हैं। यह महत्वपूर्ण विशेषता केवल मानव को मिली है। मनुष्य आत्मचेतन है, जबकि पशु सिर्फ चेतन। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के पास वह सामर्थ्य है, जिसके द्वारा अपने को जान सकता है। स्वयं अपने दुर्गुणों को जानकर उन्हें दूर कर सकता है। जबकि पशु बाहरी चीजों के बारे में तो जान सकते हैं, पर स्वयं को जानना उनके वश की बात नहीं है। इस विशिष्ट सामर्थ्य की गरिमा तभी है, जब इसका उपयोग कर अपने दोषों एवं विकृतियों को समझकर उन्हें दूर किया जाए।

हमें अपने सोच-विचार के तौर-तरीके पर ध्यान देना चाहिए। जैसे-जैसे हमारी दृष्टि अंतर्मुखी होगी, पता चलेगा कि हमारा बहुत समय अनुपयोगी चीजों को सोचने में चला जाता है। कभी किसी की बुराई सोचते हैं। कभी बिना मतलब की कल्पनाएं करते हैं। इनमें मानसिक ऊर्जा यूं ही बर्बाद होती रहती है। दूसरों की बुराई करने, उन्हें परेशान करने के तौर-तरीके सोचने की जगह हमें अपने चिंतन को सही दिशा में लगाना चाहिए।

आत्मनिरीक्षण का क्रम तब तक अधूरा है, जब तक उसमें आत्मसुधार की विधि न जोड़ी जाए। इसका अर्थ है-ईर्ष्या-द्वेष जैसे कई दोषों को हटाकर मन में सत्प्रवृत्तियों को स्थान देना। यह काम ठीक किसानी जैसा है। किसान खेत में बोआई के पहले से खरपतवार निकालना शुरू करता है और फसल उग जाने के बाद भी निराई का अपना कार्यक्रम नहीं छोड़ता है। इसी तरह हमें भी दया, करुणा, सेवा, सहृदयता को प्रयत्नपूर्वक अपने व्यवहार में उतारने के प्रयास करने चाहिए। जैसे-जैसे इनका अभ्यास शुरू करेंगे, अपने दोष साफ-साफ दिखाई पड़ने लगेंगे। जहां पहले दूसरों के सिर्फ दोष दिखाई देते थे और अपने में केवल गुण, वहीं अब दूसरों में गुण और अपने में दोष भी दिखाई देने लगेंगे।

मुकेश ऋषि

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

आगामी बजट की दिशा और दशा

'नए बजट का मजबूत आधार' शीर्षक से लिखे आलेख में डा. जयंतीलाल भंडारी का सुझाव है कि आगामी बजट में सरकार को अटके हुए वित्तीय एवं श्रम सुधारों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आवंटन भी बढ़ाना चाहिए। ये दोनों क्षेत्र आम जन को बहुत प्रभावित करते हैं। ऐसे में इनका जनसुलभ होना जरूरी है। महंगाई के दीर्घकालिक समाधान के लिए भी ठोस रणनीति बनाने की आवश्यकता है। महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार को उत्पादन बढ़ाने और वितरण प्रणाली में सुधार लाने पर ध्यान देना चाहिए। रोजगार सृजन के लिए भी आज देश को कुछ नई योजनाओं की दरकार है। देश में बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हैं और निजी क्षेत्र के सहयोग से ही रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा किए जा सकते हैं। इसके लिए सरकार को स्टार्टअप्स और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। कृषि क्षेत्र की बात करें तो किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अच्छी पहल है, लेकिन सिर्फ इससे ही किसानों की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हमें कृषि सुधारों को व्यापक दृष्टिकोण से देखना होगा, जिसमें आधुनिक तकनीक और बेहतर विपणन सुविधाएं शामिल हों। यह सही है कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर बहुत जोर दे रही है। इसके बजट में बड़ी राशि आवंटित की जा रही है। जमीन पर इसका असर दिख रहा है। यह देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बहरहाल, किसी भी बजट की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार योजनाओं को कैसे लागू करती है और आम जनता को उनके लाभ कैसे पहुंचाती है। सरकार को चाहिए कि वह आगामी बजट में योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दे और आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से ले।

अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

टी 20 विश्व कप जीत के मायने

भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने परिश्रम और योग्यता से अरसे बाद टी 20 विश्व कप जीतकर देशवासियों को गर्व का जश्न मनाने का अवसर दिया है। क्रिकेट का जन्म भले ही इंग्लैंड में हुआ हो, परंतु इसे वैश्विक और आमजन का खेल बनाने का श्रेय भारत और इसके खिलाड़ियों को जाता है। आज फुटबाल के बाद अगर कोई खेल सबसे ज्यादा लोकप्रिय है तो वह क्रिकेट है। लोकप्रियता के कारण ही अमेरिका इस विश्व कप का मेजबान बना। इसे ये मुकाम दिलाने में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, गांगुली, सेहवाग, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह जैसे क्रिकेट दिग्गजों का योगदान अतुल्य है। साथ ही आइपीएल में विदेशी खिलाड़ियों को अवसर देकर बीसीसीआइ ने खिलाड़ियों की प्रतिभा के साथ ही वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को भी पुष्ट किया। यह सत्य है कि आज के पूंजीवादी दौर में हरेक देश और ज्यादातर संस्थाएं आर्थिक लाभ के सिद्धांत पर कार्य करती है परंतु अगर इससे मनोरंजन, समरसता और एकता को पंख लगे तो सोने पे सुहागा। डेढ़ अरब लोगों को भावनात्मक एकता और खुशी के पल प्रदान करने के लिए हमारी क्रिकेट टीम को कोटि कोटि नमन।

हर्षवर्धन 'हर्ष', अमरपुर।

लंबी हुई विजेताओं की प्रतीक्षा

शनिवार रात साढ़े ग्यारह बजे जब टी-20 विश्व कप में भारत ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की, तब देश भर में जश्न का माहौल बन गया था। लाखों हाथों में तिरंगा था, आतिशबाजी थी, जोश था, जूनून था। देशभक्ति के नारे थे और विश्व विजेता टीम के लिए अगाध स्नेह एवं सम्मान था। जहां मैच खेला जा रहा था, वहां उस समय दिन के दो बजे थे। टीम इंडिया की स्वदेश वापसी के लिए एक दिन बाद रविवार का टिकट करा लिया गया था, परंतु मौसम के व्यवधान के कारण टीम बारबाडोस में फंस गई है और तूफान बेरिल के कारण वापसी में देरी हो गई है। विश्व कप विजेता भारतीय टीम पहले चार्टर फ्लाइट से सीधे स्वदेश लौटने की योजना बना रही थी, लेकिन रविवार शाम को हवाई अड्डा बंद कर दिया गया। तूफान बेरिल (श्रेणी 4) के बारबाडोस के समयानुसार रविवार रात में गुजरने की उम्मीद है, जिसका केंद्र दक्षिणी तट से लगभग 80 मील दूर है। बेरिल के 130 मील प्रति घंटे से अधिक गति की हवा के साथ विंडवार्ड द्वीप समूह से टकराने की आशंका है। बारबाडोस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, ग्रेनेडा और टोबैगो द्वीप के लिए तूफान की चेतावनी जारी की गई है। इस स्थिति में टीम इंडिया को तूफान गुजरने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वापसी हो पाएगी। एक तरफ खिलाड़ियों को अपने स्वजन से मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी तो दूसरी ओर भारत में उनका भव्य स्वागत करने वालों की प्रतीक्षा भी लंबी हो गई है।

धर्मेन्द्र नाथ रस्तोगी, पटना

पोस्ट

माननीय राहुल गांधी जी, मैं अपने आपको हिंदू कहता हूं और मैं हिंसा और नफरत नहीं फैलाता। मुझे आपके वक्तव्य पर आपत्ति है। कृपया मेरा विरोध दर्ज करें।

सुशांत झा@jhasushant

एक दिन कुर्ता पहनकर राहुल गांधी फिर से टी-शर्ट में आ गए। लोकसभा में उनकी भाषा, लहजा एवं भाव-भंगिमा किसी नेता की तरह नहीं लगे। हिंदू धर्म और हिंदुओं पर उनकी टिप्पणियां स्तरहीन रहीं।

मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने देश के लिए बढ़िया खेला। गजब का योगदान दिया और अगली पीढ़ी के लिए जगह बनाते हुए रिटायर हुए। क्या यह सीख हमारे नेताओं को नहीं लेनी चाहिए? युवाओं का देश है। रिटायर होइए और युवाओं को मौका दीजिए।

संकेत उपाध्याय@sanket

नए आपराधिक कानूनों से तमाम विपक्षी पार्टियां इसलिए बिलबिला रही हैं, क्योंकि नए कानूनों के तहत मुकदमा दर्ज होने के तीन साल के भीतर सजा का प्रविधान है। इस प्रविधान की बंदिश कोर्ट पर भी लागू है। इतिहास साक्षी है कि दंभी और समाज विरोधियों ने ही सदैव सुधारों का विरोध किया है।

विकास भदौरिया@vikasbha

जनपथ

हिंदू को गरिया रहे पानी पी पी आप,
शायद उनको है लगा सरस्वती का शाप।
सरस्वती का शाप भूलकर मुद्दा असली,
जिह्वा उनकी रोज रोज दिखती है फिसली।
हे नेता प्रतिपक्ष! तनिक ना मौका चूको,
प्रतिदिन सुबहोशाम गालियां दो हिंदू को!!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्र, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ से रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 81

****

अमर उजाला

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ मंगलवार, 2 जुलाई 2024

वनों को नष्ट करना यानी खुद को खत्म करना है। वे हमारी पृथ्वी के फेफड़े हैं, जो हवा को शुद्ध करते हैं। -फ्रैंकलिन डी. रुजवेल्ट

औपनिवेशिक अपराध कानूनों की जगह वर्तमान समय की जरूरतों के अनुरूप तीन नए कानूनों का लागू होना वाकई एक ऐतिहासिक शुरुआत है। 'दंड' के बजाय 'न्याय' पर आधारित ये कानून समयबद्ध न्याय तो सुनिश्चित करेंगे ही, समाज में व्यापक बदलाव लाने वाले भी साबित हो सकते हैं।

ऐतिहासिक शुरुआत

आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस ऐक्ट की जगह तीन नए कानूनों-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का लागू होना सही मायनों में एक ऐतिहासिक शुरुआत है। इसके साथ ही औपनिवेशिक अपराध कानूनों के युग की समाप्ति हो गई, जो एक सदी से भी ज्यादा समय से राज्य और नागरिकों के बीच के संबंधों को पारिभाषित करते आ रहे थे, और जिनके साथ कानून के शासन और इससे जुड़े दमनकारी तंत्र को स्थापित करने की अनिवार्यता भी जुड़ी थी। नए कानून अपने साथ ऐसे कई समय-सापेक्ष बदलाव लेकर आए हैं, जो स्वागतयोग्य हैं। उदाहरण के लिए, नस्ल, जाति और समुदाय को आधार बनाकर की गई हत्या या नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसे अपराधों के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में बीस साल या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, जो जायज भी है। लेकिन निर्भया कांड के बाद यौन अपराधों पर सख्ती के प्रावधानों के बावजूद यह पाया गया कि बालिकाओं और स्त्रियों के खिलाफ अपराधों में कोई कमी नहीं आई है। ऐसे में, देखने वाली बात होगी कि कठोर सजा का प्रावधान यौन अपराधों को कम करने की गारंटी बन पाता है या नहीं। ऐसे ही, राजद्रोह कानून की जगह देशद्रोह कानून ने ली है, जिसके अनुसार सरकार की आलोचना बेशक हो सकती है, लेकिन देश की नहीं। संगठित अपराध की पहली बार व्याख्या भी स्वागतयोग्य है, जिसमें मौत होने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा व दस लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की पहल अपराधियों को गलतियों से सीखने का मौका देगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत न्याय के लिए समय-सीमा निर्धारित करने संबंधी प्रावधान स्वागतयोग्य हैं, जिनसे त्वरित न्याय प्रदान करना मुमकिन हो सकेगा। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूतों के

दायरे को बढ़ाने के प्रावधान भी प्रशंसनीय हैं। नए कानूनों पर पक्ष-विपक्ष तो अपनी जगह है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि जेलों में विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या, न्याय के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे पीड़ितों और मुकदमों से भरी अदालतों के कारण आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। हालांकि, नए कानूनों को लोगों की बदलती जरूरतों के अनुरूप अनुकूलित होते रहना पड़ेगा। 'दंड' के बजाय 'न्याय' पर आधारित ये कानून समयबद्ध न्याय तो सुनिश्चित करेंगे ही, समाज में व्यापक बदलाव लाने वाले भी साबित हो सकते हैं।

बंजर होती जमीन

चरम मौसमी घटनाएं हमें समझा रही हैं कि अब हम अपने चरम पर पहुंच गए हैं। दुनिया की 24 फीसदी भूमि रेगिस्तान बनने को है, तो वहीं भारत की 25 फीसदी भूमि बंजर होने वाली है। आखिर इसके जिम्मेदार तो हम ही हैं।

अनिल प्रकाश जोशी
पर्यावरणविद

पर्यावरण को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में जिस विषय पर चर्चा का आह्वान किया है, वह बंजर पड़ती जमीन और बढ़ता मरुस्थल है। पर्यावरण के मौजूदा हालात से कम से कम यह तो समझा ही जा सकता है कि अब सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर जा रहा है। इस बार के ग्रीष्म काल को ही देख लीजिए, जिसने फरवरी से ही गर्मी का एहसास दिला दिया था और जून पहुंचते-पहुंचते अपना प्रचंड रूप दिखा दिया। पूरी दुनिया में औसतन तापक्रम बढ़ा है और अब प्रचंड गर्मी के दिन धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इस बात को राहत न मानें कि आने वाले समय में ये स्थिर हो जाएंगे। आज दुनिया में 80 प्रतिशत लोग इस गर्मी को झेल रहे हैं और ऐसे गर्म दिनों की संख्या पहले प्रतिवर्ष 27 के आसपास होती थी, लेकिन अब वर्ष में 32 दिन ऐसे होते हैं, जब गर्मी खतरे की सीमा तक पहुंच जाती है। अभी बिहार, जैसलमेर, दिल्ली में भयंकर हीटवेव की खबर आई थी, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में भी हीटवेव ने लोगों की हालत बदतर कर दी है।

इस बढ़ती गर्मी का सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही है कि हमने पृथ्वी और प्रकृति के बढ़ते असंतुलन की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। दुनिया भर में एक-एक करके प्रकृति के सभी संसाधन या तो बिखर गए या फिर घटते चले गए। और इसका जिम्मेदार अगर कोई है, तो स्वयं मनुष्य ही है। हमने अपनी जीवन-शैली को कुछ इस तरह बना लिया है कि अब हम उन आवश्यकताओं से बहुत ऊपर उठ गए हैं, जो जीवन का आधार थीं। अब हमने विलासिताओं को भी आवश्यकताओं में बदल दिया है, जिनके कारण पृथ्वी के हालात गंभीर होते चले गए। मसलन आज हमारी जीवन-शैली में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। बढ़ता शहरीकरण और ऊर्जा की अत्यधिक खपत के कारण ग्लेशियर पिघलने लगे हैं, तो नदियां सूखने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। जमीन हो या आसमान पृथ्वी का कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं बचा है।

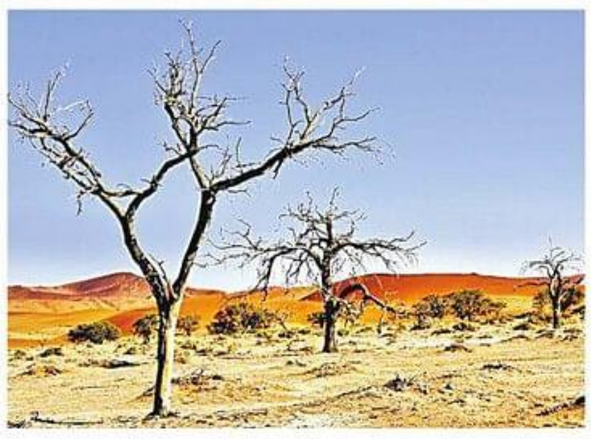

दुनिया में बढ़ते मरुस्थल की चिंता पर हम कितने गंभीर हैं, इसका पता इन आंकड़ों से चलता है। दुनिया में करीब 24 प्रतिशत भूमि अब मरुस्थलीय लक्षण दिखा रही है। मरुस्थलीय भूमि उसे कहते हैं, जहां कुछ भी पैदा होना संभव नहीं रहता और पूरी धरती लवणीय हो जाती है तथा पानी की बहुत बड़ी कमी हो जाती है। बोलीविया, चिली, पेरू जैसे देशों में 27 से 43 प्रतिशत भूमि मरुस्थलीय हो चुकी है और अर्जेंटीना, मेक्सिको, प्राग की तो 50 प्रतिशत से ज्यादा भूमि बंजर पड़ चुकी है। दुनिया भर में बढ़ते ग्रासलैंड व सवाना जैसे मरुस्थल इसी ओर संकेत करते हैं कि ये भूमि उपयोगी नहीं रहीं।

अपने देश में माना जाता है कि 35 फीसदी भूमि पहले ही डिग्रेड हो चुकी है और इसमें से भी 25 फीसदी बंजर बनने वाली है। ज्यादातर ऐसी भूमि उन राज्यों में है, जो संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, झारखंड, गुजरात, गोवा, दिल्ली और राजस्थान भी इनमें शामिल हैं। इन क्षेत्रों में 50 फीसदी से ज्यादा भूमि बंजर होने वाली है। थोड़ी राहत की बात है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, मिजोरम जैसे राज्यों में अभी मात्र 10 प्रतिशत भूमि में ही बंजरपन दिखाई दे रहा है।

जहां पहले वन होते थे, तालाब थे, या जहां प्रकृति के अन्य संसाधनों के भंडार होते थे, उन सबको अन्य उपयोगों में ले लिया गया है। एक अनुमान के मुताबिक, दुनिया भर की 50 प्रतिशत भूमि को अन्य उपयोगों में लगा दिया गया है। इनमें 34 फीसदी देश अत्यधिक बदलाव की श्रेणी में हैं, जबकि 48 फीसदी देशों में मध्यम बदलाव हुआ है, और 18 फीसदी देश ही ऐसे हैं, जहां भूमि उपयोग में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। दक्षिण एशिया में तो 94 प्रतिशत भूमि का उपयोग बदल चुका और यूरोप 90 फीसदी तथा अफ्रीका में यह आंकड़ा 89 प्रतिशत है।

भूमि उपयोग बदलने के कारण प्रकृति तेजी से हमारा साथ छोड़ रही है। जबसे औद्योगिक क्रांति आई, तबसे हमने 68 फीसदी वन खो दिए। आज दुनिया में मात्र 31 फीसदी वन बचे हैं। इस तरह एक व्यक्ति के हिस्से में करीब 0.68 वृक्ष ही आएंगे। अपने देश में दावा किया जाता है कि हमारे पास 23 प्रतिशत भूमि वनों से आच्छादित है। अगर इसे सही मान भी लें, तो हमारे यहां प्रति व्यक्ति के हिस्से में 0.08 भूमि है। दूसरी चिंता की बात यह ही कि देश का ऐसा कोई भी कोना नहीं है, जहां खनन ने अपना पैर न फैला दिया हो। सरकारों के लिए यह राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत भी होता है। इसलिए खनन हर राज्य की आय का बड़ा साधन बन चुका है।

फिर दुनिया में खेती के पैटर्न में बहुत ज्यादा बदलाव आया। अब खेती व्यावसायिक हो चली है, जिसमें आक्रामक ढंग से रसायनों का अधिकाधिक उपयोग होता है। पहले पेट भरने के लिए खेती होती थी, पर अब पैसों के लिए खेती की जाती है। नतीजतन खेती वाली भूमि भी बंजर हो गई। पानी के अभाव के कारण भी कई स्थानों पर खेती को त्याग दिया गया है। इसके अलावा, बंजर हालात के लिए क्लाइमेटिक वेरिएशन भी कारण बना है। हर देश में स्थान विशेष की परिस्थिति में ह्रास आया है। आज भी लकड़ी और चारे के लिए जंगलों पर निर्भरता बनी हुई है। दूसरी तरफ गर्मी में एसी और जाड़ों में हीटर का बदस्तूर उपयोग जारी है। हम सुबह से शाम तक ऊर्जा की खपत में लगे रहते हैं, पर उसकी आपूर्ति के रास्ते भी सीमित हो गए।

चिंताजनक बात यह है कि अब हमारे पास भी ऐसा विकल्प नहीं बचा है, जो बंजर पड़ती भूमि को फिर से हरा-भरा कर सके। एक ही रास्ता है कि अगर हम देश में वन लगाने को जन आंदोलन का रूप दे दें, तो शायद कुछ नियंत्रण हो पाए।। लेकिन इस क्रम में वनों की प्रजाति पर भी उतना ही गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि स्थानीय वन ही वहां की प्रकृति को जोड़ते हैं और साथ देते हैं। कभी-कभी वनीकरण के दौरान हम ऐसी प्रजातियों पर बल देते हैं, जिनका कोई प्राकृतिक योगदान नहीं होता और ये कमर्शियल फॉरेस्ट्री बन जाती है।

आज दुनिया भर में बढ़ती गर्मी और समुद्र से उठे तूफान हमें समझा रहे हैं कि अब हम अपने चरम पर पहुंच गए हैं, जहां से बंजर होती यह दुनिया फिर शायद हमारे लिए जीने लायक नहीं बचेगी।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

रिचर्ड बाख

ज्यादातर समुद्री चीलें उड़ान के बारे में थोड़ा ही जानती हैं। वे मछलियों का शिकार कर या मछुआरों द्वारा फेंकी गई रोटियों के टुकड़े से अपना पेट भरती हैं, पर जोनाथन इससे आगे जाना चाहता है। उसे अधिक ऊंचाई पर उड़ना है।

स्वर्ग का मतलब है परिपूर्ण होना

इन्सान के पास खुद की और सच की ताकत हो, तो कोई भी चीज उसके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। अपनी क्षमताओं का आकलन करें, क्योंकि वे आपकी ही हैं। यह याद करें कि आप आए कहां से हैं और जाना कहां है। यह देखें कि आपसे क्या गड़बड़ी हो गई और कहां पर फंसे हैं। हो सकता है, बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए शुरुआत में कुछ परेशानियां आएं। आपके अपने ही रुकावटें पैदा करें, लेकिन रुकना नहीं है। समुद्री पक्षी की कहानी 'जोनाथन लिविंगस्टन सीगल' से कुछ सीख ले सकते हैं। जोनाथन (समुद्री चील) ने किस तरह अपने लक्ष्य को समझ लिया। सुबह के समय समुद्र की थिरकती लहरों के बीच जोनाथन ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने का अभ्यास करता है। हालांकि एक छोटी-सी गलती के कारण उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह समुद्र में गिर जाता है।

दरअसल, ज्यादातर समुद्री चीलें उड़ान के बारे में थोड़ा ही जानती हैं। वे किनारे से खाने की जगह तक जाती हैं और मछलियों का शिकार कर या मछुआरों द्वारा फेंकी गई रोटियों के टुकड़े से अपना पेट भरती हैं, लेकिन जोनाथन इससे आगे जाना चाहता है। उसे अधिक ऊंचाई पर उड़ना है। जोनाथन के ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने के अभ्यास से उसके माता-पिता भी नाखुश थे। उन्होंने समझाया कि क्यों तुम व्यर्थ में समय खर्च करते हो? तुम भी दूसरी चीलों की तरह क्यों नहीं रहते? उसकी मां समझाती है कि 'उड़ने का काम तुम दूसरों पर छोड़ दो। तुम्हारे पिता कहते हैं कि हमारा काम मछलियां पकड़ना सीखना है, ताकि पेट भर सकें और ज्यादा समय तक जिंदा रह सकें।' जोनाथन ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसे यह काम पसंद नहीं आया। नतीजतन उसे अपने समाज से भी उपेक्षा झेलनी पड़ी। समाज की पंचायत ने उससे कहा कि तुम गैरजिम्मेदारी का काम कर रहे हो। परिवार और समाज के विरोध के बावजूद जोनाथन ने उड़ना जारी रखी। इस बीच में कई कठिनाइयां भी आईं, वह कई बार गिरा, फिर उठा। उसने सोचा कि बाज कैसे ज्यादा ऊपर तक उड़ता है, मैं क्यों नहीं उड़ सकता? उसने ध्यान से देखा कि बाज के पंख छोटे होते हैं। यहीं से जोनाथन को तरकीब मिल गई। वह जब ऊंचाई पर पहुंचता, तो अपने पंखों को उतना ही खोलता, जिससे उसे उड़ने में सहायता हो। देखते ही देखते, वह हजारों मील तक काफी तेज रफ्तार में उड़ने लगा। एक दिन वह स्वर्ग में पहुंचा, वहां बूढ़ी मुखिया चील मिली, जिसका नाम चांग था। उसने जोनाथन से कहा कि 'वास्तव में स्वर्ग नाम की कोई जगह नहीं है। स्वर्ग का मतलब है 'परिपूर्ण' होना। उड़ने की सारी कलाएं सीखने के बाद उसने जो सीखा, उसे अपने समाज को बताने के लिए वह फिर अपने कबीले पर आया और दूसरी चीलों को भी उड़ने का प्रशिक्षण देने लगा।

(जोनाथन लिविंगस्टन सीगल से अनूदित अंश)

बेहतर जीवन की कल्पना

यह मायने नहीं रखता कि हम कितने योग्य हैं। जब तक आप कल्पना नहीं करेंगे, तब तक आप बेहतर जीवन नहीं जी सकते। 'जोनाथन लिविंगस्टन सीगल' कहानी भले ही काल्पनिक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए काल्पनिक होने का अभ्यास करेंगे, तो आप समझेंगे कि काल्पनिक चरित्र कभी-कभी शरीर और दिल की धड़कन वाले लोगों की तुलना में अधिक वास्तविक लगते हैं।

सूत्र

दूसरा पहलू

44 छात्रों पर हुए अध्ययन के अनुसार, गर्मी के दौरान बिना एसी में रहने वाले छात्रों का प्रदर्शन एसी वालों की तुलना में बदतर था।

गर्मी का असर मस्तिष्क पर

जुलाई, 2016 में बोस्टन में इतनी भारी गर्मी पड़ी थी कि लगातार पांच दिनों तक दिन का तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस था। तब स्थानीय यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में कुछ छात्र एसी कमरे में थे, तो कुछ छात्रों को बगैर एसी वाले कमरे में रहना पड़ा था। उस समय हार्वर्ड के शोधार्थी ने एक अध्ययन करने का फैसला किया कि खासकर रात को बढ़ता तापमान छात्रों के मस्तिष्क को प्रभावित करता है या नहीं। उन्होंने तापमान बढ़ने से पहले, तापमान बढ़ने के पांच दिन के दौरान और उसके बाद भी दो दिन तक यूनिवर्सिटी के 44 छात्रों के गणित और आत्मनियंत्रण का टेस्ट लिया।

डेना जी स्मिथ

गर्मी का असर लोगों के मस्तिष्क पर भी पड़ता है। इससे उनकी सोचने की क्षमता प्रभावित होती है और वे चिड़चिड़े, आवेगशील और आक्रामक हो जाते हैं।

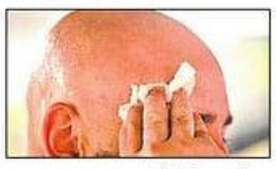

एक अध्ययन बताता है कि कमरे के तापमान में चार डिग्री की वृद्धि से स्मृति, प्रतिक्रिया देने की क्षमता और किसी काम को पूरा करने के कौशल में औसतन 10 फीसदी तक की कमी आ जाती है। छात्रों की परीक्षाएं भी प्रभावित होती हैं।

टेस्ट से यह सच सामने आया कि युवा और स्वस्थ छात्र भी बढ़ते तापमान से प्रभावित हुए। तापमान वृद्धि के दिनों में बगैर एसी कमरे में रहने वाले छात्रों का प्रदर्शन, जिन्हें रात में 26.1 डिग्री तापमान का सामना करना पड़ता था, एसी कमरों में, जहां तापमान 18 डिग्री था, रहने वाले छात्रों की तुलना में बदतर पाया गया। शोधकर्ता ने पाया कि बगैर एसी वाले कमरों के छात्रों की नींद गर्मी से प्रभावित हुई, इसलिए भी उनका प्रदर्शन खराब रहा। शोध बताता है कि अधिक तापमान का हमारे शरीर पर सीधा असर पड़ता है। इससे बीमारियों से ग्रस्त बुजुर्गों में दिल का दौरा पड़ने, लू लगने और मरने की आशंका अधिक होती है। लेकिन गर्मी का असर लोगों के मस्तिष्क पर भी पड़ता है। इससे उनकी सोचने की क्षमता प्रभावित होती है और वे चिड़चिड़े, आवेगशील और आक्रामक हो जाते हैं। एक अध्ययन बताता है कि कमरे के तापमान में चार डिग्री की वृद्धि से स्मृति, प्रतिक्रिया देने की क्षमता और किसी काम को पूरा करने के कौशल में औसतन 10 फीसदी का ह्रास होता है।

यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया में पर्यावरणीय अर्थशास्त्री आर जिसंग पार्क कहते हैं कि स्कूली पढ़ाई के दौरान तापमान जितना बढ़ रहा है, परीक्षाओं में छात्रों का प्रदर्शन उतना ही खराब हो रहा है। उनके मुताबिक, बढ़ता तापमान छात्रों के सीखने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। पार्क यह भी कहते हैं कि तापमान वृद्धि का सबसे अधिक खामियाजा कम आय वाले अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे भुगतते हैं, क्योंकि उनमें से ज्यादातर के न तो घर में एसी होता है, न ही स्कूल में। शोधकर्ताओं ने गर्मी और आक्रामकता में पहला संबंध अपराध के ग्राफ के जरिये जोड़ा था। उन्होंने पाया था कि गर्मी के दिनों में हत्या, मारपीट और घरेलू हिंसा के मामले बढ़ जाते हैं।

©The New York Times 2024

आंकड़े

क्रेडिट कार्ड

देश में एक वर्ष में 18 फीसदी क्रेडिट कार्डधारक बढ़े हैं। इस साल मई तक विभिन्न बैंकों ने 38 लाख नए क्रेडिट कार्ड जारी किए।

जनवरी	9.95
फरवरी	10.06
मार्च	10.18
अप्रैल	10.25
मई	10.33

नोट : आंकड़े करोड़ में हैं। स्रोत : RBI

आज योगिनी एकादशी है। महर्षि मार्कंडेय ने हेम माली को बताया कि आषाढ़ कृष्ण एकादशी का विधिवत व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी।

मार्कंडेय ने बताया मुक्ति का मार्ग

अंतर्यात्रा

संकलित

एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्रीकृष्ण से पूछा, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का माहात्म्य सुना है। कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। श्रीकृष्ण ने कहा, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें पुराणों की एक कथा कहता हूं।

अलकापुरी नगरी में कुबेर नाम का राजा रहता था। वह शिव भक्त था। हेम नाम का माली उसके यहां फूल लाता था। हेम की विशालाक्षी नाम की पत्नी थी। एक दिन वह सरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण अपनी स्त्री से हास्य-विनोद करने लगा। दोपहर तक जब हेम राजा के पास नहीं पहुंचा, तो सेवकों को भेजकर उसे बुलवाया। राजा ने क्रोध में हेम को शाप देते हुए कहा कि तूने भगवान शिव का अनादर किया है। मैं शाप देता हूं कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा।

वह स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गया। कोढ़ की वजह से उसे इतना कष्ट था कि नींद तक नहीं आती थी। एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर ऋषि बोले-तुमने ऐसा कौन-सा पाप किया है, जिससे यह हालत हो गई। हेम ने सारा वृतांत बताया। ऋषि बोले-तुमने सत्य वचन कहे हैं। यदि तू आषाण मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधिवत व्रत करेगा, तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। हेम ने ऐसा ही किया। उसे पाप से मुक्ति मिल गई।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 13 अप्रैल, 1950

पंडित नेहरू की अपील समझौते पर अमल करें

पं० नेहरू की अपील
समझौते पर सच्चे दिल से अमल करें

राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरु ने देशवासियों से मार्मिक अपील की कि वे उस समझौते पर सच्चे दिल से अमल करें, जो उनके और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच हुआ है।

बंगाल में हो क्या रहा है

ममता सरकार फुटपाथों से 'बाहरी' हॉकरों को हटाने में लगी है, पर उन पर कब बुलडोजर चलेगा, जो महिला अस्मिता को तार-तार कर रहे हैं?

बिमल राय — राजनीति

भारत के कई क्षेत्रीय दल समय-समय पर राजनीतिक कारणों से क्षेत्रीय अस्मिता का खेल खेलते रहे हैं। महाराष्ट्र से शुरू हुआ कट्टर अस्मिता का जयगान कई राज्यों में होता रहा है। इसे राजनीतिक रोग व रणनीति, दोनों कह सकते हैं। रणनीति इसलिए, क्योंकि क्षेत्रीय अस्मिता जहरीला तत्व स्वतः नहीं पैदा करती। किसी राज्य के लोग अगर अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़े रहना चाहते हैं, तो यह अच्छी बात है। लेकिन भारत में किसी राज्य की सरकार यदि दूसरे राज्य के लोगों को बाहरी बताए, तो यह राष्ट्रीय अखंडता पर चोट ही है।

फिलहाल, एक बार फिर बंगाली अस्मिता चर्चा में है। हाल के लोकसभा चुनाव परिणाम के विश्लेषण से पता चला कि तृणमूल कांग्रेस का शहरी वोटबैंक खिसक रहा है, जिससे दीदी चिंतित हैं। कोलकाता नगर निगम के कुल 144 वार्डों में 47 पर भाजपा को बढ़त मिली है। पिछले नगर निगम चुनाव में 10 वार्डों में ही

जीत मिली थी। कोलकाता और आसपास के इलाकों में विधानसभा की 28 सीटें हैं। राज्य के 60 प्रतिशत नगर निगमों व पालिकाओं में भाजपा की साफ बढ़त दिखी है। बंगाल में ऐसे कुल 125 निकाय हैं। 2021 में भाजपा 69 निकायों में आगे थी।

उनका मानना है कि शहरों में बाहरी लोग बढ़ गए हैं, इसलिए उन्होंने 'हॉकर हटाओ' अभियान शुरू किया है। जबकि नवंबर, 1996 में वाममोर्चा सरकार के 'ऑपरेशन सनशाइन' का हश्र वह देख चुकी हैं। उस समय उन्होंने खुद हॉकरों के पक्ष में फुटपाथ पर बैठकर आंदोलन किया था। असल में भ्रष्टाचार की वजह से शहरी वोटर ममता सरकार से नाराज हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में राज्य, खासकर कोलकाता व उपनगरों का जनसांख्यिकी संतुलन बिगड़ने पर चिंता जताई। उन्हें लगता है कि कुछ समय बाद शहरी क्षेत्रों में बांग्ला बोलने वाले अल्पमत में आ जाएंगे। उनके मुताबिक, पैसे लेकर हॉकरों को फुटपाथों पर जगह दी जा रही है। उन्होंने कई विधायकों, मेयरों, नगरपालिका अध्यक्षों और पार्षदों के अलावा पुलिस प्रशासन के एक बड़े हिस्से को हफ्तावसूली जैसे भ्रष्टाचार में लिप्त माना।

बताया जा रहा है कि पुलिस जैसे ही अपनी कार्रवाई के लिए कुछ संवेदनशील इलाकों की तरफ बढ़ी, तो दीदी ने ऑपरेशन रोक कर हॉकरों को एक महीने का समय दे दिया। सवाल उठता है कि 4-5 दिनों के अभियान में उजाड़े गए हॉकरों को एक महीने का समय क्यों नहीं दिया गया, जो इस मौसम में पुलों के नीचे या खुले में बाल-बच्चों को लेकर रह रहे हैं?

इस पर राजनीति भी हो रही है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि सिर्फ हिंदू हॉकरों को ही हटाया जा रहा है। माकपा नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान व कीर्ति आजाद जैसे 'बाहरी' लोगों को अपनी पार्टी के टिकट पर संसद भेजने वाली ममता का बाहरी राग मौजूं नहीं है।

ममता को पता है कि कोलकाता ही नहीं, पूरे बंगाल का जनसांख्यिकी संतुलन किन समुदायों की घुसपैठ से बिगड़ रहा है। अगर उनका इशारा हिंदी भाषियों की ओर है, तो वह दौर अब सिर्फ लोकगीतों में ही दिखता है। अब तो नायिकाएं शायद यह गीत गाएंगी कि 'पूरब न जइयो सैंया चाकरी नहीं है।' भ्रष्टाचार, बंद होते कारखानों व नया निवेश नहीं होने से पढ़े-लिखे बंगाली नौजवान रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं। कूचबिहार जिले के माथाभांगा में 25 जून को एम महिला को नंगा कर इसलिए घुमाया गया कि वह भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे का सदस्य थी। इसी तरह, उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा में 'शरिया अदालत' ने एक युवक-युवती को सरेआम पीटने का फरमान सुनाया। विधायक हमीदुर्रहमान के करीबी ताजेमुल नाम के तृणमूल कार्यकर्ता ने दोनों को चौराहे पर पीटा। हमीदुर्रहमान तो पीड़िता को ही 'दुष्ट जानवर' कह रहे हैं। सवाल यह है कि ममता पुलिस, प्रशासन और अपने कैडरों की मिलीभगत पर कब अंकुश लगाएंगी?

शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार उजागर होने पर लगा कि ममता इस विभाग को पटरी पर लाएंगी, पर हाल ही में माध्यमिक शिक्षा परिषद के मुखिया ने बताया कि इस साल 41 हजार परीक्षार्थियों ने उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आवेदन किया, जिसमें से 12,468 छात्रों के खातों में अंक जोड़ने की गलतियां पाई गईं। मूल्यांकन के बाद चार छात्रों के रैंक बदल गए। कहीं यह कारनामा नौकरी खरीदने वाले 'मास्टर मोशाय' ने तो नहीं किया है? इन पर कब बुलडोजर चलेगा?

कल्पमेधा

बिना प्रशंसा किए किसी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता और बिना असत्य भाषण किए किसी की प्रशंसा नहीं की जा सकती।

– जानसन

कानून की जगह

नए तीनों कानून लागू हो गए। सरकार का कहना है कि इन कानूनों के जरिए न्याय सुनिश्चित होगा, पुराने कानूनों का बल दंड पर अधिक था। नए कानूनों से आधुनिक प्रणाली स्थापित होगी। इनमें अब घर बैठे प्राथमिकी दर्ज कराने, शून्य प्रथमिकी के तहत किसी भी थाने में शिकायत दर्ज कराने जैसी सहूलियतें दी गई हैं, जिससे लोगों का समय बचेगा और त्वरित कार्रवाई हो सकेगी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अदालतों को भी तय समय के भीतर फैसला सुनाने की बाध्यता होगी। बलात्कार, बाल यौन शोषण जैसे मामलों में जांच और सुनवाई संबंधी सख्त नियम बनाए गए हैं। निस्संदेह, मामलों की जांच और सुनवाई में गति आएगी, तो लोगों को न्याय मिल सकेगा। मगर विपक्ष का कहना है कि इन कानूनों में कुछ ऐसी सख्त धाराएं बनाई गई हैं, जिनसे पुलिस को मनमानी का अधिकार मिलता और मानवाधिकारों के हनन का रास्ता खुलता है। खासकर आपराधिक कानूनों को लेकर व्यापक विरोध देखा जा रहा है। दरअसल, ये कानून विपक्ष की गैरमौजूदगी में और बिना किसी बहस के पारित हो गए थे, इसलिए इन पर विशद चर्चा नहीं हो पाई थी। इसलिए भी इनकी कई धाराओं को लेकर भ्रम और विवाद की गुंजाइश बनी हुई है।

सामाजिक बदलावों और जरूरतों के मुताबिक कानूनों में संशोधन और अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को समाप्त करना जरूरी होता है। इस लिहाज से औपनिवेशिक काल से चले आ रहे कानूनों की समीक्षा और उनमें बदलाव जरूरी थे। हालांकि ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि सारे कानून ब्रिटिश राज के समय से जस के तस चले आ रहे थे। उनमें समय-समय पर बदलाव होते रहे हैं, जिन कानूनों की प्रासंगिकता नहीं रह गई थी, उन्हें समाप्त भी किया गया। मगर फिर भी बहुत सारे कानून बदली स्थितियों से मेल नहीं खाते थे। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह अपराधों की प्रकृति बदली और देश की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाली गतिविधियां बढ़ी हैं, आतंकवादी संगठनों की सक्रियता बढ़ी है, उसमें कुछ सख्त कानूनों की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। मगर आपराधिक कानून बनाते समय यह ध्यान रखना भी जरूरी होता है कि उनका दुरुपयोग न होने पाए, उनके चलते सामान्य नागरिकों के मानवाधिकारों का हनन न हो। औपनिवेशिक समय के राजद्रोह कानून की जगह देशद्रोह कानून लाने की इसीलिए सबसे अधिक आलोचना हो रही है कि उससे लोगों में नागरिक अधिकारों के हनन का भय अधिक पैदा होता है।

हालांकि हर नए कानून के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा तो होती ही है, होनी भी चाहिए, मगर उन पर आम सहमति बने बिना लागू किए जाने से विवाद और नाहक भय का वातावरण बनता है। जब तक आम नागरिकों में इन कानूनों को लेकर भरोसा नहीं बनेगा, विरोध के स्वर उठते रहेंगे। जब ये कानून संसद में पारित हुए थे, तब उसके एक हिस्से को लेकर ट्रक चालकों ने देशव्यापी हड़ताल की थी। अब कई जगह खुद वकील इनके विरोध में उतरने वाले हैं। कुछ राज्यों ने इनके विरोध में आवाज उठानी शुरू कर दी है। संसद में विपक्ष तो हमलावर है ही। अगर सचमुच कुछ कानूनों की वजह से समाज में व्यवस्था के बजाय अव्यवस्था पैदा होती है, तो यह किसी भी तरह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं होगी। सरकार को यह भरोसा दिलाना होगा कि ये कानून वास्तव में लोगों के लोकतांत्रिक और मानवीय अधिकारों की रक्षा करने वाले हैं।

भीड़ का तंत्र

पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में भीड़ के बीच एक महिला और पुरुष की बुरी तरह पिटाई की घटना अराजक हो चुके लोगों और नाकाम हो चुकी सरकार का ही उदाहरण लगती है। खबरों के मुताबिक, विवाहेतर संबंधों के आरोप पर गांव में एक कथित सभा बुला कर युवा जोड़े को सजा के तौर पर सबके सामने बर्बरता से पीटा गया। एक वीडियो में भीड़ के बीच एक व्यक्ति महिला और पुरुष की जिस तरह पिटाई करता दिखता है, वह हैरान करने वाला है। वहां खड़े लगभग सभी लोग मूकदर्शक थे और कहीं भी पुलिस या प्रशासन का दखल नहीं दिख रहा था। सवाल है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार या गतिविधि को अपराध तय करने और उसे सजा देने का अधिकार कुछ अराजक, अपराधी तत्त्वों या भीड़ को किसने दे दिया! हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने महिला और पुरुष को पीटने के मुख्य आरोपी से कोई संबंध होने से इनकार किया, मगर बताया जा रहा है कि वह शख्स इसी पार्टी का स्थानीय कार्यकर्ता है।

किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था और शासन-तंत्र की हर स्तर पर मौजूदगी के दावे वाले राज्य में हुई यह घटना जिस प्रकृति में देखी गई, उससे यही लगता है कि या तो अपराधी तत्त्वों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है या फिर उनके बीच सरकार या पुलिस का कोई खौफ नहीं है। अराजकता के आलम का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बीते एक हफ्ते के दौरान राज्य में भीड़ द्वारा हिंसा की कई घटनाएं सामने आईं। खुद पुलिस के मुताबिक, हाल में राज्य में भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या किए जाने की यह चौथी घटना है। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में कुछ लोगों ने खुद को न्यायालय मान लिया है और वे मनमाने तरीके से फैसला कर डालते हैं। हैरानी की बात है कि राज्य में कई जगहों पर किसी कथित 'कंगारू कोर्ट' या सभाओं में सामाजिक मसलों पर महज आरोप के बाद आनन-फानन में ऐसे फैसले सुना दिए जाते हैं, जो अराजकता का ही उदाहरण है। ऐसी किसी घटना के तूल पकड़ने के बाद पुलिस आनन-फानन में कार्रवाई करती दिखती है, लेकिन इससे पहले सरकार और उसका शासन-तंत्र कहां होता है?

स्थानीय तपिश से बढ़ती दुश्वारियां

वैज्ञानिकों के मुताबिक इन बदलावों का असर स्थानीय तपिश यानी 'लोकल वार्मिंग' के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में इस बार एक महीने से ज्यादा प्रचंड गर्मी या लू चलने की वजह 'लोकल वार्मिंग' बताया जा रहा है।

अखिलेश आर्येंदु

धीरे-धीरे हो रहे ऋतुचक्र में बदलाव को वैज्ञानिक इंसानी मनमानी का परिणाम बता रहे हैं। उनके मुताबिक बेतरतीब तथाकथित विकास की वजह से जलवायु परिवर्तन की समस्या आई है। इससे देश दुनिया में अनेक नई समस्याएं आए दिन पैदा हो रही हैं। इससे ऋतुओं का स्वभाव ही नहीं, बहुत कुछ बदल गया है। इंसान के साथ वनस्पतियों, जीव-जंतुओं का स्वभाव भी बदलने लगा है। सबसे खतरनाक असर शहरों में लोगों की नींद पर पड़ रहा है। गर्मी का दौर लंबा चलने लगा है, तो विकट शीत भी कंपाने लगी है। इसी तरह बरसात की अति हो गई है। अब उन इलाकों में भी विकट बरसात होने लगी है, जो रेगिस्तान माने जाते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन बदलावों का असर स्थानीय तपिश यानी 'लोकल वार्मिंग' के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में इस बार एक महीने से ज्यादा प्रचंड गर्मी या लू चलने की वजह 'लोकल वार्मिंग' बताया जा रहा है।

'क्लाइमेट सेंट्रल' की 'स्लीपलेस नाइट्स' की रपट के मुताबिक 2018-2023 के बीच दिल्ली के अलावा पंजाब, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के शहरों में वर्ष में करीब 50 से 80 ऐसी अतिरिक्त रातें दर्ज की गईं, जब तापमान 25 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। यह जलवायु परिवर्तन का असर है, जो 'लोकल वार्मिंग' के रूप में देखा जा रहा है। 'लोकल वार्मिंग' का सबसे ज्यादा असर मुंबई में देखा जा रहा है, जहां पिछले वर्ष पैंसठ अतिरिक्त गर्म रातें दर्ज की गईं। आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल और असम पर जलवायु परिवर्तन का असर 'लोकल वार्मिंग' के रूप में देखा जा रहा है। इससे इन राज्यों के जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी, सिलचर, डिब्रूगढ़ और सिलीगुड़ी की औसतन चालीस रातों का तापमान पिछले कई सालों से 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। रपट के मुताबिक गंगटोक, दार्जिलिंग, शिमला और मैसूर में भी इस साल की औसतन 35 रातों का तापमान सामान्य से ऊपर रहा।

इस वर्ष दिल्ली क्षेत्र में चालीस दिन बाद दिन का तापमान 40 डिग्री से नीचे आया। इसके पीछे वजह 'ग्लोबल वार्मिंग' नहीं, बल्कि 'लोकल वार्मिंग' है, जिसमें पश्चिमी विक्षोभ का अभाव, बरसात न होना और अलनीनो का असर तो है ही, ऊंची इमारतें और संकरी गलियां हैं, जिसकी वजह से रात के वक्त वायुमंडल की अतिरिक्त गर्मी निकल नहीं पाती है। 'सेंटर फार साइंस एंड एन्वायरमेंट' (सीएसई) के दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में किए गए अध्ययन के मुताबिक उक्त शहरों के ग्रामीण इलाकों का तापमान शहरों की अपेक्षा तीन डिग्री सेंटीग्रेड तक कम रहा। जबकि रात का तापमान बारह डिग्री तक कम दर्ज किया गया। इसकी वजह घरों की बनावट, उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी है। अगर गांवों की तरह शहरों के मकान भी एक मंजिला बनने लगें तो शहरों के तापमान में तीन डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो सकती है। बताया जा रहा है कि संकरी गलियां, बंद कमरे, वायुमंडल में कार्बन की ज्यादा मात्रा भी 'लोकल वार्मिंग' की वजह हो सकती है।

'लोकल वार्मिंग' के विपरीत असर की वजह शहरों में वन क्षेत्र का लगातार कम होते जाना है। दिल्ली में ही पिछले पंद्रह सालों में करीब 103.79 हेक्टेयर वन क्षेत्र का विकास हुआ, जो पर्यावरण के नजरिए से बेहद कम है। 'इंडिया स्टेट आफ फारेस्ट रपट 2021' के मुताबिक दिल्ली का वन क्षेत्र करीब 195 वर्ग किमी है। मगर सरकारी दस्तावेज में यह महज 103 वर्ग मीटर दर्ज है। शोध के मुताबिक दिल्ली में इतनी प्रचंड गर्मी पड़ने का दूसरा बड़ा कारण अरावली पहाड़ियों का उजाड़ना, पहाड़ी और हरित क्षेत्र का लगातार कम होते जाना है। पिछले चालीस वर्षों में अरावली और उसके आसपास बेतहाशा खनन हुआ। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद दिल्ली परिक्षेत्र को, जो प्राकृतिक संसाधनों से कभी भरा-पूरा था, खनन माफिया और राजनेताओं के गठजोड़ से उजाड़ दिया गया। इससे जैव विविधता का नाश, धरती और हवा असंतुलित हुए।

> **'सेंटर फार साइंस एंड एन्वायरमेंट' (सीएसई) के दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में किए गए अध्ययन के मुताबिक उक्त शहरों के ग्रामीण इलाकों का तापमान शहरों की अपेक्षा तीन डिग्री सेंटीग्रेड तक कम रहा। जबकि रात का तापमान बारह डिग्री तक कम दर्ज किया गया। इसकी वजह घरों की बनावट, उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी है। अगर गांवों की तरह शहरों के मकान भी एक मंजिला बनने लगें तो शहरों के तापमान में तीन डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो सकती है। बताया जा रहा है कि संकरी गलियां, बंद कमरे, वायुमंडल में कार्बन की ज्यादा मात्रा भी 'लोकल वार्मिंग' की वजह हो सकती है।**

अगर गर्मी के तीन महीनों का आकलन करें तो पता चलता है कि स्थानीय स्तर पर पर्यावरण को खराब करने के लिए महज कल-कारखाने, वाहन और पराली का धुंआ नहीं, बल्कि खनन से उड़ने वाली धूल भी काफी हद तक जिम्मेदार रही है। हैरानी की बात है कि भू-माफिया और खनन माफिया का संरक्षण एनसीआर प्रशासन के जरिए होता रहा है, वरना क्या वजह है कि दिल्ली के अरावली क्षेत्र के दो सौ किमी में सक्रिय खनन माफिया के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। आंकड़ों के मुताबिक अवैध खनन की वजह से अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित तीस पहाड़ गायब हो चुके हैं। इसलिए राजस्थान की तरफ से आने वाली गर्म हवा को रोकना कठिन हो गया है। अरावली पर शोध करने वाले शोधार्थियों के मुताबिक, अगर अरावली में खनन पर रोक नहीं लगाई गई, तो आने वाले वक्त में रेगिस्तान दिल्ली तक पहुंच सकता है।

अरावली दिल्ली-एनसीआर के लिए जीवनदायनी है। मगर शासन यह बात मानने और समझने को तैयार नहीं है। इसलिए आने वाले वक्त में गर्मी और लू का दौर और भयंकर या प्रलयंकर हो सकता है। दिल्ली की सीमा राजस्थान और हरियाणा से सटी होने की वजह से पश्चिमी हवा सबसे पहले दिल्ली की सीमा से सटे गांवों पर असर डालती है। आजादी के बाद दिल्ली क्षेत्र में इंसानी बसावट को बेतरतीब तरीके से बढ़ाया गया। भवन निर्माण को लगातार बढ़ावा दिया जाता रहा है। इससे जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ती गई। गौरतलब है कि पिछले चार दशक में दिल्ली-एनसीआर में 'लोकल वार्मिंग' की समस्या और उससे होने वाली दुश्वारियां तेजी से बढ़ी हैं। इससे हजारों लोग रक्तचाप और मधुमेह जैसी खतरनाक बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। मांसपेशियों की संरचना पर असर पड़ने लगा है। इससे बच्चे और बूढ़े लोगों में मौत का जोखिम बढ़ गया है। मगर शासन को जैव विविधता के हो रहे विनाश की फिक्र नहीं है। दिल्ली सहित देश के तमाम शहरों में प्राकृतिक क्षेत्रों को बढ़ाने की अपेक्षा इन्हें उजाड़ने का काम चलता ही रहता है।

एक अध्ययन के मुताबिक, दिल्ली परिक्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की एक वजह बेतरतीब कालोनियों का बनना है। वहीं, कूड़े के पहाड़ों, लोहे और प्लास्टिक का हजारों टन कचरा जो इधर-उधर बिखरा रहता है, उससे भी जलवायु का असंतुलन बढ़ रहा है। स्थानीय स्तर पर पर्यावरण को बेहतर तरीके से संतुलित रखना बेहद जरूरी है। सवाल है कि बेतहाशा विकास के दौर में जब हम अपने कोटरों में ही कैद होकर रह गए हैं, क्या 'लोकल वार्मिंग' से बढ़ रही दुश्वारियों को कम करने में अपना फर्ज निभाने के लिए आगे आएंगे? जल, जंगल, जमीन और जानवर के प्रति संरक्षण की भूमिका में खुद को ला पाएंगे? उन सरकारी नियमों और निर्देशों का पालन करने की समझदारी निभाएंगे, जो गर्मी को न बढ़ने देने के लिए बनाए गए हैं?

क्रांति की कशीदाकारी

सुरेश सेठ

मौसम बदला तो क्षितिज के उस पार से नगाड़ों के बजने का स्वर गूंजने लगा। हमें बताया गया था कि जिस पौन सदी से क्रांति और बदलाव का इंतजार था, ये नगाड़े फिर उसका आभास दे रहे हैं। नगाड़ों का कसब भी अजीब है। हर पांच साल के बाद यह क्रांति हो जाने का आभास देते हैं और अगर मध्यावधि चुनाव हो जाएं तो नगाड़ों के स्वर और भी करीब आ जाते हैं। ये नगाड़े शोभायात्राओं में चलते पैरों की धमक और उनके जिंदाबाद के स्वरों पर जीते हैं। बहुत जल्दी एक नया उत्सव मनाने की घोषणा कर देते हैं। शून्य भ्रष्टाचार, महंगाई को जड़मूल से उखाड़ना और आम आदमी की खुशहाली के सूचकांक को शीर्ष पर पहुंचा देना क्रांति के इन नगाड़ों का स्वर है, पर यह स्वर लगातार भर्राता गया है। मगर आज भी कई लोग विश्वास करते हैं कि जब क्रांति होगी तो सबके अच्छे दिन आ जाएंगे। वक्त बदलेगा और काम मांगने वाले उस कतार में नहीं खड़े होंगे, जो सिफारिश के धक्के से आगे बढ़ती है। काम देने वाले 'जागते रहो' की आवाज के साथ जो जिस योग्य है, उसके बिना पूछे ही काम बांट देंगे। काम दिलाने वालों की वह जमात खत्म हो जाएगी, जो आपको अपने इलाके में जीने का उपहार बांटते और अपनी नान-कचौरी का थोड़ा-सा और जुगाड़ करने के बाद कह देते हैं, 'अरे भई मन विदीर्ण हो गया। देश में गरीबी तो और बढ़ गई। इसे जड़ से मिटाना एक पीढ़ी का काम नहीं। इसके चिह्न मिटाने के लिए केवल हम नाकाफी रहेंगे। हमारे संघर्ष की विरासत हमारी अगली पीढ़ी अंगीकार करेगी।'

यों यहां क्रांति एक अचानक फूटता हुआ विप्लव नहीं। यह वह लावा है, जो परिवारवाद के कंधों पर सवार होकर फूटता है। यह अच्छे दिनों की वह डोली है, जिसे हमारे खेत रहने के बाद हमारे नाती-पोते तक उठाते हैं। कैसी स्पंदित कर देने वाली वह याद है, जब आज से सतहत्तर बरस पहले रात के बारह बजे घुप्प अंधेरे में एक युगपुरुष की आवाज गूंजी थी। इस आवाज में सदियों से पड़ी देश की बेड़ियां कट जाने की सूचना थी। आधी रात को एक नया सूरज उगा देने का वचन था। लोकराज लाने का वादा था। समाजवाद के सूरज के सातों घोड़े समतावाद, गरीब और अमीर का भेद मिटा देने के सपने की अगवानी कर रहे थे। हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी और हर नागरिक को अपना सिर ऊंचा कर जीने का संदेश दे रहे थे। खून-खराबा नहीं लोकतंत्र के विस्तृत पथ पर योजनाबद्ध आर्थिक विकास की रेलगाड़ी पर सवार करवा कर सबके लिए अच्छे दिन ला देने का विश्वास था उस वाणी में। उसके बाद युग पर युग बीत गए, लेकिन भूख से तड़पते हुए आम आदमी ने खंडित सपनों का तकिया छोड़ने से इनकार कर दिया। बदलाव नेताओं के लिए दावों, भाषणों और घोषणाओं की लक्ष्मण रेखाओं में कैद हो गया। मुक्ति की वैतरणी के वादे आज भी हैं। मध्यजन उसके लिए उस पार नौकाएं भी लेकर आ जाते हैं बार-बार, लेकिन इनमें बाकी सबके लिए जगह कहां? यह तो पहले ही उनके प्यादों से भरी हुई थी।

आम आदमी को समझाया जाता कि इस बीच देश बहुत तरक्की कर गया है, लेकिन तरक्की पसंद देशों के सूचकांक बेकारी, भूख और गरीबी की बढ़ती हुई कतार को देख कर और भी संत्रस्त हो जाते कि आपका देश तो आर्थिक गिरावट की दो-चार पायदान और नीचे उतर गया। आम आदमी पूछता है, इस देश में क्रांति का अर्थ क्या इसका कोलाहल है, जो इसके बारे में देश की संसद में उल्टे-सीधे विधेयक पास करवा देने से पैदा होता है? क्या इसका अर्थ लाखों धरती पुत्रों के सैलाब का राजधानी के बाहर उमड़ आना है, जो यह नारे लगाता है कि हमसे बिना पूछे बनाए कानूनों को हम पर मत थोपो। इन्हें रद्द करो, फिर हमसे सलाह करके नए कानून बनाओ।

क्रांति क्या जोर-आजमाइश होती है, जिसमें एक पक्ष कहता है इन आततायी कानूनों को रद्द करो और हमसे पूछ कर नये कानून बनाओ। दूसरा पक्ष कहता है, चश्मे का नंबर बदलो। ये हमदर्द कानून तुम्हें आततायी नजर आ रहे हैं? सड़कों पर क्रांति की तलाश में निकले हुए कहते हैं कि 'इनका रंग-रूप नहीं, इनका दिल बदलो।' क्रांति के मुखौटे बदलते रहते हैं और इधर योजनाबद्ध आर्थिक विकास का चेहरा भू-लुंठित पड़ा है। योजना आयोग सफेद हाथी कहला कर मृतप्राय हो गया, और उसका मुखौटा नीति आयोग उसक मर्सिया पढ़ते हुए बदलाव को आवाज दे रहा है। इस आवाज में कभी कतार में खड़े आखिरी आदमी के उदय की बात होती थी। देश में हर लक्ष्य से पिछड़ने और फिर कोरोना जैसी महामारी का ऐसा प्रकोप हुआ कि अब कतार के इस आखिरी आदमी के अंत्योदय की बात एक प्रहसन लगती है। अपने लक्ष्य से भटकी हुई क्रांति हर बदलाव को व्यर्थ कर रही है। उसकी तलाश में देश की गरीबी रेखा से नीचे छिटके आदमियों की भीड़ और बढ़ गई। ये लोग तो अब एक जून अपनी मेहनत की रोटी भी नहीं खा पा रहे। महामारी ने उनकी भीड़ और बढ़ा दी और सरकार ने समाधान के लिए मुफ्त और सस्ती वस्तुओं की दुकानों की संख्या बढ़ा दी।

इनके खालीपन के बाहर कब तक जिंदगी बदल जाने का इंतजार करते हुए वे उखड़े लोग खड़े रहेंगे? अभी भ्रष्टाचार सूचकांक ने बताया है कि उसके उन्मूलन का दावा औंधे मुंह गिरा है, और रिश्वत लेना और देना अपराध नहीं, जीवन जीने की एक अनिवार्य शर्त बन गई है। यह कैसी क्रांति है जो घटने से पहले ही अप्रासंगिक हो गई।

दुनिया मेरे आगे

> **अपने लक्ष्य से भटकी हुई क्रांति हर बदलाव को व्यर्थ कर रही है। उसकी तलाश में देश की गरीबी रेखा से नीचे छिटके लोगों की भीड़ और बढ़ गई। लोग अब एक जून की रोटी भी नहीं खा पा रहे। महामारी ने उनकी भीड़ और बढ़ा दी और सरकार ने समाधान के लिए मुफ्त और सस्ती वस्तुओं की दुकानों की संख्या बढ़ा दी।**

सदन की गरिमा

देश की वर्तमान राजनीति अफसोसनाक रूप से केवल आरोप-प्रत्यारोप तक केंद्रित होकर रह गई लगती है। यह अप्रिय सिलसिला इसलिए चलता रहता है कि राजनीति के आंगन में सभी दलों की स्थिति एक समान होती है। विशेष हकीकत यह है कि सामान्य जनता को राजनीतिक दलों की आपसी खींचतान से कोई सरोकार नहीं होता। जनता के वास्तविक मुद्दे और देश की महत्त्वपूर्ण समस्याएं इस आपसी तनाव में कहीं नेपथ्य में चली जाती हैं या फिर दबी रह जाती हैं। लोकतंत्र में सार्थक वाद-विवाद और सुरुचिपूर्ण रचनात्मक बहसों का बहुत बड़ा महत्त्व है, क्योंकि आपसी बातचीत से बड़े-बड़े मसलों का अच्छे से अच्छा समाधान अस्तित्व में आता है। भारतीय संसद की गरिमा और मर्यादा की रक्षा करना हरेक राजनीतिक दल और प्रत्येक निर्वाचित संसद सदस्य का पहला कर्तव्य है। इस हकीकत के दृष्टिगत, संसद में केवल अनर्गल और निरर्थक आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति के बजाय ठोस, रचनात्मक विचार विमर्श, वाद-विवाद और सार्थक बहसें होनी चाहिए, ताकि सांसदों की योग्यता का समुचित लाभ जनता और देश को मिल सके। सभी राजनीतिक दलों को समय की बर्बादी से बचना चाहिए।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

भीड़ का प्रबंधन

यह चिंता का विषय है कि तीर्थस्थलों पर भीड़ का प्रबंधन सही से नहीं किया जाता। इस मामले को लेकर शासन-प्रशासन के गंभीर नहीं होने का नतीजा ही है कि भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत के समाचार आते रहते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए तीर्थस्थलों पर यातायात व्यवस्था सुगम और सुव्यवस्थित हो, यह समय की मांग है। इस मामले में तत्काल गंभीरता से मंथन किया जाए। श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर सभी तीर्थस्थलों पर पार्किंग और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाए, ताकि कहीं भी जाम की स्थिति उत्पन्न न हो और भीड़ का भी प्रबंधन किया जा सके। मेलों के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन और मेला समिति में अच्छा समन्वय आवश्यक है। सभी मेलों में एंबुलेंस, अग्निशमन, सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। श्रद्धालुओं की ज्यादा आवक वाले धार्मिक स्थानों पर भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम जरूरी है।

– राजेंद्र कुमावत, जयपुर

अव्यवस्था का जोर

हमारे देश में प्यास लगने पर ही कुआं खोदने की परंपरा रही है। समय से पूर्व व्यवस्था करने में स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली असफल साबित होती है। यही हाल वर्षा जल निकासी का भी है। नगरपालिका और ग्राम पंचायत की लापरवाही के कारण तेज बारिश होने पर जगह-जगह जलजमाव की स्थिति निर्मित होती है और जनता को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। छोटे निकायों, नगर परिषद और ग्राम पंचायतों में बजट, संसाधनों और श्रमशक्ति के अभाव के कारण बारिश पूर्व की तैयारियों में विलंब हो सकता है, पर करोड़ों रुपए का कर आम जनता से वसूल करने वाली महानगर परिषदों में भी अव्यवस्था का बोलबाला पाया जाता है। कमीशन खोरी, भाई-भतीजावाद और राजनीति से कोई भी स्थानीय संस्था अछूती नहीं है। जनता से वसूले गए कर के पैसों की अवैध रूप से बंदरबाट होने के कारण लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में भी स्थानीय निकाय नकारा सिद्ध हो रहे हैं।

– ललित महालकरी, इंदौर

दमन की सत्ता

गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, गृहयुद्ध, मुद्रास्फीति, बीमारी और बेरोजगारी का दंश झेल रहे अफ्रीका महाद्वीप में अशांति थमने का नाम ही नहीं ले रही है। केन्या की राजधानी नैरोबी स्थित विधानमंडल में नए कर विधेयक को लेकर घुसने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में कम से कम पांच लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति विलियम रूटो से पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं, जबकि लगभग दो साल पहले उन्होंने केन्या के कामकाजी गरीबों का समर्थन करने का वादा करके चुनाव जीता था। मगर इन्हीं गरीबों ने जब नए वित्त विधेयक को रद्द करने की मांग की, तो उन पर गोलियों की बौछार करवा दिया। दरअसल, चुनाव जीतने से पहले इस तरह का राजनीतिक खुद को जनता का सेवक बताता है, मगर राजगद्दी मिलने के बाद वह तानाशाह बन जाता है।

– जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर

https://t.me/AllNewsPaperPaid

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

टकराव को टालें, लोकतंत्र की मजबूती पर दें ध्यान

चुनावों के बाद जैसी उम्मीद की जा रही थी, लगता है हमारे लोकतंत्र की गाड़ी उस दिशा में नहीं जा रही। उम्मीद यह की जा रही थी कि लोकसभा चुनावों में जनादेश का सम्मान करते हुए पक्ष-प्रतिपक्ष मिलकर संसदीय परंपराओं को आगे ले जाने की दिशा में बढ़ेंगे। लेकिन, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सोमवार को लोकसभा में जो कुछ हुआ, उससे तो लगता है कि संसद में पक्ष-प्रतिपक्ष में टकराव के नए दरवाजे खुल रहे हैं।

धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर पहली बार बोलते हुए राहुल गांधी ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जिनसे बचा जा सकता था। बीस साल से सांसद के रूप में सदन का हिस्सा बन रहे राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला तक को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर उन्होंने मामले को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश भी की। सवाल यह उठता है कि राजनीतिक मुद्दों को बीच में लाने के बजाय क्या यह उचित नहीं था कि राहुल गांधी धन्यवाद प्रस्ताव के केन्द्र में ही अपनी बात रखते। वैसे भी राजनीतिक मुद्दों पर बोलने के लिए राहुल के पास भी पूरे पांच साल का समय है। यह बात सही है कि राहुल के भाषण को लेकर राजनीतिक दल अपने-अपने तरीके से अलग-अलग निहितार्थ निकालेंगे। इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में राजनीति भी गरमाएगी। लेकिन क्या यह राजनीति इस समय प्रासंगिक मानी जा सकती है? वह भी तब, जब बीते छह महीने से देश राजनीति के दांवपेंच ही देखता आ रहा है। इन दांवपेंचों को देख-परखकर ही सभी दलों को जनादेश मिला है। जनादेश एनडीए के सत्ता में और इंडिया गठबंधन के विपक्ष में बैठने के लिए है। विपक्ष को पूरा अधिकार है कि वह मुद्दों के आधार पर सत्ता पक्ष को सदन से लेकर सड़क तक घेरे। जनता की आवाज को तरीके से उठाए भी। आज भाजपा सत्ता में है और कांग्रेस विपक्ष में। लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही और भाजपा विपक्ष में। हर दल को अपनी जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के बारे में टिप्पणी करते समय सतर्कता बरतने की जरूरत है।

लोकतंत्र में सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन संसदीय परंपराएं और मर्यादा अक्षुण्ण रहती हैं। हम इसलिए सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं क्योंकि हमने लोकतांत्रिक परंपराओं को साल दर साल संपन्न किया है। चुनाव में कोई भी जीता-हारा, सत्ता हस्तांतरण आसानी से हुआ। दुनिया के मुकाबले हमारा लोकतंत्र जीवंत भी है और पारदर्शी भी। उम्मीद है कि सभी पक्ष लोकतंत्र को और मजबूत बनाने में भागीदार बनेंगे।

सामयिक: जरूरी है शराब उत्पादन, विक्रय और खपत के चलते सेहत पर प्रतिकूल असर का लागत-लाभ विश्लेषण

शराब त्रासदियों से नुकसान असल में कहीं ज्यादा

कुछ दिन पहले तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले के करुणापुरम गांव में हुई जहरीली शराब दुखान्तिका में अब तक साठ से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई लोग अब भी गंभीर रूप से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। एक ओर वर्ष 2047 तक देश विकासशील से विकसित होने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्प है, वहीं इस तरह की दुखान्तिकाओं का घटित होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां यह रेखांकित करना आवश्यक है कि ऐसी दुर्घटनाओं में समाज के सबसे निर्धन एवं कामगार वर्ग से आने वाले लोग ही अत्यधिक प्रभावित होते हैं।

जहरीली शराब को बनाने में प्रयुक्त मेथेनॉल प्रमुखतः जानलेवा कारक होता है। मेथेनॉल का औद्योगिक प्रयोग मुख्यतः कृत्रिम सूत, फाइबर, कपड़ा, पेंट, औषधि, निर्माण कार्य में प्रयुक्त प्लाइवुड, कृषि रसायनों इत्यादि में होता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मेथेनॉल हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले रसायनों में से एक प्रमुख रासायनिक पदार्थ है। पर इसका प्रयोग सस्ती कच्ची शराब में होने पर यह अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है।

किसी भी वयस्क के लिए शुद्ध मेथेनॉल के एक मिलीलीटर के 10वें अंश का प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से उपभोग उसके जीवन के लिए अत्यंत जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि इसका सीधा दुष्प्रभाव यकृत की अम्ल-क्षार प्रणाली पर पड़ता है जिससे रक्त अम्लीय हो जाता है। रक्त के अत्यंत अम्लीय होने पर यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। चिकित्सीय भाषा में इसे रक्ताम्लता या एसिडिमिया के रूप में जाना जाता है।

मिलिंद कुमार शर्मा
एमबीएम विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर
@patrika.com

शराब से जन सामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर भार, हेल्थकेयर क्षेत्र से जुड़े कार्मिकों की उत्पादकता व अन्य सामाजिक व नैतिक समस्याओं पर चिंतन होना चाहिए।

मेथेनॉल के उपभोग से दृश्य हानि, अंधता एवं मस्तिष्क में रक्तस्राव से मृत्यु की भी आशंका रहती है। प्रायः यह देखा गया है कि मेथेनॉल के उपभोग का प्रभाव दो दिन तक रहता है। अतः इसका अनवरत प्रयोग शरीर को स्थायी रूप से क्षीण कर सकता है। यह जांच का विषय होना चाहिए कि उद्योग में काम आने वाले इस नियंत्रित रसायन की सुलभ उपलब्धता किस प्रकार कच्ची शराब बनाने में हो जाती है, जिससे कई मानव जीवन एवं परिवार काल कलवित हो जाते हैं। दूसरी ओर, प्रामाणिक शराब बनाने में एथेनॉल का प्रयोग होता है, जो कि एक मनो-सक्रिय औषधि है। इसका अल्प मात्रा में सेवन तंत्रिका संचरण का स्तर कम कर नशा उत्पन्न करता है। यह भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है पर मेथेनॉल जितना नहीं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, लम्बे समय तक एथेनॉल का अल्प उपभोग भी स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है क्योंकि इससे कैंसर, हृदयाघात, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जैसी गंभीर व्याधियां उत्पन्न होने की संभावना रहती है। चूंकि प्रामाणिक शराब अवैध रूप से विक्रय की जाने वाली कच्ची शराब की तुलना में महंगी रहती है इसलिए निचले तबके के लोग या दिहाड़ी मजदूर वर्ग अक्सर कच्ची शराब की तरफ आकर्षित होता है और उन्हें ही इस त्रासदी का शिकार बनना पड़ता है। जहां सरकारों के लिए शराब विक्रय राजकोषीय आय का एक बड़ा स्रोत है, वहीं दूसरी ओर कच्ची शराब से होने वाली जनहानि से जूझना भी एक बड़ी चुनौती है।

एक तरफ जहां शराबबंदी से सरकारों को राजकोषीय घाटा झेलना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु में हुई शराब दुखान्तिका जैसी त्रासदी के फलस्वरूप होने वाले जनसांख्यिकीय नुकसान का आकलन भी अब आवश्यक हो गया है। शराब उत्पादन एवं इसके विक्रय से होने वाली आय से सरकारों को पूंजी निवेश एवं समाज कल्याण से जुड़ी योजनाएं लागू करने में मदद मिलती है, पर अब समय आ गया है कि नीति निर्धारक इसके लागत-लाभ विश्लेषण पर गंभीरतापूर्वक विचार करें, और शराब दुखान्तिकाओं एवं शराब से जन सामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर भार, हेल्थकेयर क्षेत्र से जुड़े कार्मिकों की उत्पादकता एवं दूसरी सामाजिक व नैतिक समस्याओं के बारे में भी चिंतन करें। यद्यपि कुछ राज्यों जैसे कि गुजरात, बिहार, नगालैंड और मिजोरम में पूर्ण शराबबंदी है, पर यह समस्या का स्थायी समाधान भी नहीं है क्योंकि तब समाजकंटक इसके अवैध व्यापार को

फैक्ट फ्रंट

ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव ऐसे पड़ी

बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला की 2 जुलाई 1757 को हत्या कर दी गई। सिराजुद्दौला के शासन की समाप्ति को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव माना जाता है। असल में प्लासी की लड़ाई में नवाब की सेना के सेनापति मीर जाफर ने धोखा किया, 23 जून, 1757 को बंगाल की सेना रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से हार गई। 2 जुलाई 1757 को नवाब सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुए समझौते के मुताबिक नवाब की हत्या कर दी गई।

प्रसंगवश

गड़बड़ियों के रास्ते खोलने वाले हैं बच्चों के दोहरे नामांकन

पोषाहार से लेकर निःशुल्क किताबें छात्रों को दो जगह मिल जाएं तो इसे पात्र छात्रों का हक छीनना ही कहेंगे

फर्जीवाड़ा रोकने की कवायद में ही फर्जीवाड़ा होने लग जाए तो इसे क्या कहेंगे? यही ना कि जिम्मेदार अनदेखी में जुटे हैं। ऐसी ही अनदेखी शिक्षा विभाग में सरकारी व गैर-सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन को लेकर सामने आई है। नामांकन ज्यादा दिखाने के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (यू-डाइस) लागू किया गया है। इसमें प्रत्येक छात्र को प्रवेश के वक्त ही परमानेंट एजुकेशन नम्बर (पीईएन) जारी किया जाता है। प्रदेश के सभी सरकारी व गैर-सरकारी स्कूलों के बच्चों को यह पीईएन नम्बर देना अनिवार्य है ताकि बच्चों के नामांकन और उनसे जुड़ी दूसरी जानकारी को ट्रैक किया जा सके। शिक्षा विभाग की ओर से कराई गई जांच में यह तथ्य सामने आया है कि प्रदेश में सवा लाख से अधिक बच्चे एक से ज्यादा स्कूलों में नामांकित हैं।

सरकारी व निजी दोनों ही स्कूलों में नामांकन का अपना महत्त्व है। निजी स्कूल अपने प्रचार तंत्र को मजबूत करने के लिए और सरकारी स्कूल, छात्र-शिक्षक अनुपात की चिंता करते हुए नामांकन बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। इसमें संदेह नहीं कि पिछले सालों में सरकारी स्कूलों के प्रति रुझान भी बढ़ा है। पर सरकारी स्कूलों में दिए जाने वाले पोषाहार से लेकर निःशुल्क किताबें आदि दोहरे नामांकन वाले छात्रों को दो जगह मिल जाएं तो इसे पात्र छात्रों का हक छीनना ही कहेंगे। 'राइट टु एजुकेशन' (आरटीई) के तहत बच्चों के दाखिले पर पुनर्भरण राशि का दुरुपयोग भी आसानी से हो सकता है। फर्जी डिग्री व फर्जी अंकतालिकाएं जारी होना काफी पुराना भ्रष्टाचार है। दोहरे नामांकन में इस पर भी नजर रखनी होगी। पर नामांकन पर निगाह रखने की कवायद में ही यह लापरवाही सचमुच चिंताजनक है। दोहरे नामांकन के मामलों में शिक्षा विभाग ने जांच के बाद दो तरह की सूची तैयार की हैं। पहली सूची उन छात्रों की है जिनका नाम एक ही जिले में दो-दो स्कूलों में लिखा हुआ है। जाहिर है कि एक स्कूल से स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) लेते वक्त बच्चे को उसका पीईएन नहीं दिया गया। न ही दूसरे स्कूल ने इसे मांगने की जरूरत समझी। जाहिर है कि शिक्षा विभाग ने एडवांस सिस्टम की मॉनिटरिंग की पर्याप्त व्यवस्था की ही नहीं। पात्र छात्रों को उनका हक देने में या किसी भी अन्य स्तर पर गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए समूचे सिस्टम पर निगाह रखना जरूरी है।

-शरद शर्मा
sharad.sharma@in.patrika.com

यूएस: क्या संभव है किसी सर्वसम्मत उम्मीदवार की उम्मीद करना

बाइडन राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से हटते हैं तो फिर आगे क्या?

अमरीका में डेमोक्रेट्स प्रेसिडेंशियल डिबेट में राष्ट्रपति जो बाइडन के बेहद खराब प्रदर्शन से दहशत में हैं। लोगों में यह राय जोर पकड़ रही है कि बाइडन को इस पद की दौड़ से हट जाना चाहिए। बड़ा सवाल, यदि बाइडन दौड़ से हट जाते हैं तो फिर क्या होगा? डेमोक्रेट्स के लिए यह एक कड़वी सच्चाई है कि अगस्त में होने वाले डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में बाइडन की जगह किसी दूसरे नाम पर विचार उनके लिए ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है उसी लंगड़े घोड़े से चिपके रहने की तुलना में, जिस पर वे सवार हैं। राष्ट्रपति और उनके सलाहकार दौड़ में बने रहने की बात पर अड़े हुए हैं। और वाकई में, उन्होंने डिबेट के बाद एक रैली में कहीं अधिक मजबूत उम्मीदवार के रूप में यह संकेत भी दिया। उन्होंने उत्साहवर्धक शब्दों में मौजूद लोगों से कहा-'मैं यहां उत्तरी कैरोलिना में इसलिए आया हूं क्योंकि नवंबर में होने वाले चुनाव में मुझे इस राज्य से जीतना है। हम यहां जीतेंगे, हम चुनाव जीतेंगे।'

हालांकि, निजी तौर पर उनके चुनावी अभियान के शीर्ष अधिकारी यह आश्वस्त करने में जुटे हैं कि यद्यपि मंच पर राष्ट्रपति के प्रदर्शन में तैयारियों का अभाव था पर वह डॉनल्ड ट्रंप को हराने में समर्थ हैं। यदि राष्ट्रपति को हटना पड़ा तो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अपनी उम्मीदवारी की संभवतः तुरंत घोषणा कर देंगी। पर उनकी अलोकप्रियता के चलते अन्य लोग भी निश्चित रूप से मैदान में आ जाएंगे। सर्वाधिक संभावना तो यह है कि प्रतिभाशाली और करिश्माई डेमोक्रेट गवर्नर्स अपनी दावेदारी जताएंगे, जैसे कि कैलिफोर्निया के गेविन न्यूसॉम, मिशिगन की ग्रेचेन व्हिटमर, इलिनोइस के जेबी प्रित्जकर, पेंसिल्वेनिया के जोश शैपिरो और नॉर्थ कैरोलिना के रॉय कूपर। इस परिदृश्य में, कन्वेंशन के 3,894 डेलीगेट्स - नामांकन के लिए जरूरी 1,968 से कहीं अधिक - जो पहले बाइडन के लिए बाध्य थे, मुक्त हो जाएंगे। ये डेलीगेट्स एक्टिविस्ट्स, यूनियन लीडर्स या पार्टी के स्थानीय दिग्गज हैं और जाहिर है कि किसी भी तरह पार्टी के चंद नेताओं के दबाव में नहीं हैं। वैसे तो कन्वेंशन 19 से 22 अगस्त तक होना तय है पर डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी 7 अगस्त तक एक 'वर्चुअल रोल कॉल' के आयोजन की रूपरेखा तैयार कर रही है। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि ओहायो के मतपत्र में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति का नाम प्रमाणित हो जाए। कहने की जरूरत नहीं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के कायदे-कानून तकनीकी रूप से कन्वेंशन में नामांकन प्रक्रिया फिर शुरू करने को संभव बनाते हैं। इतिहास का एक उदाहरण भी है - 1968 में मार्च के आखिर में राष्ट्रपति लिंडन बी. जॉनसन ने इस वास्तविकता पर सहमति जताई थी कि उनके पुनर्निर्वाचन की संभावना निराशाजनक है और उन्होंने घोषणा की थी कि वे न तो चुनाव लड़ेंगे और न ही पार्टी का नामांकन स्वीकार करेंगे। पर वह समय अलग था और स्थिति भी दूसरी। उपराष्ट्रपति ह्यूबर्ट हम्फ्री ने एक भी प्राइमरी चुनाव में गंभीरता से प्रतिस्पर्धा किए बिना डेमोक्रेटिक नामांकन हासिल कर लिया, पर वह नवंबर के चुनाव में हार गए। यही वजह है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्य-दर-राज्य प्राइमरी और कॉकस की आधुनिक प्रणाली लागू की गई। रिपब्लिकंस ने भी अपनी चुनावी प्रक्रिया को फिर नया आकार दिया। ऐसे में कन्वेंशन्स सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गए। पर क्या इस वर्ष ऐसा नहीं हो सकता? पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और बिल क्लिंटन जैसी हस्तियों का पार्टी की पसंद पर कुछ असर हो सकता है? पुरानी सत्ता संरचना को सोशल मीडिया और बड़ी मात्रा में धन के प्रवाह की नई ताकतें और खत्म कर रही हैं। क्या इस उथल-पुथल के बीच किसी सर्वसम्मत उम्मीदवार की उम्मीद करना वाकई संभव है?

हो सकता है कि बाइडन आधुनिक इतिहास में एक कार्यकाल के सबसे सफल राष्ट्रपति हों, या शायद अब तक के सबसे सफल, हो सकता है कि उनकी विरासत एक ऐसे शख्स के रूप में सुरक्षित रहे जिसने अमरीका को ट्रंप से बचाया। डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी बाइडन की बढ़ती मानसिक और शारीरिक कमियों की ओर से अपनी आंखें बंद कर उन्हें चुना। पर अमरीका जानता है जो कुछ उसने पिछले गुरुवार को डिबेट में देखा। अब किसी चमत्कार की उम्मीद करना ही डेमोक्रेट्स के लिए एकमात्र विकल्प बचा है।

कैरेन टुमल्टी
राजनीतिक मामलों की स्तम्भकार
द वाशिंगटन पोस्ट
से विशेष अनुबंध के तहत

क्लाउड गेट: शिकागो की गगनचुंबी इमारतों और आते-जाते लोगों को प्रतिबिंबित करती है 'द बीन'

लगभग एक साल तक चले नवीनीकरण के बाद शिकागो के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक 'द बीन' को हाल ही में जनता के अवलोकन के लिए फिर से खोल दिया गया। शिकागो की 'द बीन' की तुलना में ऐसे बहुत कम शिल्प हैं जो किसी शहर का प्रतीक बन गए हों। इसे पहली बार मिलेनियम पार्क में 2004 में स्थापित किया गया था। 18 से 21 जुलाई के बीच इसकी 20वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई जाएगी। 'द बीन', जिसे आधिकारिक तौर पर 'क्लाउड गेट' नाम दिया गया है, को प्रसिद्ध शिल्पकार अनीश कपूर ने लचीले कनेक्टर के साथ एक अंदरूनी फ्रेम पर 168 स्टील प्लेटों को फिक्स करके तैयार किया था। यह डिजाइन तरल पारे से प्रेरित है।

सेहत: खाने की बर्बादी एवं खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने पर देना होगा गंभीरता से ध्यान

जन आंदोलन और जागरूकता से ही संभव है खाद्य सुरक्षा

पुरानी कहावत है- जैसा खाए अन्न, वैसा रहे मन। यानी, अन्न की प्रकृति हमारे व्यक्तित्व को गढ़ती है। खाद्य सुरक्षा हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारे द्वारा किया जाने वाला भोजन सेहतमंद और सुरक्षित हो। हर किसी को पौष्टिक भोजन प्राप्त हो जिससे स्वास्थ्य खराब न हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, दूषित खानपान की वजह से दुनिया भर में प्रतिदिन तकरीबन 16 लाख लोग बीमार होते हैं। टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारी तो दूषित भोजन और प्रदूषित जल से ही होती है जिसका सबसे ज्यादा शिकार बच्चे होते हैं।

यह बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है कि खान-पान की चीजों में आजकल मिलावट के रूप में लोगों को धीमा जहर परोसा जा रहा है। मुनाफाखोरी और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की होड़ में जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ कर दूध, मावा, घी, पनीर, मसाले, फल-सब्जियां सहित खाने-पीने की लगभग हर चीज में मिलावट देखी जा सकती है। खाद्य पदार्थों में मिलावट, नकली ब्रांड और घटिया गुणवत्ता के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत देश के गरीब और वंचित वर्गों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। वहीं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा की निगरानी करता है। खाद्य विभाग के अधिकारी अनसेफ, सब स्टैंडर्ड, मिसब्रांड की जांच के लिए फूड सैंपल एकत्रित करते हैं लेकिन ज्यादातर मामलों में दोषियों के खिलाफ सिर्फ जुर्माना होता है, क्रिमिनल केस नहीं चलाया जाता। हम जो खाद्य सामग्री बाजार में शौक से खा रहे हैं, वह स्वास्थ्य के लिहाज से सुरक्षित है या नहीं, कहा नहीं जा सकता। लोगों में जागरूकता का अभाव देखा जा सकता है। खाने में पेस्टिसाइड, हानिकारक बैक्टीरिया आदि को जांचने के लिए माइक्रोबायोलॉजी लैब भी हमारे देश में पर्याप्त संख्या में नहीं हैं।

स्वस्थ और निरोग बने रहने की लिए लोगों को ताजा हरी सब्जियां, फल खाने की सलाह दी जाती रही है। आज जिस तरह से नालों के गंदे पानी में सब्जियों को उगाया जा रहा है तथा फल-सब्जियों को इंजेक्शन के जरिए पकाया जाता है, वह स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है। दूषित पानी से उगने वाली सब्जियों में लेड, सल्फर, जिंक, क्रोमियम और निकिल घुले होते हैं। डिटरजेंट और कास्टिक जैसी हानिकारक चीजें भी पानी के जरिए सब्जियों-फसलों में जा रही हैं। इससे किडनी, लीवर के रोग जैसे हेपेटाइटिस, पीलिया, टाइफाइड, उल्टी-दस्त जैसी घातक बीमारियां घर कर रही हैं। आजकल खाद्य बाजार एवं मंडियों में खाद्य प्राधिकरण के नियमों की खुली अवहेलना की जा रही है। मंडियों में घातक कैल्शियम कार्बाइड से आम व अन्य फल पकाए जा रहे हैं। इससे फलों में आर्सेनिक और फास्फोरस के साथ एसिटिलीन का निर्माण होता है जो नर्वस सिस्टम पर बुरा असर डालती है तथा चक्कर, अल्सर, कैंसर, एलर्जी के साथ किडनी और लीवर से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। खाद्य पदार्थों की बर्बादी भी खाद्य सुरक्षा में बाधा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2030 तक खाने की बर्बादी को रोकने का संकल्प लिया है। भारत की संस्कृति में भोजन जूठा छोड़ना या उसका अनादर करना पाप माना जाता है क्योंकि अन्न को देवता तुल्य माना गया है। लेकिन आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम अपने संस्कार-संस्कृति भूल गए हैं। इस ओर लौटना होगा। कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए मोटे अनाज का इस्तेमाल बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। मोटे अनाज के उत्पादन में कम पानी की जरूरत पड़ती है। इनकी खेती में यूरिया और दूसरे रसायनों की जरूरत भी नहीं पड़ती। जैविक खेती से तैयार फसलें, फल व सब्जियों इको फ्रेंडली होने के कारण इनकी मांग देश-विदेश में साल-दर-साल बढ़ रही है। इसलिए आज बड़ी संख्या में किसान जैविक खेती को अपना रहे हैं। खेती के क्षेत्र में यह एक नई क्रांति कही जा सकती है।

देश-दुनिया को खाद्य संकट से उबारने के लिए हमें एक उत्प्रेरक के रूप में स्वयं से शुरुआत करनी होगी। हमें एक जनआंदोलन खड़ा कर खाने की बर्बादी एवं खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना होगा। तभी हम आजादी के अमृतकाल से लेकर शताब्दी वर्ष तक 'स्वस्थ भारत-समृद्ध भारत' का सपना साकार कर सकेंगे।

राजेन्द्र राठौड़
पूर्व नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान विधानसभा
@patrika.com

प्रयोग में ली जा रही खाद्य सामग्री सुरक्षित है या नहीं, कहा नहीं जा सकता। लोगों में जागरूकता का अभाव देखा जा सकता है। जांचने के लिए माइक्रोबायोलॉजी लैब भी हमारे देश में पर्याप्त संख्या में नहीं हैं।

आपकी बात

गठजोड़ टूटना जरूरी

अपराधियों और पुलिसकर्मियों में मिलीभगत होती है, ऐसे में कानून नए हों चाहे पुराने, महज कागजी बनकर रह जाते हैं। इसलिए यह गठजोड़ टूटना चाहिए।

-आजाद पूरण सिंह राजावत, जयपुर

आज का सवाल

बारिश से पूर्व नालों की सफाई का काम पूरा क्यों नहीं होता?

ईमेल करें
edit@epatrika.com

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'नए आपराधिक कानून लागू होने से क्या समाज में आपराधिक प्रवृत्ति कम होगी?' ऑनलाइन भी देखें।

इसे स्कैन करें

https://shorturl.at/1cvp6

चिंतन

अब दंड नहीं न्याय संहिता एक और गुलामी से मुक्ति

एक जुलाई से देश एक और गुलामी के प्रतीक से मुक्ति पा ली है। राष्ट्र ने अंग्रेजों के समय बनाए गए आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को पीछे छोड़ इनकी जगह तीन नए कानून विधानों को अपनाया है। दंड संहिता के भारतीयकरण की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। अंग्रेजों के समय के दंड संहिताओं में दंड पर अधिक फोकस था, अब नए भारत में अमृतकाल में एक जुलाई से लागू तीनों कानून विधान, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 में न्याय पर अधिक ध्यान है। इन तीनों कानून विधान ने ब्रिटिश कालीन कानूनों क्रमशः भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के स्तर तक सभी मामलों में न्याय प्राथमिकी दर्ज होने के तीन साल के भीतर मिलेगा। नए कानूनों के तहत 90 प्रतिशत मामलों में दोषसिद्धि होगी। हालांकि विपक्ष ने इस पर पुनर्विचार करने के लिए सरकार से कहा है, पर यह बस राजनीतिक प्रतिक्रिया भर है। अब भारत में दुनिया में सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली लागू हो गई है, जिनमें 'जीरो एफआईआर', ऑनलाइन पुलिस शिकायत पंजीकरण, एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से समन व जघन्य अपराधों के लिए अपराध स्थलों की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल हैं। तीनों नए कानून विधान नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसका उद्देश्य सभी के लिए अधिक सुलभ, सहायक और प्रभावी न्याय प्रणाली सुनिश्चित करना है। पिछले साल संसद से पारित इन कानून विधानों के तहत अब कोई भी व्यक्ति पुलिस थाने जाए बिना ई-संचार माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इससे पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। 'जीरो' प्राथमिकी से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करा सकता है, चाहे अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में न हुआ हो। इससे कानूनी कार्यवाही शुरू करने में होने वाली देरी खत्म होगी। नए कानूनों के तहत पीड़ितों को प्राथमिकी की एक निःशुल्क प्रति दी जाएगी, जिससे कानूनी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। नए कानून में जुड़ा एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार दिया गया है। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सहयोग मिल सकेगा। गिरफ्तारी विवरण पुलिस थानों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा जिससे कि गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार और मित्र महत्वपूर्ण सूचना आसानी से पा सकेंगे। फॉरेंसिक विशेषज्ञों का गंभीर अपराधों के लिए अपराध स्थल पर जाना और सबूत एकत्रित करना अनिवार्य बना दिया गया है। अपराध स्थल से सबूत एकत्रित करने की प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराई जाएगी ताकि सबूतों में किसी प्रकार की छेड़छाड़ को रोका जा सके। इस कदम से जांच की गुणवत्ता व विश्वसीयता बढ़ेगी। नए कानूनों में महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है जिससे दो महीने के भीतर जांच पूरी की जाएगी।

विश्वकप
विनोद कौशिक

अब जीत से कम कुछ नहीं

वेस्टइंडीज के बारबाडोस में भारत को दक्षिण अफ्रीका पर मिली खिताबी जीत सिर्फ जीत ही नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक दर्शन है, जिसमें सीखने के लिए बहुत कुछ छिपा है। अगर इस खिताबी जीत को डिकोड किया जाए, तो हमारे सामने बहुत कुछ ऐसा निकलकर आता है, जिसे जीवन में शुरुआत से ही अपनाया जाए, तो यह गेम चेंजर साबित हो सकता है। वास्तव में रोहित सेना की इस जीत ने तमाम फील्ड के पेशेवरों को कई बड़े संदेश दिए हैं, जो खिलाड़ियों ने सार्वजनिक जीवन में साबित करके दिखाए हैं। टीम भारत 4 वर्ल्ड कप जीतने वाली दुनिया की तीसरी क्रिकेट टीम बन गई है। इससे पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के नाम ही ये रिकॉर्ड दर्ज है।

अनुभवी, मेहनती और युवा सितारों से सजी भारतीय क्रिकेट टीम ने गजब का प्रदर्शन किया और 17 साल बाद भारत को टी-20 वर्ल्डकप का चैंपियन बना दिया। संतुलित और सधी हुई टीम ने शुरूआत से ही जीत का जज्बा दिखाया जो फाइनल तक जारी रहा। यह पहली बार है जब किसी वर्ल्डकप में भारत अजेय रहा और सभी मैच जीतकर चैंपियन बना है। वेस्टइंडीज के बारबाडोस में भारत को दक्षिण अफ्रीका पर मिली खिताबी जीत सिर्फ जीत ही नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक दर्शन है, जिसमें सीखने के लिए बहुत कुछ छिपा है। अगर इस खिताबी जीत को डिकोड किया जाए, तो हमारे सामने बहुत कुछ ऐसा निकलकर आता है, जिसे जीवन में शुरुआत से ही अपनाया जाए, तो यह गेम चेंजर साबित हो सकता है। वास्तव में रोहित सेना की इस जीत ने तमाम फील्ड के पेशेवरों को कई बड़े संदेश दिए हैं, जो खिलाड़ियों ने सार्वजनिक जीवन में साबित करके दिखाए हैं। भारत ने 11 साल से कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती, हर कोई बोलने लगा था कि भारत चोकर्स है, लेकिन टीम इंडिया ने दिखा दिया कि हम चोकर्स नहीं चैंपियन हैं। 2011 के बाद भारत ने 5 फाइनल खेले, पिछले वनडे वर्ल्ड कप में तो जीतते-जीतते हार गए। टीम को तमाम आलोचनाएं झेलनी पड़ी। इस बार भी रोहित ब्रिगेड ने ऐसा मैच जीता है, जिस फाइनल में हर कोई सोच रहा था कि इंडिया जीत नहीं सकती। अगर देखा जाए तो टी-20 में 30 बॉल पर 30 रन होते ही क्या हैं, लेकिन गेंदबाजों ने, फील्डर्स ने, रोहित शर्मा की बेहतरीन कप्तानी ने यह साबित कर दिया कि जीत के लिए रन नहीं, जज्बा चाहिए। इसी जीत के जज्बे कारण भारत ने दक्षिण अफ्रीका के जबड़े से जीत छीनकर इतिहास रचा। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही भारत पिछले 17 सालों में 3 वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुका है। इनमें 2 टी-20 और 1 वनडे कप शामिल है। अब तक भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 वनडे वर्ल्ड कप और 2 टी-20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिए हैं।

टीम भारत 4 वर्ल्ड कप जीतने वाली दुनिया की तीसरी क्रिकेट टीम बन गई है। इससे पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के नाम ही ये रिकॉर्ड दर्ज है। ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार वर्ल्ड कप जीता है, जबकि वेस्टइंडीज 4 बार वर्ल्ड चैम्पियन रह चुका है। दरअसल, 1983 में कपिल देव की कप्तानी में वेस्टइंडीज को हराकर भारतीय टीम पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में 2007 में पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता। फिर 2011 में वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। 1983 के बाद यह पहली बार था, जब ट्रॉफी भारत की झोली में आई और अब इस साल 2024 में रोहित ब्रिगेड ने टी-20 वर्ल्ड कप फतह कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की और दुनिया में धमक दिखाई। इस जीत की गूंज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दी है। टीम में कप्तान रोहित शर्मा, अनुभवी खिलाड़ी विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत, हार्दिक पंड्या, सूर्य कुमार यादव समेत तमाम खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और बारबाडोस में जीत का झंडा गाड़ा। भारत की

यह जीत खासकर पेशेवर लड़ाई लड़ रहे लोगों के लिए जिंदगी बदलने वाली साबित हो सकती हैं, जैसे टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने बदलकर दिखाया। देखा जाए तो कोहली लगातार फ्लॉप होते रहे, आलोचना झेलते रहे, शुरआती 7 मैचों की इतनी ही पारियों में कोहली का औसत 11 से भी कम का था, लेकिन सबसे बड़े मौके और सबसे बड़ी जरूरत पर कोहली ने दिखाया कि किसी भी व्यवसाय में चैंपियन या योग्यता के क्या मायने हैं। बस आपका खुद में भरोसा बने रहना चाहिए। वहीं, जब कप्तान आगे रहकर नेतृत्व करता है और अगर वह एक-दो बार विफल होता भी है, तो पूरी टीम उसकी क्षतिपूर्ति के लिए एकजुट हो जाती है, रोहित ने अपनी कप्तानी, एप्रोच और फैसलों से कुछ ऐसा ही पूरे टर्नामेंट से साबित कर दिखाया। परिणाम से बेपरवाह जल्द विकेट गिरने पर भी रोहित ने शुरुआत से ही आक्रामक एप्रोच पर अमल किया। वह शुरू में सस्ते में आउट हुए, लेकिन संदेश साफ था कि एप्रोच से कोई समझौता नहीं होगा। बाकी खिलाड़ी भी इसी राह पर चले और सफलता ने संदेश पर पूरी तरह मुहर लगा दी।

फाइनल मैच में अफ्रीका को जीत के लिए 30 गेंदों पर 30 रन की दरकार थी और उसके हाथ में पांच विकेट भी शेष थे। यानी मैच पूरी तरह से उसकी मुट्ठी में था, लेकिन भारत को भी अपनी जीत पर पूरा भरोसा था और इसी भरोसे ने भारत को विश्व विजेता बना दिया। टीम भारत की एप्रोच, सोच, कप्तान के फैसलों, जुझारू क्षमता, समग्र प्रयास ने बताया कि हार तब होती है, जब आप इसे मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं, अगर आप जीत का जज्बा रखते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। टीम भारत ने अंतिम क्षण तक हौसला नहीं खोया और जीत दर्ज कर दुनिया को दिखा दिया कि जज्बा क्या होता है। इसके साथ ही भारत ने आलोचकों के मुंह पर भी ताला लगा दिया।

जब बात बड़े मिशन, बड़े युद्ध और बड़ा लक्ष्य हासिल करने की आती है, तो यह टीमवर्क से ही हासिल किया जा सकता है। अपने हित (मसलन रिकॉर्ड को तरजीह देकर या बाकी बातों में उलझकर) कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। खिताबी जीत ने संदेश दिया, हर शख्स का योगदान बड़े लक्ष्य को हासिल करने में अहम होता है। भारत का टी-20 विश्वकप का विजेता बनना इसलिए कहीं अधिक बड़ी और हर भारतीय को उत्साहित करने वाली उपलब्धि है, क्योंकि यह 17 वर्षों की लंबी तपस्या के बाद हासिल हुई। भारत ने इसके पहले 2011 में एक दिवसीय विश्वकप का खिताब जीता था। इस बार भारत ने अजेय रहते हुए टी-20 का विश्वकप अपने नाम कर लिया और क्रिकेट प्रेमियों समेत अन्य लोगों को भी उत्साह-उमंग से भर दिया।

इस पर आश्चर्य नहीं कि टी-20 का विश्व विजेता बनते ही रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जाडेजा ने क्रिकेट के इस प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ऐसा करके उन्होंने न केवल एक उदाहरण स्थापित किया है, बल्कि नई प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर भी दिया है। इस खिताब ने रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों की वर्षों की साध तो पूरी की ही, कोच राहुल द्रविड़ के गुरु ज्ञान को भी सार्थक कर दिया। भारत यह खिताब इसलिए अपने नाम कर सका, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली टीम जोश और आत्मविश्वास से तो भरी हुई थी, अंतिम क्षण तक हार न मानने के जज्बे से भी लैस थी। इसी कारण वे हार के जबड़े से जीत खींच लाए। इस चमत्कृत करने वाली कामयाबी के लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है।

(लेखक खेल पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

सियासत
निरंकार सिंह

उत्तर प्रदेश पर भाजपा की क्यों कमजोर हुई पकड़?

लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सीटें कम मिलने के कारण भाजपा बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पायी। इसके बारे में कई तरह की बातें कही जा रही हैं। दरअसल प्रदेश और देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता से उनके मंत्रिमंडल के ही कुछ लोग परेशान से हैं। इन मंत्रियों की मुख्यमंत्री बनने की लालसा भी हिलोरें मार रही है। जाने-अनजाने में कुछ केन्द्रीय नेताओं का भी इन्हें संरक्षण मिल रहा था। ये लोग नहीं चाहते थे कि योगी की लोकप्रियता बढ़े। इसलिए लोकसभा के चुनाव में भाजपा को जिताने और बढ़ाने में इनकी कोई विशेष सक्रियता भी दिखायी नहीं पड़ी। अब पार्टी संगठन एक टास्क फोर्स बनाकर इसके कारणों की छानबीन कर रहा है। प्रदेश में भाजपा की सीटें घटने के कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण दो बार लगातार चुनाव जीतने वाले सांसदों का अपने क्षेत्र में कार्यकताओं व जनता से सम्पर्क टूट गया था।

यदि आप सांसद या विधायक हैं तो आपको अपने क्षेत्र का बराबर दौरा करना चाहिए। लोगों के दुःख दर्द में शामिल होना चाहिए। उनकी समस्याएं जाननी चाहिए। जनता आप से यही अपेक्षा करती है। ये लोग मोदी और योगी के सहारे चुनाव जीतने की उम्मीदें लगाये बैठे थे, इसलिए अपने क्षेत्रों में जनता से सम्पर्क साधने की जरूरत नहीं समझी। ये लोग अपने घर पर ही ठेका -पट्टा पाने वालों का दरबार लगाते रहे। ऐसे लोगों को दोबारा टिकट देने वाले नेता भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। दूसरा बड़ा कारण भाजपा प्रदेश और जिला संगठन भी जनता से दूर हो गया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कितने जिलों में संगठन को मजबूत करने के लिए कितनी बार दौरा किया, इसका कोई ब्यौरा पार्टी संगठन के पास नहीं है। प्रदेश में पार्टी का आई.टी. सेल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। यही कारण है कि ग्रामीण अंचलों में असंतुष्ट प्रधानों, उप प्रधानों, पूर्व प्रधानों और प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के जरिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी सहित कई नेताओं के फेक (फर्जी) वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाये गये। ब्राह्मणों-ठाकुरों को लड़ाया गया, दलितों और पिछड़ों को भरमाया गया। इनके जरिए आरक्षण खत्म करने से लेकर संविधान बदलने तक की बातें तक कही गयीं। जिसका प्रदेश भाजपा का आईटी सेल कोई जवाब नहीं दे पाया। हर लोकसभा और विधानसभा चुनावों के छह महीने पहले ही मतदाता सूची का पोलिंग, बूथ स्तर पर संशोधन और परिवर्धन होता है। यदि भाजपा संगठन के कार्यकर्ता अपनी-अपनी पोलिंग बूथों पर सक्रिय रहते तो हजारों भाजपा समर्थकों के नाम मतदाता सूची से नहीं कटते। विपक्षी दलों के सामने अपने अस्तित्व को बचाये रखने का सवाल था इसलिए वे करो या मरो के संकल्प के साथ चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने हर तरह के छल प्रपंच को किया जो वे कर सकते थे। इसका भी अंदाजा भाजपा का प्रदेश और जिला संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता नहीं लगा सके। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का गारंटी कार्ड का फार्म अल्पसंख्यक, अशिक्षित और निर्धन महिलाओं से भरवाया गया। उन्हें डर था कि तीन तलाक के मामले खत्म करने के कारण ये महिलाएं भाजपा को वोट दे सकती हैं। काट के लिए पार्टी स्तर पर कोई प्रयास नहीं किया गया। पन्ना प्रमुखों की तमाम जिलों में फर्जी सूची बनायी गयी जो वास्तव में कहीं थे ही नहीं। कई उम्मीदवारों ने इसकी शिकायत भी की है। यदि वास्तव में पन्ना प्रमुख होते तो उनके मोबाइल फोन नम्बरों के जरिए इन फर्जी वीडियो का आईटी सेल जवाब दे सकता था। कुल मिलाकर फेक वीडियो और अफवाहों का जमीनी स्तर पर भाजपा का संगठन कोई जवाब नहीं दे सका और पार्टी कई जगह चुनाव हार गयी। हालांकि जो काम विपक्षी दलों का आईटी सेल कर रहा था वह भाजपा का आईटी सेल कर सकता था। पर उसे तो पता ही नहीं चला और उसके पास ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के नम्बर भी नहीं होंगे।

बहरहाल पार्टी संगठन इस हार की समीक्षा के लिए बनाई गई टास्क फोर्स के सूचनाओं का इंतजार कर रही है। पर यहां सवाल यह उठता है कि क्या कोई संगठन खुद अपनी कमियों को स्वीकार करेगा? इस टास्क फोर्स के काम के लिए दूसरे राज्यों के लोगों को लगाया गया होता तो शायद सही जानकारी सामने आती। लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश में 2019 में उसे जहां 62 सीटें मिली थीं, वहीं 2024 के आम चुनाव में 33 पर संतोष करना पड़ा है। भाजपा को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 29 सीटें कम मिलने की पूरे देश में चर्चा है।

(लेखक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

खुशहाली अपने भीतर प्रसन्नता की गहरी भावना

संकलित
दर्शन

आपको अपने भीतर प्रसन्न रहने की जरूरत क्यों है? जब आप प्रसन्नता की एक आंतरिक अवस्था में होते हैं, तब आप स्वाभाविक रूप से अपने आसपास हर किसी के साथ और हर चीज के साथ मधुर होते हैं। दूसरों के साथ अच्छे होने का निर्देश देने के लिए किसी धर्मग्रंथ या दर्शन की जरूरत नहीं है। एक ही सवाल से शुरू करते हैं, हम खुशहाली किसे मानते हैं? बिलकुल सीधे तौर पर, खुशहाली बस अपने भीतर प्रसन्नता की एक गहरी भावना है। अगर आपका शरीर सुखद महसूस करता है तो हम उसे स्वास्थ्य कहते हैं। अगर वह बहुत सुखद बन जाता है, तो हम उसे सुख कहते हैं। अगर आपका मन सुखद बनता है तो हम उसे शांति कहते हैं। अगर वह बहुत सुखद बन जाता है तो हम उसे ख़ुशी कहते हैं। अगर आपकी भावना सुखद बनती है तो हम उसे प्रेम कहते हैं, अगर वह बहुत सुखद बन जाती है तो हम उसे करुणा कहते हैं। अगर आपकी जीवन ऊर्जाएं सुखद बनती हैं, तो हम उसे आनंद कहते हैं। अगर वे बहुत सुखद बन जाती हैं तो हम उसे परमानंद कहते हैं। आप पूरा बस यही खोज रहे हैं, भीतर और बाहर की प्रसन्नता। जब प्रसन्नता भीतर होती है तो उसे शांति, आनंद या खुशी कहते हैं। जब आपके चारों ओर का माहौल सुखद बन जाता है, तो उसे सफलता का नाम दिया जाता है। अगर आपकी इनमें से किसी में भी रुचि नहीं है और आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो आप क्या खोज रहे हैं? बस दूसरी दुनिया की सफलता!

धैर्यता को धारण करना एक रचनात्मक प्रक्रिया

संकलित
प्रेरणा

इसमें कोई शक नहीं कि प्रतिदिन हम सभी कहीं न कहीं, कभी न कभी अधैर्य हो ही जाते हैं और उसका खामियाजा भी भुगतते रहते हैं, परंतु इस अधैर्यता रूपी जंजीर से मुक्त होना आज तक हममें से कोई सीख नहीं पाया। चाहते तो सभी हैं कि हम अधैर्यता से मुक्त हों,परंतु धैर्यता को सहज रीती से धारण करें कैसे? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं हैं। धैर्यता को धारण करना, यह एक रचनात्मक प्रक्रिया है जो हर कोई बड़ी आसानी से कर सकता है। इस प्रक्रिया का सबसे पहला कदम है खुले मन से यह स्वीकार करना कि हमारी अधीर्यता के निर्माता स्वयं हम खुद ही हैं और कोई नहीं अतः जैसे हमने निरंतर अधीर रहने की आदत को सालों साल पाला और पोसा है, ठीक उसी तरह हम धैर्य रखने की आदत को भी अपने भीतर जाग्रत कर सकते हैं। हमारी अन्य रचनाओं की तरह यह प्रक्रिया की शुरुआत भी हमारे मानस में ही होती है, जहां पर पहले हम धैर्य को धारण करते हैं और फिर अपने आत्मविश्वास के बल द्वारा उसे संपूर्ण रूप मे अपने भीतर उभारते हैं। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है और काली रात के बाद सुनहरा सवेरा होता है। निस्संदेह इसमें कोई शक नहीं कि 'धैर्यता का गुण' आज नहीं तो कल हमें सकारात्मक एवं मीठा फल अवश्य प्रदान करता ही है। यह तथ्य सिद्ध है कि 'धैर्य और विवेक' यह एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि बहुधा जो लोग धैर्यशील होते हैं उनकी बुद्धिमता एवं गंभीरता का स्तर दूसरों की भेंट में कई गुना अधिक ऊंचा होता है।

अंतर्मन

आज की पाती

बढ़ती जनसंख्या समस्याओं की जड़

हमारा देश विकास और अन्य बहुत से अच्छे कामों में दुनिया भर में नंबर वन पर है और आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन जनसंख्या के मामले में भी हमारा देश दुनिया भर में एक नंबर पर पहुंच चुका है। इस मामले में हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारे देश की जनसंख्या लगभग 144 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच गई है और भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दोगुनी हो सकती है। अगर भारत सरकार और देश का आमजन बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए गंभीरता दिखाए तो भारत जनसंख्या वृद्धि के मामले में आगे नहीं बढ़ेगा। जनसंख्या वृद्धि को रोकना नितांत आवश्यक है क्योंकि इससे कई समस्याएं पैदा होती हैं।

-नीलम ठाकुर, दुर्ग

ट्रेंड

गुमराह की कोशिश न करें

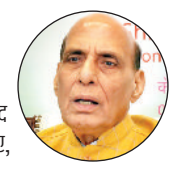

मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वो संसद को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से, 158 संगठनों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया गया, उनके सुझाव लिए गए, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है।

-राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री

माफी मांगें राहुल

राहुल गांधी द्वारा सदन में हिंसक बुलाना, करोड़ों हिंदुओं का अपमान है। नेता विपक्ष की मर्यादा को भंग करने वाले ऐसे विवादित और शर्मनाक बयान का कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। इसके लिए राहुल गांधी को हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए।

-पियूष गोयल, केंद्रीय मंत्री

नहीं झुकते

हम लोहिया जी , शहीद ए आजम भगत सिंह जी, राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी , लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी को पढ़कर राजनीति में आए है, हम पर जितना जुल्म करना है करो, मगर हम डरने वाले नही है। मां भारती ने ऐसे बच्चे पैदा किए है जो किसी के आगे नहीं झुकते।

-संजय सिंह, आप नेता

सच्चाई एक्स पर

यह परेशान करने वाली बात है कि लगभग पूरे मीडिया ने एक ही झूठ को एक जैसे शब्दों के साथ दोहराया। विरासती खबर न केवल फर्जी है, बल्कि मौलिक रूप से फर्जी भी है। सच्चाई एक्स पर है।

-एलन मास्क, उद्योगपति

करंट अफेयर

आठ लाख अफगानियों को देश से बाहर निकालेगा पाक

पाकिस्तान ने बिना दस्तावेज वाले अफगान शरणार्थियों को उनके देश वापस भेजने की विवादास्पद योजना का दूसरा चरण शुरू करने की तैयारी कर ली है। पाक अधिकारियों के मुताबिक करीब 8 लाख अफगानियों को निष्कासित करने की योजना है। पिछले साल नवंबर में पहले चरण में लगभग 5.41 लाख लोगों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। तब वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की काफी किरकिरी हुई थी।

अलजजीरा में छपी रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि यदि अफगान शरणार्थियों ने स्वेच्छा के साथ देश नहीं छोड़ा तो उन्हें गिरफ्तारी और निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है। अफगानियों को अफगानिस्तान वापस भेजने के पहले चरण में पाकिस्तानी सरकार ने दावा किया था कि वहाँ पर लगभग 44 लाख अफगान शरणार्थी थे जिनमें से करीब 17 लाख के पास कोई दस्तावेज नहीं है। पाकिस्तानी सरकार ने सुरक्षा चिंताओं और संघर्षरत अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए कार्यवाई के फैसले को सही बताया था। दरअसल, अफगानिस्तान में जब से तालिबानी सरकार आई है तब से पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के हमले बढ़ गए हैं।

ऑफ बीट

धार्मिक अनुभव बदल सकता है मेटावर्स

नई तकनीकें हमेशा हमारे धार्मिक अनुभवों में नयापन और बदलाव लेकर आई हैं। 1880 के दशक में रेडियो सुनना कई लोगों की नजर में धार्मिक

महत्व रखता था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि रेडियो में सुनाई दे रही आवाज किसी और लोक से आ रही है। उस दौरान प्रेतात्माओं से संवाद करने के लिए होने वाली सभाएं काफी लोकप्रिय हो गई थीं क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि रेडियो ने आध्यात्मिक दुनिया के लिए एक द्वार खोल दिया है। भले ही दुनिया के कुछ हिस्सों में औपचारिक धार्मिक गतिविधियों में भागीदारी में कमी देखी जा रही है, लेकिन नयी तकनीकें हमारे आध्यात्मिक जीवन में नयापन लाती रहेंगी। हमारे समय का सबसे नया माध्यम मेटावर्स एक सूचनात्मक और अनुभवात्मक तकनीक है, जहां उपयोगकर्ता आभासी वास्तविकता (वीआर) में बनाए गए सामाजिक वातावरण में बातचीत कर सकते हैं। मेटावर्स को पहले से मौजूद तकनीकों का उपयोग करके व्यवस्थित और निर्मित किया जा रहा है। इसके पूर्ण रूप और विकास के लिए उन तकनीकों के उपयोग की आवश्यकता होगी जो अभी तक मौजूद नहीं हैं। उदाहरण के लिए, मौजूदा तकनीक का उपयोग करके 3डी ऑनलाइन स्पेस में तेजी से प्रतिपादन या कंप्यूटिंग संभव नहीं है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक जागरण

व्यक्ति की भाषा उसके व्यक्तित्व का परिचय देती है

राहुल गांधी की नजर में हिंदू

नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपने पहले संबोधन से राहुल गांधी ने निराश ही किया। उन्होंने कोई छाप छोड़ने के बजाय टकराव और कलह पैदा करने का काम किया। उन्होंने कहा कि जो अपने आपको हिंदू कहते हैं, वे 24 घंटे हिंसा और नफरत करते हैं। जब उनके इस कथन पर आपत्ति जताई गई तो वह यह कहने लगे कि भाजपा और आरएसएस ही हिंदू नहीं हैं। यह निष्कर्ष तो ठीक है, लेकिन क्या वह यह सिद्ध करना चाहते हैं कि जो भी हिंदू भाजपा या आरएसएस से जुड़ा है, वह 24 घंटे हिंसा और नफरत करता है? संभव है कि वह ऐसा ही मानते हों, लेकिन उन्हें यह याद रखना चाहिए कि हाल के लोकसभा चुनावों में भाजपा को लगभग 24 करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया है। क्या राहुल गांधी यह कहना चाह रहे हैं कि ये सब वे हिंदू हैं, जो 24 घंटे हिंसा और नफरत करते हैं? उनका आशय जो भी हो, उनके इस कथन से इतना तो पता चलता ही है कि वह भाजपा को अपने राजनीतिक विरोधी के रूप में नहीं, बल्कि एक शत्रु के रूप में देखते हैं और उससे नफरत भी करते हैं।

राहुल गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत जय संविधान से की और यह दावा किया कि उन्होंने इसे बचाने का काम किया है। स्पष्ट है कि वह अभी भी चुनावी मुद्रा में ही हैं। शायद इसी कारण वह सदन के स्थान पर किसी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अधिक दिखे। यह ठीक है कि चुनाव के दौरान भी उन्होंने संविधान के खतरे में होने का हौवा खड़ा किया था और माना जाता है कि इससे उन्हें कुछ राजनीतिक लाभ भी मिला, लेकिन यदि वह संविधान के इतने ही बड़े ही हितैषी और रक्षक हैं तो फिर उस आपातकाल की आलोचना क्यों नहीं सहन कर पा रहे हैं, जिसे देश पर थोपकर न केवल संविधान को बदलने का काम किया गया था, बल्कि यह व्यवस्था भी बना दी गई थी कि कोई भी अदालत संसद से पारित किसी कानून की सुनवाई नहीं कर सकेगी। आखिर इसे तानाशाही के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है? क्या यह हास्यास्पद नहीं कि राहुल गांधी एक ओर संविधान बचाने का दावा कर रहे हैं और दूसरी ओर इसी संविधान को कुचलने वाले आपातकाल की आलोचना को अनावश्यक करार दे रहे हैं? ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते समय राहुल गांधी सरकार की आलोचना नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दिखाया कि उनका उद्देश्य सरकार की आलोचना करना कम, बल्कि जनता को गुमराह करना अधिक है। इसी कारण वह यहां तक कह गए कि यदि किसी अग्निवीर की जान चली जाती है तो उसके स्वजन को सरकार कोई मुआवजा नहीं देती। आश्चर्य नहीं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनके इस गलत बयान का खंडन करना पड़ा।

तस्करों का नेटवर्क

तस्करी करने वालों का नेटवर्क पंजाब में इतना ज्यादा फैल गया है कि शायद ही कोई दिन ऐसा होता है जब किसी न किसी जिले से नशीले पदार्थों की बरामदगी न होती हो। ऐसा तब है जब नशे के खिलाफ पुलिस प्रशासन की ओर से लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान पुलिस छोटी-मोटी बरामदगी तो कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज्य के जिलों में नशा पहुंच कैसे रहा है। दो दिन में सुरक्षा बलों की ओर से काफी मात्रा में हेरोइन के साथ ही आइस इत्यादि की भी बरामदगी की गई है। चिंता की बात यह भी है कि हेरोइन के साथ हथियार भी बरामद किए जा रहे हैं जिनको पाकिस्तान से तस्करों द्वारा भेजा गया है। ताजा मामला अमृतसर में अलग-अलग स्थानों से दो किलो हेरोइन, लगभग चौदह लाख ड्रग मनी सहित तीन राइफलें बरामद किए जाने का है। इसके एक दिन पहले भी अमृतसर में ही पाकिस्तान से मंगवाई गई आठ किलो हेरोइन, तीन पिस्तौल सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बीएसएफ ने भी साढ़े पांच किलो हेरोइन बरामद की है। सवाल यह भी है कि पाकिस्तान में बैठे तस्करों के संपर्क में भारत में सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले कौन लोग हैं? यही लोग पाकिस्तान की ओर से भेजी गई हेरोइन एवं हथियारों की खेप को ठिकाने लगाने का काम करते हैं। पुलिस को सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों वाले लोगों पर नजर रखने के लिए अपना सूचना तंत्र मजबूत करना होगा। जब तक ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक सीमा पार से आने वाली खेप ठिकाने लगाई जाती रहेगी। तस्करों का नेटवर्क ध्वस्त करना बहुत आवश्यक है।

> पुलिस को सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों वाले लोगों पर नजर रखने के लिए अपना सूचना तंत्र मजबूत करना होगा

बहुत कुछ कहने वाली विजयगाथा

तरुण गुप्त

टी-20 विश्व कप विजय ने न केवल वर्षों से आइसीसी खिताब की प्रतीक्षा समाप्त की, बल्कि राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा और विराट कोहली को यादगार विदाई भी दी

अवधेश राजपूत

आखिरकार आइसीसी ट्राफी की हमारी लंबी प्रतीक्षा पूरी हुई। गत शनिवार को ब्रिजटाउन की धरती हमारे लिए इस स्वर्णिम उपलब्धि की साक्षी बनी। इससे पहले अंतिम बार 2013 में इंग्लैंड में हमने चैंपियंस ट्राफी अपने नाम की थी। क्रिकेटरों और उनके समर्थकों-प्रशंसकों की एक पूरी पीढ़ी उस उत्साह का अनुभव करने के लिए व्याकुल थी, जो केवल किसी अंतरराष्ट्रीय खिताब की प्राप्ति पर ही संभव होता है। कई वर्षों से हम सभी प्रारूपों में शीर्ष टीम के रूप में विराजमान हैं। निरंतरता के मानदंडों पर हमारा प्रदर्शन बीते कुछ वर्षों में सर्वश्रेष्ठ रहा है। द्विपक्षीय शृंखलाओं में हमारा रिकार्ड उत्कृष्ट रहा है। साथ ही, खेल के प्रति जुनून और प्रतिभाओं की पर्याप्तता को देखते हुए हम किसी भी शृंखला अथवा टूर्नामेंट से पहले 'फेवरेट' यानी सबसे प्रबल दावेदार माने जाते रहे हैं। इस बार विश्व कप का मंच ऐसा रहा, जहां हमने इस फेवरेट वाले टैग के साथ पूरा न्याय किया। हम अपेक्षाओं की कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरे।

पूरी टी-20 प्रतियोगिता के दौरान रोमांच की कोई कमी नहीं रही। ग्रुप चरण में हमने एक कम स्कोर वाले मैच में चिरप्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को परास्त किया। अगले चरण में दमदार आस्ट्रेलिया के खिलाफ रनों का अंबार लगाकर उन्हें मात दी। उस मुकाबले में रनों का ऐसा पहाड़ खड़ा किया, जो खेल के इस सबसे छोटे प्रारूप की विशेष पहचान मानी जाती है। उसके बाद सेमीफाइनल में हमने पिछले विश्व चैंपियन इंग्लैंड की चुनौती को निस्तेज किया। इस जीत के साथ ही कुछ साल पहले एडिलेड में हुए इसी प्रारूप के विश्व कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों मिली दस विकेट की शर्मनाक हार का हिसाब भी चुकता किया। अंतिम पड़ाव पर हमारा सामना दक्षिण अफ्रीका से हुआ। अंत तक हमारी टीम ही अपराजेय रही। विजय रथ आगे बढ़ता रहा। उसके शीर्ष तक पहुंचने की राह में क्रिकेट की महाशक्तियों से लेकर नवोदित टीमें पीछे छूटती गईं।

क्रिकेट एक टीम गेम है। फाइनल मुकाबला इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा। सीमित ओवरों के क्रिकेट के निर्विवाद रूप से सर्वकालिक महानतम बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने टी-20 करियर के अंतिम पड़ाव पर अपनी बल्लेबाजी से भारतीय पारी को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। अक्षर पटेल और शिवम दुबे सरीखे युवाओं ने पारी को आवश्यक गति प्रदान की। जसप्रीत बुमराह की तो बात ही अलग है, जो सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को दिन-प्रतिदिन नए आयाम पर लेकर जा रहे हैं। उनके प्रदर्शन का वर्णन करने के लिए लेखकों-टिप्पणीकारों को मैच दर मैच या यूं कहें कि स्पेल दर स्पेल नए विशेषण खोजने पड़ रहे हैं। फाइनल में भी उन्होंने उम्दा स्पेल डाला। सूर्यकुमार यादव के कैच ने यह साबित किया कि बड़े से बड़े टूर्नामेंट की नियति महीन एवं मामूली अंतर से निर्धारित हो सकती है।

विश्व कप विजय टी-20 अंतरराष्ट्रीय से रोहित शर्मा के लिए उपयुक्त विदाई रही। उन्होंने दबाव में खुद पर नियंत्रण रखा एवं टीम को कुशाग्र नेतृत्व प्रदान किया। एक बल्लेबाज के रूप में पारी के प्रारंभ में निःस्वार्थ भाव से विस्फोटक शुरुआत देने के लिए विकसित की अपनी शैली पर ही उन्होंने भरोसा किया। उनकी इस शैली ने टीम के लिए बड़ी सफलताओं की नींव रखने का काम किया। कोच राहुल द्रविड़ के कार्यकाल की भी सफल परिणति हुई। कैरेबियाई जमीन पर ही 2007 के एक दिवसीय विश्व कप में उनके नेतृत्व में भारतीय टीम पहले चरण में बाहर हो गई थी। वह अप्रत्याशित पराजय भारी अपयश का कारण बनी थी। उसी जमीन पर यह जीत उस जख्म पर सबसे माकूल मरहम कही जा सकती है। एक खिलाड़ी के रूप में उनका रिकार्ड अभूतपूर्व रहा है। कोच के रूप में भी उनकी प्रतिबद्धता कमाल की रही है। असल में वह पार्श्व में रहकर सक्रिय रूप से अपना काम करने वाले नायक की तरह हैं, जिनकी उपलब्धियों का कुछ अन्य की तुलना में अपेक्षित महिमामंडन नहीं हो सका। यह जीत हमें यह भी सिखाती है कि आज की कड़ी प्रतिस्पर्धा के दौर में सौम्य, शालीन एवं मर्यादित आचरण वाले भी शीर्ष पर पहुंचने में सक्षम होते हैं।

इस विजयगाथा से जुड़ी कई और प्रेरक कहानियां हैं। परीकथा सरीखी ऋषभ पंत की वापसी। एक बेहद खतरनाक सड़क दुर्घटना में वह बाल-बाल बचे। उनके करियर को लेकर संदेह किया जाने लगा, लेकिन उन्होंने न केवल बल्लेबाजी, बल्कि विकेट के पीछे भी कमान संभालकर प्रेरणा का नया अध्याय लिखा। कुछ समय पहले तक ट्रोलिंग के शिकार और व्यक्तिगत जीवन में तमाम तरह की उथल-पुथल झेलने वाले हार्दिक पांड्या ने उस दौर को पीछे छोड़ते हुए अपने प्रदर्शन से दृढ़ता एवं लचीलेपन का उदाहरण प्रस्तुत किया। सदाबहार रवींद्र जडेजा ने भी अपने प्रदर्शन से अपनी उपस्थिति जताई। इस प्रतियोगिता में हमें एक अलग ही अर्शदीप के दर्शन हुए, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से बड़े मंच पर बड़ी छाप छोड़ी और सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शीर्ष पर रहे। ऐसी उपलब्धियों की एक अंतहीन सी सूची है, जो नाना प्रकार के पहलुओं को रेखांकित कर सकती है।

किसी भी बड़े टूर्नामेंट की समीक्षा में अपरिहार्य रूप से बड़े सबक छिपे होते हैं। सदैव परिणाम को लेकर आतुर रहने वाले देश के लिए पहला सबक तो यही है कि हमें प्रयासों और उनकी निष्ठा में आस्था रखनी चाहिए। ईमानदार प्रयास ही किसी बड़ी सफलता का प्रथम पड़ाव होते हैं। ऐसे प्रयासों से ही सफलता की भव्य इमारत खड़ी की जा सकती है। यदि आप अनथक प्रयास करते हैं तो 'करत-करत अभ्यास'.... वाली कहावत सार्थक होकर सफलता से आपका साक्षात्कार करा देती है। इसलिए सदैव दृढ़ता का परिचय दें। असफलताओं के प्रभाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। खेलों की इस मिसाल को हम अपने सामान्य जीवन में भी उतार सकते हैं कि प्रयास की व्यापकता, संवेदनशीलता, मंशा और ईमानदारी के भाव अनुकूल परिणामों के निमित्त बनते हैं। इस तथ्य को कभी विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए कि महत्वपूर्ण तो प्रयास एवं प्रक्रिया होती है। परिणाम तो उनकी एक स्वाभाविक परिणति है।

response@jagran.com

नियमों के तहत सहायता मांगें राज्य

सीवीपी श्रीवास्तव

विशेष राज्य के दर्जे को लेकर दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर विचार किए जाने की आवश्यकता है

जदयू की बैठक में उठी विशेष राज्य की मांग। प्रेट्र

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनने के साथ ही इसकी संभावना जताई जाने लगी थी कि राजग के प्रमुख घटक दल टीडीपी और जेडीयू आंध्र और बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर सकते हैं। बीते दिनों जेडीयू के नेताओं ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग दोहरा दी। भारत के संविधान में राज्यों का गठन स्वायत्त प्रशासनिक इकाइयों के रूप में संघ द्वारा किया जाता है। राज्यों के विकास और उनकी सुरक्षा को देखते हुए संसद को कानून बनाने का अधिकार है और कोई भी राज्य अन्य राज्यों के समान अधिकार प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता। भारत में संसद को यह शक्ति है कि वह कानून के तहत किसी राज्य के लिए विशिष्ट नियमों और शर्तों का निर्धारण कर सकती है। चूंकि राज्य प्रशासनिक इकाइयां हैं और संघ सरकार द्वारा आवंटित संसाधनों के वितरण के लिए उत्तरदायी हैं, अतः उनकी भौगोलिक, सामरिक तथा सामाजिक-आर्थिक दशाओं को देखते हुए उन्हें विशेष सहायता दी जा सकती है। यहां यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि प्रशासन से संबद्ध होने के कारण ऐसा कोई उल्लेख संविधान में नहीं है, क्योंकि संविधान शासन व्यवस्था के तीनों अंगों-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को दिशा निर्देश देता है, जिसके अनुरूप विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों के अनुरूप कार्यपालिका प्रशासनिक कार्रवाई करती है और विवादों के समाधान के लिए न्यायपालिका उत्तरदायी होती है।

प्रशासनिक सुगमता और राज्यों के विकास पर गौर करते हुए 1969 में पांचवें वित्त आयोग ने विशेष राज्य का दर्जा देने की सिफारिश की थी। इस आधार पर असम, नगालैंड और जम्मू-कश्मीर को यह दर्जा दिया गया था। इनके अतिरिक्त, हिमाचल, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना सहित 11 राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया है। संप्रग सरकार के शासन में संसद द्वारा विधेयक पारित करने के बाद आंध्र प्रदेश से अलग होने पर तेलंगाना को विशेष दर्जा मिला था। 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और तीन पर्वतीय राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए 'विशेष श्रेणी का दर्जा' समाप्त कर दिया था और ऐसे राज्यों में कर हस्तांतरण के माध्यम से संसाधन अंतर को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने का सुझाव दिया था।

पिछले कुछ समय से बिहार के साथ आंध्र विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि विशेष श्रेणी राज्य विशेष दर्जे से अलग है। विशेष राज्य श्रेणी केवल आर्थिक और वित्तीय पहलुओं से संबंधित है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 (ए-जे) में कई राज्यों के लिए विशेष प्रविधान किए गए हैं। किसी राज्य को विशेष श्रेणी का राज्य बनने की अर्हता के लिए कई शर्तें निर्धारित हैं, जैसे-राज्य में पर्वतीय क्षेत्र, कम जनघनत्व या जनजातियों की बहुलता, अंतरराष्ट्रीय सीमा की साझेदारी, राज्य में आर्थिक और अवसंरचनागत पिछड़ापन और राज्य के वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति। इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए अब यह विचार करना आवश्यक है कि आंध्र प्रदेश और बिहार विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांग रहे हैं?

आंध्र प्रदेश का तर्क है कि राज्य के विभाजन के बाद उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों में कमी आ गई है, जिससे राज्य की राजकोषीय व्यवहार्यता भी कम हो गई है। यह भी कहा गया है कि राज्य का विभाजन अतार्किक एवं समता के सिद्धांत के विरुद्ध था। जहां तक बिहार की बात है, तो वह विशेष दर्जे की मांग 2008 से ही कर रहा है। जेडीयू की नई कार्यकारिणी ने अपनी यह मांग फिर से रेखांकित की है। बिहार का यह भी तर्क है कि उसका विभाजन सही तरह नहीं किया गया। वह संसाधनों की अपर्याप्तता का दावा भी करता रहा है। बिहार के दावे में यह भी शामिल है कि उसकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो नेपाल से मिलती है, लेकिन वर्ष 2015 और फिर 2023 में केंद्र सरकार ने ऐसा दर्जा देने की मांग को इस तर्क पर अस्वीकार कर दिया था कि ऐसा दर्जा देने वाली योजना समाप्त कर दी गई है।

बिहार और आंध्र प्रदेश, दोनों ही राज्य मूलतः कृषि आधारित हैं और उनके विभाजन के बाद निश्चित रूप से उनकी राजस्व प्राप्तियों में कमी आई है, लेकिन केंद्र की भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। संवैधानिक रूप से भारत में सहकारी संघवाद प्रचलित है, जिसके अनुसार यह संघ का दायित्व है कि वह राज्यों के आर्थिक-सामाजिक विकास के प्रति संवेदनशील हो और उनकी सहायता करे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि क्या राजनीतिक दबाव बना कर ऐसे दर्जे की मांग करना उचित है? गठबंधन सरकारों की एक बड़ी समस्या यह रही है कि अक्सर उसके घटक दल दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं, जिसका उद्देश्य मूलतः राजनीतिक होता है। यह बहुदलीय राजनीति का एक आलोचनात्मक पक्ष है। क्षेत्रीय राजनीति के मजबूत होने से एक ओर जहां क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय स्तर तक लाने में सहायता मिली है, वहीं दूसरी ओर इसकी नकारात्मकता यह रही है कि क्षेत्रीय दल अधिकांशतः राजनीतिक दबाव बना कर अपने निजी हित साधने का प्रयास करते हैं। इसे राजनीतिक ब्लैकमेलिंग में रूप में भी देखा जाता है। इस संदर्भ में पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि राजनीति जब विकास की दृष्टि से की जाती है तो वह देश के हित में होती है, लेकिन जब राजनीति का उद्देश्य केवल राजनीतिक होता है तो वह हानिकारक सिद्ध होती है। राष्ट्र हित में राजनीतिक दलों द्वारा कार्य किए जाने पर उनके राजनीतिक हित भी साधे जा सकते हैं। अतः दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर ही ऐसे संवेदनशील मुद्दों को संबोधित किया जाना उचित होगा।

(लेखक सेंटर फार अप्लायड रिसर्च इन गवर्नेंस, दिल्ली के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आत्मनिरीक्षण

प्रायः लोग अपना दोष नहीं देखते, परंतु दूसरों की कमी उन्हें बहुत शीघ्र दिख जाती है। आवश्यकता बाहर के दोषों को न देखकर अपनी कमियों को निहारने की है। इस प्रक्रिया को आत्मनिरीक्षण कहते हैं। यह महत्वपूर्ण विशेषता केवल मानव को मिली है। व्यक्ति के पास वह सामर्थ्य है, जिसके द्वारा अपने को जान सकता है। स्वयं अपने दुर्गुणों को जानकर उन्हें दूर कर सकता है। जबकि पशु बाहरी चीजों के बारे में तो जान सकते हैं, पर स्वयं को जानना उनके वश की बात नहीं है। इस विशिष्ट सामर्थ्य की गरिमा तभी है, जब इसका उपयोग कर अपने दोषों एवं विकृतियों को समझकर उन्हें दूर किया जाए।

हमें अपने सोच-विचार के तौर-तरीके पर ध्यान देना चाहिए। जैसे-जैसे हमारी दृष्टि अंतर्मुखी होगी, पता चलेगा कि हमारा बहुत समय अनुपयोगी चीजों को सोचने में चला जाता है। कभी किसी की बुराई सोचते हैं। कभी बिना मतलब की कल्पनाएं करते हैं। इनमें मानसिक ऊर्जा यूं ही बर्बाद होती रहती है। दूसरों की बुराई करने, उन्हें परेशान करने के तौर-तरीके सोचने की जगह हमें अपने चिंतन को सही दिशा में लगाना चाहिए।

आत्मनिरीक्षण तब तक अधूरा है, जब तक उसमें आत्मसुधार की विधि न जोड़ी जाए। इसका अर्थ है-ईर्ष्या-द्वेष जैसे कई दोषों को हटाकर मन में सत्प्रवृत्तियों को स्थान देना। यह काम ठीक किसानी जैसा है। किसान खेत में बोआई के पहले से खरपतवार निकालना शुरू करता है और फसल उग जाने के बाद भी निराई का अपना कार्यक्रम नहीं छोड़ता है। इसी तरह हमें भी दया, करुणा, सेवा, सहृदयता को प्रयत्नपूर्वक अपने व्यवहार में उतारने के प्रयास करने चाहिए। जैसे-जैसे इनका अभ्यास शुरू करेंगे, अपने दोष साफ-साफ दिखाई पड़ने लगेंगे। जहां पहले दूसरों के सिर्फ दोष दिखाई देते थे और अपने में केवल गुण, वहीं अब दूसरों में गुण और अपने में दोष भी दिखाई देने लगेंगे।

मुकेश ऋषि

न टूटे विश्वास की डोर

आयुषी दवे

आनलाइन की गई खरीदी अक्सर किसी न किसी कारण से सुर्खियों में रहती है। कभी भेजे गए उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर तो कभी सही उत्पाद की जगह उसी वजन की कोई भी दूसरी वस्तु की डिलीवरी करने की बातें सुनने में आती हैं। इनको लेकर कंपनी और उपभोक्ता के बीच प्रायः विवाद की स्थिति बनना अब आम बात हो गई है, लेकिन जब बात आनलाइन मंगाई गई खाने की सामग्री की हो और उसमें ऐसी चीजें निकल आएं, जो किसी भी कीमत पर खाने में स्वीकार्य न हों तो बड़ा सवाल उठता है? गत दिनों देश में कई ऐसे मामले सुर्खियों में आए जिनसे आनलाइन फूड डिलीवरी प्रणाली पर तमाम तरह के सवाल के साथ उपभोक्ताओं का आक्रोश भी उपजा। कहीं आनलाइन आर्डर देकर मंगाई गई आइसक्रीम में कटी हुई इंसानी अंगुली निकली तो कहीं मरे हुए चूहे के मिलने की शिकायत आई। कहीं आलू चिप्स के पैकेट में सड़ा हुआ मेंढक मिलने से विवाद बढ़ा तो कहीं जिंदा कनखजूरा निकल आया। कहीं डिब्बे से कोबरा सांप निकल आया।

> आनलाइन डिलीवरी का कारोबार कंपनियों और ग्राहकों के बीच विश्वास पर टिका है। यह भरोसा बना रहना चाहिए

निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं आनलाइन फूड डिलीवरी कारोबार के लिए अच्छी नहीं कही जाएंगी। ऐसी लगातार हो रही घटनाओं से संदेह पैदा होता है। सवाल है कि खाने की चीजों की गुणवत्ता से समझौता क्यों किया जाता है? क्या ऐसा काम कंपनियां अपनी कमाई बढ़ाने के लिए कर रही हैं? क्या अब उन्हें अपने ग्राहकों की सेहत और भरोसे से कोई सरोकार नहीं रह गया है? जब खाद्य सामग्री में अंगुली, मेंढक, कनखजूरा जैसे अभक्षणीय चीजें मिलेंगी तो सोचिए उन लोगों पर क्या बीतती होगी, जो विशुद्ध शाकाहारी हैं! इसे सेवा में चूक नहीं, बल्कि बड़ा अपराध माना जाना चाहिए। ऐसी घटनाएं न केवल लोगों की भावनाओं को आहत करती हैं, बल्कि उनके विश्वास को तोड़ते हुए धार्मिक भावनाओं तक को जबरदस्त चोट पहुंचाती हैं। जिसने कभी मांस देखा तक नहीं हो, उसके मुंह में कटी अंगुली, काकरोच, मेंढक आदि चले जाएं तो कैसा लगेगा? ऐसे ग्राहकों पर क्या बीतती होगी? कल्पना मात्र से ही गुस्सा आता है।

कोई भी व्यवसाय चलाना बेहद भरोसे का काम है। अब व्रत और तीज-त्योहार में भी लोग बाहर से आनलाइन प्रसाद और फलाहार तक मंगाने लगे हैं। उन्हें विश्वास रहता है कि पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक तरीके से बनी सामग्री ही उन्हें डिलीवर की जाएगी। ऐसे में ये घटनाएं कतई स्वीकार्य नहीं हैं। इसके लिए सरकार को जिम्मेदारी का परिचय देते हुए ऐसी सख्त और दुरुस्त व्यवस्था बनानी चाहिए, ताकि खाने की सामग्री गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न हो। बने बनाए भोजन की घर तक डिलीवरी विश्वास का कारोबार है। यह विश्वास बना रहना चाहिए।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

आगामी बजट की दिशा और दशा

'नए बजट का मजबूत आधार' शीर्षक से लिखे आलेख में डा. जयंतीलाल भंडारी का सुझाव है कि आगामी बजट में सरकार को अटके हुए वित्तीय एवं श्रम सुधारों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आवंटन भी बढ़ाना चाहिए। ये दोनों क्षेत्र आम जन को बहुत प्रभावित करते हैं। ऐसे में इनका जनसुलभ होना जरूरी है। महंगाई के दीर्घकालिक समाधान के लिए भी ठोस रणनीति बनाने की आवश्यकता है। महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार को उत्पादन बढ़ाने और वितरण प्रणाली में सुधार लाने पर ध्यान देना चाहिए। रोजगार सृजन के लिए भी आज देश को कुछ नई योजनाओं की दरकार है। देश में बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हैं और निजी क्षेत्र के सहयोग से ही रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा किए जा सकते हैं। इसके लिए सरकार को स्टार्टअप्स और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। कृषि क्षेत्र की बात करें तो किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अच्छी पहल है, लेकिन सिर्फ इससे ही किसानों की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हमें कृषि सुधारों को व्यापक दृष्टिकोण से देखना होगा, जिसमें आधुनिक तकनीक और बेहतर विपणन सुविधाएं शामिल हों। यह सही है कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर बहुत जोर दे रही है। इसके बजट में बड़ी राशि आवंटित की जा रही है। जमीन पर इसका असर दिख रहा है। यह देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बहरहाल, किसी भी बजट की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार योजनाओं को कैसे लागू करती है और आम जनता को उनके लाभ कैसे पहुंचाती है। सरकार को चाहिए कि वह आगामी बजट में योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दे और आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से ले।

अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

वर्षों बाद घर आई विश्व कप ट्राफी

क्रिकेट वाकई अनिश्चिताओं का खेल है और यह खेल ही अद्भुत है। हमारे देश में तो इससे लोगों का प्यार शाश्वत है। टी-20 विश्व कप 2024 फाइनल में दो अजेय टीमें की खिताबी भिड़ंत में भारत की विजय हुई है। यह विजय विराट है और अरसे बाद आई है, जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी। यह जीत असंभव कार्य को संभव कर दिखाने की है। इस अविश्वसनीय जीत में कोचिंग स्टाफ से लेकर हर एक खिलाड़ी तक का बहुमूल्य योगदान रहा। जो सपना पिछले वर्ष घर में टूटा था, वही सात समुद्र पार विदेश जमीन पर साकार हुआ। भारत ने 29 जून को आखिरकार 11 साल से चला आइसीसी ट्राफी एवं 13 साल का विश्व कप ट्राफी का अकाल दक्षिण अफ्रीका को हारकर खत्म किया। इससे पहले टीम ने कोई वैश्विक टाइटल 2013 चैंपियंस ट्राफी जीता था। यह क्षण समस्त देशवासियों को खुशी के आंसुओं से भावुक कर देने वाले हैं।

महाजन रोहन, नोएडा

आर्थिक महाशक्ति बनता भारत

भारत विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। सुधारों से पूर्व मुख्य रूप से भारतीय उद्योगों और व्यापार पर सरकारी नियंत्रण था। हालांकि एक बड़ा हिस्सा इन सुधारों से अभी भी लाभान्वित नहीं हुआ है। पिछले नौ वर्षों के दौरान 24.82 करोड़ लोग विविध प्रकार की गरीबी से बाहर निकले हैं। इस उल्लेखनीय उपलब्धि का श्रेय 2013-14 से 2022-23 के बीच गरीबी के समाधान के लिए चली सरकार की योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले नौ वर्षों के दौरान 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इसके बाद बिहार में 3.77 करोड़, मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ और राजस्थान में 1.87 करोड़ लोग हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चला रहा है। यह 81.35 करोड़ लाभार्थियों को कवर करता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाना सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण है।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****